

लेखकीय वक्तव्य

सस्कृत मे एम० ए० परीक्षा देने के पश्चात् मेरा मन एक ऐसे विषय की सोज मे निकल पहा, जिसमे प्राचीन भारतीय समाज और सस्कृति की आधार-भूमिका हो। मेरे सोज पथ मे अनेक विषय प्रस्तुत हुए और उनकी प्रेरणाएँ कर श्रेय स्वर्गीय डा० बामदेवदासां अग्रबाल कृत 'द्युर्घटित एक सामृद्धिक अध्ययन' और 'कादम्बरी एक सास्कृतिक अध्ययन' थे। इसी रूप मे भगवतशरण उण्ठाय रचित 'कालिदास का भारत' और डा० गायत्री वर्मा द्वात् 'कवि कालिदास के ग्रंथों पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्कृति' भी मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए। यो तो कालिदास आदि प्राचीन कवियों का समग्र साहित्य ही समाज का महत्वपूर्ण चित्रों मे प्राकीर्ण है, किन्तु उनके नाटकों मे जो चित्र निर्मित हुए हैं वे कृद्य अधिक वस्तुपरक एवं गहरे रंगो से युक्त हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक अधिक वस्तुपरक होन के कारण युगविशेष के समाज के चित्रण के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस्यकार्य होने के कारण नाटक मे वस्तु चित्रण के लिए पर्याप्त अवधारणा रहता है। कल्पनाएँ वस्तु को रगीनवनाती हैं, धुंपला नहीं बरती। अतएव मेरे मन का आप्रह हुआ कि वयों न मैं प्राचीन नाटकों के आधार पर प्राचीन भारतीय समाज के विविध परिपालकों का अनुशीलन करूँ। मेरे मन का यह आग्रह मेरे गुण एवं निर्देशक डा० पुष्पोत्तमलाल भार्गव से अनुमोदित होकर प्रस्तुत विषय के स्पष्ट मैं पजीकृत हुआ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को मैंने आवश्यक भूमिका के अतिरिक्त नौ अध्यायों मे विभाजित किया है। भूमिका म साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का निष्पण है। साथ ही उसमे सस्कृत नाटक की मूल चेतना और समाजपरक विशेषनाओं का अनिवार्य विवेचन है।

प्रथम अध्याय मे आनोख्य नाटक युग की सामाजिक, धार्मिक और सामृद्धिक अवस्थाओं का अनुशीलन इतिहास के परिपालन मे किया गया है।

इस अध्ययन से नाटकीय साहित्य पर आधारित सामाजिक विवेचन को ऐतिहासिक पुष्टि प्राप्त हो सकी है।

दूसरे अध्याय में आलोच्य नाटकों का सामान्य परिचय इस प्रकार दिया गया है कि विषय की धीमिका उभर कर पाठक के सामने आ गयी है।

आलोच्य नाटकों में समाज का एक प्रमुख युग परिवार है, जिसकी परीक्षा दो स्तरों पर की गई है और वे हैं—राज-परिवार तथा समाज-परिवार। विवेचना से तत्कालीन समाज के पारिवारिक जीवन के जो चित्र निखरे हैं वे सामाजिक गवेषणा की इटि से प्रशसनीय हैं। इस इटि से तृतीय अध्याय मौलिक एवं विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करता है।

चतुर्थ अध्याय में सामाजिक दर्शकों का विवेचन आता है। समाजशास्त्रीय इटि से यह विवेचन बड़ा महसूपूर्ण है।

समाज-शृङ्खला की एक महत्वपूर्ण कही के रूप में नारी का विस्मरण कदाचिन नहीं किया जा सकता। आधुनिक समाज-शास्त्रीय अध्ययन के विविध परिपश्वों में जारी की प्रश्नाएँ ऐसी राज्यहारणे इसका प्रश्नारण हैं। अन्तर्रेष्ट युग में नारी की स्थिति की गवेषणा न केवल पारिवारिक भूमिका पर की गयी है, बरत् सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक भावावार पर भी की गई है। अतएव पचम अध्याय विवेच्य युग की नारी के विषय में सर्वांगीण गवेषणात्मक आलोचना प्रस्तुत करता हुआ अपने मूल्य की प्रस्थापना करता है।

अध्याय छ से नौ तक महत्वपूर्ण सामाजिक परिपश्वों का विवेचन है। शोध-प्रबन्ध के इस अवश्य में तत्कालीन जीवन-पढ़ति, शिक्षा-प्रणाली, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और भावितक जीवन तथा कला-कौशल का पर्यावरण-सोकन किया गया है। सामाजिक विवेचन के अन्तर्गत इस अध्ययन की उपादेयता विस्मरणीय नहीं है।

मुझे अपने गुरुवर डा० पुरुषोत्तमलाल भार्गव से प्रनेक उपयोगी निर्देश एवं परामर्श प्राप्त हुए हैं। आभार-प्रदर्शन में प्रयुक्त कोई शब्दावली मुझे उनके अहण से मुक्त नहीं कर सकती। अतएव मैं उनके इस महाकाश को सदैव स्वीकृति प्रदान करती रहौंगी।

यहाँ मैं अपने दिना द्वा० मरुताभस्ति॒ह शर्मा 'भरण' के प्रति भी कृतशता प्रकट किये दिना नहीं रह सकती, क्योंकि शोध-कार्य में मुझे उनसे भी यथावद्यक निर्देश एवं सुझाव मिलते रहे हैं।

जहाँ मैं यह दावा करती हूँ कि यह शोध-प्रबन्ध अपने ढंग की मौलिक

कृति है वहाँ मैं अपनी भ्रान्तियों और विवशताओं को भी स्वीकार करती हूँ।

अन्त में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अधिकारियों, अपने और सहपाठियों को जिनसे मुझे अपने शोध मार्ग में समय समय पर समुचित सहायता मिलती रही है, धन्यवाद दिय विना नहीं रह सकती।

चिन्मा शर्मा

विषय-सूची

भूमिका : साहित्य और समाज

१-२५

साहित्य-परिभाषा, साहित्य का स्वभाव, साहित्य क्या है, जीवन का प्रतिरूपण क्यों? साहित्य के गुण, समाज, साहित्य और समाज-सम्बन्ध-निरूपण, सस्कृत साहित्य और उसकी विशेषताएँ, सस्कृत-साहित्य में आत्म-अभिव्यजनना तथा उसकी विशेषताएँ, सस्कृत नाटक और समाज, सस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताएँ। सुखान्तरा, युग-जीवन की अभिव्यक्ति, सधर्य, पात्र-योजना, अङ्ग, तत्त्व नाटक के रस, पात्र और पद, प्रकृति-निष्ठा।

१ आलोच्य नाटक-युग : ऐतिहासिक परिचय

२६-६४

मास-युग, कालिदास-युग, शूद्रक-युग, पारिवारिक स्थिति, विवाह, वर्ण एवं वर्मन्यवस्था, भारी की स्थिति, रहन-सहन का ढग, शिक्षा-प्रणाली, धार्मिक स्थिति, धार्यिक स्थिति, कृषि, वाणिज्य-व्यापार, विनियम-भणाली उद्योग एवं व्यवसाय, राजनीतिक घातावरण : शासन-प्रणाली—केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन, स्थानीय प्रशासन, संचय समठन, न्याय-न्यवस्था एवं दण्डविधान, राजकीय आय, कला-कोशल, निष्कर्ष।

२ आलोच्य नाटकों का परिचय

६५-१०४

भास के नाटक : मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, ऊरुभग, पच-रात्र, दूतवाक्य, बालचरित, प्रतिमा-नाटक, अभियेक नाटक, अविमारक, प्रतिज्ञायोग-वरायण, स्वप्नवामवदत, चाहुदत, कालिदास के नाटक अभिजानशाकुन्तल, मात्रविकामिनिमित्र, विश्वमोवशीय, शूद्रक का नाटक। मृच्छकटिक।

३ परिवार

१०५-१५१

राज परिवार। राज-परिवार की परम्पराएँ, परिवार में राजा का स्थान, योवराज्याभियेक, राज्याभियेक, राजमहिपी, राजा के सेवक : शृङ्खाल सहाय, अर्ध सहाय, धर्म-सहाय, दण्ड सहाय, ग्रन्त पुर-सहाय, सम्बेद सहाय, राजा की वैशभूया, राज-परिवार के प्रसाधन। ग्रन्तिवायं नेपथ्य, वैकल्पिक नेपथ्य।

राजप्रासाद : मरणहस्ती, भयूरमधि-प्रासाद, समुद्र-गृह, सूर्यमुख-प्रासाद मेंष प्रतिच्छन्द, देवच्छन्दक, शान्तिगृहादि, आमोद-प्रभोद : वसंतोत्सव, धनु-मंहोत्सव, वर्षवर्धनोत्सव, विजयोत्सव, विद्याहोत्सव, विवाह-पद्मतिर्याँ : विवाह-विधि, विवाह-मेद, मनोविनोद : मृगया, घूत-कीड़ा, सगीत एवं नृत्य, चित्रकला, कथा-आस्थायिका, अन्त-पुरीय कीड़ाएँ, इतर परिवार : समुक्त परिवार प्रथा, पृहपति, पृहिणी, परिवारिक शिष्टाचार ।

४. सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था

१५२-१७०

वर्णव्यवस्था का महत्व, वर्ण-विभाजन : ब्राह्मण, धनिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज, जातिव्यवस्था, अनार्य जातियाँ, वर्ग मेद : राजा-प्रजा, धनी-निधन, गृहस्थ-संन्यासी, स्वामि-रेवक, गुरु-शिष्य, निष्कर्ष ।

५. विवेच्य नाटकों में नारी का स्थान

१७१-१८७

नारी-समाज का अभिन्न अङ्ग, नारी का पद : एहपद, प्रेयसी, परिवार-पद, सामाजिक क्षेत्र, नारी की परतन्त्रता, विधवाओं की स्थिति, सती-प्रथा, पर्दी-प्रथा, गणिका, शिक्षा और नारी, वर्म और नारी, राजनीति और नारी, नारी के प्रति साहित्यिकों का हासिलोण ।

६. जीवन-पद्धति

१८८-२२४

खान-पान, निरामिष भोजन : अम, दाल एवं शाक, गसाले, तेल, मिष्ठ द्रव्य, दूध, फल, सामिष भोजन : मौम, मदिरा, भोजन-मेद, भोजन-पात्र, मोजन-बेला, आवास, वेशभूषा : सामान्य वेश-भूषा, यति-देश, विवाह परिधान, समर-देश, अभिसारिका-देश, दस्यु-देश, भ्रतिहारी की वेशभूषा, मृगया वेश, यवनी वेश, विरहिणी और विरही के वेशभूषा, नियम वेश, वस्त्र-गुरुप की वेश-भूषा, स्नानीय देश, डिप्पिक वेश, गोपालक वेश, सामाजिक उत्सव एवं आमोद-प्रभोद : शत्रवजोत्सव, इन्द्रियज-उत्सव, घूत-कीड़ा, सगीत एवं नृत्य, वेश्या एवं गणिका, पक्षी-पालन, उद्यान, सौंप का खेल, स्वाग, लोक-मान्यताएँ और जन-विश्वास : स्वप्न, शकुन, भूत-प्रेत, उत्तोतिय, देव, अलौकिक तत्त्व, सामाजिक प्रथाएँ, चिकित्सा-विधि, निष्कर्ष ।

७. शिक्षा-प्रणाली

२२५-२३३

शिक्षा-केन्द्र : शाश्वत, राजकीय शिक्षालय, राजगृह, गुरु का अहस्तव, आदर्श दिक्षक, गुरु-दक्षिणा, विद्यार्थी जीवन, विद्याध्ययन की अवधि, अध्ययन के विधय, लेखन-प्रणाली, लेखन-सामग्री, निष्कर्ष ।

८ धर्म एवं नीति

२३४-२६४

धर्म-परिभाषा, धार्मिक सम्प्रदाय : ब्राह्मण-धर्म, वैष्णव-धर्म, शैव-भूत, बौद्ध-धर्म, देवता : इन्द्र, वरुण, अग्नि, रुद्र, सूर्य, मरुत्, यम, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, कुबेर, स्वन्द, कामदेव, चन्द्र, नारद, एह-देवना, नगर-देवता, चन्द्र-देवता, लक्ष्मी, कात्यायनी, सरस्वती, शची, मातृ-देवियाँ, गौरी, अर्घ्य-देवता, धर्माचरण : यज, द्रवत-उपवास, देवाचंन, भन्ध्या-बन्दन, तपश्चर्या, तीर्थ-यात्रा, सस्कार अनियि-सत्कार, कर्मचार एवं पुनर्जन्म, नीति : सामान्य नीति, चरित, सत्य, दानशोलता, प्रतिज्ञापालन, न्यास-रक्षा, शरणागत-रक्षा, अनिवादन, बन्धुत्व, कृतज्ञता, परदद्यु-दृष्टि, राजनीति एवं शासन-ध्यवस्था : मति-परिषद्, न्याय-विधान, दण्ड-प्रणाली, साम्राज्य रक्षा : सेना, मैन्य-ध्यवस्था, संन्य-मञ्जा, नगर-रक्षक, चर, प्राकार एव दुर्ग, युद्ध, संघिष्ठ ।

९. आर्यिक जीवन एवं कला-कौशल

२६५-२६०

जीविकोपाज्ञन के साधन : कृषि, व्यापार एव वाणिज्य, क्रय-विक्रय के साधन, गोपालन, इनर उद्योग, राजकीय आय, आवागमन एव यातायात : पशु एव यान, कला-कौशल : जीवन में कला का स्थान कला में सामाजिक गौरव की मनिहिनि, कला एवं धर्माचरण : उपयोगी कला एव ललित-कला, साहित्य-कला, साहित्यकारों का सम्मान, संगीत-कला : गीत, वाद्ययन्त्र, नृत्य, संगीतायोजन के ध्वनिर, कलाकारों का सम्मान, चित्र-कला : चित्र-रचना के आधार, चित्रभेद, मूर्ति-कला : मूर्तिप्रतिष्ठा के आधार-सूति, प्रदर्शन एव शोभा, धर्मनिष्ठा, वास्तु-कला ।

उपर्युक्त प्रन्य-सूची

२६१-२

संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण

भूमिका

साहित्य और समाज

'सहितये भाव साहित्यम्'^१ के अनुमार शब्द और अर्थ की सम्पृक्ति को साहित्य कहते हैं। जो रचना शब्द और अर्थ के मजुल एवं मधुर सामजस्य को व्यवत करती है वह 'साहित्य' सज्ञा से अभिहित की जाती है। वैसे तो शब्द और अर्थ सदैव सम्पृक्त ही रहते हैं, उनके पार्थक्य का प्रदर्शन ही नहीं उठता। कविवर कालिदास ने 'वाग्याविवसम्पृक्ती'^२ कह कर इसी तथ्य की उद्घोषणा की है। महात्मा तुलसीदास ने भी 'गिरा-अरथ जल-वीचि-सम कहियत भिन्न न भिन्न' कह कर वाणी और अर्थ के अटूट सम्बन्ध की ही पुष्टि की है। शब्द की सृष्टि जीवन और समाज के लिए ही हुई है और उसे अर्थ भी समाज ने ही दिया है। शब्दार्थ की अवगति भी समाज-सापेक्ष है। इसीलिए भाषा सामाजिक सम्पत्ति है। फिर उसमे सचित ज्ञान-राशि—साहित्य—समाज से असम्पृक्त कैसे रह सकता है।

प्रत्येक 'शब्द' अपने अर्थ के सहित काव्य नहीं होता और न वाणी का कोई भी स्पष्ट 'साहित्य' पद को विभूषित कर सकता है। केवल वह वाणी जिसमें जीवन (और समाज भी) प्रतिरूपित होकर सारल्य धारण कर लेता है, 'साहित्य' नाम प्राप्त कर पाती है। डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—“सहित शब्द रो 'साहित्य' की उत्पत्ति हुई है, अतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द मे मिलन वा भाव हृष्टिगोचर होता है। यह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा वा भाषा के साथ ही मिलन नहीं, बल्कि मनुष्य का मनुष्य के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ और

१ वनदेव उपाध्याय सस्तन साहित्य का इतिहास, पृ० १२

२ कालिदास रघुवश, १ १

निकट का दूर के साथ अत्यन्त अन्तरग मिलन है ।”^१ इस परिभाषा से भी साहित्य, समाज एव संस्कृति का एक विस्तृत चित्र-फलक स्वीकृत हो जाता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ‘अनेक साधनो मे साहित्य ही एक ऐसा साधन है जिसमे काल विशेष की स्फूर्ति अभिव्यक्ति का सहारा पाकर राजनीतिक आन्दोलन, धार्मिक विचार, दर्शन और कला के रूप मे प्रकट होती है । साहित्य मूलत भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है ।’

एक अन्य प्रकार से भी ‘साहित्य’ शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है । अपने ‘काव्य के रूप’ मे वादू गुलाबराय इसकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हैं—‘हितेन सहित तस्य भाव साहित्यम्’^२ अर्थात् जो हित के सहित हो उसे ‘स+हित’ कहते हैं और उस के भाव को ‘साहित्य’ । साहित्य मे सदैव मानव-समाज के हित की भावना विद्यमान रहती है । शिवत्व की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य लोक-जीवन को (समाज को) आधार बनाकर चलता है । ‘स्वात सुखाय’ पा उद्घोष करने वाले तुलसीदास ने भी ऐसी साहित्यिक कृति समाज को प्रदान की है, जिसमे सामाजिक कल्याण निहित है । यही कारण है कि इतनी शराबिद्यो के पश्चात् भी ‘रामचरित मानस’ के प्रति समाज का आकर्षण नहीं घटा । इसका कारण है उसमे सनिहित समाज-कल्याण ।

‘साहित्य’ मानव-जीवन या समाज की उपेक्षा बादापि नहीं कर सकता । ‘कला वाला के लिए’ की दुदुभी बजाने वाले लोग भी कला मे केवल रौन्दर्य की प्रमुखता वा प्रतिपादन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वे भी उसमे जीवन और समाज को स्वीकृति दिये बिना नहीं रह सकते । सच तो यह है कि साहित्यकार साहित्य मे अपना—अपने अन्तर का—ही अनावरण करता है, किन्तु साहित्यकार का अन्तर अनेक अनुभूतियो का अद्भुतालय होता है । उसमे वस्तु-लोक की अनेक श्रिया-प्रतिक्रियाएँ, घात-प्रतिघात मूर्खमर्हप से सकुल होते हैं जो बल्पना-कोशल से साहित्य मे अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं । “मानव

^१ डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर (डा० राजकुमार पादेय द्वारा साहित्यिक निवध, पृ० २ पर उदृत)

^२ देखिये, वही, पृ० ३

ने आदि से लेकर आज तक जो देखा सुना है, जो अनुभव किया है, तथा अपने वा अपने पाश्वर्वती समाज के हृत के लिए जो मनन किया है, साहित्य उन सब विचारों वा अनुभूतियों का एक महत्वपूर्ण लेखा है ।” १

मानव की भाव-विचार सम्पत्ति परमात्मा की अद्भुत प्रदाति है ।

मानवेतर प्राणियों में भाव और विचार का साहित्य का स्वभाव एकान्ताभाव न होते हुए भी उनकी हीनता अवश्य परिलक्षित होती है । मनुष्य ने अपनी विवेचना शक्ति से बरण्माला का निर्माण किया और गद्य और पद्य में उसका विलास दृष्टिगत हुआ । जब मनुष्य ने अपने भाव और विचार को गद्य-व्याख्या के मार्ग से प्रसारित करना प्रारम्भ किया तो ‘साहित्य’ आविर्भूत हुआ । फिर धीरे धीरे ‘भिन्नरूचिहिलोक’ के सिद्धान्त से भिन्न-भिन्न प्रकार की वाच्य-पद्धतियाँ विकास म आयी । वृत्तकाव्य, स्फुटकाव्य, कथाएँ, आख्यायिकाएँ, नाटक आदि अनेक प्रकारों के स्पष्ट म मानव की चिरन्तन स्वोदयगार प्रवृत्ति चेतना के विकास के साथ-साथ बहुमुक्ती हो उठी । व्यक्तिगत और सामाजिक मनोवृत्ति के निर्माण की अनुकूलना में ही साहित्यिक मार्गों का भी निर्माण हुआ होगा, ऐसा मानने म वाधा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि साहित्य को शायद ठीक ही ‘जीवन का दर्पण’ कहा गया है । ‘जीवन की आलोचना’ कहो तब भी वात दूसरी नहीं हो जाती ।

जबसे मानव भी साहित्य चेतना सगठित होने लगी, तभी से इस प्रदेश को लेकर अमर्त्य व्याख्याएँ उपस्थित की साहित्य क्या है ? जाती रही है और अब तक को जा रही है ।

प्रत्येक व्याख्या में कोई न-कोई तुटि रही होगी, तभी तो उसके बाद किसी नयी व्याख्या, पिछली व्याख्या के संशोधन अथवा भीमात्मा की आवश्यकता पड़ी होगी । फिर भी यह कहना असभव दुस्माहस ही होगा कि प्रत्येक व्याख्या अगुद्ध है क्योंकि प्रत्येक व्याख्या किसी विशेष विचार का सार लेकर अवतीर्ण हुई है । जब हम एक व्याख्या को दूसरी से स्वतन्त्र करके पढ़ते हैं तो वह हमारी तबीयत से चिपकती हुई-सी प्रतीत होती है । साथ ही जब हम उस व्याख्या से सम्बन्धित बाद आदि को अथवा दूसरी व्याख्या या

व्याख्याओं को पढ़ते हैं तो वे भी हमारी चर्चि को ग्रहण करती हुई प्रतीत होती है। एक कहानी है कि अधो के गाँव में एक हाथी पहुँच गया। गाँव के पांच प्रख्यात अधे हाथी के समीप आकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कान, किसी ने सूँड, किसी ने पीठ, किसी ने पैर और किसी ने पूँछ पर हाथ फेर कर अपनी-अपनी अवस्थिति के अनुसार हाथी का निहणण किया। निजी स्थिति के दृष्टिकोण से प्रत्येक की व्याख्या सही थी, किन्तु दूसरे के दृष्टिकोण से वह चुटियूर्ण थी। जीवन हाथी से भी विशाल है और उसी प्रकार जीवन का दर्पण राहित्य भी। उसकी विशालता के समक्ष हम सब उस गाँव के अधो के समान ही हैं और इसीलिए केवल अपनी-अपनी स्थिति, अपने-अपने अनुभवों और अपनी अपनी अनुभूतियों के दृष्टिकोण से ही हम जीवन की व्याख्या या आलोचना करने में समर्थ हो सकते हैं।

‘साहित्य क्या है?’ इस प्रश्न के दो स्वाभाविक पहलू बनते हैं—एक तो वह जिसमें साहित्य की स्पर्शकृति की जिजरगर उत्पन्न होती है और दूसरी वह जिसमें हम साहित्य के उद्देश्य की, स्वभाव की, बात सोचते हैं। ‘उद्देश्य’ के स्थान में ‘स्वभाव’ शब्द ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसमें किसी कृतिमता का बोझ नहीं है। स्वभाव को पहचान कर, उसे स्वीकार करके, हम उसे उद्देश्य बनाते हैं। साहित्योदय की प्रेरणा में जिस स्वभाव की परिलक्षणा होती है वह साहित्य के विकास के साथ साहित्य का उद्देश्य बन जाता है।

साहित्य के रूप को लेकर उसकी व्याख्या उपस्थित करने के निरर्थक शिष्टाचार की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अनेक साहित्य-मनोधियों के साहित्य की व्याख्या से सम्बन्धित निष्कर्ष हमारे सामने हैं। इसके अतिरिक्त अपनी उपचेतना में हम सब साहित्य और साहित्यिक कृतियों को देखते ही पहचानते आये हैं। आज तक कभी किसी ने ऊंट की अटपटी चाल या लखनवी शान को ग्रथवा मनुष्य के दुख-सुख को भी ‘साहित्य’ कहने की भूल नहीं की।

ऊंट की अटपटी चाल, लखनवी शान और जीवन के सुख-दुख साहित्य नहीं हैं, किन्तु उनके प्रतिरूपण के सरस शब्द-चित्रों को जोग ‘साहित्य’ कहने लगे। इन शब्द-चित्रों में मनुष्य की सहदयता, उसके सस्कार और कल्पना-कोशल आदि का सहयोग तो रहता ही

है, किन्तु सबसे अधिक योग-दान, रचयिता की अनुभूतियों और सबेदनाओं का होता है।^१ अनुभूतियाँ और सबेदनाएँ जब कल्पना के माध्यम से शब्द-गद्धति से व्यक्त होती हैं, तब उनमें प्रेपरण की अद्भुत क्षमता आ जाती है।

जीवन का चिनणा या प्रतिरूपण करना क्या मनुष्य के लिए

जीवन का प्रतिरूपण क्यों ? अनिवार्य था ? प्रतिरूपण ऐच्छिक भी होता है और अनैच्छिक भी। दूसरे में प्रतिरूपकार का कुछ ऐसा गाढ़ा सुख-सा रहता है कि उसे प्राय स्वयं जीवन ही समझ लिया जाता है, क्योंकि वह जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में प्रादुर्भूत होता है। किसी प्रकार की अत्यन्त सुखानुभूति होने पर हमारे मुख से जो आनन्दोद्गार होता है, वह वस्तुत हमारी आत्मिक सुख-स्थिति का भौतिक प्रतीकों में स्पन्दन्तर है। आम्यन्तर सुख-स्थिति हमारा जीवन है और उद्गार उसकी प्रतिकृति, प्रतिभा या उसका प्रतिरूपण है, जो अनैच्छिक है। यह उद्गार ही लोक-सपत्ति बन कर 'साहित्य' हो जाता है। वाल्मीकि के किसी जीवन-कथण की अवस्था से तात्क्षणिक जीवनानुभूति का जो उद्गारस्वरूप प्रतिरूपण अनायास हो गया वह लोक-स्वीकृत होने पर ससार का आदि काव्य कहलाया है।

उद्गार कष्ट में हो या सुख म, वह हृदय को हलका करने का प्राकृतिक साधन है। जब कोई बात हृदय के लिए असहनीय हो उठती है तो उसका भार कम करने के लिए उद्गार होता है। जिस प्रकार अतिकष्ट की सबेदना को हृदय नहीं सह सकता है उसी प्रकार अतिरुख सबेदना को सहना भी उसके लिए दुष्कर होता है। दोनों स्थितियों में हृदय पर भार पड़ता है और दोनों ही स्थितियों में उद्गार होता है जिससे हृदय हलका होता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उद्गार आनन्द का प्रतीक है। यही साहित्य की कृत्रिमता है और यही वास्तविकता।^२

यह बात भी अविस्मरणीय है कि अनैच्छिक उद्गार स्वभाव है। इसलिए एक और यदि वह किसी जीवन-कथण का प्रतिरूप है तो

१ देखिये, सुमन एवं मलिक, साहित्य पिंडेचन, पृ० ८

२ उद्गार—जीवन का प्रतिरूपण, भयात् नकल (कृतिम)। नकल के रूप में उद्गार—जीवन की भारापन्हुति, पर्यात् भानन्द (वास्तविक)

दूरारी और वह एक दूसरे सत्य जीवन, आनन्द का सयोजक है। प्रतिरूपण (नकल) का गुण है कि वह किसी नव्य जीवन का आरम्भ कराती है। किसी विरहिणी नायिका से पूछिये कि उसके विरही जीवन में प्रियतम के चित्र या उसके पत्र का आगमन होने से उसके लिए कौन-सा दूसरा जीवन आरम्भ हो जाता है। इस प्रश्न का अधिक महत्व नहीं कि यह नकल 'समवेदी प्रतिरूपित' की है अथवा 'असमवेदी प्रतिरूपित' की, उसकी (नकल की) रामवेदना प्रतिरूपक से तो रहती ही है, अन्यथा उसका स्वागत ही क्यों हो। इरी प्रकार उद्गाररूप नकल—यदि वह वाल्मीकि की भी हो—प्रतिरूपक (वाल्मीकि) के साथ सहानुभूति रखती हुई उसके लिए एक नये अर्थात् आनन्दमय, जीवन का द्वार खोलती है। साहित्य इस नये जीवन का भी उद्गार बन सकता है, उसका प्रतिरूपण हो सकता है। वाल्मीकि के उदाहरण में ऐसा ही हुआ अधिकतर ऐसा ही होता भी है।

परन्तु ऐसा होने से साहित्य (प्रतिरूपण) धीरे-धीरे अनैच्छक से ऐच्छिक बनने लगता है। स्वभाव धीरे-धीरे उद्देश्य में परिणत होने लगता है। भार हलका करने के लिए जो स्वाभाविक उद्गार होता है उसके महत्व को समझ कर हम उसे उपयोगी बनाने लगते हैं। वाल्मीकि का जो आदि-काव्य है वह तो 'मा निषाद' आदि में ही अवसित हो जाता है। उसके आगे की राम-चर्चा तो उपयोग के लिए प्रयुक्त (न कि अनैच्छिक) उद्गार है।

उपयोग की सपर्या में समझे-बूझे प्रतिरूपकार के सामने किर अर्सरूप मानसिक बोझ कल्पना के माध्यम से उपस्थित होने लगते हैं, जिनको तुलका करने की एक परपरा बनती है और प्रथमोद्गार से उत्पन्न आनन्द की भावों श्रुत्खला कायम रखने की लालरा जाग पड़ती है। निःसन्देह चाद के ये असरूप बोझ उतने भारी नहीं होते हैं, इनमें स्वतं उद्गार को प्रेरित करने की शक्ति वैरी नहीं होती—अतः ये अधिकतर दबे पड़े रहते हैं। इसलिए किसी भारी बोझ का ससर्ग प्राप्त होने पर, उसी के प्रभाव से ये प्रचलन कल्पना द्वारा अनावृत होकर उभरते हैं और गौण उद्गार का हेतु बनते हैं।

किसी बड़े ससर्ग द्वारा छोटे संसर्गों तत्वों की कल्पना होना, उनकी स्मृति होना, भी स्वभाव है। स्वाभाविक सहज उद्गार की तुला में हम कल्पना-वृत्ति को भानव-स्वभाव की गौण प्रकृति कह सकते हैं।

यह आवश्यक नहीं है कि कल्पना में हमारे बोझों का उद्गम हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की ही कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो। पारस्परिक सामाजिक जीवन के ससर्ग और साहचर्य से समवेदना द्वारा वह दूसरों की अनुभूति में भी ही सकता है। ससर्ग की निवृत्तता अथवा प्रवलता के हेतु से समवेदना की जो निवृत्तता या प्रगलना बनेगी उसके कारण दूसरों की अनुभूति से मिलने वाला बोझ भी निवृत्त या प्रवल बनेगा। प्रवलता में वह कभी कभी इतना बढ़ सकता है कि वह स्वकीय-जैसा ही प्रतीत होने लगे। अपने निकट प्रियजनों के सुख या कष्ट का भार, ससर्ग और समवेदना की गहनता वे बारण, प्राय अपना-जैसा ही प्रतीत होने लगता है। साथ ही यह भी अवधारणीय है कि उक्त भार का सम्बन्ध निकटता और गहनता की अपेक्षा व्यक्ति की सबेदन-शीलता के साथ अधिक है। देखने में आता है कि वहुन से लोग अति निकट की अनुभूतियों को भी स्वीकार करने में शिथिल रहते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ अनिकटवत्तिनी अनुभूतियों को भी अपना लेते हैं। बालमीकि ऐसे ही लोगों में थे जिनके लिए एक सुरक्षित झींच का बारणविद्ध होना अपने बारणविद्ध होने के समान ही था। आदि कवि के अतिसवेदी व्यक्तित्व ने उनके जीवन के न जाने वितने दबे हुए बोझों के सचित आवेग को धारण कर, झींच के साथ उनका आरोप कराते हुए, उनके मुख से अनेच्छिक उद्गार करा डाला। निस्सन्देह इम उगादूर म आरोप की कल्पना का भाग था, परन्तु कवि के हृदयकोप से अभिभूत होकर वह कल्पना उसमें ऐसी मिल जुल गयी कि उसम और कवि के निजी बोझों में कोई भेद न रह गया और कवि का उद्गार प्रत्यक्ष आत्मानुभूति का सा उद्गार हो निकला।

पीछे बहा जा चुका है कि 'माहित्य' उद्गार है और उद्गार का स्वरूप, हृदय को हलवा करने की दृष्टि से, आनन्द का है। फलत साहित्य का स्वभाव भी आनन्द ही है, यह कहने में कोई वाधा प्रतीत नहीं होनी। यह आनन्द जीवन की प्रतिकृति (नकल), प्रतिमा, प्रतिरूप, पुनरावृत्ति, पुनर्जुन द्वारा मिलता है। पुनरावृत्ति भी आनन्द ही है। पुनरावृत्तिमूलक आनन्दोद्गार वी प्रेरणा का रूप ऐच्छिक और अनेच्छिक दोनों प्रकार का है। ऐच्छिकता में कल्पना का विलास अधिक उन्मुक्त होता है, इसलिए वह सहज अनेच्छिक उद्गार की तुलना में गोण पदबी को ही अधिकारिणी है, परन्तु उद्गारी के

संवेदना-प्राबल्य में समवेदना और आत्मानुभूति के एकाकार होने पर वह सहजोदगार का रूप धारण करके मौलिक आनन्द की जननी बन सकती है।

साहित्य जब 'साहित्य' कहलाने लगा तब वह सामाजिक वस्तु बन गया। लोक से जिसे साहित्य-रूप में

साहित्य के गुण पहचाना जाता है वह तभी बनता है जब हमारी उक्ति एकाधिक व्यक्तियों का लक्ष्य रखती है।

इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत आनन्दोदगार को समाज ने अपने लिए स्वीकार किया तो उदगारी के लिए भी समाज को स्वीकार करना स्वाभाविक हो गया। इसी से उदगारी को यह लक्ष्य भी रखना पड़ता है कि उसके द्वारा की गयी जीवन की पुनरावृत्ति, आनन्द का उदगार, समाज के लिए भी अर्थात् समाज के भी, जीवन की पुनरावृत्ति और उसके आनन्द का हेतु हो। यहाँ यह प्रकट होता है कि समवेदना, समाज के मानसिक बोझों के साथ अपने मानसिक बोझों के आरोप की प्रतिष्ठा साहित्य में होनी चाहिए। यह स्वाभाविक पढ़ति है। जीवन के सुख-दुःखादिक में व्यक्तिगत रूप-वैविध्य के होते हुए भी उनमें अत्यन्त समानता भी है।

परमात्मा ने मनुष्य को विलक्षण मेधा दी है, भाव-सम्पत्ति दी है, किन्तु उसको एक विलक्षण प्रकृति भी दी है।

समाज कि वह दूसरे मनुष्यों के साथ ही रहता है। इसीलिए हम अकेले मनुष्य की, मनुष्य रूप में, कल्पना नहीं कर सकते। समाज-शास्त्र के पड़ितों ने भी यही सिद्ध किया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही जन्मता, वढ़ता, विकरित होता और मरता है। मनुष्य का जीवन सामाजिक परिवेश में ही रार्थक है। इतर मनुष्यों के साथ उसके सम्बन्ध उसके सामाजिक दुःख-गुख का निर्माण करते हैं। उसकी सवेदना गें अधिकांश ऊर्मा समाज की होती है। मनुष्य की प्रकृति और संस्कृति के निर्माण में भी समाज का योगदान अविस्मरणीय है। उदगारों की निर्मिति और निष्कृति भी समाज में ही होती है।

जिसको हम समाज कहते हैं वह मनुष्यमात्र से ही निर्मित नहीं है। मनुष्य के साथ प्रकृति का भी सम्बन्ध है। जब मनुष्य शीतल, मंद और सुगन्ध वायु से आमोहित हो उठता है, खगरव से उत्ससित होता है, ताराखचित विभावरी को देख कर आङ्गादित

होता है तब प्रकृति से उसके सम्बन्धों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। जिस गाय का वह दूध पीता है, जिस अश्व या गज पर सवारी करता है, जिस शुक्र को वह वार-वार पाठ पढ़ाता है, क्या वह विस्मरणीय है? ये सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के अग हैं यद्योकि मानव-जीवन के घात-प्रतिघातों, क्रिया-प्रतिक्रियाओं में इनका भी अहूट योग है। इसी प्रकार रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेश-भूपा, बोल-चाल आदि भी सामाजिक परिपाद्वं में महत्वहीन नहीं हैं। सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि देश-काल के बातावरण में मनुष्य की समर्पित ही समाज है। व्यष्टि के बिना समर्पित की और समर्पित से विरहित व्यष्टि की कल्पना केवल दुष्कल्पना हो सकती है।

पीछे कहा गया है कि साहित्य साहित्यकार के अन्तर का साहित्य और समाज-सरल शब्द-चिन है, जिसमें देश-काल की प्रति-च्छाया अवश्य होती है। इसी प्रतिच्छाया में संवेद निरूपण

साहित्य समाज से सम्बन्धित होता है। इसके अतिरिक्त साहित्य से समाज प्रेरणा भी लेता है। हमारा प्राचीन साहित्य आज तक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। साहित्य अपने गौण रूप में मनोविनोदन करता है, किन्तु प्रमुखतया सामाजिक निर्माण में योग देता है। साहित्य का सत्याश सामाजिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है, शिवाश कल्याणकारी है और सुन्दराश कलामय होने से मन को मोहित-विनोदित करता है। बादू गुलाबराय ने साहित्य और समाज के एव अन्योन्याश्रय सम्बन्ध की विवेचना करते हुए कहा है कि 'कवि और लेखक किसी अश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी अश में वे समाज की अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर नये भाव और विचार प्रदान करते हैं। समाज कवि और लेखकों को बनाता है और लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं। दोनों में आदान-प्रदान तथा क्रिया प्रतिक्रिया-भाव चलता रहता है। यही सामाजिक उन्नति का नियामक सूत बनाता है।'

यह उकिन उचित ही प्रतीत होती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा विव होता है वैसा ही प्रतिविव होता है। समाज के आचार-विचार, चाल-ढाल, उत्थान-पतन का ज्ञान उसके

तत्कालीन साहित्य से भलीभाँति हो सकता है।^१ अच्छा साहित्यकार अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कालिदास, माघ, वारा आदि अपने-अपने युग के प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार कबीर, तुलसीदास आदि भक्त-कवि भी अपने-अपने युग के प्रतिनिधि थे। इनकी रचनाओं में युग उसी प्रकार से भलकृता है जैसे दर्पण में मुख। इनकी रम्यकृ गवेयणा हमें अनूठे ऐतिहासिक तथ्य प्रदान कर सकती है।

जिस प्रकार वेतार के तार का ग्राहक आकाश-मडल में विचरती हुई विद्युत् तरंगों को पकड़ कर उनको भाषित शब्द का आकार दे देता है, उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायु-मडल में घूमते हुए विचारों को मुखरित करता है। वैसे तो इतिहास-कार भी अपने समय की बात कह सकता है और कहता है, किन्तु कवि या साहित्यकार के कहने की शैली अनूठी होती है। साहित्यकार के कथन में जो तथ्य होता है उसका अनुभव तो सभी करते हैं, किन्तु कह नहीं सकते। वह अमूर्त को मूर्त, अचेतन को चेतन और अस्पष्ट को स्पष्ट करने की शक्ति रखता है।

साहित्यकार समाज का मस्तिष्क भी होता है और मुख भी। उसकी आवाज समाज की आवाज होती है। एक ओर वह समाज के विचारों और भावों को आत्मसात् करके अभिव्यक्ति प्रदान करता है और दूसरी ओर वह अपने कौड़िल से अपना सदेश समाज को ध्वनित करता है जिससे सामाजिक विचारों का शोधन, मार्जन एवं पोषण होता है। हम साहित्यकार के माध्यम से रामाज के हृदय तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए यह उक्ति समीचीन ही दीख पड़ती है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।' ऐतिहासिक घटनाएँ और परिस्थितियाँ साहित्यकार की लेखनी से निरुपित होकर पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों के कल्पना चक्षुओं के सामने आ नाचती हैं। भूत और वर्तमान का सम्बन्ध जोड़ने वाला साहित्यकार भविष्य की कल्पना करके, उसकी सम्भावनाओं का अनुमान करके भावी योजना का निर्देश ध्वनित करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के जिन चरणों में दृढ़ता है, उन्हीं में स्थिरता भी है। उसके मूक स्वर में पोपकत्व भी है और क्रान्तिकारिता भी।

किसी जाति या समाज के सास्कृतिक सूत्र भी साहित्य में ही

^१ देखिये, प्र०० पर्वत चन्द्र सन्त सिद्धान्तालोचन, पृ० ६३

गहनता से सकलित मिलते हैं। सस्कृति के प्रमुख सूत्रों को साहित्य-पट में नियोजित करके माहित्यकार भावी पीढ़ियों के उपयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए समाज को प्रदान करता है। समाज-निर्माण और सास्कृतिक उत्थान वा मार्ग प्रदर्शित करने में भी साहित्य से अमोघ सहायता ली जा सकती है।^१

जो कलाएँ आँख के द्वारा अन्तरात्मा को आकर्पित करती हैं, वे ही किसी जाति की भावना और सौन्दर्य वृत्ति तथा संस्कृत साहित्य और उसके सर्जनशील मन की विशेष घनीभूत अभिउत्सकी विशेषताएँ व्यक्ति पर पहुँच सकती हैं, परन्तु उसकी अत्यन्त नमनशील और वहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति की स्रोज तो उसके साहित्य में ही ही जा सकती है, क्योंकि स्पष्ट अलकार की समस्त शक्ति या व्यनि के अपने समस्त सूत्रों के साथ प्रयुक्त किया गया शब्द ही अभिव्यक्त अन्तरात्मा के विभिन्न स्पौ, प्रवृत्तियों और वहूल अर्थों को अत्यन्त गूढ़म और विविध स्पौ में हमारे सामने प्रकट करता है। किसी साहित्य वी महत्ता सर्वप्रथम उसकी विषय-कम्तु के मूल्य एवं महत्त्व में और उसके विचार की उपयोगिता तथा आकारों के सौन्दर्य में निहित रहती है।

संस्कृत भाषा की प्राचीन एवं उच्चकौटिक रचनाएँ अपने गुण तथा उत्तर्य के स्वरूप एवं बाहुत्य दोनों में, शक्तिशाली मीलिकता, ओजस्विता और सुन्दरता में, अपने सारस्वत कौशल और गठन में, वाक्यावित के बैमव, ग्रीचित्य और आकर्पण म तथा अपनी भावना के क्षेत्र को उच्चता और विशालता में अत्यन्त स्पष्टत ही विद्य के महान् साहित्यों के बीच अग्रपक्षि में प्रतिष्ठित है। निर्णय देने योग्य व्यक्तियों ने सर्वत्र ही यह स्वीकार किया है कि स्वयं संस्कृत भाषा भी मानव मन के द्वारा विकसित किये हुए अत्यन्त महान्, अत्यन्त पूर्ण और अद्भुत रूप से समर्थ साहित्यिक साधनों में से एक है। इसका गुण एवं स्वरूप, अपने-आप म इन वात का पर्याप्त प्रमाण है कि जिस जाति के मानस को इसने व्यक्त किया है एवं जिस संस्कृति को प्रतिविवित करने के लिए इसने एक दर्पण का काम किया है, उसका गुण और वैशिष्ट्य यथा था। कवियों और चिन्तकों ने इसका जो महान् और उदात्त प्रयोग किया वह इसकी जमताओं की उच्चता के

^१ देखिये, बलदेव चपाच्छाय संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३

मुकाबले हीन कोटि का नहीं था। यह वात भी नहीं है कि भारतीय मन ने ऊँची, सुन्दर और पूर्ण रचनाएँ केवल सस्कृत भाषा में ही की हैं, किन्तु अपनी अत्यन्त प्रधान, रचनात्मक और वृहत्तम कृतियों का बहुत बड़ा भाग उसने इसी भाषा में व्यक्त किया है।

जो जाति और समाज अपनी महान् साहित्यिक कृतियों और साहित्यिकों में वेद और उपनिषदों, महाभारत और रामायण जैसी शक्तिशाली रचनाओं को तथा भास, कालिदास, भवभूति आदि को गिनती है उस जाति और समाज को गौरवान्वित मानना होगा। सस्कृत साहित्य एक ऐसी मानसिक क्रियाशीलता का परिचय देता है जिसका सूत्रपात्र हुए तीन राहस्य वर्ण से भी अधिक हो गये हैं और जो आज तक भी समाप्त नहीं हुई है। वस्तुत यह भारतीय सस्कृति में विद्यमान तथा असाधारण रूप से सबल और प्राणवत किसी वस्तु का अनुपम, सर्वथेष्ठ तथा अत्यन्त अकाट्य प्रमाण है।

राष्ट्र के गौरवमय जीवन-काल में, जबकि एक आगाध आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि कार्य कर रही थी, एक रूक्षम अन्तर्ज्ञानात्मक दृष्टि और एक महान् रूप में निर्धारित, गभीर एवं विशद वौद्धिक और नैतिक विचार शृङ्खला तथा राहस्यिक कार्य धारा एवं सूजन-प्रवृत्ति क्रियाशील थी जिन्होंने उसकी अनुपम रास्कृति एवं सम्यता की योजना खोज निकाली एवं निर्धारित की और दरकार स्थायी भवन खड़ा किया, ऐसे युग में हमें भारत का प्राचीन मानस उसकी प्रतिभा की चार परमोच्च कृतियो—वेद, उपनिषदों और दो बृहद् भाषाकाव्यों द्वारा प्रस्तुतीकृत मिलता है। इनमें से प्रत्येक एक ऐसी कोटि एवं शैली की रचना है जिसकी समता की रचना किसी अन्य साहित्य में सरलता से नहीं मिल सकती। इनमें से पहली दो उसके आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप का प्रत्यक्ष आधार है। दोप दो उसके जीवन के महत्तम युग की हैं। वेद ने हमें इन चीजों के प्रथम प्रतिरूप और आवार प्रदान किये और उपनिषदों के बाद हम उस बुद्धि एवं जीवन की तथा उन आदर्शभूत नैतिक, सौन्दर्यात्मक एवं चैत्य और भगविक, ऐन्द्रिय तथा भौतिक ज्ञान, विचार, दृष्टि और अनुभव की ओजस्वी और सुन्दर प्रतियोगिता को देखते हैं जिनका कि हमारे महाकाव्य प्राचीन अभिलेख है और जिन्हे दोप समग्र साहित्य अविच्छिन्न रूप से विस्तारित करता है, परन्तु आधार बराबर वही रहता है। जो नये एवं प्राय व्यापकतार प्रतिरूप तथा अर्थपूर्ण आकार पुराणों के

स्थान पर आते हैं या सम्पूर्ण समष्टि में कुछ वृद्धि, संशोधन और परिवर्तन करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं वे अपनी मूल गठन और प्रकृति में आदि दृष्टि एवं प्रथम आध्यात्मिक अनुभव के स्पान्तर और विस्तार ही हैं। वे ऐसे व्यतिक्रम कदापि नहीं हैं जो उससे सम्बन्ध ही न रखते हों। संस्कृत साहित्य-सर्जना में महान् परिवर्तनों के होते हुए भी, भारतीय मन की दृढ़ लगन एवं अविच्छिन्न परंपरा कायम रही है, जो वैसी ही सुसंगत है, जैसी हम चित्रकला और मूर्तिकला में देखते हैं।

पवित्र साहित्य के रूप में वैदिक सूक्तों को ठीक तरह से

समझाने का एक बड़ा महत्व यह है कि यह हमें संस्कृत साहित्य में भारतीय मन पर दासन करने वाले प्रधान आत्म-प्रभिव्यंजना विचारों का ही नहीं, अपिनु उसके आध्यात्मिक अनुभव के विशिष्ट प्रकारों, उसकी कल्पना के

मुकाव, उसके सर्जनशील स्वभाव तथा उसके उन विशेष प्रकार के अर्थपूर्ण रूपों का भी मूल स्वरूप देखने में सहायता पहुँचाता है, जिनमें वह आत्मा और पदार्थों तथा जगत् और जीवन के सम्बन्ध में अपनी दृष्टि की दृट्टापूर्वक व्याख्या करता था। भारतीय साहित्य के एक बड़े माग में हमें अन्तःप्रेरणा और आत्म-प्रभिव्यंजना का वही मुकाव देखने को मिलता है, जिसे हम अपने स्यापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला में पाते हैं।

इसकी पहली विशेषता यह है कि इससे सतत रूप से अनन्त एवं वैश्व सत्ता का बोध होता है, तथा वस्तुओं

आत्म-प्रभिव्यंजना की विशेषताएँ का भी उस रूप में भान होता है जिस रूप में वे वैश्व दृष्टि में या उसके द्वारा प्रभावित होने पर दीखती हैं, अथवा जिस रूप में वे एकमेव

और अनन्त की विशालता के भीतर या सम्मुख रूपने पर दिखायी देती हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह अपने आध्यात्मिक अनुभव को आम्नन्तर चेत्य स्तरसेलिये गये रूपकों के परमेश्वर्य के रूप में अथवा उन भौतिक रूपकों के रूप में देखने और व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है जो चेत्य अर्थ, प्रभाव, रेता और विचार-छटा के दबाव के द्वारा रूपान्तरित हो चुके हैं। इसकी तीसरी विशेषता पार्थिव जीवन को प्रायः परिवर्द्धित रूप में चित्रित करने की है, जैसाकि महाभारत और रामायण में हमें दृष्टिगोचर होता है, अथवा उसे एक विशालतर बाता-

वरण की युभ्रताओं में सूक्ष्म रूप प्रदान कर तथा पार्थिव अर्थ की अपेक्षा किसी महत्तर अर्थ से संयुक्त करके चित्रित करने या, कम-से-कम उसे केवल उसके अपने पृथक् रूप में ही नहीं, प्रत्युत आध्यात्मिक और आन्तरात्मिक लोकों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने की है।

आध्यात्मिक एवं अनन्त सत्ता निकटस्थ और वास्तविक है तथा देवता भी वास्तविक है और हम से ये के लोक हमारी सत्ता से परे होने की अपेक्षा कही अधिक उसके भीतर अवस्थित हैं। जो खोज पश्चिमी मन के लिए एक गाथा और कल्पना है वह यहाँ एक वास्तविक तथ्य है और है हमारी आन्तरिक सत्ता के जीवन का एक तन्तु। जो खोज वहाँ एक सुन्दर काव्यमय परिकल्पना और दार्शनिक विचारण है वह यहाँ एक ऐसी वस्तु है जो अनुभव के लिए सर्वदा उपलब्ध और विद्यमान है। भारतीय मन की यह प्रवृत्ति, उसकी आध्यात्मिक सहृदयता एवं आन्तरात्मिक प्रत्यक्षवादिता हो वेद और उपनिषदों तथा पीछे के धार्मिक एवं धर्मदार्शनिक काव्य को अन्त प्रेरणा की दृष्टि से इतना शक्तिशाली और अभिव्यजना तथा रूपक की दृष्टि से इतना अन्तरग और राजीव रूप प्रदान करती है, साथ ही अधिक लोकिक साहित्य में भी काव्यमय भावना और कल्पना की किया पर इसका प्रभाव मुख्य कम अभिभूतकारी होने पर भी अत्यन्त प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर होता है।^१

परवर्ती ग्रस्कृत राहित्य की एक विशेषता अविस्मरणीय है : वह यह है कि उराने धर्म और राजपरिवार का साथ नहीं छोड़ा है। मेरी दृष्टि में यह कहना उचित न होगा कि स्स्कृत को केवल धार्मणों ने अपनाया। जैन और बौद्ध पठितों ने भी स्स्कृत में प्रचुर साहित्य की सृष्टि की। स्स्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह आरोप भी दूरगमी नहीं है कि उसमें लोक-जीवन उपेक्षित रहा है। स्स्कृत साहित्य का गहन गवेषणा इस तथ्य को अनावृत कर देता है कि उसमें भारतीय समाज अपने विविध पहलुओं में निष्प्रित हुआ है। हाँ, साहित्य में युग-मान्यताएँ जितनी प्रमुखता प्राप्त करती हैं उतनी ही प्रमुखता स्स्कृत साहित्य में समय-समय पर उनको मिलती रही है और उन्हीं मान्यताओं के घनुट्टप युग-भाष्य प्रतिष्प्रित होता रहा।

१. योगिराम धी परविन्द भारतीय भास्त्र की अन्तराला, प्रमुख (प्रतीक १४, दिन १९५७)

है। संस्कृत साहित्य में सामाजिक निरूपण के मूल्यांकन के समय आलोचकों को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये कि वे तत्कालीन मूल्यों पर अपने दृष्टिकोण को आरोपित तो नहीं कर रहे हैं, अन्यथा सही मूल्य प्रकट नहीं हो सकते।

संस्कृत के साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य (काव्य) को दृश्य और संस्कृत नाटक और समाज थव्य, दो अंगों में विभक्त किया है।^१ दृश्य वह काव्य है, जिससे प्राप्त आनन्द का माध्यम दृष्टि है। साहित्य या काव्य के इस अंग को

'नाटक' कहते हैं। 'रूप' से सम्बन्धित होने के कारण इसे 'रूपक' भी कहते हैं। 'नाटक' शब्द 'नट' धातु में बना है, जिसका अर्थ है 'अभिनय करना'। अभिनेता या ही दूसरा नाम नट है और नट का भाव नाट्य है। रूपक, नाटक, नाट्य आदि का सम्बन्ध अभिनय से है—नट की हिति, वेशभूपा, क्रिया आदि से है। इस दृष्टि से 'रूपक' या 'नाटक' अभिव्यक्ति बहुत सारगमित है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे सामने रंगमंच पर जो कुछ प्रस्तुत होता है, उस सबका सम्बन्ध समाज से होता है। रंगमंचीय निर्देशों में भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की गवेषणा की जा राकती है। जहाँ थव्य काव्य वर्णनों द्वारा समाज को पाठ्यों या श्रोताओं के कल्पना-लोचनों के सामने लाता है वहाँ नाटक पाठों के अभिनय और रंगमंचीय दृश्यों में समाज को अभिव्यक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त कथोपकथनों में भी समाज की वर्णनात्मक अभिव्यक्ति मिल जाती है। अतएव नाटक सामाजिक अभिव्यक्ति का प्रौढ़तम् साब्दन है।

नाटक के सम्बन्ध में, मेरी समझ में, यह मत उचित ही प्रतीत होता है कि 'नाटक हमारे यथार्थ जीवन के अधिक निकट है, उसका मानव-जीवन और समाज से बहुत निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता, उपन्यास, कहानी इत्यादि समाज के चित्र को कल्पना द्वारा पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, किन्तु नाटक शब्द पाठों की वेशभूपा, आहृति, भावभंगी त्रियाओं के अनुकारण और भावों के अभिनय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्शक को समाज के यथार्थ जीवन के निकट ला देते हैं। थव्य या पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध नहीं, उसमें केवल शब्दों और भावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र

१. दृश्यथव्यत्वमेदेन पुनः : काव्यं द्विषा मतम्—साहित्यदर्शण, ६। १

प्रस्तुत किये जाते हैं। नाटक में कल्पना पर अधिक बल नहीं दिया जाता, रंगमंच की सहायता से समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्र कर दिया जाता है।”^१ इस कथन से स्पष्ट है कि नाटक में जीवन की अभिव्यक्ति अधिक प्रत्यक्ष और यथार्थ होती है।

यह कहना नितान्त अनुचित होगा कि संस्कृत के राजाश्रित कवियों और नाटककारों की दृष्टि सामंती जीवन की संकीर्ण परिषिको छोड़ कर सामान्य जन-जीवन तक नहीं पहुँच पायी। यह ठीक है कि संस्कृत नाटकों की सृष्टि में राज-परिवारों का प्रतिरूपण प्रमुखता से हुआ है, किन्तु सामान्य युग-जीवन भी उपेक्षित नहीं हुआ। साहित्य में युग की उपेक्षा कदापि नहीं हो सकती। कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से युग साहित्य में भाँकने ही लगता है। संस्कृत नाटकों में भी युग की भाँकी मिलती है। ही, प्रामिक और सामाजिक घरों को तत्कालीन मान्यताओं के अनुरूप ही नाटकों में प्रतिरूपित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्राचीन संस्कृत नाटकों के युग में जितना सामंतो-संस्कृति का भूर्त्र था उतना ही आश्रम-संस्कृति का, किन्तु ये संस्कृतियाँ अपनी विशेषताओं के बावजूद भी एक-दूसरी से असंपृक्त नहीं थीं और इनका सम्बन्ध, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लोक-जीवन और लोक-संस्कृति से भी रहता था। जहाँ राजपरिवार, राजभवन और देलासिक व्यवस्थाएँ थीं, वहाँ राजसेवक, परिजन, परिचारिका आदि की व्यवस्था भी थी। इसी प्रकार आश्रमों और भठों का जीवन भी सामान्य जीवन से एकदम कटा हुआ नहीं था। इसके अतिरिक्त राजा का सम्बन्ध उस प्रजा से होता था जो अनेक रीति-रिवाजों को मानने वाली, विविव घरों को समाहित करने वाली तथा अनेक व्यवसायों और व्यवहार-विधानों को अंगीकार करने वाली थी। इस प्रकार राज-परिवार और राजधर्म का सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार आश्रम-जीवन और जन-जीवन से अवश्य रहता था।

संस्कृत नाटक का सामाजिक परिपरश्व इस उकित से भी समर्पित होता है कि ‘संस्कृत नाटककार’ समाज के विशुद्ध वातावरण में विचरण करता था, समाज के सुत्र-दुःख की भावना उसके हृदय को सप्तं करती थी, वह दीन-दुःखियों की दीनता पर चार आसू-

१. दोमचन्द्र ‘सुमन’ व नलिक : साहित्य विवेचन, पृ० १६१

बहाता था और सुखी जीवों के सुख के ऊपर रीभता था। वह भारतीय समाज का ही एक प्राणी था, जिसका हृदय सहानुभूति की भावना से नितान्त स्तिरध छोता था। वह अपने काव्या (नाटक) में जनता के हृदय की बातों का, प्रवृत्तियों का, जितना वर्णन करता था उतना ही अपने देश की स्थिति के मूल्यवान् आध्यात्मिक विचारों का भी अपनी रचनाओं में चित्रण करता था।”^१

कहने की आवश्यकता नहीं कि नाटक अपने आप में एक सामाजिक संस्था (Institution) है। नाटक को मूल प्रेरणा उसकी हृश्यात्मकता है। अभिनय-सापेक्ष होने से उसका सम्बन्ध देखने दिखाने से है, अतएव नाटक की यह प्रकृति समाज से उसका अटूट सम्बन्ध बना देती है। अभिनय के अतिरिक्त नाटक (सस्तुत नाटक) नृत्य और सगीत से भी गहन सम्बन्ध रखता है, प्रथम यह कहना ही संभीचोन होगा कि नृत्य और सगीत सस्तुत नाटक के अग हैं। नृत्य और सगीत भी समाज सापेक्ष हैं। नृत्य तो अपने आप में हृश्यात्मक है ही, किन्तु सगीत भी नाटक में हृश्यात्मकता का गुण धारण कर लेता है क्योंकि वह नृत्य का साथ देकर उसकी दृश्यता को सफल बनाता है।

भारतीय नाट्य शास्त्र विज्ञारों ने नृत्य को नाट्य परपरा से भिन्न नहीं माना है। सामाज्यतया नाटकों के तीन प्रकार माने गये हैं—वारु नाट्य गीनि-नाट्य और नृत्य नाट्य। इनमें सवादा को प्रमुखता मिलती रही है, जो कभी गद्य, कभी पद्य और कभी दोनों में होते थे। सवादा के साथ रसाभिनय तो अवश्य होता था, किन्तु हस्त-मुद्राएँ आदि नहीं के बराबर होती थी। आगिक अभिनय भी सीमित अपिनु नहीं के बराबर होता था।

गीनि-नाट्य में कथा पद्यमय गीता में कही जाती थी। इनके कथानक इस प्रकार चुने जाते थे कि सरम सगीत का पूर्णत प्रस्फुटन हो सकता था। जयदेवकुत 'गीतमोविन्द' इसी प्रकार की रचना है। इन रचनाओं में सवाद और वर्णन दोनों पद्य में होते थे और इन्हें सगीत-शास्त्र के रागों और तालों में वर्णित कर गया जाता था। साथ ही वाद्य-यथा का भी स्वतंत्र उपयोग किया जाता था। नट इन पदों को गाना हुआ अभिनय करता था। कभी कभी पद्य नेपथ्य से भी गाये जाते थे।

^१ देखिये, वलदेव उपाध्याय सस्तुत साहित्य का दर्तिदात, पृ० ५

इस प्रकार के नाटक के अभिनय में नृत्य के अग हारादि तथा पद-विन्यास आदि का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता था। यह नाट्य-परपरा रास-यात्रा के रूप में आज भी विद्यमान है। लोक-नृत्यों की शैली में इसका अधिक प्रचलन है। पजाव का होर-रामा; राजस्थान का रासो, स्वाग; उत्तर-प्रदेश का नौठकी, रासलीला, बगाल की यात्रा आदि सब गीति-नाट्य ही हैं। विहार में भोजपुरी के विदेशिया तथा मैथिली में विद्यापति के गीति-नाट्य अब भी राजीव हैं।

नृत्य नाट्य-कला से भिन्न कला नहीं है। रास्कृत नाटक में पद-प्राचुर्य मिलता है। इससे स्पष्ट है कि गायन पर भी अभिनय होता था। अतएव जनता का मनोरंजन केवल सवादों से नहीं होता था, बरन् पद-गायन तथा उस पर आधारित नृत्याभिनय से भी होता था। नाट्य-शास्त्र के अनुसार 'नाटक' के तीन अग माने गये हैं—

१. तृत—जो 'ताललयाश्रयम्'^१ होता है अर्थात् इसमें गान्न (पादादि) का सचालन ताल-लय पर आधारित होता है।

२. नृत्य—'भावाश्रय नृत्यम्'^२ कह कर इसमें पादादि गान्न-सचालन के अतिरिक्त भावों का अभिनय भी सम्मिश्रित किया गया है।

३. नाट्य—'रसाधय नाट्यम्'^३ से स्पष्ट है कि नाट्य में रस-योजना का प्रमुख स्थान है। 'नाटक' इन तीनों का आवश्यकता-नुसार योजन है।

हमारे नाट्यशास्त्र में चार प्रकार के अभिनय का उल्लेख है—

१. सात्त्विक—मुख द्वारा व्यजित रस-सचार को सात्त्विक अभिनय कहते हैं।

२. आग्निक—जो अभिनय शरीर के अगो द्वारा किया जाता है उसे आग्निक कहते हैं।

३. वाचिक—अभिनय का यह प्रकार वाणी द्वारा सम्पन्न होता है।

१. दशर्षक, १.६

२. वही, १.६

३. वही, १.६

४. भवेदभिनयोऽवस्थानुवार स चतुर्विधः।

भरगिको वाचिकर्वैवमाहायः चात्त्विकस्त्वया। चाहित्यदर्पण, ६.२

४ आहार्य—जो अभिनय वेश-भूपा के द्वारा होता है उसे आहार्य कहते हैं।

इनमें से सात्त्विक, ग्रामिक और आहार्य सरलता से नृत्य की परिभाषा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

हमारी प्राचीन अभिनय और नाटक शैली सच्चे अर्थ में नाटक को नाटक और दृश्य काव्य बनाती है। भारतीय नाट्यशास्त्र में जो रस-विवेचन और अभिनय-क्रिया, हस्तमुद्राभाषा, नायक नायिका भेद तथा विभिन्न अगों की जो उपयोग-क्रियाएँ मिलती हैं, वे जगत् में अनूठी हैं। इस प्रकार भाषा और वारणी का स्थान, समय तथा पानानुस्पृष्ट प्रयोग एवं वेश-भूपा का विशद विवेचन भी सस्कृत नाटक की विशेषता है।

मस्कृत नाटक की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे अन्य देशों तथा अन्य भाषाओं के नाटकों से पृथक् कर देती हैं। देन और

काल की मान्यताओं एवं प्रतिष्ठाओं की

सस्कृत नाटक को प्रमुख दृष्टि से इनका भी सामाजिक मूल्य है।

विशेषताएँ हमें इनकी खिड़कियों से भारतीय समाज की विशिष्ट भाँकियाँ सरलता से मिल जाती हैं।

सस्कृत नाटक की सबसे घड़ी और प्रमुख विशेषता है, उसकी सुखान्तता ।^१ प्रायः सभी सस्कृत नाटकों का अत सुखद होता है।

नाटक के आदि मध्य में कितनी ही दुर्घट-

नाएँ, जितनी ही दुखद परिस्थितियाँ और

कितने ही करणाजनक दृश्यों की प्रस्त्या-

पनाएँ हो सकती हैं, किन्तु उन सब का नियोजन इस प्रकार से किया जाता है कि अन्त सुखद होता है। इसका प्रमुख कारण सस्कृत नाटक-वारी अथवा भारतीय समाज का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। भारतीय नाटककार की यह धारणा है कि जीवन का उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति है। किसी दिशा में कर्तव्यनिष्ठा की अदूटता दिखा कर नाटक-वार नायक और उसके साथियों द्वारा दलदल से निकालता हुआ सुखारूढ़ करता है। कर्तव्यपरायण एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन का अन्त दुखद कदापि नहीं होता। यह ठीक है कि उच्च सकल्प के

^१ वनदेव उपाध्याय सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४२४

निर्वाह-पथ में अनेक विघ्न और सकट प्रस्तुत होते हैं, किन्तु अन्त में उन सबका पर्यवसान सुख में होता है। महान् पुरुषों के जीवन का दुखान्त जीवन में महत् की प्रतिष्ठा को एक भीपरण चुनौती बन सकता है, जिससे निराशा के बलवतों होने पर समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महापुरुषों के जीवन का अन्त दुखमय न दिखाया जाय। निस्सन्देह यह दृष्टिकोण समाज-हित की भावना पर आधारित है।

सस्कृत नाटक की दूसरी विशेषता है—उसमें तत्कालीन समाज की प्रतिच्छाया। सस्कृत नाटक अपने युग के सामाजिक वर्गों, मान्य-

२ पुग-जीवन को
अभिव्यक्ति स्थानों तथा राजनीतिक प्रयोजनों को
वडी ईमानदारी से आकलित और प्रस्तुत
करता है। उत्तम, मध्यम और अधम
पाठों^१ के सम्बन्ध से सस्कृत नाटक अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। नाटक और पात्रों की भाषा-भेद सबधी मान्यताएँ भी सामाजिक वातावरण और युग-मान्यताओं को ही अभिव्यजित करती हैं।

वेश्या के अतिरिक्त सभी हित्रियों सस्कृत नाटक में ‘प्राकृत’ वोलती हैं।^२ इससे उस समय की व्त्री की शिक्षा के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। वेश्या की सस्कृतज्ञता और पदुता से तत्कालीन समाज में उसके स्थान की मूचना मिल जाती है। प्राकृतों ने अनेक भेद तथा नाटकों में महाराष्ट्री प्राकृत का विशेष समादर इस बात का प्रमाण है कि देश में अनेक प्रादेशिक भाषाएं प्रचलित थीं। यिए साहित्य एवं सार्वभौम भाषा के दृप में सस्कृत का सम्मान होता या तथा प्राकृतों में प्रथम स्थान महाराष्ट्री को दिया जाता था। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शोरसेनी अधिक विस्तीर्ण भू-भाग की बोली थी, किन्तु परम्परा ने महाराष्ट्री को ही अधिक साहित्यिक सम्मान प्रदान कर रखा था।

मुष्ट सोगों का विचार है कि सस्कृत नाटकों में मध्यम का भाव

१ दशहप्त, २ ४५

२ वही, २ ६५

है। मेरी दृष्टि में यह आरोप सर्वथा अनर्गल है क्योंकि सधर्प के बिना चरित्र का विकास नहीं होता और न सधर्प भाव-नगमीरता का ही समावेश ही सकता है, अतएव सधर्प तो किसी भी महाकाव्य या नाटक का सामान्यतया अनिवार्य तत्व है। नायक की क्षमता अथवा अन्य पात्रों के चारित्रिक उत्कर्ष को प्रत्यक्ष कराने में सधर्प की व्यवस्था अनिवार्यत उपयोगी है। हाँ, यह दूसरी बात है कि वाह्य सधर्प न दिखा कर कभी-कभी अन्तर्द्वन्द्व ही से काम ले लिया जाय। अन्तर्द्वन्द्व भी प्रतिनियाओं को जन्म देकर नाटक के विकास में योग देता है। सधर्प (भले ही वह अन्तर्द्वन्द्व ही क्यों न हो) कथा-वस्तु के विस्तार की भूमिका तथा आस्वाद की पृष्ठभूमि में चटनी का काम करता है। धीरता और उदात्तता की भूमिका पर आचरण में सधर्प की जितनी मात्रा उपयुक्त होती है, सस्कृत नाटककार ने उसकी उतनी ही व्यवस्था की है।

सस्कृत नाटक में उत्तम, मध्यम और अधम पात्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष नियम थे। प्रमुख पात्र या नेता इतिहास प्रसिद्ध, उच्चबरण, प्रशस्तवश एव धीरोदात होता या। तृतीय श्रेणी के पात्रों की योजना प्राय इस प्रकार की होती थी कि वे या तो नेता के सपर्क में प्रत्यक्ष रूप से या सकने थे अथवा उसके विस्तीर्णियजन या परिजन वे सपर्क में आ सकने थे। उपरूपको में कुछ ऐसे भी होते थे जिनमें अधम पात्रों का अथवा मध्यम पात्रों का ही प्रयोग होता था। 'यह व्यवस्था सामाजिक आचरण को भ्रश मुक्त रखने की दृष्टि से की जाती थी। भारण आदि उपरूपको में जिस आचरण का प्रतिरूपण होता था वह उत्तम पात्रों के लिए शोभन प्रतीत नहीं होता था। इसीलिए उनमें उत्तम पात्रों की योजना एक प्रकार से वर्जित थी।

विद्वापक की व्यवस्था भी सस्कृत नाटक की विशेषताओं में से है। वह नायक का अन्तरण मित्र होता था। उसका कार्य केवल हास्य-रस की भृष्टि करना ही नहीं था, यथितु समय-समर्पण पर उसे उचित परामर्श-

देना भी था। उसके जोड़ का पात्र प्राचीन धीरे का नाटकों में भी नहीं है। हीं, मध्यकालीन पाश्चात्य नाटकों में ऐसा ही एक 'फूल' सज्जक-पान होता था, किन्तु वह निरा हास्योपादान होता था। उसके विपरीत विदूपक नायक को अपने परामर्श से विकट परिस्थितियों और आपदाओं से निकाल कर धर्मादि फल की दिशा में प्ररित करता था। आधिकारिक दो निवादि रखता हुआ तथा प्रासगिक या प्रासगिकों को चटपटापन प्रदान करता हुआ विदूपक दर्शकों के रसास्वाद में थेष्ट योगदान देता था। कुमुम, बसन्त आदि अभिधा बाला विदूपक अपने कर्म, वपु, वैष, भाषा आदि से हास्यकर तथा स्वकर्मज होता था।^१

सत्कृत नाटक का एक विशेष पात्र कचुकी होता था जो 'रनवास'
का द्वारपाल या रक्षक होता था। उसकी आज्ञा के विना कोई व्यक्ति
रनवास में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह सूदू या बलीब होता था।
वह विशिष्ट आयुधों और वेशभूषा से सज्जित होता था। राजपरिवारों
की रक्षा-व्यवस्था का परिज्ञान कचुकी की व्यवस्था से भी हो सकता है।

सत्कृत नाटकों के प्रमुख अगो भ प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है।
सत्कृत नाटक का प्रारम्भ प्रस्तावना^२ से होता था। प्रस्तावना नान्दी

से प्रारम्भ होती है, जिसमें दर्शकों के
अंग वल्याण के लिए राष्ट्रिय देव की उपासना
की जाती थी। किर सूत्रधार और नटी वे
सभापण से नाटककार और उसकी कृति तथा उसके कथासून का अति
संक्षिप्त परिचय दिया जाता था।

इसी प्रकार अत म भरत-वाद्य रहता था जिसमें नाटक का
नायक या प्रधान पात्र देश, समाज एव राष्ट्र वी समृद्धि के लिए अपने
इष्टदेव से प्रार्थना करता था। इम प्रवार नाटक का आदि और अन्त
मगल-वामना से श्रोतप्रोत होता था। इन दोनों अगा वा मनोवैज्ञानिक
प्रभाव भी उपेक्षणीय नहीं हैं।

प्रस्तावना और भरत-वाद्य के बीच म अनेक अबों की स्थिति
होनी थी, जिसमें पाश्चात्य नाटकों की भाँति हृदय व्यवस्था नहीं होती
थी। प्रथम, द्वितीय आदि से दूर्यों की अभिधान व्यवस्था नहीं होती
थी। जिसको हम नाटक या रूपक अभिधा प्रदान करते हैं, वह प्राय

^१ माहित्यदृष्ट, ३ ४२

^२ दण्डपत्र ३ ७-८

पांच अंकों का होता था। किसी किसी नाटक में पांच से अधिक तथा दस तक अंक हो सकते थे, जो 'महानाटक' अभिधा प्राप्त करता था।^१ घूढ़क का 'मृच्छकटिकम्' महानाटक है बयोकि इसमें दस अंक हैं। चार या चार से कम अंक वाले रूपक को नाटिका^२ कहते थे, जैसे 'रत्नावली'। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' रूपक या नाटक का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भाण और प्रहमन को देख कर हम संस्कृत में एकाकी का अनुमान भी कर सकते हैं। आवृनिक एकाकी को संस्कृत एकाकी के परिपाश्व में रख कर तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हमारे सामने प्राचीन भारतीय एकाकी की विशेषताएँ भी आ जाती हैं।

अंक की समाप्ति पर रगमंच का रित्त होना अत्यावद्यक है। प्रमुख अंकों के अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अकावतार और अंकमुख—इन पांच अर्थोपदेशकों^३ का भी विशेष स्थान है। ये संस्कृत नाटक की मौलिक उद्भावनाएँ हैं। इनमें स्वगत भाषण अथवा संभाषण द्वारा प्रेक्षकों का ध्यान ऐसी घटनाओं को और आकर्षित किया जाता है जिसका रगमंच पर दिखलाना अनावश्यक प्रतीत होता है, किन्तु कथानक का क्रम जानने के लिए उनका उल्लेख आवश्यक होता है। विष्कम्भक और प्रवेशक में अन्तर यह होता है कि विष्कम्भक नाटक के प्रथम अंक के प्रारम्भ या दो अंकों के मध्य में आता है,^४ परन्तु प्रवेशक सर्दैव दो अंकों के मध्य में आता है^५। विष्कम्भक की प्रकार वा होता है—युद्ध और सकीरण। युद्ध में एक अथवा दो मध्यम पात्रों का संस्कृत में संभाषण होता है जबकि सकीरण में निम्न अथवा मध्यम पात्र प्राण्डित भाषा में वार्तालाप करते हैं। प्रवेशक में केवल निम्न पात्रों का प्रयोग होता है। यवनिका के पीछे स्थित पात्रों द्वारा दी हुई यम्तु की सूचना वो चूलिका^६ कहते हैं। अकावतार में प्रथम अंक में ही वस्तु का विच्छेद विये विना दूसरे अंक वो वस्तु की सूचना

१. दशरथा, ३.३८

२. वही, ३.४४

३. राहित्य दर्शण, ६.५४

४. वही, ६.५५-५६

५. वही, ६.५७

६. वही, ६.५८

दी जाती है।^१ अक के अन्त में छूटी हुई कथा की सूचना को अकास्य^२ कहते हैं।

सस्कृत नाटक में प्रमुखत तीन तत्त्व माने गये हैं—वस्तु, नेता,
नाटक के तत्त्व और रस^३। नेता के सम्बन्ध में सक्षेप
में पहले कहा जा चुका है। विस्तृत वर्णन
यथास्थान दिया जायेगा। यहाँ 'वस्तु'
और 'रस' का सक्षिप्त परिचय देना भी सभीचीन ही होगा।

सस्कृत नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक के अतिरिक्त कल्पित अथवा मिथित भी हो सकती है,^४ किन्तु अधिकाशत ऐतिहासिक या पौराणिक कथावस्तुओं का सम्मान ही विशेष रूप से किया गया है। कल्पना के पुट से उनमें मिथिन कथावस्तु की योजना की गयी है। प्राय सभी सस्कृत नाटकों की कथावस्तु रामायण, महाभारत, पुराण, वृहत्कथा आदि पर आधारित है। ऐतिहासिक अथवा पौराणिक होने पर भी कथावस्तु में कल्पना के रग से मौलिकता लाई गई है।

यो तो सस्कृत नाटक में प्राय सभी रस रह सकते हैं, किन्तु प्रमुख रस-धीर और शृङ्खार में से कोई एक होता है।^५ भवभूति ने 'उत्तररामचरित' में 'करुण' रस को प्रधानता देकर नाटक के लिए तीन रस (धीर, शृङ्खार एवं करुण) प्रमुख रूप से सम्मानित बर दिये हैं। इनर रस नाटक में गौण रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। हाँ, शान्त-रस को सस्कृत नाटक में प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता क्याकि उसका स्थायी भाव निर्वेद प्रेक्षोपयुक्त नहीं होता। वह नाटक वे विकास में वाधक सिद्ध होता है। रसों की मह व्यवस्या सस्कृत नाटक में सामान्य सामाजिक भावनाओं को मध्याहत रखने वो हित से ही की गयी है।

^१ साहित्यदर्शण ६ ५६

^२ वही, ६ ६०

^३ दशरूपक, १ ११

^४ वही, १ १५

^५ साहित्यदर्शण, ६ १०

अन्यथा यह कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों में पद्य-प्रयोग उन्मुक्त रूप से हुआ है। पद्य, लय और साल से पोषित होकर नृत्य को सहयोग देता है। नृत्य में दृश्य और शब्द दोनों का सहयोग होता है और पद्य उचित संगीत का वातावरण बना कर नृत्य को दृश्यता को मधुर शब्दता की भूमिका प्रदान करता है। संस्कृत नाटकों का पद्य-भाग संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में होता था। भाषा-मेद से एक और तो तत्कालीन सामाजिक मान्यताएँ प्रत्यक्ष होती हैं और दूसरी और सभी सामाजिक वर्गों में संगीत-रुचि का परिवर्य मिलता है।

संस्कृत-साहित्य प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक एवं निष्ठावान् रहा है। साहित्य में प्रकृति-चित्रण न केवल समाज और प्रकृति के सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है, वरन् प्रकृति-निष्ठा तत्कालीन साहित्यकार के सौन्दर्य-बोध को भी प्रकट करता है। शकुन्तला की विदाई के समय कालिदास ने प्रकृति का जो स्पष्ट प्रस्तुत किया है उसमें नाटककार की मनोवृत्ति की ही प्रेरणा नहीं है, वरन् आश्रम-वासियों के प्रकृति सम्बन्धों की भी प्रेरणा है।^१

इन सब वातों के अतिरिक्त संस्कृत नाटक में अलीकिकता, आकाशभाषित,^२ भाग्यवाद और आश्रम एवं भठ के साथ-साथ राजप्रासाद, गृह-कानन एवं केनि-कानन का वर्णन उस समय के भावात्मक एवं ऐश्वर्यात्मक वातावरण का परिचय देता है। इन सब के कापर हैं संस्कृत नाटकों में धार्मिक भावनाओं की प्रतिष्ठा। इस प्रकार संस्कृत नाटक का अध्ययन तत्कालीन समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक परिपालनों के उद्घाटन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।

१. अभिज्ञानशकुन्तलम्, ४.११

२. राहित्यवर्णण, ६.१४०

आलोच्य नाटक युग : ऐतिहासिक परिचय

भूमिका में कहा जा चुका है कि युग और साहित्य का गहन सम्बन्ध है। साहित्य में युग प्रतिविवित होता है और साहित्य युग के निर्माण में योग देता है। यह जानने से पूर्व कि आलोच्य नाटकों में समाज के किस स्पष्ट का चिनण हुआ है, यह जानना अधिक आवश्यक है कि आलोच्य नाटक किस युग से सम्बन्धित है और उस युग तथा तत्कालीन समाज की वया वया विशेषताएँ हैं।

साहित्यकार के युग का ज्ञान या तो अन्त साक्ष्य के आधार पर हो सकता है या वहिसक्षिय के आधार पर। अन्त साक्ष्य दो प्रकार का होता है एक तो वह जिस में कवि या साहित्यकार अपने या अपने युग के सम्बन्ध में स्वयं कुछ बोलता-कहता है और दूसरा वह जिसमें युग साहित्य में उसी प्रकार सन्निविष्ट हो जाता है जैसे दूध में धी। वहिसक्षिय समकालीन रचना या रचनाओं अथवा ऐतिहासिक सूत्रों से प्राप्त होता है।

प्राचीन सस्कृत साहित्य के प्रणेता अपने सम्बन्ध में प्रायः मूक रह है, सभवतः इसलिए कि आत्म-परिचय की कोई परम्परा नहीं थी। इसके अतिरिक्त आत्म-परिचय निन्दात्मक और प्रशसात्मक अपनी दोनों 'अतियों' में अप्रशस्य है। प्राचीन साहित्य की धर्मप्रवणता के बारण भी साहित्यकार उसमें आत्म परिचय की गुजाइश नहीं पाता था। प्राचीन सस्कृत नाटक में तो ऐसे परिचय के लिए और भी कम अवकाश था। नाटकवार अपने पात्रों को आगे बढ़के स्वयं उनके पांच्छे द्विष्ट जाता है। ऐसी रियनि में रास्कृत नाटकवार अपना परिचय देने के लिए कौन-सा स्थान खोजता? प्रस्तावना में भी ऐसे परिचय में लिए विनोप अवकाश नहीं होता है, अतएव सस्कृत नाटकों में आत्म-परिचय लगभग नहीं के बराबर है और युग-परिचय भी अप्रत्यक्ष स्पष्ट

से ही मिलता है, जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक सूत्रों से ही की जा सकती है। आलोच्य नाटक भास, कालिदास और शूद्रक से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनके युग का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है।

कहा जाता है कि संस्कृत वाङ्मय में नाटकों की सजीव एवं मूर्त्ति परम्परा का प्रवर्त्तन भास के हारा ही किया गया, किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि दीर्घकाल तक भास भास-युग की कृतियाँ उद्धासित नहीं हो पाईं।

इसलिए भास के प्रस्तित्व का परिचय कुछ यत्रन्त्र विकीरण सकेतों से ही मिल सकता था।^१ संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी श्री डी० गणपति शास्त्री की अध्यवसायपूर्ण गवेपणा की प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता, जिसके परिणाम-स्वरूप इतनी दीर्घ अवधि के पश्चात् भास साहित्य-जगत में पुनः प्रतिष्ठित हुए। श्री शास्त्रीजी ने वावणकोर में हस्तलिखित ग्रथों की खोज करते समय भास के तेरह रूपक खोज निकाले, जिन्हें उन्होंने 'ब्रयो-दश त्रिवेन्द्रम् नाटकानि'^२ नाम से प्रकाशित कराया।

शास्त्रीजी की इस उपलब्धि से सहृदय पाठ्कों और सभीक्षकों के मन में अमित जिज्ञासा जाग्रत हुई और भास के सम्बन्ध में गवेपणाओं की बाद-री आ गई। परिणामतः भास का समय पाञ्चाल्य और भारतीय विद्वानों के विवाद का विषय यन गया और वह ईस्वी-पूर्व छठी शताब्दी से ईसा की ११वीं शताब्दी तक फैल गया। श्री ए० डी० पुस्लकर ने भास-काल से सम्बन्धित अनेक मन-मतान्तरों का मध्यन कर नाटकों में चित्रित सामाजिक स्थिति के आधार पर उनका समय ईस्वी-पूर्व चतुर्थ शताब्दी निर्पित^३ किया। इन नाटकों के उद्धारक श्री गणपतिशास्त्री ने भी इसी मत को प्रामाणिक माना है।^४

१. देखिये, चन्द्रशेखर पाण्डेय, संस्कृत साहित्य की इतिहासा, पृ० ८६-८१

२. गणपति शास्त्री : 'ब्रयोदश त्रिवेन्द्रम् नाटकानि' सन १६१२-१३

३. देखिये, पुस्लकर : भास : ए स्टडी, पृ० ६१ (टिप्पणी)

४. देखिये, पुस्लकर : भास : ए स्टडी, पृ० ६१ (टिप्पणी)

५. देखिये, गणपति शास्त्री : भासवद्ता की भूमिका

इस प्रकार भास का समय भीर्य शासन के प्रारम्भिक काल में सन्तुष्टि हो जाता है।^१

विवेच्य नाटककारों में भास के पश्चात् कालिदास का नाम उल्लेखनीय है। वे स्सकृत साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। उनकी कीर्ति-कौमुदी इस विशाल भारतवर्ष को कालिदास-युग ही आमन्द सागर में विभोर नहीं कर रही है, प्रत्युत मुद्रूर पश्चिमी सासार के तप्त हृदयों को भी आध्यात्मिक एवं नेत्रिक जीवन की सुशिक्षा देकर तृप्त कर रही है।^२ इस महाकवि का इतिवृत्त भी अधिकार में निमग्न है। शताव्दीयों के सतत अनुसधान के बाद भी कालिदास के काल का प्रश्न अनिश्चय के हिंदोल में भूल रहा है। उनके आविर्भाव काल के विषय में प्रमुखत तीन मत हैं—प्रथम के अनुसार उनका प्रादुर्भाव विक्रम सम्बत् के प्रारम्भ में द्वितीय के अनुसार गुप्तकाल में और तृतीय के अनुसार पठ्ठ शतक में सिद्ध होता है। डा० कर्ण के अनुसार कालिदास का समय छटी शताव्दी का प्रथमार्ध सिद्ध होता है। डा० भण्डारकर भी इसी मत के समर्थक प्रतीत होते हैं।^३ आजकल प्राय सभी सुप्रसिद्ध भारतीय एवं अभारतीय विद्वान्^४ कालिदास का समय गुप्तकाल में मानते हैं। श्री वासुदेव उपाध्याय ने गुप्त साम्राज्य का इतिहास में इसी मत को स्वीकार किया है।^५

कालिदास के ग्रन्थों के गभीर पद्धतेश्चरण से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि वे गुप्त युग के अद्वितीय रत्न थे। वारण ने अपने 'हर्ष-चरित' में बड़े आदर से कालिदास का उल्लेख किया है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि वारण के समय तक कालिदास बहुत प्रसिद्ध हो चुके

१ एन० एन० घोष भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० १२४

२ देखिये वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० ६६

३ देखिये, भार० जी० भण्डारकर पर्य III, पृ० २०

४ देखिये डा० कीष डा० स्मिथ बैकॉनल, बैकॉनलर, डा० वासुदेवशरण अग्रबास, श्री बी० बी० मिराशो, डा० भार० जी० भण्डारकर, प० रामावतार शर्मा डा० भगवतशरण उपाध्याय श्री हरिनाथ डे श्री बी० शी० मजुमदार।

५ वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० १००

थे। जो हो, इस महाकवि ने अपने ग्रंथों में उच्च एवं आदर्श सम्मता का जैसा चिन प्रस्तुत किया है वैसा गुप्त-युग के सिवाय अन्यन मिलना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है।

आलोच्य नाटकों से सम्बन्धित तीसरे नाटकवार घूढ़क हैं। घूढ़क के समय के निरूपण के विषय में भी वडा मतभेद है। पुराणों में आधिकृत्य कुल के प्रथम राजा शिमुक शूद्रक-युग का वर्णन मिलता है। अनेक भारतीय विद्वान् राजा शिमुक के साथ घूढ़क की अभिनता स्वीकार कर इनका समय विनम्र की प्रथम दशादी मानते हैं, परन्तु 'मृच्छकटिक' की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में अनेक विद्वानों को आपत्ति है।

वामनाचार्य ने अपनी 'काव्यालबार सूनवृत्ति' में (घूढ़कादि-रचितेषु प्रबन्धेषु) घूढ़क विरचित प्रबन्ध वा उल्लेख किया है और 'चूत हि नाम पुरपत्य असिहासन राज्यम्' — 'मृच्छकटिक' के इस चूत-प्रशस्ता-परक वाक्य को उद्धृत भी किया है जिससे प्रमाणित होता है कि 'मृच्छकटिक' की रचना 'काव्यालबार सूनवृत्ति' (आठवीं दशादी) के पहले ही हो गई होगी।

वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी ने भी अपने 'काव्यादर्श' में 'मृच्छकटिक' के 'लिप्तीव तमोज्ञानि' पद्याश वो अलबार-निरूपण वरते समय उद्धृत किया है^१। आचार्य दण्डी का समय सप्तम शतक माना गया है। इससे प्रमाणित होता है कि 'मृच्छकटिक' की रचना उससे भी पहले हो चुकी थी।

इन बहिरण प्रमाणों के अतिरिक्त समय निरूपण में 'मृच्छकटिक' के अन्तरण प्रमाणों से भी प्रभूत सहायता मिल सकती है। नवम अक्ष में यमन्तसेना की हत्या करने के लिए शकार आर्य चाहूदत पर अभियोग लगाता है। अधिकरणिक के सामने प्रस्तुत किये जाने पर धर्माधिकारी मनु के अनुसार निर्णय बरता है—

१ मृच्छकटिकम्, अक २, पृ० ११३

२ देखिये, बलदेव उपाध्याय सत्त्वत साहित्य का इतिहास, पृ० ४६०

अथ हि पातकी विप्रो न वद्यो मनुरव्ववीत्
राष्ट्रादस्मात् निर्वास्यो त्रिभवै रक्षते सह ॥^१

यह निर्णय ठीक मनुसमृति के अनुरूप है—

न जातु प्राह्लण हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।
राष्ट्रादेन बहि कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥
न जाप्त्यनवधाइ शूपाननभमो विद्यते भुवि ।
तस्मादस्य वध राष्ट्रा भनसापि न चिन्तयेत् ॥^२

इससे भी यही रिक्त होता है कि 'मृच्छकटिक' की रचना मनुसमृति के अनन्तर हुई होगी। 'मनुसमृति' का रचनाकाल विक्रम से पूर्व हिंदीय शतक माना जाता है। अतएव 'मृच्छकटिक' की रचना निश्चित रूप से इसके बाद की होनी चाहिये।

'मृच्छकटिक' के नवम् अक मे कवि ने वृहस्पति को अङ्गारक अर्थात् मगल का विरोधी वतलाया है^३ परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को भिन्न माना है^४ प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का सिद्धान्त ही आजकल फलित ज्योतिष मे सर्वमान्य है। मगल तथा वृहस्पति आजकल भी भिन्न ही माने जाते हैं परन्तु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती कोई कोई आचार्य इन्हे शत्रु भी मानते थे, जिसका उल्लेख वृहज्ञातक मे भी मिलता है। वराहमिहिर का परवर्ती ग्रथकार वृहस्पति को मगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता, अत शूद्रक वराहमिहिर से पूर्व के छहरते हैं। वराहमिहिर की मृत्यु ५८६ ई० मे हुई थी अतएव शूद्रक का रचना-समय वराहमिहिर के सिद्धान्त के प्रचलन से पूर्व होना चाहिये। अर्थात् 'मृच्छकटिक' की रचना ५वी शताब्दी मे अथवा छठी शताब्दी के प्रारम्भ मे हुई होगी।

डा० भोलाशकर व्यास ने भी 'मृच्छकटिक' का रचना काल पचम शतक का उत्तराधंया छठे शतक का पूर्वाद्वं स्वीकार किया है।^५

१ मृच्छकटिकम् ६ ३६

२ मनुसमृति, ८ ३८०-८१

३ मृच्छकटिकम्, ६ ३३

४ जीवेऽप्साकरा कुञ्जस्य चुहूष । वृहज्ञातक, २ १६

५ डा० भोलाशकर व्यास सहकृत कवि दर्शन, पृ० ८८४

यह काल गुप्त-साम्राज्य का ह्रासकाल और हर्ष-साम्राज्य के उदय का पूर्व काल था^१।

इस प्रकार भास, कालिदास और शूद्रक का समय मौर्य-काल और गुप्त-काल की सीमाओं में परिमित हो जाता है। सास्कृतिक और सामाजिक उत्थान-पतन की दृष्टि से यह युग बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इन दोनों युगों का विवेचन हम विकासक्रम की सीमाओं में इस प्रकार कर रहे हैं।

समाज संघटना की प्रमुख इकाई परिवार है। भारतीय समाज में संयुक्त-परिवार-प्रणाली को सर्वाधिक पारिवारिक स्थिति प्रथय मिला है। धार्मिक अनुशासन, नैतिक भावना महयोगी प्रवत्ति के कारण कुटुम्ब का संयुक्त रूप ही अधिक श्रेयस्कर समझा गया है।

आलोच्य नाटक कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। पिता के जीवन-काल में कुटुम्ब का विभाजन बुरा समझा जाता था। मौर्य-काल में एक ही मकान में माता-पिता, बच्चे, उनके बच्चे, चाचा-भतीजे, चचेरे भाई रहते थे। घनिकों के कुटुम्ब में उनके सेवक-बर्ग भी सम्मिलित होते थे। ग्राह्यणों के कुटुम्बों में उनके कतिपय विचाराधियों की परिगणना होती थी^२। लड़के-लड़कियों के विवाहादि सम्मिलित कुटुम्ब में ही होते थे। विवाह के पश्चात् लड़कों को परिवार से अलग नहीं माना जाता था अपितु उनके आय-व्यय और अन्य आवश्यकताओं का गृहस्वामी पूरा-पूरा ध्यान रखता था।

गुप्तकालीन शिलालेखों और प्राप्त सिवको से इस वात के प्रमाण गिलते हैं कि उस काल में भी संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली ही प्रचलित थी। पिता की मृत्यु के उपरान्त भी लड़के, पोते, भाई आदि एक ही मकान में साय-साय रहते थे।^३

संयुक्त-परिवार-प्रथा के कारण चलाचल सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न जल्दी-जल्दी नहीं उठा करता था। फिर भी पिता की सम्पत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार समझा जाता था। पिता के जीवन-

^१ पाण्डेय सस्त्रृत साहित्य की रूपरेखा, तृतीय सस्करण, पृ० ११४

^२ देखिये, भट्टाचार एवं चूक्ल भारतीय सस्त्रृति का इतिहास, पृ० १७३

^३ वही, पृ० १६६

काल में इसका बटवारा नहीं होता था। मृतक की विधवा का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं समझा जाता था। यदि मृतक पुनर्हीन हो तो या तो वह सम्पत्ति उसके निकट कुटुम्बियों यथा—भाई, चाचा आदि में बैठ जाती थी, अन्यथा वह राज्याधिकृत कर ली जाती थी। लड़की का कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं समझा जाता था। इस प्रथा से अचल सम्पत्ति—भूमि आदि—का छोटे-छोटे भागों में बटवारा नहीं हो पाता था।

सयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली से समाज में सद्ग्रावनापूर्ण चातावरण और सहयोग की भावना को दल मिला हुआ था, जिस का प्रभाव आर्थिक जीवन पर भी पड़ता था। शिक्षा आदि के लिए भी सयुक्त-परिवार अच्छी संस्था रही।

सपुत्र परिवार की प्रतिष्ठा को अक्षुण्णा रखने में परिवार का प्रत्येक सदस्य अधिक से-अधिक योगदान देता था। गृहस्वामी की प्रतिष्ठा पर पूरा कुटुम्ब का कुटुम्ब आत्मदान करने को प्रस्तुत रहता था।

समाज का ढाचा विवाह-सम्बन्धों पर आधारित है, इसलिए
भारतीय समाज में विवाह को बहुत
विवाह पवित्र अनुष्ठान के रूप में स्वीकृत किया
गया है।

विवेच्य-काल में विवाह का रूप बहुत कुछ सुस्थिर-सा-होता था। सामान्यतया सजातीय विवाह ही श्रेष्ठ समझे जाते थे, किन्तु अन्तर्जातीय विवाह भी नितान्त निपिद्ध नहीं थे। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न रान्तान सकर वर्ण (अन्तराल) कहलाती थी।^१ अर्थशास्त्र में अनुलोग विवाह और प्रतिलोग विवाह से उत्पन्न उस प्रकार की सन्तान को कुकुटक, पुकक्स, वेरण, कुशीलव आदि सज्जाएँ दी गई है।^२

मौर्यकाल में बहु-विवाह की प्रथा थी। मैगस्थनीज के वर्णन एवं कोटिल्य के 'अर्थशास्त्र' दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं।^३ इस

^१ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चान्द्रगुप्त मौर्य धोर उसका काल, पृ० २४२

^२ अर्थशास्त्र, III, ७

^३ देखिये, रात्यकेतु विद्यालकार भारतीय स्वस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७२

काल में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था किन्तु इसके लिए विशेष प्रकार को व्यवस्था थी^१। १२ वर्ष की कन्या और १६ वर्ष के बालक का विवाह कर दिये जाने को व्यवस्था चाणक्य ने दी है^२। आठ प्रकार के विवाहों का व्योरा, कौटिल्य ने दिया है। इससे सिद्ध है कि मौर्यकाल में ब्राह्मा, प्राजापत्य, आर्य, देव, आमुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पौशाच आदि विवाहों के प्रकार प्रचलित रहे होगे^३।

विघ्वा-विवाह नितान्त निपिद्ध तो नहीं था, किन्तु अभिशसा को हटाए से नहीं देखा जाता था, अपितु हेय स्त्यति का ही सूचक माना जाता था। 'तलाक' की प्रथा भी यी किन्तु उसके लिए विशेष नियम थे और विवाह के प्रथम चार प्रकारों में 'तलाक' नहीं ली जा सकती थी। कौटसीय अर्थशास्त्र में 'तलाक' के लिए 'मोक्ष' शब्द व्यवहृत हुआ है। चाणक्य ने 'नियोग' प्रथा की व्यवस्था भी दी है और उसे हेय न मानने की सलाह दी है^४। स्वयंवर और सती-प्रथा का प्रचलन भी था^५।

गुप्तकाल में भी स्मृतियों से अनुमोदित विवाह के आठों प्रकार^६ का प्रचलन था। कालिदास ने गान्धर्व विवाह^७ को निकृष्ट नहीं ठहराया। मौर्यकाल की अपेक्षा इस काल में विवाह प्रौढावस्था में किया जाता था। इन्दुमती और शकुन्तला के विवाहों की अवस्था गुप्तकालीन निक्षे पर अकित कुमारदेवी के चित्र से मिलती-जुलती है^८। महर्षि वात्स्यायन ने भी 'विगाहयोवना'^९ के विवाह को ही उचित कहा है।

१ देखिये, सत्यकेतु विद्यालकार मारतीय सस्तुति और उसका इतिहास, पृ० २७२

२ देखिये, दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १६०

३ वही, पृ० १६०

४ देखिये, सत्यकेतु विद्यालकार मारतीय सस्तुति और उसका इतिहास, पृ० २७३

५ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २५६

६. ममुस्मृति १२१, याज्ञवल्य १.५८-६१

७ अभिजानशाकुन्तलम्, दे २१

८ एतेन, गुप्त बडाइन्स, ज्लेट न० १

९ कामसूत्र, पृ० १६३

विधवा विवाह, मोक्ष (तलाक), नियोग, सती आदि की प्रथा प्रचलित थी। सभवत विवाह में तिलक, दहेज आदि प्रथा का अभाव था^१।

आर्य-सस्कृति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है—वर्ण व्यवस्था। भारत-प्रवेश के पश्चात् ही आर्यों ने अपने समाज को चतुर्वर्णों में वर्ण एव वर्ग-व्यवस्था प्रस्थापित कर लिया जिसके आधार पर समाज की गति का सचालन सुव्यवस्थित हो गया। कालान्तर में इस व्यवस्था ने कुछ दृढ़ और स्थिर रूप धारण कर लिया और सस्कृति का महत्वपूर्ण अग बन गई।

मौर्यकाल में ग्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए भी नितान्त असपृक्त नहीं थे। बौद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा के कारण कहिये या अन्य किसी कारण से इस काल के प्रारम्भ में ग्राहण वर्ण को वैदिक कालीन आदर नहीं मिल पा रहा था। यही कारण था कि चारणक्य जैसे महात् पण्डित को भी सीधे राजनीति में उत्तर आना पड़ा। मौर्यकाल की सुदृढ़ शासन-व्यवस्था ने एक बार पुन ग्राहण वर्ण को प्रतिष्ठित किया, किन्तु अशोक के शासन में पुन बौद्ध धर्म चरमोन्नति कर गया जिसके फलस्वरूप सनातन धर्मी ग्राहणों का तेज कुछ फीका पड़ने लग गया।

इस काल में वर्ण-व्यवस्था बड़ी जटिल हो गई थी तथा इसका आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। राजा का परम कर्तव्य था कि उस वर्ण-व्यवस्था की रक्षा करें^२। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त और बहुत से व्यावरायिक वर्ण थे जिनको इनमें ही अन्तर्भुक्त समझा जाता था। वर्णों के साथ राष्ट्र आश्रम व्यवस्था पर भी बल दिया जाता था और व्याचर्य आश्रम में शिक्षा पाने के लिए राजकुमारों तक को घडे घडे गुरुकुलों में जाना पड़ता था।

जैसाकि ऊपर लिखा गया है विवाहादि के सम्बन्धों में सवर्ण-व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त समझी जाती थी किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण भी होता था, यद्यपि ऐसा करना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी।

१ देखिये, वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २४५

२ देखिये, दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १८६

इस वर्ण-व्यवस्था के विपय में मैगस्थनीज ने लिखा है—किसी को अपने धर्ण से बाहर बियाहू करने की अनुमति नहीं थी, कोई अपने व्यवसाय अथवा गिल्प के अतिरिक्त दूसरा व्यवसाय या गिल्प नहीं अग्रीकार कर सकता था।^१ वस्तुत मैगस्थनीज ने तत्कालीन समाज के सात वर्गों का विवेचन किया है और वह वर्ण-व्यवस्था को ठीक से समझ न सका। मैगस्थनीज के अनुसार उम समाज के सात वर्ग निम्न-लिखित थे—१ दार्शनिक, २ छुपक, ३ ग्वाले, ४ कारीगर, ५ सैनिक, ६ निरीक्षक और, ७ अमात्य। इन वर्गों में दार्शनिक वर्ग को सर्वथ्रेप्ठ स्थान प्राप्त था। वस्तुत यह वर्ग ब्राह्मण-वर्ण से सम्बन्ध रखता था। भविष्यवाणी करना और शिक्षा देना इसका कार्य था।^२ इसके पश्चात् 'दूसरा वर्ण' कृपकों का था। जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी वर्ण के लोगों का था।^३ इसके पश्चात् आदेष्टकों और पशु-पालकों का वर्ग आता है। वस्तुत उसका मह वर्गीकरण किसी निरिचित वैज्ञानिक व्यवस्था पर बल नहीं देता क्योंकि 'डस यवनदूत का सामाजिक पर्यवेक्षण विशेष महत्व का नहीं'। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था से भली प्रकार परिचित नहीं था।^४

इसके अतिरिक्त दास-प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के साथ सामान्यतया अच्छा व्यवहार किया जाता था।

गुप्तवाल में वर्ण-व्यवस्था और भी मुद्रृ हो गई थी। वात्स्यायन ने उसका विशद विवेचन किया है। उम सभ्य समाज नार वर्णों में विभक्त हो गया था और इन वर्णों और आश्रमों का पालन करना आवश्यक हो गया था।^५ इस काल में कई उपजातियों का निर्माण हो गया था जो व्यवसायाधारित थी। 'कायस्थ' एवं अलग जाती बन गई थी, किन्तु इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मण, धन्विय आदि जो

१ देविये, राघुकुमुद मुकुर्णी चन्द्रगुप्त भौर्य और उसका काल, पृ० २५६

२ देविये, सत्यवेतु वियालकार भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, पृ० ४७०

३ देविये, राघुकुमुद मुकुर्णी चन्द्रगुप्त भौर्य और उसका काल, पृ० २५५

४ भगवतशरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४५

५ दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १८६

६ चण्डियमाचारस्वितिलक्षणत्वाच्च नौकपात्राया। यामसूत्र, पृ० २०

लेखक थे, वे कायस्थ कहलाते थे^१। शूद्रक ने भी कायस्थों को न्यायालय-लेखक बतलाया है^२। इनके इतावा इस काल में शूद्रों के चाण्डाल, अन्त्यज आदि प्रभेद भी हो गये थे। ये अस्पृश्य समझे जाने लग गये थे।^३

इस काल में चारों वर्णों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध था तथा आपस में विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित था।^४

वस्तुत वर्ण-व्यवस्था आर्य-सामाजिक जीवन की प्रमुख स्तर्ता रही। प्राय सभी सम्राटों ने, जो अधिकाशतया क्षत्रिय होते थे, इस व्यवस्था की सुरक्षा में योग दिया। ब्राह्मण-वर्ग अपने त्याग और तपोमय जीवन के कारण मूर्धन्य पद का अधिकारी रहा। मौर्य साम्राज्य का सस्यापक और महामहिम प्रधान भ्रमात्य चाणक्य फूस की भोपड़ी में निवास करता था। चन्द्रगुप्त ने कृषक-वर्ग और व्यापारी-वर्ग की सुविधा के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया। इससे वैश्य-वर्ग की आर्थिक उन्नति हुई। गुप्तकाल में इस व्यवस्था में सुदृढता ही आई। आलोच्य नाटकों के पर्यावलोकन से तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण की पुष्टि होती है।

पुरुष और नारी सामाजिक जीवन रूपी रथ के दो समान महत्व-पूर्ण पहिये हैं। आदिकाल में तो नारी को पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था किन्तु धीरे धीरे पुरुष ने नारी की स्थिति सत्ता को अपने हाथ में कर नारी का स्थान अपने से बहुत नीचे कर दिया।

मंगस्थनीज के विवरणों और अर्थ-शास्त्र के अध्ययन से ऐतिहासिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मौर्यकाल में नारी की स्थिति सामान्यतया अच्छी नहीं थी।^५ स्त्रियाँ खरीदी व बेची जाती थीं। एक जोड़ा बैल या गाय देकर कन्याएं विवाह के लिए खरीद ली जाती थीं। स्त्री को आधुनिक अर्थ की स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त थी। विवाह में भी उच्चकुल का व्यक्ति निम्नकुल की स्त्री के साथ विवाह कर लेता था

१ देखिये, धोमा मध्यकालीन भारतीय राजकृति, पृ० ४७

२ मृच्छकटिकम्, ६ १४

३ फाहियान का यात्रा विवरण, पृ० ३१

४ देखिये, वामुदेव उपाध्याय युत साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २०६

५ सर्ववेतु विद्यालकार भारतीय सहस्रिती और उसका इतिहास, पृ० २७३

या स्वरीद कर रखता था। पति की माझा के बिना घर छोड़ कर जाने तक में वह दण्ड की भागिनी बनती थी। पर्दे की भी प्रथा थी। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि स्त्रियों की स्थिति नितान्त अनुश्रूत थी। समाज में स्त्रियों का आदर होता था तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने की उनको पर्याप्त स्वतंत्रता थी। उनके प्रति अन्याय करने वाले व्यक्ति को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता था^१।

इनके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक स्त्रियाँ भी होती थीं, पर वे संभोग नहीं करती थीं^२।

गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अधिक उच्च था। स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी समझी जाती थीं^३। स्त्री को आदर्श पत्नी एवं विदुषी बनाने के लिए स्त्री-शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। कालिदास के 'शाकुन्तलम्' में शकुन्तला द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का वर्णन इसकी पुष्टि करता है कि गुप्तकाल में स्त्री-शिक्षा का अच्छा प्रचार था। गुप्त-सम्राटों के सिक्कों पर राजाओं के साथ राजमहिलियों के चित्र इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि तत्कालीन समय में स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था। पर्दे की प्रथा भी नहीं थीं^४।

इतना होते हुए भी स्त्री की वर्तमान अर्थ बाली स्वतंत्रता का अभाव था, कोटुम्बिक सम्पत्ति में उन्हें दायाधिकार भी प्राप्त नहीं थे^५। विवाह में आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह उनकी दयनीय स्थिति की ही मूलना देते हैं। चहू-विवाह-प्रथा भी थी।

सब मिला कर आलोच्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा न तो अत्यन्त बुरी थी और न वैदिककाल के समान शीर्षस्थानीय ही। वह सामान्यतया 'सद्गृहिणी' का जीवन व्यतीत करती थी और अपने सद्गुणों के कारण भूमान पाती थी तथा दुर्गुणों के कारण दण्डनीय समझी जाती थी। शिक्षा का प्रसार मीर्यकाल की अपेक्षा गुप्तकाल में अधिक हो गया था, तब भी स्त्री को बहुत उच्च स्थान नहीं मिल सका

१. दयाप्रबादः : भारत का इतिहास, पृ० १६१

२. देविये, राधाकृष्णन मुकुर्जी : चन्द्रगृह भौयं और उसका पाल, पृ० २४८

३. देविये, पामुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २७२-७३,

४. वासुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २४८

५. यही, पृ० २४२-४५

था। दुप्पन्त शकुन्तला के साथ किये गये गान्धर्व विवाह को खटाई में डाल कर उसे अपमानित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देता है। उबर कण्वाश्रम में भी उसके लिए कोई स्थान नहीं बच पाता जबकि इसमें शकुन्तला निर्दोष थी। यदि सभी की अवस्था बहुत अच्छी होती तो कालिदास की शकुन्तला को भरे-दरवार में इस प्रकार अपमानित नहीं होना पड़ता। गुप्तकालीन इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है।

प्रत्येक युग या समाज-विशेष की अपनी एक विशिष्ट रहन-सहन-पद्धति होती है। युगानुकूल वेशभूपा, आहार, आवास, आमोद प्रमोद आदि को इसके अन्तर्गत सञ्चिति किया जा सकता है।

रहन-सहन का ढंग मीर्येवालीन समाज का रहन-सहन सात्त्विक होते हुए भी अलकृत था। मैंगस्थनीज ने उस समय के निवासियों में यह देखा कि जीवन की सरलता के बावजूद भी वे लोग नाना प्रकार के तथा चटकीले रगों के वस्त्र पसद करते थे। सोने चाँदी, हीरे-जवाहरात के आभूपण तथा बेलबूटेदार मलमल का प्रयोग करते थे। वस्त्रों में पुरुष उष्णीष और उत्तरीय का प्रयोग करते थे।^१ नियोकसं ने सिन्धु नदी के किनारे रहने वाले लोगों वे वस्त्रों के वर्णन में लिखा है कि वे लोग चमकदार सूती वस्त्र पहनते थे। एक पिण्डली तक लम्बा कुर्ता तथा दो अन्य वस्त्र होते थे जिनमें से एक को कधे पर डाल लेते और दूसरे को सिर पर धाँध लेते थे। हाथी-दाँत के कुण्डल चमड़े के सफेद जूते जिन पर बेल-झूटे कहे होते थे, उन्हें अधिक पसद थे।^२ शरीर पर सुगन्धित अग लेपन का प्रचलन था।

भोजन में चावल, जी, गेहूँ आदि प्रमुख खाद्यान्न थे। लोगों का ध्यान गुरवादु भोजन की ओर अधिक था। भोजन में मास का भी प्रयोग था किन्तु मदिरा का विशेष स्थान नहीं था। मदिरा पर राज्य-नियन्त्रण भी था और केवल उत्सव समारोहों मही खुलकर प्रयोग की घूट रहती थी। सामान्यतया मुरुर आहार भात था जिस पर मरालेदार मारा रखा जाता था। भोजन करने के लिए विशेष प्रकार की मेज बनी होती थी जिस पर सोने-चाँदी के प्याते भी रखे जाते थे।^३ भोजन अकेले करना

^१ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मीर्य और उसका बाल, पृ० २५७

^२ यही, पृ० २५७

^३ उत्प्रेरेतु विद्यालकार भारतीय स्तुति और उहका इतिहास, पृ० २७६

ही अधिक पसंद किया जाता था। प्रतिदिन दो बार भोजन करने की प्रथा थी। वाजारों में भी कई प्रकार का भोजन उपलब्ध होता था।

मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के निर्माण में सकड़ी वा विशेष उपयोग बनाया है। भवन सुन्दर और कलापूर्ण ढग से निर्मित होते थे। भोजनालय, स्नानागार आदि की अलग-अलग व्यवस्था थी। प्रासादों की शोभा बढ़ाने के लिए सुनहरे स्तम्भों पर सौने की उभरी हुई बेले मण्डित रहती थी। प्राय घरों की दीवारों पर सुन्दर चित्र-कारी की प्रथा थी।

आमोद-प्रमोद के कई साधनों का उल्लेख मैगस्थनीज ने भी किया है और तत्कालीन साहित्य से भी उसका अनुमोदन होता है। आन्तरिक खेलों में शतरंज अधिक प्रिय खेल था। कुछ ऐसी पेंगवर जातियाँ भी थीं जो अपने कौनुकों में मनोरजन किया करनी थीं यथा—नट, नर्तक, गायक, वादक, वाम्जीवक, कुशीलव आदि। इनके अनिरिक्त आखेट, नाव चलाना, दोड, दगल, कुशनी आदि अनेक मनोरजन के बाह्य साधन थे। स्वयं राजा व सामान्त खेलों और घोड़ों की दोड करत्वाते थे जिन में सोने-चाँदी की बाजी लगाया करते थे। मुर्गों, बटेरों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों की लडाई भी होती थी।^१ सामाजिक उत्सवों और त्योहारों पर आमोद-प्रमोद किया जाता था। दीपावली, गिरिधूजा, पुष्प-ममारोहों पर फूम मच्छी रहती थी। राजा के जन्म-दिवस का ममारोह भी मनाया जाता था। राज्य में स्थान-स्थान पर उद्यानों का प्रबन्ध भी था, जिनमें कृतिम जलाशय निर्मित होते थे। 'क्यामरित्सागर' में पाटलिपुत्र को पुष्पों की नगरी, ज्ञान, स्तस्तुति और ललित कलाओं का भण्डार तथा 'विश्व के नगरों की रानों' कहा है^२।

रहन-सहन का यह भौतिक जीवन गुप्तकाल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया था। लोग सुखमय जीवन विताते थे। फाहियान ने तत्कालीन समाज की सुख-मम्पत्ति का बड़ा सुन्दर वरणन किया है।

गुप्तकाल में रेशमी और जनी वस्त्रों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया था। कुछ रेशमी वस्त्र चीन से आते थे जिनके लिए चीनायुक्त

^१ देविये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य भौत उत्तर काल, पृ० ६३

^२ नूनिया भारतीय सम्पत्ति और स्तस्तुति का विकास, पृ० १७०

सज्जा दी गई थी^१ । साधारण पुरुष उपर्णीप तथा राजा मुकुट धारण करते थे । खियां साढी-चोली का भी प्रयोग करने लग गई थी । गुप्तकाल मे आभूपण का प्रयोग बहुत अधिक होने लग गया था । केयूर, हार, अगुलीयक आदि का प्रचलन बढ़ गया था । अमूल्य मणियों, रत्नों के हार, अगूठियों, रत्न-जडित भुजवधी तथा कुण्डलों आदि का उपयोग होता था ।^२ लोग फेशन-पसद भी थे । घुंघराले केशों का बड़ा शोक था । स्त्री, पुरुष, वच्चे सभी रखते थे । अपने केशों को सुगन्धित करने के लिए सुगन्धित चूर्ण जलाये जाते थे जिन की गर्मी से स्त्रियाँ अपने केशों को सुखाया करती थी^३ । केशों पर सुन्दर मन्दार के फूल लगाये जाते थे ।

भोजन मे चावल के अतिरिक्त गुड़, घृत, दधि, मोदक, पूपक, दाल, रोटी, दूध, मिठाई आदि का खुल कर प्रयोग होता था । गुप्तकाल मे मास का प्रयोग सीमित समाज मे ही होता था । मदिरा का निषेध भी था, किन्तु उत्सवों, समारोहों के अतिरिक्त भी कुछ, लोग उत्सवों सेवन करते थे । भोजन के लिए सौने, चाँदी, तांबे, लोहे आदि के पात्र काम मे लाये जाते थे ।^४ लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग गुप्तकाल मे प्राय बन्द ही हो गया था^५ ।

आवासों को कलात्मक ढंग से सजाया जाता था । मौर्यकालीन लकड़ी के भवन अब नहीं रह गये थे, सुन्दर तराशे हुए पत्थरों के भवनों का निर्माण होता था । उस समय का वास्तु-शिल्प उत्कृष्ट कोटि का था । कालिदास ने 'मेघदूत' और 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' मे जिन कलापूर्ण आवासों का चित्रण किया है वे गुप्तकाल की वास्तुकला की उत्कृष्टता के प्रमाण हैं ।

चौपड़ और शतरंज घर के भीतर लोकप्रिय आमोद-प्रमोद के साधन थे ।^६ उत्तरकालीन मौर्य-साम्राज्य मे बोढ़-धर्म के कारण

१ 'नीनागुप्तमिद केतो अतिवात नीषभानस्य'—अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १ ३१

२ वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २३५

३ जामोदीर्ण उपनितवपु नैशस्तकारधौपै । पूर्वमेघ, ३२

४ देखिये, वाटर ह्यासाग, भाग १, पृ० १४०, १५१, १६१, १७६

५ डा० चासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २३८

६ चूनिया भारतीय सभ्यता तथा सस्कृतिका विकास, पृ० १६७

आसेट की महिमा कम हो गई थी, किन्तु गुप्तकाल के आते-आते उसकी पुनः प्रतिष्ठा हो गई। नटों, कलाविदों, नाटकों, प्रहृष्टनों, मेलों और तमाशों का प्रचुर प्रचलन था। पश्चिमों की लड़ाई भी होती थी। घूत-भीड़ा का बहुत अधिक प्रचार था।

इस प्रकार आलोच्य नाटकों का काल रहन-महन की हृषि से भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट काल था। सब प्रकार की सुख-मामगी एवं भोग-विलास के प्रसाधनों से युक्त यह काल इतिहास में अपनी अलग ही विशेषता रखता था। क्या वस्त्रभूषण, क्या भाषार, क्या आवास, सभी हृषियों से इस काल में नागरिक उत्तम जीवन व्यतीत करते थे। उनका रहन-सहन कलापूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण था। वस्तुतः सुहृद शासन-व्यवस्था, पर्याप्त व्यापारोन्नति एवं उभतशील कृपि-काल में रहन-सहन का स्तर, स्वयमेव ही उच्च हो जाता है।

समाज की उभतशील अवस्था का एक बड़ा उत्तरदायित्व

उसकी शिक्षा-पद्धति पर होता है। सामा-

शिक्षा-प्रणाली

जिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के

सुप्रबाह को शिक्षानुभोदित मस्तिष्क ही

भली प्रकार से चला सकता है।

मीर्यकालीन शिक्षा भारतीय संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा का कार्य आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे जिन्हे राज्य और समाज की ओर से धन, भूमि आदि की पूर्ण सहायता दी जाती थी। तत्कालीन शिक्षणालय उस समय का विश्वविद्यालय शिक्षा-केन्द्र था। इसके अतिरिक्त उच्ज्ञन, वाराणसी आदि के विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध थे। तत्कालीन आचार्य अपने शिष्यों को वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्तिविद्या, मनन-विद्या, पक्षियों की बोकी समझने की विद्या, चिकित्साशास्त्र आदि की शिक्षा देते थे। तत्कालीन में एक आचार्य के पास ५०० विद्यार्थी रहते थे जहाँ उच्चकोटि के राजन्त्रमार भी शिक्षा पाते थे। स्वयं चाणक्य ने वहीं शिक्षा पाई थी और अपने प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त को वहीं सर्वविद्या-निष्पणात किया था। दो तरह के अन्तेवासी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रथम 'धर्मन्तेवासिक' जो दिन में सेवा करते और रात में शिक्षा पाते, और दूसरे 'आचारिय भागदायक' जो आचार्य के पर उपेष्ठ पृत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे और उसकी

फीस चुकाते थे, जो लगभग १००० कारपिण होती थी^१।

गुप्तकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय की भाति नालन्दा महाविद्यालय शिक्षा का प्रख्यात केन्द्र था। उसे यद्यपि राज्य की ओर से सरकरण मिला हुआ था, किन्तु अन्तेवासी अपनी फोस देते थे। इस काल में शिक्षा स्सकृत और प्राकृत दो भाषाओं में दी जाती थी^२। गुह और शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र का-सा रहता था। इस काल में स्त्री-शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था। वेद-वेदागों के साथ दर्शन, धर्म-शास्त्र, आयुर्वेद, धनुष-कला, सर्पविद्या, निधिकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। चीनी यात्री फाहियान और ह्वेन्साग ने सहस्रों संस्थागारों का वर्णन किया है जिन में शिक्षा दी जाती थी^३। पाठलिपुत्र परीक्षा-केन्द्र था।

गुप्तकाल में लिपि का भी पूर्ण विकास हो गया था जिसे गुप्तलिपि कहा जाता था। यह ब्राह्मी लिपि का ही रूप थी।

मौर्यकाल और गुप्तकाल की सुनिक्षा में बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा का स्थान था। तत्कालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए युगानुकूल शस्त्र-विद्या अवश्य दी जाती थी। राजकुमारों और सामन्तकुमारों की शिक्षा इस हृषि से कुछ विशेष भृत्यव्यूर्ण हुआ करती थी। चारांकप जैसे निष्ठात नीति-विद्यारद और वररुचि, पतलालि जैसे महान् वैद्याकरण इस युग की शिक्षा की देन थे। उनके अतिरिक्त गुप्तकालीन कालिदास, चरक, शूद्रक आदि विद्वानों की शिक्षा का श्रेय भी तत्कालीन पढ़ति को ही है।

सम्यता और स्सकृति के साथ-साथ समाज की धार्मिक अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। यालोच्य-नाटकों का काल भीतिक एवं

राजनीतिक उभति की हृषि से अपने धार्मिक स्थिति चरमोत्कर्ष पर था। यद्यपि मौर्यकाल के पूर्व ही भारत में बौद्ध और जैन धर्मों पां आविभाव हो चुका था, जिन्तु उसके प्रारम्भिक काल में सामान्य-

१. देविये, सत्यवेतु विद्यालयार भारतीय गत्ति भीर उसवा इतिहास, पृ० २७८
२. देविये, दा० यागुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य पा इतिहास, भाग २, पृ० १८३
३. यही, पृ० १८२

तथा वैदिक देवताओं की उपासना का सर्वत्र प्रचार था। इन्द्र, वसुण आदि देवताओं की स्तुति और पूजा भी प्रचलित थी। वासुदेव, वृषभ और वलराम के उपासक भी थे। साथ ही नवोदित बौद्ध और जैन-धर्म भी धीरे-धीरे अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे। वस्तुतः मौर्य-शासक उदारधर्मी थे, इसलिए भी भारतीय धर्म फूल-फल रहे थे। ब्राह्मण-धर्मी यज्ञो और अनुष्ठानों का भी प्रचार कम न था।

इसके बावजूद भी मौर्यकाल में बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म को अधिक उन्नति करने का अवसर मिला। स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रवाहू का शिष्यत्व स्वीकार कर जैनधर्मानुस्प दीक्षा ग्रहण की एवं सिहानन का त्याग कर दिया^१। राज दरबार में जैन-प्रभाव द्या चुका था। इवर बौद्ध-धर्म भी विकसित होता जा रहा था और अशोक के शासन-काल में तो यह उन्नति की चरमावस्था को पहुँच गया। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध-धर्मानुयायी हो गया था और उसने उसके प्रचार के अनेक उपाय भी किये किन्तु फिर भी उसकी धार्मिक नीति उदार रही। सभी धर्मों को स्वतन्त्रतापूर्वक फैलने को अनुमति प्राप्त थी। फिर भी सामान्य जनता में यज्ञादि हिसात्मक अनुष्ठानों के प्रति विरक्ति बटती जा रही थी जिससे स्वभावतः ही ब्राह्मण-धर्म की क्षति हो रही होगी।

गुप्तकाल में सनातन-धर्म ने पुनः अपनी लुप्त प्रतिष्ठा का उढार कर लिया। वस्तुतः मौर्य राजवंश के पतन के पश्चात् ही अहिसात्मक सद्धर्मों की निर्वार्यता से शासक-मुद्राय ऊबने लग गया था। ग्रामेटादि साहसिक कर्मों पर भी धर्म का आवरण चढ़ जाने से जो दुर्बलता द्या रही थी उससे स्वभावतः बीर जाति अपना पीछा छुड़ाना चाहती रही होगी। इसके अतिरिक्त बौद्ध-धर्म में किन्तु ही यनाचारों का प्रचार भी बढ़ने लग गया था। परिणामतः गुप्त-काल में पुन अद्वमेध यज्ञों को बाढ़ आयो, वैदिक देवी-देवताओं का आह्वान और पौरहित्य-कर्म-की-प्रतिष्ठा-हुई। विष्णु, शिख, सूर्य, वराह आदि अवतारों का पूजन-क्रोतंन होने लगा। शक्ति की पूजा को भी प्रोत्साहन मिला।^२ किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि बौद्ध-धर्म अयत्न जैन-धर्म की अवनति हो गई थी। ये भी अपनी स्वाभाविक

१. देखिये, डा० राधाकुमार मुकुर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य पौर उचका काल, पृ० ६७ -

२. डा० वामुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, २२२-२५

गति धारण किये हुए थे। सभ्राट् उदासचेता थे, अतएव बौद्ध-विहार और मठों की स्थापना का कार्य भी उत्तरी ही तीव्र गति पर था। जितना कि सूर्य मन्दिर और शिव-मन्दिर का निर्माण। उन्होंने किसी धर्म-विशेष के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं किया। सभ्राट् समुद्रगुप्त के समय में कितने ही विहारों और मठों की प्रतिस्थापना इसका प्रमाण है। हाँ, समय के प्रभाव के कारण निरीश्वरवादी बौद्ध-धर्म में भी भक्ति का प्रसार होने लग गया था, अवतारवाद की कल्पना को बल मिलने लग गया था।

वस्तुत गारत की प्राचीन धार्मिक नीति विवादात्मक होते हुए भी उदार रही और यहाँ के सभ्राटों का सभी के प्रति समान व्यवहार रहा। यही कारण है कि मौर्यकाल के संस्कृत नाटकों में रानातन-धर्मी देवी देवताओं का प्रचुर वर्णन उपलब्ध होता है और गुप्तकालीन नाटकों में बौद्ध-धर्म और जैन धर्म के प्रति भी उपेक्षा का भाव हृष्टि-गोचर नहीं होता। जनता धर्म-प्राणी थी, चाहे वह किसी धर्म में विश्वास करती हो। जन जीवन में धर्म को नीतिकता के साथ स्वीकार कर लिया गया था, पूजा-उपाराना, धार्मिक कृत्यों का चारों ओर बोलबाला था और मन्दिरों आदि के निर्माण को प्रोत्साहन मिला हुआ था। प्राय धार्मिक स्वतन्त्रता थी और किसी पर धर्म को उद्वर्दस्ती नहीं सादा जाता था। राभी धर्मों में दार्शनिकता का समाचेश हो चुका था जिनको लेकर समय-समय पर सभाओं और राजदरबारों में शासनार्थ होते थे।

सामाजिक जीवन के मूल भ अर्थ-व्यवस्था का बड़ा महत्व है। समाज की सुख-समृद्धि का अनुभान उसके आर्थिक ढाँचे से भी लगाया

जा सकता है। आलोच्य नाटक-युगों में
आर्थिक स्थिति भारतीय समाज सुख-सुविधा के साधनों
से सम्बन्ध था, कला-कौशल की उन्नति

में सचेष्ट था एव आमोद-प्रमोद के केन्द्र में पर्याप्त विकासशील था। अतएव निश्चय ही उन वर्लों में आर्थिक व्यवस्था समुन्नत ही होगी। इतिहास इस बात का सादी है¹ कि मौर्यवाल और गुप्तवाल में भारतीय समाज सभी हृष्टियों से पर्याप्त उन्नति बर गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुव्यवस्थित थी।

¹ देविय, सूनिया भारतीय सम्बन्धों का इतिहास, पृ० १६२-६७

मौर्य वंश भारतीय साम्राज्य के क्षितिज म प्रथम ऐतिहासिक घटना थी, किन्तु उसका विकास इतनी तीव्रता एव सुदृढ़ता के साथ हुआ कि भारत का यह प्रथम साम्राज्य आज तक अनुकरणीय बना रहा। प्राचीन सम्यता के उस दौर में 'देश के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा भाग राज्य के नियन्त्रण में था'। देश के कृषि, उद्योग, तथा व्यापार पर राजा का नियन्त्रण था^१।"

इधर गुप्तकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण-युग के नाम से प्रख्यात रहा है। साहित्य के साथ-साथ कला-वैदिक और भौतिक उन्नति में इस काल ने अपने आपको बहुत आगे प्रतिष्ठित कर रखा था। "आध्यात्मिक उन्नति के साथ-ही-साथ धन धान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुई। गुप्तकाल में जनता वैभवशालिनी थी तथा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी"^२। पूरे साम्राज्य में कोई भी आर्त, दरिद्र, व्यसनी, कदर्य अथवा दुखी नहीं था^३। इससे सिद्ध होता है कि आलोच्य नाटक-काल में समाज की आर्थिक स्थिति पर्याप्त उन्नत थी।

किसी समाज या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आधार-शिलाएँ कृषि, वाणिज्य, विनियम प्रणाली, व्यवसाय आदि होती हैं। मौर्यकाल और गुप्तकाल के समाज में उनकी अवस्था निव्वच्य ही समुन्नत थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन समाज का आर्थिक ढाँचा इतनी प्रगति पर था।

बस्तुत भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा उत्तरदायित्व-पूर्ण योगदान कृषि का रहा है। शस्यश्यामला भारत भू सदैव ही धन धाय उत्पादक रही है। इसलिए कृषि जिस किसी भी शासक-वंग ने यहाँ की कृषि-व्यवस्था को सर्वप्रथम स्थान दिया उसी के काल में भारत का आर्थिक स्तर उन्नत रहा।

मौर्यकाल म स्वयं प्रथम सम्राट् ने इस और विशेष ध्यान

१ राधाकुमुद मुकुर्जी चान्द्रमुस मौर्य धोर उसका काल, पृ० २६०

२ वही।

३ धासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ४३

४ आर्तों दरिद्रो व्यसनी कदर्यों, दण्डधो वा यो मृदारीडिन स्पाद।—इक दृगुत का जूनागढ थाला सेस।

दिया। स्वयं राजा की निजी जमीन के रूप में देश की कुपि का बड़ा भाग रीवे-सीवे राज्य के हाथों में था^१। मैगस्थनीज द्वारा वर्णित तत्वालीन समाज के सात वर्गों में कृपक वर्ग को द्वितीय स्थान प्राप्त था। देश की जनता में कृपकों की सरल्या सबसे अधिक थी^२; ये लोग युद्ध करने तथा अन्य राजकीय कार्यों से मुक्त रहते थे^३। युद्धकाल में भी ये सुरक्षित रहते थे तथा कोई भी पक्ष कृपक-वर्ग को हानि नहीं पहुँचाता था।

सिंचाई की व्यवस्था बहुत समुन्भूत थी। भूमि को माल कर उसे नहरों द्वारा सीचा जाता था। चन्द्रगुप्त ने तो एक पर्वतीय नदी को रुकवा कर सुदर्शन नामक बांध का निर्माण भी कराया जिससे आने वाली शताविंशी तक लाभ हुआ^४। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के सिंचाई साधनों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। मैगस्थनीज ने स्वयं यहाँ की कृपि-व्यवस्था की प्रशंसा की है— जहाँ दो फसल नियमित रूप से उत्पन्न की जाती है और कभी अकाल नहीं पड़ता^५। भूमि-कर अनाज अथवा मुद्रा किसी भी रूप में दिया जा सकता था। राजा केवल कर लेने का ही अधिकारी नहीं था, अपितु आपत्ति के समय कृपकों के लिए दीज-अन आदि की व्यवस्था भी करता था। फसलों को अकाल, टिङ्डी चूहों, जगली पशुओं आदि से बचाने वा भी पूर्ण प्रयत्न राज्य की ओर से होता था। कृपि-कर्म के घोजार बनाने वाले शिल्पी करों से तो मुक्त थे ही, साथ ही उन्हें राज्य-बोप से उपयेतन भी मिलता था^६।

१ राष्ट्राकुमुद मुकर्जी चान्दगुप्त मोय और उसका बाल, पृ० २६०

२ देसिय भगवत्पररण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास पृ० १४४-४५

३ मैगस्थनीज, देसिय, सत्यरेतु विद्यालकार भारतीय सहृदयि और उसका इतिहास, पृ० २५८

४ दद्दामा वा दूनगढ़ वाला लेट। देसिय, भगवत्पररण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४३

५ देसिय, सत्यरेतु विद्यालकार भारतीय सहृदयि और उसका इतिहास, पृ० २५८

६ देसिय, सूनिया भारतीय सम्यता तथा सत्कृति का इतिहास, पृ० १६८

यह राजकीय सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा का ही परिणाम था कि वर्षे में दोनों फ्रसले अच्छी प्रकार उत्पन्न की जाती थी। फ्रमलों में विभिन्न प्रकार के चावल कोदों (कोद्रव) तिल तथा केशर, मूँग (मुद्रग) उड्ड (माप), मसूर, कुलुत्य आदि दालें, यव, गेहूँ (गोधूम), कलाय, अलसी (अतसी), सरसो (सर्पम) शाक, मूल आदि सद्बृजयाँ और कद्दू, लोकी, कूप्पांठ, अमूर, (मृदबीका) आदि फल तथा गन्ने का उत्पादन होता था ।

गुप्तराज में भी कृषि की प्रधानता रही। गुप्त-सभ्राटों ने भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रामस्त भूमि का माप करवाता था तथा उस भूमि को दुकड़ों-प्रत्यय में वांटता था^१। मिचाई की ओर भी गुप्त सभ्राटों ने पूर्ण ध्यान दिया। चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित 'सुदर्शन' वांघ वा जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त द्वारा किया गया था^२। इसके अतिरिक्त गुप्त-नरेश आदित्यसेन की खीं ने भी एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था^३। सिचाई की उस व्यवस्था और सग्राटों की निगरानी का स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि भूमि उर्वरा हुई और देश घन-घास्य पूर्ण हुआ जिससे कलान्कोशल और साहित्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति को समर्थन मिल सका।

वाणिज्य-व्यापार समाज की आर्थिक स्थिति की दूसरी मुख्य
आधार-शिला है। वस्तुतः उत्पादन के समुचित आयात-निर्यात के बिना आर्थिक ढाँचा अधिक मुस्तिर नहीं रखा जा सकता।

मौर्यकाल में व्यापार के सम्बन्ध में राजा के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व था। उसकी आम का बड़ा भाग उसी पर निर्भर होने के कारण वह सम्पूर्ण देश के व्यापार पर नियन्त्रण रखे हुए था।

व्यापार के लिए नियत पर्याप्तताएँ (मण्डियाँ) होती थीं जहाँ

१. देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी : चंद्रगुप्त मौर्य और उसका बाल, पृ० २६२

२. देखिये, कार्पेंस इन्सिपियानम् इडिवेरम्, भाग ३, न० १४

३. जूनागढ़ का लेख, देखिये, कार्पेंस इन्सिपियानम् इडिवेरम्, भाग ३, न० १४

४. तत्त्वेव प्रियभादया नरपतेः श्री कोणदेव्या सुरः ।—अपरस्त दा शिलालेख ।

माल का क्षय-विक्रय किया जाता था। व्यापार में भूर्ग, मिलावट, कपट, सद्देवाजी, चोरी आदि पर राज्य कठोर दण्ड की व्यवस्था करता था^१।

आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार का विधान बड़े विस्तृत रूप में किया गया है। भौर्यकाल में भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत था। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था। वित्तने प्रकार के मोती, हीरे, जबाह-रात, मणि, मूँगा, सुगन्धित लकड़ी, साल, कम्बल, रेशम, लिनेन, कीदोय, सूती कपड़े आदि का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था^२। स्त्रिया वा भी व्यापार होता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार अपने मार्गों पर निर्भर था जिसकी उचित व्यवस्था साम्राज्य ने बर रखी थी। कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में इन मार्गों की भी व्यवस्था दी है^३।

गुप्तकाल में व्यापार मुख्यत छोटी छोटी समितियां के हाथ में था^४। व्यापार-मार्ग सुरक्षित थे और चोर-डाकुओं का डर नहीं था। स्थल और जल दोनों मार्गों से आयात निर्यात होता था भारत से उन, रेशम, मलमल, सूधम वस्त्र मणि, हीरे, हाथी दाँत, मोरपख, सुगन्धित द्रव्य, ममाला आदि का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता था तथा घोड़ा, सोना, मूँगा, कपूर, रेशम वा तांगा, चन्दन आदि का विदेशा से आयात किया जाता था^५। स्त्री-व्यापार भी गुप्तकाल में वर्जित नहीं था।

गुप्तकाल में व्यापारिक सुविधा के लिए सटकों और जलमार्गों वा भी निर्माण हुआ था। अच्छे अच्छे बदरगाहों को प्रतिष्ठित किया गया था भडोच के अंतिरिक्त पूर्वी समुद्र-तट पर कहूर, घटजाली, कावेरी पट्टनम, तादई कोरकई आदि प्रसिद्ध बन्दरगाह थे।

इस काल में भारत का व्यापार मिस्र, रोम, फ्रास, ग्रीस, फारस आदि वे साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर होता था।

१ देखिये, राधाकृष्णन चाङ्गुस गौथ घीर उसका चार पृ० २६६

२ देखिये वही, पृ० २७७-३८

३ अथशास्त्र, VII १२

४ देखिये, वामुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ४४

५ वही, पृ० ४०-५१

मौर्यकाल और गुप्तकाल के व्यापारिक ढाँचे के समुन्नत रूप ने तत्कालीन समाज को पर्याप्ति रूप से प्रभावित किया। श्री-बृद्धि और सुद्धा-समृद्धि के साथनों में व्यापार का स्थान बहुत ऊँचा है। साथ ही राज्य-क्रौप को व्यापार से बहुत अधिक लाभ होता है। दोनों के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनों में भारतीय व्यापार अपनी चरमोन्नति पर था।

वस्तु का वस्तु के साथ विनिमय वस्तुत उस काल का प्रचलन माना जाना चाहिये जबकि सिवको और विनिमय-प्रणाली मुद्राओं का आविष्कार नहीं हुआ होगा। यो सामान्यतया आज तक इरा प्रणाली का कोई न कोई रूप देखा जा सकता है।

मौर्यकाल में सिवको और मुद्राओं का आविष्कार हो चुका था। वेदों में भी 'निष्क' नामक सिवको का प्रयोग मिलता है। 'अर्थशास्त्र' में 'कोप प्रवेश्य' और 'व्यावहारिकी' दो प्रकार के सिवको का विवरण दिया गया है। राजकीय कर तथा नक्य विक्रय के लिए 'कोप-प्रवेश्य' सिवको वो ही प्रामाणिक भाना जाता था^१।

सिवके अनेक मूल्यों के होते थे जिनका निर्धारण धातु एवं आकार पर निर्भर करता था। सुवर्ण, कार्यपिण, पण, मापक, काकणि अर्धकाकणि आदि स्वदेशी सिवकों के अतिरिक्त फारस के सोने के 'डेरिक' और चांदी के 'सिगलोई' या 'रोकेत्य' सिवके भी उस समय विनिमय में बहुत आते थे।

मुद्रा सचालन के लिए मौर्यकाल में एक पृथक् अमात्य होता था जिसे 'लक्षणाध्यक्ष' कहते थे। टकसाल का अधिकारी 'सौवण्णिक' कहलाता था। प्रचलित सिवकों की जाच-पट्टाल के लिए 'हृषदर्शक' होता था^२।

विनिमय प्रणाली में गुप्तकालीन समाज कुछ और आगे बढ़ पाया जाता है। समुद्रगुप्त ने भूमि कर के लिए अन्न अथवा मुद्रा की

^१ अथवा, I २६ २

^२ सत्पदेतु मिद्यालकार भारतीय सद्गुरुति और उसका इतिहास, पृ० २६८-

^३ राधाकृष्ण गुरुर्जी चान्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २६०-८१

झूट दे रखी थी। मौर्यकाल में भूमि कर सामान्यतया उत्पादनाश के रूप में ही लिया जाता था। यो कोई चाहे तो मुद्रा रूप में भी जमा कर सकता था। पर उस काल की अपेक्षा गुप्तकालीन कृपक 'मुद्रा' का प्रयोग अधिक करने से लग गये थे। इसके अतिरिक्त इस काल की मुद्रा अधिक सुडौल और सुन्दर होती थी। समुद्रगुप्त के सिक्को पर उसका चिन बीणा, वाण धनुष आदि सहित है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि सिक्को में कला प्रियता भी आ गई थी। राजा का नाम सिक्के पर अवश्य अवित्त होता था। मौर्यकाल की भाँति^१ प्रत्येक नागरिक धातु ले जाकर सौवर्णिक से सिक्के नहीं बनवा सकता था। सिक्के राज्य की ओर से ही बनाये जाते थे।

इस प्रकार आलोच्य नाटकों के काल में विनिमय के लिए सिक्को और मुद्राओं का प्रचुर प्रयोग इतिहास सम्मत सिद्ध होता है। यद्यपि पारस्परिक विनिमय प्रणाली भी प्रचलित रही होगी, विन्तु पर्याप्त मात्रा में अनेक प्रकार की मुद्राओं और सिक्कों का आविष्कार यहीं सिद्ध करता है कि विनिमय के लिए सोने चाँदी, तांबे आदि के सिक्के प्रयुक्त होते थे।

समाज की आर्थिक स्थिति पर उद्योगों एवं विभिन्न व्यवसायों
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कृपि के पश्चात्
उद्योग एवं व्यवसाय वाणिज्य का प्रमुख आधार उद्योगों से
निर्मित वस्तुओं का ही होता है।

मौर्यकाल में खोटे और वडे वित्तने ही प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला हुआ था। ऊत के कम्बल, शाल दुशाने आदि बनाये जाते थे। खानों का खुदान-उद्योग भी उन्नत था। नमक बनाने, चमड़े रेगने, वस्त्र खुनने, कच्ची धातु को गला कर नई चोजों का निर्माण करने आदि—वित्तने ही प्रकार के उद्योगों का प्रचलन था। इनके अतिरिक्त स्वर्णकार, लोहकार वंद्यक दाराय, वूचडसाने, जहाज वी नीवाओं का निर्माण, मनोरजन, भोजन बनाने, दोण्डव,^२ आदि वित्तने ही आय व्यवसायों वो भी स्वतन्त्रतापूर्वक चलाया जाता था। गणिकाएँ एवं स्वपंजीवा आदि वैश्याओं के व्यवसाय भी विद्यान-सम्मत थे।

^१ सत्येन्द्रु विद्यानन्दन भास्त्रीय सस्कृति और उद्यान इनिटियन, पृ० २६६
^२ वही, पृ० २६२ इ३

इनके अतिरिक्त गन्धपण्या, मालापण्या, गौरक्षक, कर्मकार, तानापचारा (गाने वजाने वाले), राज (मकान बनाने वाले), मणि-कारु (विविध रत्नों, मणियों व हीरे आदि को काट तराश कर उनके आभूपण बनाने वाले), देवताकारु (विविध देवी-देवताओं की मूर्त्तियाँ बनाने वाले), शिल्पियों का भी उल्लेख 'अर्थशास्त्र' में हुआ है।

गुप्तकाल में सोने चाँदी के व्यवसाय के साथ लौह-व्यवसाय का अच्छा प्रसार हुआ। कच्चे लोहे वो गला कर फौलाद बनाया जाता था तथा उससे शस्त्रादि का निर्माण होता था। लोहे का व्यवसाय इतनी अधिक मात्रा में होता था कि भारतीय आबद्धकताओं को पूर्ति के पश्चात् लोहा किनीजिया आदि देशों को भेजा जाता था। सभ्राद् चन्द्रगुप्त वा महरौली लौह-स्तम्भ इस उन्नत लौह-व्यवसाय का प्रमाण है। गुप्तकाल में सोने-चाँदी के सिक्के को ढालने का व्यवसाय मीर्य-काल की अपेक्षा अधिक उन्नत हो गया था। सामुद्रिक व्यवसाय में भी लोग अधिक रथि लेने लग गये थे।

इस प्रकार आलोच्य नाटक-कालीन समाज में कृषि, व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग तथा विनियम-प्रणाली वहुत उन्नत ददा को प्राप्त थी जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति का अनुमान सहज ही लग जाता है। वस्तुतः मीर्यकाल और गुप्तकाल भारतीय सस्कृति के अति उन्नत वर्लों में परिणामित हैं जिसका वहुत बड़ा श्रेय तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के पर्याप्त विकास को भी है। दोनों कालों के शासकों ने शामन वो सुव्यवस्थित बर समाज की आर्थिक स्थिति को सुहृद एवं ममुन्नत बरने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। इसी का परिणाम था कि इस धात में माहित्य, बला-कौशल आदि की पर्याप्त उन्नति हो सकी।

यह सोभाग्य की घात है कि आलोच्य नाटकों के बाल में राज-नीतिक सत्ता सुहृद और सुव्यवस्थित राजनीतिक यातावरण थी। मीर्य-साम्राज्य भारतीय इतिहास में प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक साम्राज्य के रूप में सामने आता है। चन्द्रगुप्त मीर्य ने अत्याचारी नन्द-वंश का नाश बर तथा यूनानी प्रभाव के जुए को दूर कर भारत की राज-

नीति को पहली बार एकच्छब्द रूप प्रदान किया था। मौर्य सम्राट् ने अपने साम्राज्य को नई-नई विभिन्न जयों से बटाया और पुरानी परम्परागत दुर्व्यवस्थाओं को परिमार्जित किया। इस कार्य में उसके सुयोग्य एवं हृषि-सबल्पी मत्री चारणवय का कौशल सराहनीय माना जायेगा। साय ही नन्द-साम्राज्य की सुरक्षित सेना का कुशलतापूर्वक सदुपयोग भी शासन-व्यवस्था में लाभकारी तिद्ध हुआ। इस प्रकार मौर्यकाल का राजनीतिक बातावरण एक सुन्दर व्यवस्था के रूप को सामने रखता है। इधर गुप्तकाल में तो समुद्रगुप्त की विजयवाहिनी ने ही सभी छोटे-मोटे राजनीतिक गुटों को समाप्त कर साम्राज्य को आक्रमण के भय से मुक्त कर लिया था जिसके कारण स्वयं समुद्रगुप्त एवं उसके उत्तराधिकारियों को शासन-प्रबन्ध की ओर अधिक ध्यान देने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था।

मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था का हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचन कर सकते हैं—

यह ऊपर बताया जा चुका है कि मौर्य और गुप्त सम्राटों ने भारत के छोटे-मोटे राज्यों को जीत कर

(क) शासन-प्रणाली एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इतने बड़े साम्राज्य का सचालन तभी ठीक हो सकता था, जबकि शासन-प्रणाली बहुत सुव्यवस्थित और सुदृढ़ हो। मौर्य साम्राज्य के शासन-प्रबन्ध को देख कर तो आज भी चक्रित रह जाता पड़ता है। मैगस्यनोज के प्रामाणिक विवरणों के अतिरिक्त कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भी इस व्यवस्था को बहुत स्पष्ट रूप से सम्मुख रखता है। वस्तुत मौर्यों का शासन जनहितवारी निर-कुश शासन था। अनाचारी नन्द-कुल वा नाश कर द्याहाण चारणवय ने जनता वा अनुमोदन प्राप्त कर नये सम्राट् को मूर्धाभिषिक्त किया था। प्रति मौर्य सम्राट् अनाचारी नृपतियों वे अन्त से भली भौति परिचित थे।

प्रशासन की सुविधा की हृष्टि से मौर्य और गुप्तों ने अपने विशाल साम्राज्य को १ बेन्द्रीय, २ प्रान्तीय और ३ स्थानीय शासन विभागों में विभक्त कर रखा था जिनका पृथक्-पृथक् ध्यौरा इस प्रकार दिया जा सकता है।

^१ मूलिक भौतीय सम्भाल और संस्कृति का विशाल, पृ० ११०

केन्द्रीय शासन मे प्रधान राजा था, वह समस्त सत्ता वा स्वतंत्र था। उसका आदेश अन्तिम होता था। उच्चस्य कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। परन्तु

१ केन्द्रीय शासन सारी सत्ता का स्वामी होते हुए भी मौर्य सम्राट् अपने को जनना का सेवक समझता था^१। शासन-कार्य मे राहायना देने के लिए मनि परिषद् थी। साम्राज्य के विविध अधिकरण अनेक उच्चपदस्थ राजपुरुष—अमात्य, महामात्य, अव्यक्त आदि के प्रबन्ध मे थे^२। इनके अतिरिक्त अग्रनोमी (जिला अधिकारी), अस्ट्र्यनोमी (नगर के अधिकारी), देहात के हित के लिए राजुक, जिलो के लिए प्रादेशिक, एवं उच्च-कार्यों के लिए महामान या महामात्य अधिकारी होने थे^३। कोटित्य ने अठारह तीर्थों अथवा विभागो का उल्लेख किया है जिनम मनी, पुरोहित, सेनापति आदि भी सम्मिलित थे^४।

गुप्तकाल मे भी केन्द्रीय शासन-प्रणाली लगभग इन्ही पद-चिह्नों पर स्थित थी यद्यपि उस काल मे राजा की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो गई थी। साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता का सचालन राजा अपने या मनि-मङ्गल के सहयोग से करता था। गुप्त सम्राट् चतुर्वर्ती सम्राट् थे। राबोच्च सत्ता सम्राट् के ही हाथ मे होती थी। उनके अन्तर्गत छोटे-छोटे सामन होते थे जिनका विवर 'महाराजा' होता था।

बस्तुत उस काल का केन्द्रीय शासन बहुत बुद्ध वर्तमान सधीय शासन जैसा माना जा सकता है। प्रान्तो के आतंरिक मामलो में केन्द्र कोई हस्तक्षेप नही करता था, किन्तु सार्वजनिक मामला मे रुचि अवश्य रखता था। मौर्यकाल और गुप्तकाल मे केन्द्र की स्थिति मुदृढ़ थी और सभी प्रकार की राजाज्ञा वा प्रसारण वेन्द्र की आर से होता था।

१ सूनिया भारतीय सभ्यता और सभ्यति दा विकास, पृ० १६०

२ भगवत्पात्रण उपाध्याय प्राचीन भारत का ऐतिहास, पृ० १४०

३ सूनिया भारतीय सभ्यता और सभ्यति दा विकास, पृ० १६०

४ भगवत्पात्रण उपाध्याय प्राचीन भारत का ऐतिहास, पृ० १४०

मौर्य साम्राज्य अनेक उपराज्यों तथा प्रान्तों में बैठा हुआ था और इनमें से प्रत्येक हिन्दू राज्य युगों से प्रतिष्ठित तथा एक निश्चित रूप में ढले हुए नमूने पर सग़ठित था^१।

२ प्रान्तीय शासन अशोक के शिलालेखों से चार उपराज्यों का उल्लेख मिलता है—१ तथाशिला, २ उज्जैन, ३ तोसलि और ४ स्वर्णगिरि। इन उपराज्यों में शासक राजकुमार होते थे। केन्द्रीय शासन (पाटलिपुत्र) को मिला कर ये पाँच चक्र समझे जाते थे^२। इन चक्रों के अन्तर्गत छोटे शासन-केन्द्र थे जिन्हे प्रान्त कह सकते हैं और उनमें कुमारों के अधीन महामात्य शासन करते थे। प्रान्त का प्रधान 'समाहर्ता' कहलाता था। प्रत्येक प्रान्त में लगभग चार जिले होते थे^३। प्रत्येक जिले का अधि कारी 'स्थानिक कहलाता था^४। वस्तुत प्रान्तीय शासन-व्यवस्था नौकरशाही राजतंत्र द्वारा सचालित होती थी। इस व्यवस्था की सफलता सम्राट् के गुप्तचर विभाग पर निर्भर करती थी।

गुप्तकाल में प्रशासन के चार विभाग थे—१ केन्द्रीय, २ भुक्ति (प्रान्त), ३ विषय एवं ४ ग्राम। पैन्द्र का वरण ऊपर किया जा चुका है।

गुप्त लेखों में प्रान्त के लिए देश या भुक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। समस्त साम्राज्य भुक्तियों (प्रान्तों) में विभक्त था। भुक्ति शासक को 'उपरिकर महाराज' कहते थे। इनके अन्य नाम राष्ट्रीय, भोगिक भोगपति तथा गोप्ता भी मिलते हैं^५। पुण्ड्रवर्धन, मन्दसीर, सोराष्ट्र आदि भुक्तियों का उल्लेख गुप्त लेखों से प्राप्त होता है। शासक 'कुमार या राजकुल के लोग होते थे जिनकी मन्त्रणा के लिए परिपद की योजना होती थी।

भूवित के अन्तर्गत विषय-व्यवस्था थी। विषयों की स्थिति आधुनिक जिलों के समान मानी जा सकती है। यहाँ का शासन

१ राष्ट्राकुमुद मुकुर्मी चान्दगुप्त मीष और उराका दार पृ० ५१

२ सत्येनु विद्यानकार भारतीय सत्याति और उराका इतिहास पृ० २४१

३ समाहर्ता चतुर्थ जनपद विभज्य—प्रथमास्त्र, II ३५

४ एवं ए जनपदचतुर्थग्नि स्थानिक विभज्य। वटी, II ३५

५ पासुद्वय उराम्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, नाग २, पृ० ३१

'विषयपति' कहलाता था जिसकी नियुक्ति 'भोगपति' ही करता था। कई लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारामात्म' की पदवी मिलती है। विषयपति का भी एक मन्त्रिमण्डल होता था जिसमें चार सदस्य होते थे—नगरस्थेष्ठी, सार्थकाह, प्रथमकुलिक एवं प्रथम कार्यस्थ। ये अपनी-अपनी समितियों के मुखिया होते थे। इन कर्मचारियों की नियुक्ति सभवत निश्चित काल के लिए होती थी। दामोदरसुर में ताम्रपत्रों के घट्यवन से पता चला है कि विषयपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता था।

वस्तुत मौर्यकाल और गुप्तकाल का प्रान्तीय शासन बहुत सुव्यवस्थित था। यह सुव्यवस्था का ही परिणाम था कि इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही उस काल में भी सुचारू ढंग से होती थी।

केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन से संब्राद का सीधा सम्पर्क रहता था। इसलिए इस प्रकार के शासन को ऐतिहासिकारों ने नौकार-शाही शासनतन्त्र की अभिधा दी, किन्तु

३ स्थानीय प्रशासन यदि देखा जाय तो यह प्रशासन तो ऊपरी ढाँचा था, वास्तविक शासन-प्रणाली की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के हाथ में रहती थी। मौर्य-काल में स्थानीय प्रशासन दो भागों में बँटा हुआ था, (क) नगर-प्रशासन, (ख) जनपद या ग्राम-प्रशासन। इसी प्रकार गुप्तकाल में भी नगरों और ग्रामों की स्थानीय प्रशासन-व्यवस्था पृथक्-पृथक् थी।

मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर-प्रशासन का सविस्तर वर्णन किया है। नगर के प्रबन्ध के लिए छ समितियों का एक परिवार होता था। प्रत्येक समिति में

(अ) नगर-प्रशासन पाँच-पाँच सदस्य होते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थी—१. शिल्पकला-समिति—यह ओर्थोगिक कलाओं की देख-रेख करती थी, २. वैदेशिक समिति—वैदेशियों की देख-रेख एवं प्रबन्ध वा कार्य इसके हाथ में था, ३. जनसंस्था-समिति—जन्म-मृत्यु वी सूचि सहित जन-भाग्यना का कार्य इसके हाथ में था, ४. वाणिज्य-व्यवसाय-समिति—इसका सम्बन्ध व्यापार से था, ५. वस्तु-निरीक्षक-समिति—इसका काम व्यव-

साधियों का नियन्त्रण था, ६ कर-समिति—यह विक्रीत वस्तुओं पर कर वसूल करती थी।

मैगस्यनीज ने यह वर्णन पाटलिपुत्र का दिया था, किन्तु उसी प्रकार का शासन-प्रबन्ध अन्य नगरों में भी होता होगा।

गुप्तकाल में नगर-प्रशासन के लिए नगर में एक सभा होती थी, जिसका गठन आजवल की 'भूनिसिपैलिटी' जैसा होता था। यह सभा ही पूरे नगर के शासन-स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती थी। तत्कालीन नगरपति 'द्रागिक' वहलाता था। नगर की व्यवस्था रखना, सफाई रखना, कर वसूल करना आदि वायं 'द्रागिक' के होते थे। विषयवस्ति 'द्रागिक' की नियुक्ति करता था।

आलोच्य नाटकों के काल में, यद्यपि एकत्र सम्मान का शासन था, और वही सर्वोपरि सत्ता थी, किन्तु नगर आदि के प्रशासन में सम्मान विशेष हस्तक्षेप नहीं वरता था।

मोर्यवाल में जनपद-शासन वा निम्नतम बेन्द्र 'धाम' था। धाम वा शासक 'धामिक' होता था। धाम के वृद्धों की सहायता से वह

ग्राम पर शासन करता था। पाँच अथवा

(भा) जनपद या दस धामों का शासक 'गोप' वहलाता प्राम-प्रशासन था। उसके ऊपर 'स्थानिक' होता था

जो जनपद के नीचाई भाग पर शासन

वरता था। धाम वा अपना बोप होता था। सार्वजनिक-हित वा वायं धाम ही वरता था, लोगों के मनोरजन की व्यवस्था भी धाम वरता था। यह धाम-स्वास्थ्य न्याय वा भी वायं वरती थी^१। धाम अपने नियम इवय बनाने थे और उन पर आचरण वरते थे। ऐसी स्थिति में उन पर राजत्र वी नीचरशाही का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। 'गोप' और 'स्थानिक' वे भूतिरिक्त धाम में और वर्मनारी भी होने थे, यथा—१ अध्यक्ष—सोने, रत्न-धान्यपाणों के धाम पर निगरानी रखने वाला, २ मरणाधर्म—धाम वा मुनीम, ३ धनीपरस्थ—

१ भगवदाद्यरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४१-४२

२ द्वा० धामुक उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० ३५-३६

३ भगवदाद्यरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४२

४ शायदेतु विद्यारथार भारतीय मृदृगि और उत्तर इतिहास, पृ० १४१

हाधिया को सधाने वाला, ४ चिकित्सक, ५ अश्वदमक—घोड़ा को सधाने वाला, ६ जयाकरिक—हरकारा तथा सदेशयाहक^१।

गुप्तकाल में 'विषय' के अन्तर्गत अनेक ग्राम होने थे। ग्राम के अधिपति को 'ग्रामपति' या 'महत्तर' कहते थे। ग्रामपति की सहायता के लिये एक सभा होती थी जिसे 'पचायत' कहते थे^२। ग्राम-पचायत सदा अपने कामा में स्वतन्त्र होती थी। राजकीय कर को छोड़ कर उस पर केन्द्र द्वारा कोई सीधा नियन्त्रण नहीं रहता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्र के अनुसार ग्राम-पचायत में निम्नलिखित पदाधिकारिया का व्योरा मिलता है—१ महत्तर २ अष्टकुलाधिकारी, ३ ग्रामिक—ग्राम के प्रधान प्रधान व्यक्ति ४ कुदुम्बिन्—परिवार के मुख्य व्यक्ति^३। राजा के सदृश महत्तर को भी ग्राम का समस्त अधिकार प्राप्त था। शासन का सारा कार्य वह ग्राम सभा की सलाह से करता था, जिसके अन्तर्गत कई उपसमितियाँ भी होती थीं।

ग्राम प्रशासन की इस सुव्यवस्था से भारतीय इतिहास की कई शताव्दियों ने लाभ उठाया। स्थानीय शासन की इस स्वतन्त्र पद्धति के कारण केन्द्रों में होने वाली उथल पुथल ग्रामों को अधिक प्रभावित नहीं कर सकती थी। केन्द्र की सत्ता का सम्बन्ध केवल कर बसूली तक रहने के कारण ग्राम शासन अपनी सुवारु गति से चलता रहता था।

तत्कालीन गुब्बवस्था एवं राजनीति को मूलाधार सैनिक शक्ति थी। जिस सम्राट् का संय सगठन दुर्बल हुआ, उसका पतन अवश्य म्भावी बना। मौर्य साम्राज्य की सेना

(ख) संन्य सगठन
अत्यन्त मुख्यवस्थित थी। वह पूर्ण रूप से शास्नास्त्रों से मुसज्जित थी^४। चन्द्र

गुप्त के हाथ म नन्द-वश को विशाल सेना का नेतृत्व या गया था। इसके राय हो वह स्वयं एक कुशल सनापति था। डा० राधाकुमुद मुकुर्जी के अनुसार चन्द्रगुप्त की सेना म कुल मिला कर ६०००००

१ राधाकुमुद मुकुर्जी च-द्रगुप्त मौर्य योर उसका काल, पू० १७४

२ डा० वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पू० ३६

३ वही पू० ३७

४ लूनिमा भारतीय सम्बन्ध तथा सस्तृति का विकास पू० १६१

संनिक रहे होगे' जो हाथी, रथ, घोड़े और पैदल विभाग में विभक्त थे। सेना पर युद्ध-कार्यालय नियन्त्रण रखता था, जिसके तीस सदस्य होते थे जो द्य भड़लो में कार्य करते थे। ये द्य विभागों का कार्यभार सभालते थे—१ पैदल सेना, २ युद्धस्वार सेना, ३ युद्ध-रथ, ४ युद्ध के हाथी, ५ परिवहन, रसद व संनिक सेवा, ६ नोनेना। कौटिल्य ने घोड़ों तथा ऊटों की सहायक सेना और उनके साथ कुछ गधों का होना भी रवीकार किया है जो सूखे मौसम में काम दे सकें^१।

प्रारम्भ में सेना के कार्य की देख-भाल सम्राट् स्वय करता था। अन्तिम गौर्यं सम्राट् के शासनकाल में यह कार्य सेनापति करने लग गया था।

मौर्य सम्भाटों को भाँति गुप्त सम्भाटों की भी एक विशाल और दक्षिणाखी वाहिनी थी। सेना से सम्बन्धित व्यवहार के निरीक्षणार्थ एक विभाग होता था जिसका पदाधिकारी 'रण भाण्डागारिक' वह-लाता था। सेना का सब से बड़ा पदाधिकारी महासेनापति कहलाता था। इसी को महावलाधिष्ठत या महावलाध्यक्ष भी कहते थे। इसके नीचे सेनापति या वलाधिष्ठत होते थे जो संनिकों की नियुक्ति करते थे। हायियो वा नायक 'कटुक' कहलाता था, युद्ध सवारों के प्रधान को 'भटाद्वपति' कहते थे। सेना की छोटी दुकड़ों को 'चमूप' कहते थे। नगरों भी व्यवस्था और प्रशासन की मुविधा के लिए इस सेना के अतिरिक्त पुलिस विभाग भी होता था। यह दण्ड देने की व्यवस्था करता था। पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को 'दण्डपाशिक' कहते थे। सम्पूर्ण राज्य में गुप्तचर विभाग का फैलाव भी था जो अपराधों की तुरन्त सूचना देते थे। खुमिया पुलिस विभाग के वर्मचारी को 'दूत' नाम से पुकारते थे।^२

मौर्य एवं गुप्त कालों में संनिक-व्यवस्था बहुत सुट्ट रही। अद्योक्ते द्य शासन-व्याल में लिंग विजय के पश्चात् बोद्ध घर्में के प्रभावस्वरूप संघ निरीक्षण में कुछ शिथिलता आ गई, जिसका परिणाम आगे आगे बाले मौर्य सम्भाटा को भोगना पड़ा। गुप्त साम्राज्य में भी जब

१ राष्ट्राकुमुद मुकुर्जी, चार्दगुप्त मौर्य और उसका बाल, पृ० २२१

२ 'परोद्वरद्वलप्राप्त' १०, राष्ट्राकुमुद मुकुर्जी बहो, २२३

३ डा० वामुदव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास भाग २, पृ० १४

तब संन्य-व्यवस्था सुहृद रही, गुप्त सम्राटों का भाग्य-सितारा प्रथर रहा। विदेशी शत्रुओं को भी इस शक्तिशाली सेना के सन्मुख भुक्ताना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजलोच्य नाटकों के बाल में संन्य-सगठन बहुत उत्कृष्ट कोटि का था।

विद्याल मग्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेकविध न्यायालय थे। सध्ये छोटा न्यायालय ग्राम-सस्था का होता था, फिर सग्रहण का,

फिर द्वोणामुख का और फिर जनपद का।

३. न्याय-व्यवस्था एवं

दण्ड-विधान

छोटे-छोटे भाग्यों यही निपट जाया करते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र के न्यायालय थे और सब से ऊपर राजा। न्यायालय दो

भागों में विभक्त थे। १ धर्मस्थीय—इसमें व्यक्तियों के आपसी अभियोग पेश होते थे, २ कण्टकशोधन—इसमें वे मुकदमे उपस्थित होते थे जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। दण्ड-नीति कठोर थी। अग भग, प्राणदण्ड आदि कठोर दण्ड छोटे-छोटे अपराधों पर भी दे दिये जाते थे। इस न्याय-व्यवस्था का इतना प्रभाव था कि चोरी-डाका-चानी वीं घटनाएँ लुप्त हो गई थीं और लोग घरों पर ताला तक नहीं लगाते थे^१।

गुप्तकाल में भी न्याय-व्यवस्था बहुत सुन्दर रही। फाल्यान ने अपने विवरण में लिखा है कि अपराध बहुत कम होते थे। और सहमो मील की यात्रा करने पर भी उसे कोई चोर नहीं मिला। गुप्त-शासन में चार प्रकार के न्यायालय थे। १ राजा का न्यायालय, २ पूग, ३ थ्रेणी तथा ४ कुल^२। गुप्तकाल में अपराधों वीं सस्था बहुत कम होने के कारण दण्ड भी सरल हो गये थे, फिर भी भय का पर्याप्त स्थान था। फाल्यान लिखता है कि राजा न प्राणदण्ड देता था और न शारीरिक दण्ड। अपराधों की अवस्थानुसार 'उत्तम-साहस' या 'मध्यम-साहस' वा दण्ड दिया जाता था^३। शारीरिक दण्ड देने का वाले को 'दाण्डिक' कहा जाता था।

१ लूनिया भारतीय सम्यता तथा सस्कृति का विकास, पृ० १६१

२ ढा० वासुदेव उपाध्याय गुप्त रामाज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ११

३ याज्ञवल्य ने भी उत्तम, मध्यम, अध्यम साहस में दण्ड देने का विधान लिया है। याज्ञ० स्मृति, १ ३६६

भीर्य शासन में मुद्रा आय का साधन 'वार' था। धान एवं मुद्रा दोनों रूप में ही कर लगाये जाते थे। राजस्व के निम्नलिखित स्रोत थे।

१ सीता (राजा की भूमि) से होने वाली

राजकीय आय आय, २ भाग—कृषि उत्पादन का छठा

भाग, ३ कर—फलों पर लिया जाने

वाला कर, ४. विवीत—चरागाहों का कर, ५ चर्तनी—सड़क का कर, ६ रज्जु—भूमि पैमाईश कर, ७ चोर, रज्जु, चोकीदारी, पुलिस कर, ८ सेतु—सिचाई कर, ९ बन, १० वज—पशुपालन, ११. ब्रलि—राजा को दिया जाने वाला उपहार और १२ खनि^१—सोना, चाँदी, हीरे जबाहरात आदि। इनके अतिरिक्त वाणिज्य, व्यवसाय, आदि से आने वाला कर भी राजकीय आय का बहुत बड़ा स्रोत था। अन्य करों में विनय-कर, मदिरा-कर, मोतियो, मछलियो पर कर, दण्ड आदि वितने ही स्रोतों से राजकीय कोप-पूर्ति होती रहती थी।

गुप्तकाल में राजा की आय कई विभागों से होती थी। प्रायः आय के मूलस्थान ये थे—१ नियमित-कर २ सामयिक-कर ३ अर्थ-दण्ड ४. राज्य-सम्पत्ति से आय ५ अधीन सामन्तों से उपहार।

नियमित कर में भूमि-कर, उपरि-कर, भूतीवात प्रत्याय, (नशीली चीजों पर टंकम), विष्टी (वेगार) तथा अन्य कर जैसे गो, वेल, दूध आदि आते थे^२। भूमि-कर धान और मुद्रा दोनों में ही चुकाया जा सकता था। कृषि के उत्पादन के लिए सिचाई का भी प्रबन्ध था जिस पर भी कर लिया जाता था। राजकीय सम्पत्ति में राजा की सेती, जगल, चरागाह आदि से आने वाली आय परिगणित होनी थी।

बस्तुत मौर्य और गुप्त वास्त के समान् जनहितवारी थे, अत-एव 'करो' की व्यवस्था आय को देख दर ही की गई थी। ये केवल कर व्यवस्था बरना ही नहीं जानते थे, इसे लोक-कल्याण में लगाने की विधि में भी परिचित थे। यहीं बारहए या कि इतने सारे कर अपवरते

१ दा० रापाकुमुद मुहुर्त्री चम्द्रगुप्त मौर्य और उग्रवा धान, पृ० १७४

२ दा० वामुरेव उपाध्याय गुप्त गाग्राज्य का इतिहास, भाग-२, पृ० १७

नहीं थे। लोगों की आय अपरिमित थी। उसमें से राजवीय कर देने में किसी को असन्तोष नहीं होता था।

आलोच्य नाटकों का काल भारतीय इतिहास में कला कीशल की हृषि से स्वर्णकाल माना जाता रहा है। इस युग में साहित्य, शिल्प, कला-कीशल विज्ञान एवं अन्य कलात्मक सृष्टि को पूरा प्रोत्साहन मिला। मीर्यवाल में साहित्य की हृषि से कीटिल्य का 'अर्थशास्त्र', भद्रवाहु का 'कलासूत्र', औद्ध 'कथावत्थू' आदि ग्रन्थों के अतिरिक्त भास आदि नाटककारों की प्रतिभा भी इसी युग में चमकी। कतिपय वैद्या-वारसों को भी इसी युग ने जन्म दिया। पूर्ववर्ती पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के अतिरिक्त कात्यायन और पतञ्जलि जैसे महान् आचार्य इसी युग के आस-पास हुए हैं। वात्स्यायन के नाम सूत्र की रचना का काल भी बहुत से विद्वान् यही मानते हैं।

साहित्य की हृषि से गुप्तकाल तो नि सन्देह स्वर्णकाल था। दिग्बिजयी गुप्त सम्राटों ने साहित्य-कला को पूरणं प्रोत्साहन दिया। कवि कुल-गुरु कालिदास से लेकर विशाखदत्त, भारवि, भट्टि, मानृगुप्त, सीमिल, वासुल आदि कवि तथा 'पचतत्र' की रचना का काल यही माना जाता है। व्याकरण और कोप सम्बन्धी ग्रनेक ग्रन्थ सामने आये। चन्द्रगोमिन ने 'चान्द्र व्याकरण' की रचना की। 'अमर कोप' के रचयिता इसी युग में हुए। स्मृतियों में 'नारद-स्मृति', 'कात्यायन-स्मृति', 'बृहस्पति-स्मृति' का निर्माण हुआ। गणित और ज्योतिष आदि विज्ञानों ने उन्नति की ओर आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषपाचार्य इसी युग में हुए। ज्योतिष विषयक प्रथम ग्रन्थ 'वैशिष्ठ-सिद्धान्त' इसी युग में लिखा गया। आयुर्वेदाचार्य चरक के पदचात् वाग्भट, घनवन्तरि आदि इसी युग में हुए। गुप्तकाल में रसायन विद्या की भी उन्नति हुई। दिल्ली के समीप महरौली कर विशाल लौह स्तम्भ इसका जीतान्नागता उदाहरण है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक साहित्य की भी इस युग में बहुत उन्नति हुई। पद्दतिनों का निर्माण तो मोर्यों तर काल में हो चुका था। मीमांसा पर शावर भाष्य' का निर्माण हुआ, न्याय सूत्रों पर 'वात्स्यायन भाष्य' लिखा गया, एवं औद्धन्दशन का बहुत विकास हुआ। पांचवीं शती के आरम्भ में महान् औद्ध दार्शनिक बुद्धघोष हुआ। इस प्रकार साहित्य, व्याकरण, ज्यो-

तिप, दर्शन, आयुर्वेद की दृष्टि से इस काल का अननुमेय विकास हुआ। सस्कृत भाषा का तो जैसे यह काल वस्तुत ही स्वर्ण-युग था।

उक्त कालों में शिल्प की भी बहुत उन्नति हुई। मौर्य-काल में पाटलिपुत्र का निर्माण उसकी शिल्प-उन्नति का परिचय देता है। राजप्रासादों में खंभो आदि पर सोने का काम किया हुआ था। लकड़ी के सुन्दर भवन निर्माण उस समय की शिल्पज्ञता के नमूने हैं। इनके अतिरिक्त अशोक के राँची, रारनाथ आदि के बनाये स्तूप शिल्प-विद्या के जीते जागते नमूने हैं। मौर्यकाल की प्रसिद्ध मूर्त्ति आगरा और मधुरा के बीच परखुम ग्राम से प्राप्त हुई है जो सात फुट ऊँची है और भूरे भूरे बलुए पत्थर की बनी है। भाद्र, भरहुत आदि के शिला लेख इस काल की शिल्प-कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पत्थरों को काट कर गुहाओं के अन्दर जो चित्र बनाये गये हैं वे मौर्यकालीन शिल्प-विद्या के प्रमाण हैं।

गुप्तकाल में यह कला अपनी उन्नति के चरम पर पहुँच गई थी। मूर्ति-निर्माण में पत्थर, ताम्बे आदि पर बनी मूर्तियाँ प्राप्त हैं। प्रस्तर फलकों पर भी बहुत-सी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। महात्मा बुद्ध, पौराणिक देवी-देवताओं आदि की मूर्तियाँ, जो कलात्मकता के साथ निर्मित की गई हैं, विश्व इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण हैं। विशाल प्रस्तर-स्तम्भों पर खुदाई और कारीगरी का काम हो रहा है। भवन और मन्दिरों के निर्माण की तो इस युग में बाढ़-सी आ गई। नागोर के शिव-मन्दिर, अजबगढ़ राज्य के पार्वती-मन्दिर, देवगढ़ के दशावतार-मन्दिर के अतिरिक्त बहुत से गुप्तकालीन मन्दिर इस काल की भवन-निर्माण-कला के सुन्दर नमूने पेश करते हैं। गुप्तकाल की गुहाएँ भी इस कला की जानकारी के अच्छे साधन हैं। चित्रकला तो गुप्त-काल की सर्वथ्रेष्ठ थी। अजन्ता के गुहा-चित्रों ने तत्कालीन चित्र-कला की सर्वथ्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए उस काल की मुरचि और सम्पन्नता का भी प्रमाण दिया है। सगीत को दृष्टि से भी इस काल में पर्याप्त उन्नति हुई। स्वयं सम्राट् समुद्रगुप्त प्रसिद्ध वीणावादक थे। वाघ के गुहा-मन्दिरों में रागीत और नृत्य मठतियों के चित्र बने हुए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सगीत और नृत्य का दस काल में बहुत प्रसार था। सर्वसाधारण सोग भी इसमें अभिरुचि रखते थे।

वस्तुत आलोच्य नाटकों का काल साहित्य, विज्ञान, शिल्प,

संगीत आदि सभी प्रकार की कलाओं में बड़ा-चड़ा था। इसीलिये मौर्यकाल और गुप्तकाल भारतीय संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्व-पूर्ण स्थान के अधिकारी बने हुए हैं।

आलोच्य नाटककालीन भारत की स्थिति पर हृष्टिपात करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि उस काल में भारतीय समाज चतु-दिक् उन्नति के शिखर पर था। सामाजिक जीवन सुखी, सम्पन्न और सुरुचि-पूर्ण था। पारिवारिक जीवन से लेकर

राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक सभी प्रकार के जीवन में लोग ऐश्वर्य एवं आनन्द का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भोजन, रहन-सहन, कला, साहित्य आदि में यह संस्कृति बहुत बड़ी-बड़ी थी। आर्थिक हृष्टि से देश धन-वान्यपूर्ण था, व्यापार उन्नति पर था। राजनीतिक सुव्यवस्था थी, सम्भाट् एकच्छन होते हुए भी अपने को प्रजा का सेवक समझते थे। परिणामत वे लोक-कल्याण की चिन्ता में ही निरत रहते थे। वैसे प्रजातन शासन भी था और लोग अपने शासन का महत्व समझते थे। सर्वत्र राजनीतिक चेतना थी। यद्यपि शासन का आधार सेना थी किन्तु उसका दर्जा बहुत उच्च नहीं माना जाता था। दार्शनिक लोग, जो समाज का निर्माण निर्लिप्त होकर करते थे, सर्व-थेष्ठ समझे जाते थे। उसके पश्चात् देश के पर्यार्थ नागरिक कृपक समझे जाते थे। कुण्डि-उत्पादन की ओर सम्माटों का पूर्ण ध्यान था। यही कारण था कि देश में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दूध-दही और धी की नदियाँ बहती थीं।

यद्यपि नगरों का जीवन विलासमय था किन्तु ग्रामों में जीवन सात्त्विक ढंग से व्यतीत होता था जिन पर नगरों की उथल-पुथल का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। नगरों में भी विलासिता जीवन का अग नहीं थी, अपितु संस्कृति के विकास में सहायक बनकर रहती थी। लोग बहुत बीर और बहादुर थे।

धर्म के विषय में बैयक्तिक स्वतन्त्रता के दर्जन होते हैं। बौद्ध, जैन तथा सनातन-धर्म साय-साथ उन्नति वर रहे थे। तीनों धर्म एक-दूसरे के प्रतिपक्षी बने हुए थे, विन्तु धार्मिक सहिष्णुता का अभाव नहीं था। किसी धर्म के राजधर्म हो जाने पर उसकी उन्नति होना

तो स्वाभाविक था कि उन्होंने दूसरे धर्मों पर कुछ अपवादों को छोड़ कर रोक नहीं लगाई जाती थी।

वस्तुत इस युग का जीवन सुखमय था। इसीलिए विभिन्न प्रकार की कलाओं को उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। साहित्य, संगीत, शिल्प, विज्ञान आदि ने इस काल में आश्चर्यजनक उन्नति की। नि सन्देह मौर्य युग और गुप्त युग भारतीय सस्कृति के स्वर्णकाल रहे, जिनकी भलक तत्कालीन नाटकों में मिलती है, जिसे हम विस्तार से अलग-अलग दिखायेंगे।

आलोच्य नाटकों का परिचय

विगत अव्याय में भास, कालिदास एवं शूद्रक के युग का ऐति-हासिक परिचय दिया जा चुका है जिसमें सामाजिक परिस्थितियों की सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की गयी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी साहित्यकार अपने युग से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वह अपने चारों ओर के वातावरण को वडे ध्यान से देखता है जिससे उसकी स्मृति पर उसका एक मान चित्र अकित हो जाता है और उसकी कृति भ उसके अनेक खण्ड-चित्र उत्तरते चले जाते हैं। कभी-कभी वे चित्र इतने गहन एवं सवद्ध होते हैं कि पाठक, श्रोता या दर्शक वो उनमें अखड़ता की प्रतीति होती है। आलोच्य नाटक भी ऐसे ही अनेक चित्रों से परिपूर्ण है। इन चित्रों के निर्माण में तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का विशेष योग है। जहाँ साहित्य अपने युग का चित्र प्रस्तुत किये बिना नहीं रह सकता वहाँ उसको प्रवृत्तियों भी परम्पराओं का सहयोग पाकर युग-चित्र की व्यवस्था को प्रभावित किये रिता नहीं रह सकती है। इसी हृष्टि से आलोच्य नाटकों के परिचय को अपेक्षित समझा गया है।

परिचय-अम में भास के नाटक पहले आते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भास ने तीम से भी अधिक ग्रथों की सर्जना की थी, किन्तु अब तक उनमें से वेवल तेरह न्यपत्र उपलब्ध हो मवे हैं, जिनके नाम ये हैं—मध्यम-च्यापोग, दूतवटोत्तर्व, वर्णभार, ऊरुभग, पचरात्र, दूतवाक्य, वालचरित, प्रतिमा-नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, चारुदत्त, प्रतिज्ञा-योगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्त। कथाधार की हृष्टि से इन नाटकों को चार वर्गों म रख गवते हैं—१. कौरव-पाण्डव-कथाधार नाटक, २. वृषभ-कथाधार नाटक, ३. रामकथाधार नाटक तथा

४. काल्पनिक नाटक। प्रथम वर्ग में मध्यम-व्यायोग, द्रूतघटोत्कच, कर्णभार, ऊरुभंग, पचरात्र तथा द्रूतवाक्य आते हैं। दूसरे वर्ग में 'वालचरित' को रखा जा सकता है। तीसरा वर्ग रामकथा से सम्बन्धित है। इसमें प्रतिमा-नाटक और अभियेक नाटक के नाम उल्लेखनीय हैं, और चौथे वर्ग के नाटकों में 'अविमारक', 'प्रतिज्ञा-यीगन्धरायण' 'स्वप्नवासवदत्त' की गणना होती है।

प्रथम वर्ग

यह भास का एकाकी रूपक है। इसमें मध्यम पाण्डव^१ के व्यवितत्व को सब से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शित किया गया है। कथा

इस प्रकार है कि हिंडिम्बा का गुश्छ घटोत्कच

१ मध्यम-व्यायोग अपनी माता की आज्ञा से बलि के लिए एक ब्राह्मण को पकड़ कर ले जाना

चाहता है। ब्राह्मण को विपन्न दशा में देखकर भीम दयार्द्र होकर उसकी रक्षा करना चाहते हैं। घटोत्कच को ठाँटे हुए भीम कहते हैं—“बिप्र-परिवार स्पी चन्द्र के लिए तुम राहु वयो बने हो ? ब्राह्मण सदंव अवध्य है, अतः तुम उसे छोड़ दो”^२। अपना निर्देश अस्वीकृत हो जाने पर ब्राह्मण के स्थान पर भीम स्वयं हिंडिम्बा के पास जाने को उद्यत हो जाते हैं। भीम को लेकर घटोत्कच माँ के पास पहुँचता है। हिंडिम्बा अपने कल्पित आहार के स्थान पर भीम को देखकर विस्मित होती है और 'आर्यंपुत्र' कह कर उनका अभिवादन करती है। घटोत्कच भी भीमसेन में अपने पिता को अवगत कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। इस प्रकार भीम और हिंडिम्बा के सायोगिक मिलन के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

यह एक एकाकी रूपक है जो कौरव-याड्य-वया से संबद्ध है। प्रारम्भ में गूश्छार विष्णु की प्रार्थना करता है जिस में रूपक वी

निर्विज्ञ समाप्ति वी कामना वी गयी है।

२. द्रूतघटोत्कच नेपथ्य के शब्दों से उरो कुद्द ऐसी प्रतीति होती है कि भीष्म के वध से कुद्द कौरवों ने अभिमन्यु या वध कर डाला है।

१. भास के अनुगार भीम।

२. मध्यम-व्यायोग, १. ३३-३४

अभिमन्यु-वध से पाड़व-दल में प्रतिशोधाग्नि भड़क उठती है। वैसे तो रण-क्षेत्र में बहुत से चीर हताहत होते रहते हैं, किन्तु अभिमन्यु-वध की पीठिका म कुचक्ता, अनीति आदि की प्रमुखता है। अभिमन्यु के नृशस्ता पूर्ण वध से पाँडवों की खोभासि अनियन्ति हो जाती है। निरस्त्र वालक अभिमन्यु की हत्या के समाचार से धृतराष्ट्र तक का हृदय बरसार्द हो जाता है। वे इस दुष्टत्य के लिए कौरवों को मन ही मन धिक्कारते हैं। पुनर्वध के समाचार से अर्जुन के हृदय में बड़ी विकट एवं तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यह अपनी प्रतिज्ञा धोपित करता हुआ कहता है कि यदि वह सूर्यास्त से पूर्व अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध न कर सका तो स्वयं अग्नि प्रवेश करके प्राणान्त कर लेगा। इस प्रतिज्ञा को सुन कर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है। वह अपने प्रयत्नों से अर्जुन की प्रतिज्ञा-पूर्ति के मार्ग में अनेक जटिल वाधाएँ प्रस्तुत करता है।

अभिमन्यु वध के विषय में धृतराष्ट्र दुर्योधनादि से बातचीत करते हैं। उनकी हृष्टि म अभिमन्यु-वध विल्कुल अनुचित है, किन्तु दुर्योधन, दुश्मन आदि उसे उचित बतलाने हैं। इधर घटोत्कच कृष्ण सदेश लेकर उभा में प्रवेश करता है और अभिमन्यु वध से लिन्न कृष्ण का सदेश गुनाता है। उसकी अवज्ञा करता हुआ दुर्योधन बड़े दुर्बिनीत शब्दों में कह देता है कि कृष्ण कोई राजा नहीं है, उसका सदेश सर्वथा महत्वहीन है। तब घटोत्कच कृष्ण को अतुलनीय महिमा का वर्णन करता है। दुर्योधन घटोत्कच को राक्षस कहता हुआ उसकी उपेक्षा कर देता है और अन्त म यह कहता है कि इस सदेश या उत्तर तीक्ष्ण वाणों से रण-क्षेत्र में दिया जायेगा। नाटक के अन्तिम इलोक में घटोत्कच कृष्ण-सदेश को दुहराता है।

यह स्पष्ट एवं उत्सृष्टिकाव्य है। इसका व्यानक कण व्यास से

सवद्ध है। इसमें वर्ण वर्ण दलभौलता का गुणगात्र है। व्राह्मण वेश धारी इन्द्र को अपने अमूल्य कण-भूपण तक

इ कर्णभार
दान म दे देता है।

इस रूपक के प्रारम्भ में महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए सजिंगत दिखाये गये हैं। इस समय उनके मन में शब्द-सेना को परास्त करने का अद्वृट् उत्साह दृष्टिगोचर होता है। उनके तेजोमय मुख-मण्डल एवं शोभपूर्ण वाणी से पराक्रमशीलता प्रकट होती है। उन्हें आज अर्जुन से लोहा लेना है। अतः वे सोत्साह अपने सारथि शल्य को उस स्थान पर रथ ले चलने का आदेश देते हैं जहाँ अर्जुन का रथ है।

इसी समय सहसा उनके मन में अनेक दुर्बल विचार प्रवेश कर जाते हैं और उनका उत्साह उद्भव में परिवर्तित हो जाता है। सर्व-प्रथम उनको अपने जन्म की कथा का स्मरण हो आता है। वे सोचते हैं कि वस्तुत उनका जन्म कुलीना कुन्ती के गर्भ से हुआ है किन्तु राधा नाम की अज्ञात कुलशीला स्त्री के हारा पालित पोपित होने के कारण उन्हें 'राधेय सज्जा दी गई। आज वह दिन आ गया है जब कि उन्हें अपने छोटे भाई युधिष्ठिरादि से युद्ध करना पड़ेगा। इन विचारों में इूँचे हुए वह यह अनुमान लगाते हैं कि आज निश्चय ही उनके समस्त अमोघास्त्र व्यर्थ सिद्ध होगे।

इसी प्रसंग में उन्हें अपने गुह परशुराम का शाप भी स्मरण हो आता है कि 'युद्धकाल में तुम्हारे अस्त्र विफल रहगे'। परशुराम भी प्रतिज्ञा थी कि वे शस्त्रविद्या ब्राह्मण को ही सिखाते थे, क्षत्रिय आदि को नहीं। कर्ण ने अपने आपको ब्राह्मण बता कर परशुराम से शस्त्रविद्या सीख तो ली पर एवं दिन उसके क्षत्रिय होने का भेद खुल गया। इससे परशुराम ने उससे कुछ ही बर शाप दे दिया। वही शाप कर्ण थो शल्य की तरह खटक कर हतोत्साह बर रहा है। कर्ण अपने सारथि शल्य को शस्त्र प्राप्ति का वृत्तान्त बहते हुए अपने शख्कों का परोक्षण प्रारम्भ भरते हैं और उह सर्वथा प्रभावशून्य पाते हैं। उनके मनोदोर्बल्य के कारण उनके हाथी घोड़े भी स्वसित होने लगते हैं। इन सब धातों से कर्ण किंवत्तंव्यविमूढ़ हो जाते हैं। इस दशा से शत्रु-

में भी शैयिल्य आ जाता है। यही पर कर्ण में उन्माह का पुन सचार होता है और वह शल्य को युद्धभूमि में ले चलने के लिए आदेश देते हैं।

शल्य रथ को युद्धभूमि की ओर ले जाने को उद्यत हो ही रहा था कि दैव दुर्विपाक से वहाँ एक भिक्षु आ गया और कर्ण के समक्ष उपस्थित होकर भिक्षा की याचना करने लगा। कर्ण ने अपने स्वभाव-नुसार भिक्षुक का अभिवादन किया और उसे स्वर्णमण्डित शृङ्खलाली सहन्त्रों गायें स्वीकार करने को कहा, पर भिक्षु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह देखकर दानवीर कर्ण ने सहस्रो हाथी-घोड़े, अमित स्वर्ण-सम्पूर्ण पृथ्वी, अग्निपटोम यज्ञ का फल तथा अपना मस्तक तक दे देने का प्रस्ताव दिया, किन्तु हठी भिक्षु ने उन्हें भी ग्रहण नहीं किया। अन्त में कर्ण ने अपने अमूल्य कवच-कुण्डल देने का प्रस्ताव किया जिसे भिक्षुक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शत्रु के भना करने पर भी दानी कर्ण ने अपने कवच-कुण्डल भिक्षुक को प्रदान कर दिये।

बहु भिक्षु और कोई नहीं था, ब्राह्मण-वेश में स्वय इन्द्र था। वह अभीष्ट कवच-कुण्डल लैकर यथास्थान चला गया। उमने कर्ण से हठपूर्वक लिया हुआ दान तो ले लिया किन्तु अपनी कपट-सीला पर उसे अनुत्ताप होने लगा। वह सीचने लगा कि एक और तो कर्ण जैसा विमुक्तहस्त दानी और दूसरी और मुझ जैसा छद्मवेशी प्राणी। परिणामत आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए उमने कर्ण के पास 'विमला' नामक एक अमोघ शक्ति भेजी जिसकी सहायता से विमो भी एक पाण्डव का वध किया जा सकता था। कर्ण ने उसे अम्बोकार करते हुए कहा — 'कर्ण दिये हुए दान का प्रनिदान ग्रहण नहीं करता।' अन्त में देवदूत के समझाने पर कर्ण ने उम शक्ति को स्वीकार कर लिया।

इस प्रसंग के पश्चात् कर्ण और शत्रु पुन रथार्ट होकर युद्ध-भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। यही भरत-वाच्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

यह हपक भी कौरव-पाठव-कथा पर आधारित है। कर्णभार की तरह यहें भी एक अक का 'उत्सृष्टिकाव' है। सस्तुत साहित्य में यहाँ ऐक मात्र दुखान्त रूपक है।

इस रूपक का कथानक महाभारत-युद्ध के अन्तिमाव से सम्बन्धित है। युद्ध में कौरवों तथा पाण्डवों की समस्त सेना विनष्ट हो जाती है। कौरव पक्ष के बीरों में केवल दुर्योधन जीवित बचता है। रूपक के प्रारम्भ में सूत्रधार युद्ध भूमि का वर्णन करता है। तदनन्तर भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का हृष्य उपस्थित हो जाता है।

दोनों बीर परस्पर एक दूसरे पर गदा-प्रहार करते हैं। भीम दुर्योधन के प्रहार से कुछ क्षण के लिए मूर्च्छित होकर गिर जाता है। यह देखकर पाण्डव पक्ष के सभी लोग विपण्ण हो जाते हैं, पर बलराम अपने शिष्य दुर्योधन के पराक्रम को देखकर हृषित होते हैं। भीम के सचेत होने पर श्री कृष्ण उसे एक गुप्त सकेत^१ करते हैं, जिसके अनुसार वह दुर्योधन की जघा पर मर्मान्तक प्रहार करता है। परिणामत दुर्योधन की जाँचें छूट जाती हैं और वह गिर पड़ता है।

अपने शिष्य की दयनीय दशा देखकर बलराम भीम पर अत्यत कुपित हो जाते हैं और उसके द्वारा दुर्योधन की जाँच पर किये गये गदा-प्रहार को धमं विरुद्ध बताते हैं। बलराम के भीम की भत्संना करने पर दुर्योधन को सान्त्वना मिलती है।

दुर्योधन को मरणासन देख कर धृतराष्ट्र, गाधारी आदि शोक-मग्न हो जाते हैं। दुर्योधन उन सबको अपने बीरोचित स्वभाव से रान्त्वना देता हुआ शोक न करने की सलाह देता है।

इसी समय दुर्योधन को ढूँढ़ता हुआ अश्वत्थामा प्रवेश करता है और दुर्योधन की दशा को देख कर पाण्डवों पर कुद्द हो उठता है। यह आवेश में आकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को मार डालने की प्रतिज्ञा करता है। दुर्योधन इस प्रतिज्ञा की पूर्ति को असम्भव बता कर उसे प्राप्त करने का असफल प्रयास करता है। उसे अपने प्रतिशोध लेने के सवाल पर हठ देख कर धृतराष्ट्र तथा बलराम भी उसका समर्थन करते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के सिहासन पर उसके मुत्र दुर्जन्य का राज्याभिषेक वरता है। उधर दुर्योधन अपने पूर्वजों का स्मरण करता हुआ देहत्याग देता है।

इसी स्थल पर भरतवावय के साथ यह स्पष्ट समाप्त होता है।

^१ एप इदानीमपहाइपमान भीमसेन हष्टा स्वपूर्वमभिहत्य कामपि मना प्रपञ्चति अनादेन। —कृष्णग, अक १, पृ० २६

तीन अकों का यह 'समवकार' रूपक भी कौरव-पाण्डव-कथा पर आश्रित है। इसके प्रथम अंक में दुर्योधन के विशाल यज्ञ का निरूपण किया गया है। यज्ञ की समाप्ति

५. पंचरात्र पर दुर्योधन आचार्य द्रोण को यज्ञ-दक्षिणा भेंट करता है, किन्तु उसे अस्वी-

कार करते हुए द्रोण कहते हैं—'पाण्डवों को उनका राज्यार्थ दे दो, यही मेरी आचार्य-दक्षिणा है'। शकुनि द्रोण के इस प्रस्ताव का प्रतिवाद करता है और इसे दुर्योधन के प्रति आचार्य की धर्म-प्रवचना बताता है। द्रोण अपने निश्चय पर हड़ रहते हुए कौरवों को स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं कि पाण्डवों को राज्यार्थ दे देना ही उनके लिए श्रेयस्कार है, अन्यथा पाण्डव अपने प्रचण्ड परामर्श से उन्हें विजित कर बलपूर्वक अपना राज्य ले सेंगे। आचार्य की इस वृद्धता को देख कर दुर्योधन घोपणा करता है कि यदि पाँच रात की अवधि के भीतर पाण्डवों का पता लगा लिया जाय तो उन्हें राज्यार्थ दिया जा सकता है'।

द्रोण दुर्योधन की इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं होते पर इसी समय उन्हें यह समाचार मिलता है कि किसी व्यक्ति ने विना शस्त्र-प्रयोग के ही विराट के सम्बन्धी कीचक-वन्धुओं को मार डाला है। इसी शोक के कारण विराट यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सके हैं। इस समाचार से भीष्म यह अनुमान लगाते हैं कि कीचक-वन्धुओं को इस प्रकार मारने वाला भीष्म के निवा और कोई नहीं हो सकता है। अतः वहुत सम्भव है कि पाण्डव विराट के यहाँ ही निवास कर रहे हो। भीष्म के इम अनुमान के आधार पर द्रोण दुर्योधन की उक्त शर्त स्वीकार कर लेते हैं।

अब भीष्म एक ऐसी युक्ति निकालते हैं जिससे कौरवों के समक्ष पाण्डव लोग उपस्थित हो सकें। उन्होंने दुर्योधन को बताया कि विराट के साथ हमारी पुरानी शत्रुता है। उसके यज्ञ में उपस्थित नहीं होने का भी यही कारण है, अतः उस पर आश्रमण करके उसका

१. इहात्मवान् बुद्धाजो भवन्त विजापयति ।

+ + +

यदि पंचरात्रेण पाण्डवाना प्रवृत्तिशानेतत्प्या, राज्यस्यार्थं प्रदास्यति विज्ञ ।
समानयतु भवनिदानीम् ।—पंचरात्र, अक १, पृ० ४१

गोधन हर लिया जाय। इस प्रस्ताव को सभी स्वीकार कर लेते हैं। विराट ब्रोण का शिष्य है, अत वे जनान्तिक में प्रस्ताव का विरोध करते हैं। भीष्म का अनुमान है कि विराट पर आक्रमण होने पर उसके यहाँ निवास करने वाले पाण्डव कृतज्ञतावश उसकी सहायता के लिए बहाँ अवध्य आयेंगे। इस प्रकार पाण्डवों का पता लग जायेगा और दुर्योधन को उन्हें राज्यार्ध देने के लिए घाध्य होना पड़ेगा। यह है रूपक के प्रथम अक की कथा।

द्वितीय अक में विराट के यहाँ उनके जन्मदिवस का उत्सव मनाया जाता है। इसी समय दुर्योधनादि उन पर आप्रमण कर देते हैं और उनका गोधन हर लेते हैं। विराट को जब यह सूचना मिलती है तो वे भगवाद् नामक ब्राह्मण रूपधारी युधिष्ठिर को बुला कर सारा वृक्षान्त सुनाते हैं। स्वयं विराट भी युद्ध में जाने को उद्यत होते हैं। किन्तु यह जान कर रुक जाते हैं कि राजकुमार उत्तर शत्रु को परास्त करने के लिए पहले ही युद्धक्षेत्र में पहुँच गये हैं। उत्तर के रथ का सारथि बृहन्नला (अर्जुन) को बनाया जाता है। कुछ समय पश्चात् विराट वो सूचना मिलती है कि सभी विपक्षी परास्त होकर भाग गये हैं, केवल अभिमन्यु ही लड़ रहा है।

इसी समय दूत द्वारा सूचना मिलती है कि पाकशाला में नियुक्त व्यक्ति (भीमसेन) ने अभिमन्यु को पकड़ लिया है। विराट बृहन्नला को आदेश देते हैं कि वीर अभिमन्यु को यहाँ आदरपूर्वक लाया जाय। तदनुसार अभिमन्यु विराट के समक्ष उपस्थित होता है। इसी अवसर पर उत्तर द्वारा घोषणा की जाती है कि आज के युद्ध में विजय प्राप्त करने का समस्त श्रेय बृहन्नला (अर्जुन) को है। विराट को यह भी जात हो जाता है कि ब्राह्मणवेशधारी व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर है तथा पाकशाला में नियुक्त व्यक्ति भीमसेन है। इन व्यक्तियों का पाण्डवों के रूप में परिचय पाकर विराट को हार्दिक प्रसन्नता होती है। अभिमन्यु भी अपने पितृगण से मिल कर मनस्तोष का अनुभव करता है। विराट अर्जुन को विजयोग्हार के रूप में अपनी कन्या उत्तरा के देने की घोषणा करते हैं। अर्जुन उत्तरा को अपनी पुत्र वधु (अभिमन्यु की पत्नी) वे रूप में स्वीकार करते हैं।

उधर कौरव-पक्ष में यह समाचार फैल जाता है कि अभिमन्यु को शत्रु ने पकड़ लिया है। इसके आधार पर भीष्म और ब्रोण यह

अनुमान लगा लेते हैं कि अभिमन्यु को पकड़ने वाला भीम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, पर शकुनि को इस बात पर विश्वास नहीं होता।

इसी समय दूर द्वारा शकुनि को मूर्चना मिलती है कि जिस वारण ने उसके रथ की ध्वजा को ध्वस्त किया है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है। देखने पर जात होता है कि उस पर अर्जुन का नाम अकित है। शकुनि इस प्रत्यक्ष सत्य को यह कह कर उपेक्षित कर देता है कि यह नाम पाण्डु-पुत्र अर्जुन का नहीं अन्य किसी अर्जुन का है। तब दुर्योधन द्वोण आदि को कहता है कि यदि वे युधिष्ठिर को लाकर दिखा दें तो पाण्डवों को राज्यार्थ दें दिया जायेगा।

इधर राजकुमार उत्तर विराट नगर से दुर्योधन की सभा में आकर धर्मराज का सदेश देते हैं कि उत्तरा उन्ह पुत्र वधु के रथ में प्राप्त हुई है अत उत्तरा अभिमन्यु का विवाह आप लागो के यहाँ सम्पन्न हो या विराट्पुर म। इस के उत्तर में शकुनि तुरन्त कह देता है कि विराट्पुर म।

इस प्रकार सबको पूर्णतया जात हो जाता है कि पाण्डव विराट के यहाँ विद्यमान हैं। यह प्रभागित होने पर द्वोणाचार्य दुर्योधन को उम्बो प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में विवश होकर पाण्डवों को राज्यार्थ देन की घोषणा करनी पड़ती है।

भास का यह रथक भी कीरव पाढ़व कथा लेकर उत्पन्न हुआ

है। श्रीकृष्ण कीरव पाढ़वों में सन्धि

६ द्रूतवाक्य कराने के लिए पाण्डवों की ओर से द्रूत

वन वर दुर्योधन की सभा में जाते हैं और वहाँ युधिष्ठिरादि का भद्रेश भुनाते हैं। श्रीकृष्ण के द्रूत कार्य के आधार पर ही इस रथक का नामकरण किया गया है। यह एक एकाकी रूपक है। इसका सार यह है—

नान्दीपाठ के पश्चात् भूतवार नेपथ्य स कुद्ध शब्द सुनकर यह मूर्चना देता है कि कीरव-पाढ़वों में परन्पर वैर भाव उत्पन्न हो जाने के कारण दुर्योधन प्रतिकारार्थ म्वपक्ष के राजाश्च से मतणा करना चाहता है। दुर्योधन आमत्रित राजाश्च को यथोचित आनन देकर सम्मानित करता है।

इसी अन्तराल में कचुकी दुर्योधन को पाण्डवों के शिविर में दूत के रूप में आने वाले पुरुषोत्तम नारायण का समाचार देता है। उसके गुख से श्रीकृष्ण के लिए 'नारायण' अभिवा सुन कर दुर्योधन के अहकार को मार्मिक चौट लगती है, अतः वह उसे फटकारता हुआ कहना है कि मूर्ख ! श्रीकृष्ण को 'नारायण' आदि शब्दों से सम्मान न देकर उन्हें पाण्डवों का रादेशबाहक दूत 'केशव' कहना चाहिये था ।

इसके पश्चात् वह वहाँ उपरिथित सभी राजाओं को आदेश देता है कि श्रीकृष्ण के राभा में आने पर कोई भी अपने आसन से नहीं उठेगा। अन्यथा ऐसा करने वाले को बारह 'सुवर्णभार' से दण्डित किया जायगा। स्वयं उसे भी न उठना पड़े, इसलिए वह द्रौपदी के चीरहरण के चित्र को अपने सामने भेंगा कर देखने लग जाता है।

इसी समय दुर्योधन की आज्ञा से श्रीकृष्ण सभा-भवन में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सभी नरेश उठ खड़े होते हैं और फिर उनकी आज्ञा से वे अपना-अपना आसन छोड़ा कर लेते हैं। राजाओं के इस व्यवहार को देखकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य और दुख होता है। वह कद्द होकर श्रीकृष्ण का समादर करने वाले राजाओं को पूर्व निर्धारित दण्ड देने की घोषणा करता है और सभम के कारण स्वयं भी आसन से गिर पड़ता है। श्रीकृष्ण द्रौपदी के नित्र को देखकर दुर्योधन की भत्संना करते हैं। वे इसे उसकी घोर मूर्खता बताते हैं। स्वजनों के अपमान का स्मरण कर प्रसन्न होने से बढ़ कर मूर्खता और क्या हो सकती है ? शारम्भिक शिष्टाचार की वार्ता के पश्चात् श्रीकृष्ण दुर्योधन को पाण्डवों का 'दायाच' देने के लिए कहते हैं। दुर्योधन से यह सुनकर कि पाण्डव बस्तुत पाण्डु के पुत्र नहीं हैं, अतः वे पाण्डु का भाग प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं—इसका प्रत्युत्तर देते हुए श्रीकृष्ण दुर्योधन को युवितपूर्वक समझाते हैं कि वैसे देखा जाय तो धृतराष्ट्र भी विचित्र-वीर्य से उत्तम न होने के कारण उराके राज्य को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरते। श्रीकृष्ण की इस वात को सुनकर दुर्योधन कुद्द हो जाता है और उन पर दूत की भर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है। वह उन्हें सामिमान कहता

^१ केशव इति । एवमेष्टव्यम् । अथमेव समुदाचार ।

है कि राज्य न तो मांग कर प्राप्त किया जा सकता है और न दीनों को सहज में लुटाया जा सकता है। यदि पाण्डवों को राज्य-प्राप्ति की आकांक्षा है तो वे युद्ध-भूमि में पराक्रम दिखाकर उसको पूर्ण करें।

इस प्रकार का प्रलाप करने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन को खरी-खरी सुनाते हैं और उसे नेतावनों देते हैं कि वह अपने ऐसे कार्यों से कुरुवंश को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। यह सुन कर दुर्योधन श्रीकृष्ण को बन्दी बनाना चाहता है, किन्तु वे अनेक रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, जिससे दुर्योधन उन्हें बन्दी नहीं बना पाता।

दुर्योधन की ऐसी धृष्टता देखकर श्रीकृष्ण कुपित हो जाते हैं और उस पर प्रहार के लिए अपने सुदर्शनादि अस्त्रों का आह्वान करते हैं। सुदर्शन उपस्थित होकर भगवान् को संतुष्ट करता है। उनका कोप शान्त हो जाता है और वे अपने सभी अस्त्रों को बापस लौट जाने का आदेश दे देते हैं। वे स्वयं पाण्डव-शिविर में लौट जाने का निश्चय करते हैं।

उधर धृतराष्ट्र को जब यह जात होता है कि दुर्योधन ने महामहिमाणी श्रीकृष्ण का अपमान किया है तो श्रीकृष्ण के पास आता है और उनके चरणों में गिर कर अपने पुत्र के अपराध के लिए क्षमायाचना करता है।

अन्त में, भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

द्वितीय वर्ग

यह वर्ग श्रीकृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित है। अब तक इस वर्ग से सम्बन्धित भास का केवल एक रूपक उपलब्ध हुआ है जिसका नाम 'वालचरित' है।

इस रूपक में श्रीकृष्ण को बाल-लीलाएँ निरूपित की गयी हैं। कथानक का प्रसार पाँच अको में हुआ है। पहले में कृष्ण-जन्म की कथा

वर्णित है। बसुदेव के घर में श्रीकृष्ण

वालचरित का जन्म होने पर देवगण आनन्द-निमग्न हो जाते हैं। नारद उनके दर्शन

का लोभ-संबरण नहीं कर सकते। वह उन्हें देखने के लिए आते हैं। कंस के भय से बसुदेव अपने पुत्र को मथुरा से वृद्धावन ले जाने का निश्चय कर उस ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में यमुना नदी अपनो

उत्ताल तरगो से वहती मिलती है। पार जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। अन्त में वह उसे तौर कर पार करने का निश्चय कर पानी में उत्तर जाते हैं। इसी समय एक अलौकिक घटना घटती है। ज्योही वसुदेव नदी में उत्तरते हैं त्योही उसका पानी दो भागों में विभक्त हो जाता है और बीच में मार्ग निकल आता है। वसुदेव उसी मार्ग से नदी को सहज में पार कर लेते हैं।

नदी पार करके वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वह यह सोच ही रहे थे कि अब किराके यहाँ चला जाय कि इतने में उन्हें नदगोप दिखाई देते हैं। उसी रात उनकी पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, जो उत्पन्न होते ही मर गई थी। नद अपनी मृत पुत्री को यमुना में प्रवाहित करने आये थे। गुयोग देख कर वसुदेव ने अपनी बात नद से कही और उनके समक्ष पुत्र को ले लेने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने कुछ रोच-विचार के बाद स्वीकार कर लिया। वसुदेव पुत्र देकर और नद की मृत पुत्री को लेकर मधुरा की ओर चल दिये। दैवयोग से मार्ग में उस बालिका में पुन प्राण-सचार हो गया। मधुरा लौट कर वसुदेव ने उसे कृष्ण के स्थान पर गुला दिया।

द्वितीय अक का प्रारम्भ कस के राजमहल से होता है। कस को अनेक चाष्टात मुबतियाँ दिखाई देती हैं जो उसका उपहास करती हैं। कस ज्योतिषियों से पूछता है कि विगत रात को जो भूकम्प, उल्कापात आदि हुए हैं उनका क्या फल है? उत्तर में कस को उस समय किरी गहागुरुष के अवतार की सूचना देते हैं^१। यह सुन कर कस को भय हो जाता है कि हो न हो उसको मारने वाला उत्पन्न हो गया है। वह कचुकी को यह पता लगाने के लिए भेजता है कि यस रात्रि में किस का जन्म हुआ है। नगर में पूछताछ करने के पश्चात् कचुकी कस को देवकी के गर्भ से एक पुत्री के जन्म की सूचना देता है। कस वसुदेव की पुत्री को मगवा कर उसको मार देता है, किन्तु उसका एक अश आकाश में पहुँच कर कात्यायनी के रूप में दिखाई देता है।

तृतीय अक में श्रीकृष्ण की गोचारणा-लोला और पराक्रम का

१ भूत नभस्तलनिवारि नरेऽइ । नित्य

कार्यात्तरेण नरसोकगिह प्रपञ्चम् ।

आकाश दुर्दुमिरवं समहीप्रकम्पे-

स्तस्यैष जमनि विदेषकरो विकार ॥ —बालचरित, २१०

चित्रण हुआ है। श्रीकृष्ण के जन्म लेने के पदचात् गोधन में अपूर्व बृद्धि होती है, जिसका हेतु गोपगण श्रीकृष्ण को मान कर उनकी महिमा का गान करते-फिरते हैं। श्रीकृष्ण वाल्यवाल में ही पूतना, शकट और वैशी आदि दानवों को मार कर ग्रजवासियों पर परामर्श वी अभिट छाप डाल देते हैं। गायों को कपट देने वाले अरिष्टपंभ को मार कर गोरक्षण के क्षेत्र में अपूर्व द्याति प्राप्त कर लेने हैं।

चतुर्थ अक में श्रीकृष्ण कालिय नाग का दमन करने के लिए कालिय हृद में प्रवेश करते हैं। हृद में उत्तर कर वे भयकर नाग के फनी पर आस्ट हो जाते हैं। नाग उन्हें विपञ्चवाला से भस्म करना चाहता है, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। भयकर सघर्ष के बाद वह उनका दमन कर छालते हैं। अन्त में वह उनकी शरण माँगता है, जिससे वह उसे अभयदान देकर गृह्ण के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी समय श्रीकृष्ण को एक भट से सूचना मिलती है कि मथुरा में कम के द्वारा धनुर्यज्ञ की आयोजना की गई है, जिसमें उनको परिजनों के साथ आमत्रित किया गया है। कस्त को मारने की हृष्टि से श्रीकृष्ण यह निमनण सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।

पचम अक में कस्त कृष्ण-बलराम को मारने की कपट-योजना तैयार करता है। उसी समय उसे सूचना मिलती है कि कृष्ण-बलराम नगर में आ गये हैं। उन्होंने राज-रजक से वस्त्र द्योन लिये हैं तथा निरखुश कुबलयापीड हाथी वो भी पद्धाड ढाला है। इमके अतिरिक्त उन्होंने राजप्रासाद में आती हुई कुटजा को मार्ग में रोक कर और उसके सुग-निधित द्रव्यों को द्योन कर उसके कुडजक्त्व को ठीक कर दिया है और धनुशाला वा रक्षक भी उनके हाथ से घराशायी हो चुका है।

तदनन्तर युद्ध पटह की ध्वनि होती है और पूर्वनिर्दित कायं-अमानुसार चाल्यूर और मुष्टिक के साथ उभय कृष्ण और बलराम का द्वन्द्व युद्ध होता है, जिसमें द्वितीय पक्ष की विजय होती है। चाल्यूर और मुष्टिक जैसे दानवों के मर जाने पर कस्त वो आश्वर्य होता है। चाल्यूर वो गिराकर कृष्ण कस्त की ओर लपकते हैं और उसका सिर पकड़ कर एक ही भटके में वे उसे नोचे गिरा देते हैं जिससे उसकी जीवन सीसा समाप्त हो जाती है। उसी समय बसुदेव आते हैं। वह यह प्रकट कर देते हैं कि वे दोनों वीर उन्हीं के पुन हैं और कृष्ण का जन्म-

कस वध के लिए ही हुआ था। त-पश्चात् उप्रसेन को कारागृह से मुक्त कर कस के सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जाता है।

यह देख कर देवगण आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं। नारद भी भगवान् का गुणानुवाद करते हुए वहाँ आते हैं और उनका अभिवादन कर चले जाते हैं।

अन्य नाटकों की भाँति यह नाटक भी भरतवाक्य के साथ समाप्त होता है।

उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे नाटक भी लिये हैं, जिनका मुख्य आधार 'रामकथा' है।

इस प्रकार के नाटकों में प्रमुख प्रतिमा-नाटक है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें राम के बनवास से

लेकर राज्याभियेक तक की कथा का

१ प्रतिमा नाटक वर्णन है। इसमें प्रतिमा-गृह अथवा मूर्त्ति-

गृह की घटना का विशेष महत्त्व है,^१ जो इसके नामकरण का भी हेतु है।

इस रूपक के घटना चक्र को सात अंकों में विभक्त किया गया है। प्रथम अंक में राम के राज्याभियेक की तैयारी की जाती है। राजा दशरथ की आज्ञा से राज्याभियेक की सभी सामग्रियाँ छुटा ली जाती हैं। वसिष्ठ संस्कार प्रारम्भ करने के लिए महाराज की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई देते हैं।

उधर सीता अपने कक्ष में चेटियो के साथ विनोद-वार्ता में आनन्दगग्न दिखाई देती है। इसी बीच एक चेटी राजप्रासाद की नाट्यशाला से एक वल्कलवस्त्र लाती है जिसकी सुन्दरता से आकृष्ट हो सीता उसे पहन लेती है। इतने में राम के राज्याभियेक के मगल-वाद बजते-बजते सहसा बन्द हो जाते हैं। कंकेयी दशरथ से वर गाँग कर राम के राज्याभियेक को रुकवा देती है। राम सीता के पास आकर अपने बनगमन का समाचार सुनाते हैं। अकस्मात् उनका ध्यान सीता के वल्कल-वस्त्र की ओर जाता है और वह भी उसे पहनने की इच्छा प्रकट करते हैं। पारिहितिक आधास से दशरथ के मूर्च्छित हो जाने के कारण अन्त पुर का करण बन्दन सुनाई पड़ता है।

^१ प्रतिमा नाटक, अंक ३, पृ० ६८-८४

लक्ष्मण को जब यह ज्ञात होता है कि यह सब अनर्थ केकेयी के कारण हो रहा है तो वह, उस पर कुद्ध होकर, समस्त स्त्री-जाति के संहार की प्रतिज्ञा करते हैं। राम लक्ष्मण के ओध को शान्त करते हैं। शान्त होकर लक्ष्मण भी राम के साथ वनगमन की तैयारी में लग जाते हैं।

दूसरे अंक में राम-वियोग से विकल हुए दशरथ की मूर्च्छा का करुणापूर्ण निवारण किया गया है। कौसल्या दशरथ को प्रबुद्ध करने का प्रयास करती है। इसी समय रामादि को अयोध्या की सीमा से पार पहुँचा कर सुमंत्र लौटते हैं। इवर रामवनगमन के वृत्तांत को सुनकर दशरथ प्राण त्वाग देते हैं।

पाते। अन्त में वह राम की आज्ञा बोली शिरोधार्य कर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य शासन चलाना स्वीकार वर वापस आ जाते हैं।

पचम अक में रावण सन्यासी का वेश बना कर छलपूर्वक राम का आतिथ्य ग्रहण करता है। दशरथ के आद्व के लिए वह राम को सुवर्ण मृग के निवाप का उपदेश देता है। तदनुसार राम सुवर्ण मृग को पकड़ने के लिये सुदूर बन में चले जाते हैं। लक्ष्मण भी एक महर्षि के स्वागतार्थ आश्रम से बाहर चले जाते हैं। आश्रम में केवल सीताजी रह जाती है। उनको अकेली देख और अपना वार्तविक परिचय देकर रावण उन्हे बल पूर्वक अपहरण करके लका की ओर चल देता है। सीता के बन्दन को सुनकर जटायु रावण के मार्ग में अनेक विघ्न उपस्थित करता है।

छठे अक में रावण सीता को आकाश-मार्ग से उड़ा कर ले जाता है। बहुत देर तक रावण से लटता हुआ जटायु अन्त में धरा-शायी हो जाता है। इस घटना बोलनस्थान के ऋषिकुमार देखते हैं और उनमें से दो इस घटना की सूचना राम को देने के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सुषव भी जनस्थान में गये हुए थे। वहाँ से लौट कर वे सीताहरण के समाचार को भरत से छिपाने का प्रयत्न करते हैं पर अन्ततोगत्वा भरत को यह बात ज्ञात हो ही जाती है। इन सब बातों के लिए भरत पुन कैकेयी की भर्त्सना करते हैं। वह भरत से क्षमा-याज्ञना करती हुई कहती है कि 'चौदहूँ दिन बनवास के स्थान पर उसके मुँह से चौदहूँ वर्ष का बनवास निकल गया'^१। इसीलिए यह सब ग्रन्थ हुआ'। भरत इस बात पर विश्वास कर शान्त हो जाते हैं और रावण से प्रतिशोध लेने के लिए तंयारिया करते हैं।

सप्तम अक में राम रावण को पराजित कर सीता और लक्ष्मण सहित जनस्थान में आ जाते हैं। उसी समय वहाँ सेना को लेकर भरत भी जा पहुँचते हैं। उनके साथ कैकेयी भी थी। वहाँ भरत राम के चरणों में राज्य-भार समर्पित कर देते हैं। कैकेयी राम को राज्य-भिपेक की आज्ञा देती है जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं।

^१ जात । चतुर्दशदिवसा इति वक्तुकामया पर्याकुल हृदयया चतुर्दशवर्षाणी त्युर्म् । —प्रतिमा नाटक अक ६, पृ० १६५ १६

राम कथा से सम्बन्धित यह भास्म का दूसरा रूपक है। इसमें

वालि-वध से लेकर राम के राज्याभिषेक
२. अभिषेक नाटक तक की कथा का समावेश किया गया
है। इस नाटक की कथा-वस्तु का विकास

द्वारा अको में हुआ है।

प्रथम अक म बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है जिसमें राम वी सहायता से सुग्रीव की विजय होती है और बाली मारा जाता है। उगके स्थान पर सुग्रीव को राज्याभिषेक किया जाता है। इस प्रकार वह बानरराज बन जाता है।

दूसरे अक के प्रारम्भ में सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए सभी दिग्गाओं में बानरगण भेजे जाते हैं। उनमें से हनुमान जटायु के सकेतानुसार लका पहुँचते हैं और भीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। वे अशोकबाटिका में दैठी सीता को देखते हैं। पहले हनुमान के समक्ष आने पर सीता को उनके राम-दूत होने पर विश्वास नहीं होता, परन्तु बाद में उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है कि हनुमान को राम ने ही उनके पास भेजा है। हनुमान सीता को आश्वस्त कर राम के पास लौटने का निश्चय बनाते हैं। लका से प्रस्थान करने से पूर्व वे लका के उपवन के कलखाकर उनका विघ्नस भी करने का विचार करते हैं।

तृतीय अक में हनुमान द्वारा रावण का उपवन विघ्नस्त्र कर दिया जाता है। सूचना मिलने पर रावण हनुमान को पकड़ने के लिए अनेक राक्षसों को भेजता है, जिनको हनुमान परास्त कर देते हैं। उनके द्वारा अक्षयुभार का भी वथ कर दिया जाता है। अन्त में हनुमान वो पकड़ कर भेघनाद रावण के दरवार में प्रस्तुत करता है। हनुमान रावण को राम का आदेश सुनाते हैं, जिससे अहंकारी रावण उन पर बिगड़ उठता है। वह परामर्श के लिए अपने भाई विभीषण को दुलाता है। वह भाई को राम भार्या को लौटा देने की सम्मति देता है पर रावण इसे स्वीकार नहीं करना और विभीषण पर कुद्ध होकर उसे लका से निर्वासित कर देता है।

चतुर्थ अक म सीता का पता उगा कर हनुमान राम के पास जाते हैं। रावण पर आक्रमण करते हे लिए सुग्रीव सेना सजाता है, जिसे लेकर समुद्र पार करने हुए राम लका पहुँचते हैं। वहाँ

विभीषण उनकी शरण में आते हैं। रावण अपने दो राक्षस-गुप्तचरों (घुक-रारण) को राम के पास भेजता है, जिनका भेद खुल जाता है और वे पकड़ लिये जाते हैं। राम उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा रावण के पास युद्ध का रादेश भेजते हैं।

पचम अक में राम-रावण की सेनाओं में युद्ध होता है। एक-एक करके रावण के सारे योद्धा मारे जाते हैं। निराश होकर रावण सीता को ही मार डालना चाहता है, पर मत्री उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अन्त में वह मायापूर्ण युक्ति से राम और लक्ष्मण के कटे हुए सिर की प्रतिकृति बनवाकर सीता को दिखाता है और उसके मन में यह विश्वास जमाने का विफल प्रयत्न करता है कि राम लक्ष्मण तो मारे गये हैं पर सीता उसकी इस चाल में नहीं आती और अपने व्रत पर दृढ़ता से अग्रह रहती है।

छठे अक में राम-रावण का घोर सग्राम होता है, जिसमें रावण मारा जाता है। सीता को पाकर राम उन्हें कलकाक्षेप के कारण अस्वीकृत कर देते हैं। सीता अविनपरीक्षा में अपनी शुद्धता प्रमाणित कर राम का विश्वास प्राप्त कर लेती है। अन्त में राम-राज्याभिषेक हो जाता है।

उपर्युक्त रूपकों के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे रूपक भी लिखे हैं जो कि मुख्यतः कल्पनाश्रित हैं। उनमें से एक 'अविमारक' भी है।

यह एक प्रकरण 'रूपक' है। इसमें कुन्तिभोज की पुत्री और अविमारक नामक राजकुमार की प्रेम-
१ अविमारक कथा का चित्रण दिया गया है। कथा-
वस्तु को छ अकों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अक में राजा कुन्तिभोज की कथा कुरारी उपवन में भ्रमण करने जाती है। वहाँ से लौटते समय मार्ग में उसे एक उन्मत्त हाथी मिल जाता है, जिसे देखकर वह भयभीत हो जाती है। हाथी राजकुमारी की ओर झगटता है, विन्तु एक सुन्दर युवक वहाँ आकर अपने पराक्रम से हाथी को भगा देता है। वह युवक अविमारक था। कुरारी उसके पराक्रम और सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाती है और

अविमारक भी कुरगी के स्वप्न-योवन पर रीझ जाता है। राजा ने अविमारक के पराक्रम से सतुष्ट होकर उसके कुलशील का पता लगाया तो जात हुआ कि वह चाण्डाल है। पर उसके सहदयता, दयालुता, दाक्षिण्य आदि गुणों को देखकर किसी को सहसा विश्वास नहीं हो सकता था कि अविमारक अन्त्यज है। इसी समय काशिराज अपने पुत्र का कुरगी से विवाह पवका करने के लिए कुन्तिभोज के पास एक ढूत भेजते हैं। उधर कुन्तिभोज ने कुरगी का विवाह सौबीरराज के पुत्र के साथ करने का निश्चय कर रखा था, पर इन दिनों उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। चण्ड भारंग नामक क्षेत्री मुनि के शाप के कारण सौबीरराज चाण्डालत्व को प्राप्त कर सपरिवार प्रच्छन्न स्वप्न में कुन्तिभोज की नगरी म ही निवास कर रहा था। उसके पुत्र का नाम विष्णुसेन था। अविस्पधारी किसी अमुर को मारने के कारण लोग उसे 'अविमारक' कहने लगे थे^१। इसी कारण कुन्तिभोज को सौबीरराज और उसके परिवार का पता नहीं चल पाया।

द्वितीय अक में अविमारक और कुरगी दोनों ही एक दूसरे के वियोग से पीड़ित दिखाई देते हैं। कुरगी के परिजन उसकी वियोग वेदना को दूर करने के लिए अविमारक के घर का पता लगाते हैं। धानी और नलिनिका अविमारक के घर पर पहुँच जाती हैं और उसे प्रच्छन्न स्वप्न में कुरगी के पास आन का निमत्रण दे आती हैं जिसे वह सहार्प स्वीकार कर लेता है।

तृतीय अक में पूर्वनिश्चय के अनुसार अविमारक गुप्तवेश में राजा के कन्यापुर में प्रवेश कर कुरगी का सहवास प्राप्त करता है।

चतुर्थ अक के अन्तर्गत अविमारक एवं कुरगी के प्रम की बात राजा के कानों में पहुँचती है। यह जानकार अविमारक राजा के कन्यापुर से निकल भागता है और निराश होकर आत्मघात के अनेक प्रयत्न करता है। पहले वह पानी में झुब कर मरना चाहता है पर उसे सफलता नहीं मिलती। फिर वह अग्नि प्रवेश द्वारा प्राण-त्याग

१ अमानुपस्वरपवनवीयपराक्षेणनेन

वधमानेन यस्मादविस्पधारी मारितोऽमुर

तस्मादविमारक इति विष्णुसेन लोको ददीति ।

अविमारक, अक ६, पृ० १६५

करना चाहता है, पर वह बच जाता है। तीसरे प्रयत्न में वह पर्वत-शिखर से गिरना चाहता है, फिन्तु वहाँ उसका साक्षात्कार एक विद्याधर से होना है जो उसे एक विलक्षण अङ्गूठी देता है जिसे वाँये हाथ में धारण करने पर पहनने वाला अहस्य हो जाता है और दाये में धारण करने पर हस्य। इस अङ्गूठी को प्राप्त कर अविमारक प्रसन्न होता है और उसकी सहायता से पुन कुरगी के पास जाने का निश्चय करता है।

पचम अक के प्रारम्भ में कुरगी अविमारक के वियोग में विकल दिखाई देती है। वह निराश हो गले में फन्दा ढाल कर आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाती है। इतने में अङ्गूठी की राहायता से अविमारक और विदूपक वहाँ पहुँच जाते हैं। अविमारक को देखते ही कुरगी का मन प्रफुल्लित हो जाता है।

छठे अक में कुन्तिभोज अपनी पुत्री कुरगी के विवाह की योजना में व्यस्त दिखाई देते हैं। उन्हे जब सौबीरराज के पुत्र विष्णुसेन का कोई पता नहीं लगता तो कुरगी का विवाह काशिराज के पुन जयवर्मी के साथ कर देने का निश्चय कर लेते हैं। तदनुसार जयवर्मी को वहाँ युला लिया जाता है। यश दीक्षित होने के कारण काशिराज स्वय वहाँ आना छोड़ नहीं समझते। सौबीरराज भी वहाँ उपस्थित है। उन्हे अपने पुत्र का पता नहीं लग पा रहा है अत वह इस विवाह के अवसर पर खिन्न हो रहे हैं। राजा भी अविमारक को खोजने के लिए भत्रियों को इधर-न्थर भेजते हैं पर उसका पता नहीं लग पाता है।

ऐसी स्थिति में जयवर्मी के साथ कुरगी का विवाह होने को ही है कि नारद प्रवेश करते हैं। वे कुन्तिभोज और सौबीरराज को बताते हैं कि अविमारक कुरगी के पास ही निवास कर रहा है और उसने कुरगी के साथ गाधव विवाह भी कर लिया है। नारद सौबीरराज को इस बात का भी विश्वास दिलाते हैं कि अविमारक सौबीरराज का ही पुत्र है अन्त्यज नहीं। यह रहस्य प्रकट होने पर जयवर्मी का विवाह कुरगी की छोटी वहिन के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार सभी के गनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।

भास का दूसरा कल्पनाश्चित रूपक 'प्रतिज्ञा-यौग-धरायण' है।

इसकी कथा चार अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में वत्सराज का बुद्धिमान् मन्त्री योगन्धरायण रगमच पर दिखायी देता है। वात्तलिप के मध्य वह यह सूचित करता है कि स्वामी कल प्रातः।

नागवन को प्रस्थान करेंगे, अतः वह पत्र एवं रक्षा-सूत्र लेकर सालक को उनकी रक्षार्थ गेजना चाहता है। इसी समय उदयन के साथ सदैव रहने वाला अंगरक्षक हंसक वहाँ आकर बताता है कि राजा विना किसी को सूचना दिये ही प्रातःकाल नागवन में चले गये। वहाँ उन्हें नीला हाथी दिखायी दिया, जिस को पकड़ने के लिए वह उस ओर चल पड़े। उनके वहाँ पहुँचते ही उस कृत्रिम हाथी में से अनेक शस्त्रधारी योद्धा निकल पड़े जोकि प्रद्योत ने छिपा रखे थे। उन सैनिकों से उदयन युद्ध करते रहे, पर सीमित साधनों के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। प्रद्योत के सैनिकों द्वारा उन्हें बन्दी बना लिया जाता है।

इस बृत्तान्त को मुनकर योगन्धरायण बहुत चिन्तित होता है। वह यह समाचार राजभाता के पास भी भेज देता है जिससे वह भी लिन्द होती है और योगन्धरायण से प्रार्थना करती है कि वह अपने बुद्धि-वैभव से किसी-न-किसी प्रकार उदयन को बन्धन-मुक्त करा दे। अपनी स्वामि-भवित्व से प्रेरित होकर योगन्धरायण उदयन को बन्धन-मुक्त कराने की हृद प्रतिज्ञा करता है^१। दैवयोग से इसी समय महर्णि व्यास वहाँ आ पहुँचते हैं और योगन्धरायण को एक ऐसा वस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे वह अपना स्वशप तिरोहित कर बांधुपुर में स्वच्छन्दता-पूर्वक विचरण करता हुआ अपना अभीष्ट पूर्ण कर सके।

हितीय अक में महासेन प्रद्योत अपनी राजधानी में आ जाता है। वहाँ पर वह यासवदता के विवाह के विषय में अपने प्रमुख कर्म-चरी तथा राजी से वरमर्ज्ज करता है। वह विभिन्न स्थानों से आये हुए राजाओं के नाम तथा गुणों का परिचय देकर राजी से पूछता है कि इनमें से तुम किसको कन्या के योग्य पति समझती हो। इसी समय कचुकी वत्सराज को बन्दी बनाने का शुभ समाचार लाता है। राजा

१. मदि शमुवलप्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इव

मोजयामि न राजान नास्मि योगन्धरायण। प्रतिज्ञायोगन्धरायण, १.१६

कचुकी से कहता है कि राजकुमार के अनुरूप सन्कार कर उदयन को भीतर प्रवेश कराओ। उदयन के साथ उसकी धोपवती वीणा भी लाई जाती है, जिसे प्रद्योत अपनी पुत्री के पास भेज देता है। रानी सकेत रूप में राजा को यह बता देती है कि वासवदत्ता के लिए योग्य पति उदयन ही सिद्ध होगा।

तृतीय अक में वत्सराज के तीनों मन्त्री—यौगन्धरायण, वसन्तक और रमण्वान्—वेश बदल कर उज्जयिनी में रहते हुए वत्सराज को वन्धन-मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इसी वीच उदयन वासवदत्ता को देख लेता है और उस पर कामासक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह वसन्तक को सूचना देता है कि वह वासवदत्ता को छोड़ कर वन्दीशुह से मुक्त नहीं होना चाहता। राजा की इस इच्छा को वसन्तक यौगन्धरायण से भी कह देता है। यौगन्धरायण धोपवती वीणा, नलागिरि हस्ती, एवं वासवदत्ता के साथ वत्सराज का हरण कर कौशाम्बी ले जाने की प्रतिज्ञा करता है।

चतुर्थ अक में यौगन्धरायण के चातुर्थ से नलागिरि हाथी उन्मत्त हो जाता है। उसे वथा मे करने के लिए वत्सराज को वन्धन-मुक्त कर दिया जाता है। सुश्रवसर देख कर वत्सराज वासवदत्ता के साथ भद्रवती नामक हथिनी पर सवार होकर वहाँ से गाग जाता है। प्रद्योत की सेना यौगन्धरायण एवं उसके साथियों पर आक्रमण करती है और उसे बन्दी बना लेती है। बन्दी के रूप में यौगन्धरायण को शस्त्रागार में स्थान दिया जाता है। वहाँ उससे प्रद्योत का अमात्य भरतरोहक मिलता है जो वत्सराज के कृत्यों की भत्सेना करता है। यौगन्धरायण भरतरोहक के समस्त आकेपो का उत्तर देता है। अगले मे प्रसन्न होकर भरतरोहक उसे पुरस्कार मे एक स्वर्णपात्र देना चाहता है। पहले तो वह उसे लेने से मना कर देता है, पर जब उसे जात होता है कि प्रद्योत ने चित्रफलक द्वारा वासवदत्ता और उदयन का विवाह दिखा कर उसका अनुमोदन कर दिया है, तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात् भरतवावय के साथ नाटक रामाय्त हो जाता है।

घटना-क्रम की हृषि से 'स्वप्नवासवदत्त' 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' की कथा का उत्तराधीन है। इस नाटक का स्वप्न सम्बन्धी हृष्य बड़ा

३. स्वप्नवासवदत्त महस्त्वपूर्ण है, अत इसे 'स्वप्न' नाटक की सज्जा भी दी जाती है। यह भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है।

इसके प्रथम अक में तपोवन का हृश्य है। उसमें अमात्य योगन्धरायण सन्यासी के वेश में तथा रानी वासवदत्ता एक अबन्ती महिला के छम्बवेश में दिखाई देती हैं। मगध के राजा दर्शक की माता भी उसी तपोवन में निवास कर रही है, अत उसके दर्शनार्थी मगधेश्वर की वहिन पद्मावती वहाँ आती है। उसके सेवकगण उसके लिए मार्ग को खाली कराने के लिए लोगों को मार्ग से हटा रहे हैं। तपोवन में भी इस प्रकार की अपवारण-क्रिया देख कर योगन्धरायण एवं वासवदत्ता को खेद होता है। पद्मावती अभीष्ट स्थान पर पहुँच कर राजमाता का दर्शन बरती है और अभ्यर्थियों को दानादि से सतुष्ठ करने की घोषणा बरती है। तदनुसार केवल योगन्धरायण याचना के लिए आगे बढ़ता है और पद्मावती से वासवदत्ता को न्यास-रूप में अपने पास रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती इस विषय में पहले तो अपना कोई उत्साह नहीं दिखाती, पर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर वासवदत्ता को स्वीकार कर लेती है। योगन्धरायण की भावी योजना के अनुसार पद्मावती उदयन की रानी होगी, अत वासवदत्ता को वह पद्मावती के साक्ष में रखना उचित समझता है।

इसी रामय योगन्धरायण की योजना के अनुसार लावाएक ग्राम से एक तपस्वी आता है जो एक दुर्घटना की सूचना देता है। उसके अनुसार उक्त ग्राम में उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता तथा मनियों के साथ ठहरे हुए हैं। एक दिन जब वे शिकार के लिए बन में जाते हैं तो पीछे से उनके निवासस्थान में आग लग जाती है, जिससे वासवदत्ता और योगन्धरायण जल भरते हैं। पत्नी वी मृत्यु वा समाचार सुनकर उदयन शोकाकुल होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाते हैं। मनियों के बड़े प्रयत्नों से वे आत्महत्या करने से रहते हैं।

दूसरे अब के प्रारम्भ में वासवदत्ता और पद्मावती कन्दुक-थीड़ा भरती हैं। उनमें परस्पर हास-परिहास भी चलता है। इसी प्रसग में वासवदत्ता पद्मावती के विवाह की चर्चा छेड़ देती है।

अवसर पाकर दासी इस रहस्य को प्रकट करती है कि पश्चावती महासेन परिवार में अपना विवाह नहीं करना चाहती वह तो उदयन ने प्रम करती है। दूसरी दासी आकर यह मूचना देती है कि पश्चावती के भाई ने उसका बारदान उदयन से कर दिया है। बासबदत्ता प्रकट रूप म इस विषय में अपनी उदासीनता दिखाती है। इसी समय एक चेटी आकर सूचना देती है कि उदयन पश्चावती का विवाहोत्सव आज ही सम्पन्न होन जा रहा है।

तृतीय अक के प्रारम्भ म बासबदत्ता चिन्ताकुल दिखाई देती है। उसे यह सङ्घ नहीं है कि उसके पति दूसरी पत्नी का वरण करें। विवाह की माला गूथने का काम भी उसे ही सौंपा जाता है। बड़े बष्ट के साथ वह माला को गूथ कर पूण करती है। तत्पश्चात् उसे नीढ़ आ जाती है जिससे उसे सान्त्वना मिलती है।

चतुर्थ अक मे राजकीय उपवन वा दृश्य है जिसम पश्चावती, बासबदत्ता और एक दासी दिखाई देती हैं। कुछ समय पश्चात् उदयन और विद्युपक बरान्तक भी वहाँ आ जाते हैं। उदयन से पश्चावती का विवाह हो जाने पर विद्युपक एकात मे उदयन से पूछता है कि उहै पश्चावती और बासबदत्ता मे से कौन अधिक प्रिय है? इराक उत्तर म वह गुणों को छप्ट से पश्चावती को थष्ट बताता है पर बासबदत्ता के प्रति भी अपना प्रगाढ़ अनुराग प्रकट करता है। यह जान कर नता गुलम की ओट म छिपी हुई बासबदत्ता को प्ररान्तता होनी है। विद्युपक पश्चावती के प्रति राजा को अधिक आङ्गप्ट होने का आग्रह करता है जिसस राजा की आखो से अभु दुलक पड़त है। कुछ काल पश्चात् राजा एक प्रीति उत्सव म सम्मिलित होन के लिए वहाँ से चला जाता है।

पचम अक मे पश्चावती गिरोव्यया स पीडित होती है। राजा और बासबदत्ता को भी इसकी मूचना मिलती है। राजा पश्चावती के उपचाराय श्रोपधि उन जाता है पर वापस आन पर रोग श्यया पर पदमावती को नहीं पाता। साली श्यया देखकर वह स्वय वहाँ न जाता है। बासबदत्ता भी यही आ जाता है और राजा के स्वप्न प्रनापा वा उत्तर दग सगती है। वह श्यया स लट्टवत हुए राजा के हाथ वा ऊपर दर दती है। सप्त स राजा की निदा दृग्ना है और वह बासबदत्ता का पहिनान कर उसका हाय पवडना चाहता है पर वह वहाँ म भाग

जाती है और उसके हाथ नहीं आती। इससे राजा को यह विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता जीवित है। इसी समय प्रतिहारी के मन्देश के अनुसार राजा आरुणि पर चटाई करने को तैयार होकर प्रस्थान कर देता है।

छठे अक में उदयन को वासवदत्ता की प्रिय बीणा धोपवती मिल जाती है, जिससे उसके मन में वासवदत्ता की स्मृति पुन नवीन हो उठती है। इसी समय उज्जयिनी के राजा के यहाँ में उदयन और वासवदत्ता के विवाह का चिन्न प्राप्त होता है। उसमें वासवदत्ता का चिन्न देस्कर पचावती कहती है कि एक ऐसी ही महिला मेरे पास है। उसे उसके भाई ने मेरे पास न्यास-रूप में रखा था। इस बात पर उदयन को विश्वान नहीं होना। इसी समय अपना न्यास वापस लेने के लिए यीग्नधरायण भी आ जाता है। वह राजा के समक्ष अपना सम्पूर्ण रहस्य प्रकट कर उसका जय-धोप करता है। वासवदत्ता भी वही आ जाती है। इस प्रकार वासवदत्ता और उदयन पुन पति पत्नी के हृप में मिल कर आनन्द का अनुभव करते हैं।

‘चारुदत्त’ भास का अन्तिम नाटक माना जाता है। इसमें भास को प्रोट नाट्यशला के दर्शन होते हैं। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना की प्रेमकथा का वर्णन

४ चारुदत्त किया गया है। इसके प्रयम अक में भंगेय (विदूपक) दिखाई देता है, जो चारुदत्त

के अतीत वैभव और वर्तमान दारिद्र्य का वर्णन करता है। वह देव-वत्ति के लिए चारुदत्त के पास पुष्प से जा रहा है। चारुदत्त को अपनी दखिता पर उनना दुख नहीं होता। जितना विपन्नता में मुख मोड़ लेने वाले मित्रों के आचरण पर।

इसके पश्चात् गणिका वसन्तसेना का पीछा करते हुए दकार एवं दिल्लाये जाते हैं। उनकी दोनों में ज्ञान होता है कि वे दोनों ही अत्यत ब्रूर प्रदृशि के पुरुष हैं। उन दोनों से पिण्ड छुड़ाने के

१ दारिद्र्यात् पुरुष्य वा धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठन

सत्त्व हास्यमुर्षेनि शीलशग्नि नालि परिम्नाप्तते।

निर्वैरा विमुक्तीभयनि सुहृद व्यक्तिः भवन्त्यापद

पाप कर्यं च यत् परंरपि इति तत्त्वं सम्भाव्यते।

लिए वसन्तसेना पास ही चाहदत्त के मकान में छिप जाती है। चाहदत्त के मकान से रदनिका और विद्युपक जब देवदलि के लिए बाहर चले जाते हैं तो वसन्तसेना चाहदत्त के घर में प्रवेश करती है। वह अपना हार चाहदत्त के यहाँ न्यारा रूप में रख देती है। फिर विद्युपक उसको घर पहुँचाने जाता है।

द्वितीय अक्ष में वसन्तसेना और चेटी का बात्तलिंग होता है। जिसमें वह पहले चाहदत्त के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है। इसी समय सवाहन, जो जुआरी भी था, वसन्तसेना के घर में प्रवेश करता है और अपने बोचाहदत्त वा पुराना भृत्य धताता है। वसन्तसेना विजेता जुआरी के भय से अपनी रक्षा की याचना करता है और अपने बोचाहदत्त वा पुराना भृत्य धताता है। वसन्तसेना विजेता जुआरी बोचभीष्ट धन देवर उससे उसका पीछा छुड़ा देती है। इसी समय चेटी वसन्तसेना बोचाहदत्त की उदारता की एक धटना सुनाती है जिसमें चाहदत्त ने दायी से एक व्यक्ति की प्राणरक्षा करने वाले व्यक्ति बोचभीष्ट अपना प्रायारक्ष दे दिया था।^१

तृतीय अक्ष चाहदत्त के घर के दृश्य से प्रारम्भ होता है। रात्रि होन पर चाहदत्त सोने से पूर्व वसन्तसेना का सुबरण्हार रात्रि में रक्षा करने के लिए विद्युपक को दे देता है। सुबरण्हार भाण्ड को लेकर वह प्रमादवश सो जाता है। अर्धरात्रि के पश्चात् सज्जलक नामक चोर रोध लगाकर चाहदत्त के घर में घुम जाता है। चारों ओर धन की तलाश करने पर भी उसे दरिद्र चाहदत्त के घर में कुछ नहीं मिलता। इतने में उसे स्वयं ही बड़नटाते हुए विद्युपक बी आवाज सुनायी पढ़ती है, जो चाहदत्त को यह रहा है कि अपना सुबरण्हार भाण्ड ले सो। यह नवेत्र पायर मज्जलन विद्युपक के पास पहुँच जाता है और सुबरण्हार भाण्ड बी चुपचाप उठा कर वहाँ से चम्पत हो जाता है।

प्रातः वाल होन पर चोरी हो जाने का पता लगता है। विद्युपक प्रमादयन यह देता है कि दसने मुहूर्ण-भाण्ड चाहदत्त का लौटा दिया है। बाद में उम विश्वास हो जाता है कि बस्तुत चोरी हो गई है।

^१ बातीं सुनुवण्णोचिता याभरणुरथानानि वितोऽप्यागुप्तनानीयानि सुनर सत्य प्रश्न दैवमुग्नामम्य दीर्घं निश्चर्येषावान् म विभव इति वृद्धा परिच्छन्न प्रायारक्ष प्रदित्।—भारद्वाज, अन् २, ३० ५०

चारुदत्त को वसन्तसेना का हार लौटाने की चिन्ता हो जाती है। पति को चिन्ताकुल देखकर चारुदत्त की पत्नी अपनी बहुमूल्य माला उसको दे देती है जिससे वह वसन्तसेना के न्यासभार से मुक्त हो राके। चारुदत्त विद्युपक द्वारा उस माला को वसन्तसेना के पास भेजता है।

चतुर्थ अक्ष में वसन्तसेना के पास उसकी माता की आज्ञा सुनाने एक चेटी जाती है। उसकी माँ कहलाती है कि अलंकृत होकर राजश्यालक के पास जाओ, किन्तु वह मना कर देती है। उसी समय सज्जलक भी वहाँ आ जाता है। वह वसन्तसेना की चेटी मदनिका का प्रेमी है। वह मदनिका को चारुदत्त के घर से चुराया हुआ हार दिखाता है, जिसे वह पहिचान जाती है और उसे कहती है कि यह हार वसन्तसेना को दे दो और कह दो कि यह चारुदत्त ने भेजा है। इसी समय विद्युपक भी अमूल्य हार लेकर आता है और वसन्तसेना से कहता है कि चारुदत्त तुम्हारे हार को जूँड़ में हार चुके हैं, अतः उसके बदले यह अमूल्य हार स्वीकार कर लो। विद्युपक के चले जाने पर मदनिका के कथनानुसार सज्जलक वसन्तसेना को हार लौटा देता है। इससे प्रसन्न होकर वसन्तसेना मदनिका को स्वयं अलंकृत कर सज्जलक के साथ विदा कर देती है।

इन सब बातों को देख कर वसन्तसेना को आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि यह सब कुछ स्वप्न है या यथार्थ। चारुदत्त के व्यवहारों को देख कर वह उसके प्रति और भी अधिक अनुरक्त हो जाती है तथा उसके घर जाने की उत्कण्ठा व्यवत्त करती है। यही नाटक समाप्त हो जाता है।

आलोच्य नाटकों में भास के नाटकों के पहचान् कालिदास के

कालिदास के नाटक

नाटक आते हैं। कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तल', 'विक्रमोर्बद्धीय' एवं 'मालविकाग्निमित्र' नाटकों की रचना की।

इनका सक्षिप्त परिचय यही प्रस्तुत किया जा रहा है।

शाकुन्तल कालिदास की अमरकृति है। इसमें राजा दुष्यन्त

और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री 'शाकुन्तला' के प्रेम का निरूपण किया गया है। यह नाटक सात अक्षों में विभक्त

१. अभिज्ञानशाकुन्तल
किया गया है।

प्रथम अक मे राजा दुष्यत रथ पर बैठ कर मृगया के लिए वन की ओर जाता है। वह एक मृग का अनुगमन करता हुआ कण्ठ ऋषि के आश्रम के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक तपस्वी सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है अत अवध्य है। राजा तपस्वी की बात मान जाता है। तपस्वी की प्राथना पर राजा आश्रम मे जाकर अतिथि रात्कार स्वीकार करता है। कण्ठ ऋषि सोमतीय गये हुए हैं अत शकुतला ही राजा का अतिथि रात्कार करती है। उसके सौन्दर्य को देखकर राजा उस पर आसवत हो जाता है^१ और उससे विवाह करने का निश्चय कर लेता है।

दूसरे अक मे दुष्यन्त की कामासवत दशा का बर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति मे राजा शिकार खेलने भी नहीं जाता और सदैव शकुतला को स्मरण करता रहता है। वह चिदूषक से कोई ऐसा बहाना ढूढ़ने के लिए कहता है जिससे वह अधिक समय तक तपोवन मे रुक सके। दैवयोग से उसी समय दो तपस्यी कुमार आकर राजा से प्राथना करते हैं कि वह राक्षसो से आश्रम की रक्षा करने के लिए कुछ समय आश्रम मे और ठहर। राजा इस प्राथना को सहृप स्वीकार कर लेता है। इसी बीच दुष्यत को माता उसे राजघानी मे चुलाने के लिए दूत भेजती है पर दुष्यत वहा न जाकर चिदूषक (माहौल) को सेना के साथ भेज देता है।

तृतीय अक मे शकुतला भी राजा पर आसक दिखाई देती है। कामासवित के कारण वह अस्वस्थ हो जाती है। सखिया उसका शीतलोपचार करती है। इसी आतराल मे राजा भी वहा आ जाता है और लताओं की ओट मे छिप कर बठ जाता है। शकुतला अपनी सखियों से राजा के प्रति अपनी अनुरक्षित प्रदर्शित वरती है। इसी बीच राजा वहा आकर शकुतला के प्रति अपने प्रशंश्य वो प्रकट करता है और सखियों के चले जाने पर वह उमरो गाधव विवाह करने का अस्ताव रखता है जिसे शकुतला तकोवज्ञा रजीकार नहीं करती। दुष्यत और शकुतला के वास्तिलाप के बीच ही गीतगी

^१ कथमिय सा वृष्टुहिता असाधुदर्शी खलु तनभवान् काश्यव य
इमामाभमध्यमें निकुत्ते।—प्रभिं शा० अक १ पृ० १२

प्रवेश करती है और शकुन्तला को ले जाती है। राजा भी राधसो से आथम की रक्षा करने के लिए चला जाता है।

चतुर्थ अक के विष्कम्भ में राजा का शकुन्तला से गाधर्व विवाह हो जाता है। राजधानी को प्रस्थान वरते ममय राजा शकुन्तला को बुला लेने के लिए शीघ्र ही दूत भेज देने का आश्वासन देता है और पहचान के लिए अपनी नामाकित अङ्गूठी भी दे जाता है। इसके पश्चात् शकुन्तला राजा की स्मृति में उदास बैठी रहती है। अकस्मात् दुर्वासा ऋषि आथम म प्रवेश करते हैं। प्रिय-वियोग से विकल शकुन्तला उनका आतिथ्य नहीं कर पाती। इससे क्षुद्ध दुर्वासा उसको शाप देते हैं कि तूने जिसके चिन्तन में मेरी उपेक्षा की है, वह तुझे भूल जायेगा^१। शकुन्तला की सखियाँ दुर्वासा से प्रार्थना करती हैं कि वह कृपया अपने शाप को वापिस ले लें। अधिक अनुताप करने पर दुर्वासा यह बहु देते हैं कि कोई परिचय चिह्न दिखान पर वह शकुन्तला को पहचान लेगा। सखियाँ इस शाप की बात शकुन्तला से नहीं कहतीं।

इस घटना के पश्चात् कण्व तीर्थ यात्रा से आथम को लौटते हैं। उनको आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है कि शकुन्तला का गाधर्व विवाह दुष्पत के साथ हो गया है और वह गर्भवती भी है। वह इस विवाह का राहपं अनुमोदन कर शकुन्तला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। इस बीच राजा की ओर से शकुन्तला या कोई बुलावा नहीं आता। वह इस घटना को भूल जाता है। शकुन्तला की विदा के समय लतावृक्ष पुष्पा क आभूपरा प्रदान करते हैं। शकुन्तला वन के लता-बृक्षो, मृगा आदि से विदाई लेती है। जाते समय कण्व उसे सुगृहिणी के करतव्या की शिक्षा देते हैं^२। शकुन्तला गीतमो और दो तपस्त्वियों के साथ पतिगृह को प्रस्थान करती है।

१ विचित्रतो यमनयमानसा तपोघन वर्त्सु न मामुपस्थितम् । स्मरिष्यनि स्या न स दोषितोऽपि सन् च या प्रमत्त प्रयम कृताभिव । अभिं० शा०, ४ १

२ युश्रूपस्व गुरुन्कुरु प्रियसखीवृत्ति सपलीजने

पत्युर्विप्रहृताऽपि रोदणात्या मा स्म प्रतीप गम ।

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने नाग्याप्वनुत्सकिनी

यान्त्येव गृहिणीपद मुत्तयो वामा कुलस्याधय ॥

—अभिं० शा०, ४ १८

पचम अक में शकुन्तला अपने पतिगृह में पहुँचती है। दुर्घन्त उसके साथ अपने गाधर्व विवाह की बात विल्कुल भूल जाता है। शाङ्खरव तपस्वी राजा को उस घटना का स्मरण दिलाता है, पर वह विवाह की बात को सर्वथा असत्य बताता है। शकुन्तला राजा की दी हुई अँगूठी दिखा कर उसको घटना की सत्यता का विश्वास दिलाने की सोचती है, पर वह अँगूठी रास्ते में ही कही गिर चुकी है। अन्त में पुरोहित पुत्रजन्म तक शकुन्तला को अपने घर में रखने का प्रस्ताव करते हैं। इस अवस्था में शकुन्तला को छोड़ कर गीतमी आदि सभी लोग चले जाते हैं। इसी समय एक अप्सरा आकर शकुन्तला को आकाश में उड़ा ले जाती है, जिसे देख कर सभी को आश्चर्य होता है। दुर्घन्त भी खिन्न हो जाता है।

छठे अक में एक धीवर राजा की अँगूठी बेचता हुआ पकड़ा जाता है। यह अँगूठी उसे शारीरीर्थ से पकड़ी हुई एक मछली के पेट में मिली थी। राज्य के रक्षक धीवर को चोर समझ कर उसे राजा के पास ले जाते हैं। अँगूठी देखकर राजा को शकुन्तला के साथ विवाह की बात स्मरण हो आती है। वह धीवर को पुरस्कार देकर विदा कर देता है और स्वयं शकुन्तला के विदोग में दुखी रहने लगता है। इसी अवसर पर वहाँ राजा इन्द्र के सारथि मातलि का आगमन होता है। वह राजा को इन्द्र का रावेश सुनाता है कि देत्यों के नाश के लिए इन्द्र ने उन्हे तुरन्त बुलाया है। तदनुसार राजा रथ में बैठकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है।

सप्तम अक में राजा दानवों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से वापिस लौटता है। मार्ग में वह मारीच ऋषि के आथम में रुकता है। वहाँ वह एक ऐसे बालक को देखता है, जो सिंह-दावक के दाँत गिनने का प्रयत्न कर रहा है। राजा उसे देख कर उससे पुत्रवत् प्रेम करने लगता है। बात्तलिप के प्रसग में उसे तपस्विगियों से यह भी ज्ञात होता है कि यह बालक पुरुषशी है और उसकी गाता का नाम शकुन्तला है। उसकी माता परित-परित्यक्ता है। इस मकार की बस्तों से दुर्घन्त को विश्वास हो जाता है कि वह बालक उसी का पुत्र है। दुर्घन्त अपने अपराध के लिए शकुन्तला से क्षमा-याचना करता है। तपश्चात् वे दोनों मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर वे दोनों राजधानी में आते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं।

नाटक की समाप्ति भरत-वाक्य के साथ होती है।

इम हप्तक में राजा अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का चित्रण किया गया है। इसकी कथा-बस्तु

२ मालविकामित्रमित्र पात्र अको मे विभवत हुई है।

प्रथम अक का प्रारम्भ विष्कभक से होता

है जिम मे इग बात का पता चलता है कि महादेवी धारिणी मालविका को राजा की हप्ति से बचाना चाहती है। उमको भय है कि कही राजा की हप्ति मालविका पर पढ गई तो वह उस पर अनुरक्त न हो जाय। सयोगवदा एक दिन राजा मालविका के चित्र को देख लेते हैं और कुमारी वसुन्धरी से उन्हे इस बान का सकेत मिल जाता है कि उसका नाम मालविका है। यही पर नाट्याचार्य गणदास द्वारा इस बात का पता चलता है कि धारिणी ने मालविका को समीत व नृत्य की शिक्षा देने के लिए रख लिया है।

इम विष्कभक के बाद मन्त्र पर राजा अग्निमित्र दिखाई देते हैं। राजा विदूपक की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वह प्रवेश करता है। वह मालविका को राजा के समक्ष उपस्थित कराने के लिए अन्त पुर वे नाट्याचार्य गणदास और हरदत्त के बीच भगडा करा देता है। फलत वे दोनों अपने को एक दूसरे से थ्रेष्ठ बताते हैं और इसी बात को लेकर भगड़ते हुए राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं। इस विवाद का निर्णय करने के लिए भगवती कौशिकी को बुलाया जाता है। वह यह प्रस्ताव रखती है कि दोनों नाट्याचार्य अपने शिष्यों का प्रायोगिक प्रदर्शन प्रस्तुत करें, जिस से उनकी श्रेष्ठता का निर्णय किया जा सके। धारिणी इग बात को टालना चाहती है, वयोकि वह सोचती है कि इम प्रदर्शन में यदि राजा मालविका के प्रति कही आकृष्ट हो गये तो उसका महस्व घट जायेगा।

दूसरे अक मे गणदास की कुशल शिष्या मालविका अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। उमके प्रदर्शन की उत्कृष्टता को देखकर बौद्धियी अपना निर्णय गणदास के पक्ष मे देती है। उधर धारिणी मालविका वो यथाधीश दूटाना चाहती है, पर राजा मालविका के सीनदर्यं पर मुग्ध हो जाता है।

तीसरे अक मे इस बात का सकेत मिलता है कि राजा और मालविका दोनों ही एक दूसरे पर अनुरक्त हैं। मालविका की सखी

वकुलावलिका दोनों को मिलाने का प्रयत्न करती है। इसी बीच महारानी धारिणी के पैर में चोट आ जाती है। अत अशोक-दोहृद की पूर्ति के लिए स्वय उद्यान में न जाकर अपने स्थान पर मालविका को भेज देती है। इस प्रकार राजा को मालविका से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। गालविका की उपस्थिति इरावती को अच्छी नहीं लगती, अत वह राजा से रूप होकर वहाँ से चली जाती है^१।

चौथे अक में धारिणी मालविका और उसकी सखी वकुलावलिका को अपना शशु समझ कर उन्हें बन्दी के रूप में तहखाने में बन्द करवा देती है। मालविका को राजा से मिलाने के लिए प्रयत्न-शील विदूपज को इस बात से बड़ी चिन्ता होती है। मालविका को मुक्त कराने के लिए वह एक युक्ति सोच निकालता है। वह सर्प दश का वहाना कर विष-मोचन के लिए भगवती धारिणी की सर्प-मुद्राकित अङ्गुठी प्राप्त कर लेता है और उसकी सहायता से तहखाने में प्रवेश कर मालविका और वकुलावलिका को वहाँ से निकाल लाता है।

पचम अक में विदर्भ देश से दो सेविकाएँ आती हैं जोकि मालविका और भगवती कीशिकी को पहचान लेती हैं। मालविका विदर्भ के राजपुत्र माधवसेन की बहिन है और कीशिकी वहाँ के मन्त्री की भगिनी। यह जानकर राजा को और भी प्रसन्नता होती है। इसके पश्चात् धारिणी राजा को मालविका से विवाह करने की स्वीकृति दे देती है, जिससे उन दोनों का पाणिग्रहण निविद्ध सम्पन्न हो जाता है।

यही भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

कालिदास का तीमरा रूपक विक्रमोर्ध्वशीय है। इसमें ऋग्वेद

तथा शतपथ ब्राह्मण के आद्यान के आधार पर पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेमात्मान वा चित्रण किया गया है।

मालविकाग्निमित्र की तरह इसके कथानक को भी पाँच अकों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अक के अन्तर्गत उर्वशी हिमाचल-प्रदेश में शिव की पूजा के

लिए जाती है। वहाँ से लौटते समय उसको दानव पकड़ लेते हैं। यह देख कर अप्सराएँ रक्षा के लिए चिल्लाती हैं और रोने लगती हैं। उनकी करुणाभरी आवाज पुरुरवा के कानों में पहुँचती है और वह वहाँ आकर अप्सराओं से उनके रुदन का कारण पूछता है। कारण जात होने पर वह दानवों से युद्ध कर उर्बंशी की रक्षा करता है। इससे उर्बंशी पुरुरवा के प्रति आकृष्ट हो जाती है और वह भी उर्बंशी के सौन्दर्य को देख कर उस पर मुग्ध हो जाता है।

द्वितीय अक में उर्बंशी के प्रति पुरुरवा राजा की अनुरक्ति का विशेष परिचय मिलता है। पुरुरवा अपने हृदय की प्रेम-दशा का वर्णन विदूपक से करता है। इसी बीच अपनी सखी के साथ उर्बंशी भी वहाँ आ जाती है और एवान्त में छिप कर राजा की प्रेम-कथा को सुनती है। वह एक भोज-पत्र पर अपना प्रणय-सदेश लिख कर राजा के पास पहुँचा देती है। वह पत्र अकस्मात् श्रीशीनरी को मिल जाता है जिससे वह राजा से रुष्ट हो जाती है। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा अनेक प्रकार से अनुनय-विनय करता है।

तीसरे अक में सूचना मिलती है कि उर्बंशी ने भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित नाटक में लक्ष्मी का अभिनय बिया है और उसमें उसने भूल से एक स्थल पर पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा का नाम ले लिया है। इससे मुनि ने उसे शाप दे दिया है। शाप के उपरान्त इन्द्र कृपा कर उर्बंशी को अपने पुत्र का मुंह न देखने तक राजा पुरुरवा के पास रहने की आज्ञा दे देते हैं। इसी बीच श्रीशीनरी भी राजा पर प्रसन्न हो जाती है और उसे उर्बंशी से प्रेम करने की हूँट दे देती है।

है कि वह पुरुषरवा के पुत्र आयुप का वासा है। राजा वो पुनरोत्पत्ति का पता तक न था, क्योंकि उर्वशी ने उसे च्यवन के आश्रम में इसलिए छिपा दिया था कि राजा उसका मुख्य न देख सके तथा दोनों प्रेमी वियुक्त न हो। उर्वशी को इस घटना का पता चलने पर दुख होता है। इसी बीच नारद आकर बताते हैं कि देव दानवों के युद्ध में इन्द्र को पुरुषरवा की सहायता अपेक्षित है तथा इसके फलस्वरूप उर्वशी उम्र भर राजा पुरुषरवा के साथ रहेगी। यही भरत वाच्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

आलोच्य नाटकों में कालिदास के पश्चात् शूद्रक के नाटक आते हैं। शूद्रक का एकमात्र रूपक

मृच्छकटिक ‘मृच्छकटिक’ उपलब्ध है जो उनकी अमरकीर्ति का रथायी स्तम्भ है। इसकी कथान्यस्तु को दस अवों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अवक में शकार, विट और चेट गस्तिका वसन्तसेना का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। मूर्ख शकार के कहने पर वसन्तसेना को ज्ञात होता है कि पास में ही चाहूदत का पर है। शकार आदि से अपनी रक्षा करने के लिए वह चाहूदत के घर में प्रवेश कारती है। शकार भी उसके पीछे पीछे बहाँ जाना चाहता है पर विदूपक उसे प्रवेश नहीं करने देता। इस पर शकार अप्रमत्त होकर विदूपक से आजीवन वैर बनाये रखने की धमकी देता है। बड़ी देर बाद विवाद करने के पश्चात् वह चेट के साथ वहाँ से चापिस चला जाता है। इसके पश्चात् वरान्तसेना और चाहूदत की घातघोत होती है। पर जाने से पूर्व वरान्तसेना अपने आभूपण चाहूदत के पास यास रूप म रख देती है। चाहूदत आभूपणों की रक्षा का कार्य दिन म वर्धमान को और रात म विदूपक को रौप देता है।

दूसरे अव में द्यूतकरन्सवाहक का वृत्तान्त प्रमुख है। परिस्थितिया के आग्रह से सवाहक पकड़ा जुझारी बन जाता है। जुए गहार कर वह एक शून्य देवालय में छिप जाता है। माथुर और द्यूतकर उसे वहाँ पकड़ लेते हैं और उससे घन माँगते हैं। वह दर्दुरक वी महायता से घहाँ से निकल भागता है और वसन्तसेना नी दारणा म चला जाता है। वसन्तसेना उसे अपना हस्ताभरण दरर करण मुक्त दरा देती है। इसी समय वरणपूरक प्रवेश करता है। वह वसन्तसेना को बताता है कि

प्रात काल उसका हाथी उन्मत्त हो गया था और एक भिषुक को कुचलना ही चाहता था कि कर्णपूरक ने उसे बचा लिया। इससे प्रसन्न होकर चाहदत्त उसे अपना दुशाला देते हैं। वसन्तसेना उससे दुशाले को लेकर ओढ़ लेती है।

तृतीय अक में चाहदत्त का बेट मच पर दिखाई देता है जो यह सूचना देता है कि अर्धरात्रि का समय है, पर चाहदत्त अभी घर नहीं लौटे हैं। कुछ समय पश्चात् रेभिल के घर से सगोत सुन कर चाहदत्त और विद्युपक घर लौटते हैं। घर जाकर वे सो जाते हैं। रात्रि में सुवर्ण-भाण्ड की रक्षा का भार विद्युपक पर है, अत वह भी भाण्ड को लेकर सो जाता है।

रात्रि में शविलक नामक चोर सेंध लगा कर चाहदत्त के घर में प्रवेश करता है और निद्रामध्ये विद्युपक के पास से सुवर्ण-भाण्ड लेकर चला जाता है।

प्रात काल होते ही चोरी हो जाने का पता लगता है और चाहदत्त को वसन्तसेना के न्यासीकृत आभूपणों की चोरी हो जाने से बड़ी चिन्ता होती है। वह विद्युपक के द्वारा अपनी पत्नी की रत्नमाला वसन्तसेना के पास भेज कर उसके न्यास भार से मुक्त होता है।

चतुर्थ अक में शविलक चोरी किया हुआ अलकार लेकर वसन्तसेना के पास पहुँचता है। वसन्तसेना को अलकार देकर वह अपनी प्रेमिका रदनिका को वसन्तसेना के दासी-कर्म से मुक्त कराना चाहता है। रदनिका उस हार को पहचान जाती है और शविलक को उसे वसन्तसेना को लौटा देने को कहती है। तदनुसार वह वसन्तसेना को जाकर यह कहता है कि आपका यह हार चाहदत्त ने भेजा है।

उधर विद्युपक भी रत्नमाला लेकर वसन्तसेना के पास आता है और उसे वसन्तसेना को देकर चला जाता है।

पचम अक में वसन्तसेना चाहदत्त के घर जाती है। वसन्तसेना की चेटी विद्युपक से रत्नावली का मूल्य पूछती है और कहती है कि उसके बदले यह सुवर्ण-भाण्ड ले लीजिये। यह देखकर सब चकित हो

१ ज्ञायवाहस्त्वा विजापयति—जजरस्याद् गृहस्य द्वूरव्यमिद भाण्डम्, तद् पृष्ठाम्।
—मृच्छ०, अक ४, पृ० २२०

जाने हैं। चेटी सुवर्ण-भाण्ड की प्राप्ति का सारा वृत्तान्त विद्युपक को बता देती है। विद्युपक द्वारा यह वृत्तान्त चाहूदत को भी ज्ञात हो जाता है।

धने अक में चेटी वसन्तसेना को बताती है कि चाहूदत पुष्प-करण्डक जीर्णोद्यान गये हैं और उस (वसन्तसेना) को भी वहाँ बुला गये हैं। वसन्तसेना चाहूदत के पास जाने के लिए अम से शकार को गाढ़ी में बैठ जाती है। इधर आर्यक राजा पालक के कारागृह से भाग कर चाहूदत की गाढ़ी में बैठ जाता है। मार्ग में उसे दो सिपाही मिलते हैं जोकि उसे रक्षा का बचन देते हैं।

सप्तम अक में आर्यक की गाढ़ी उद्यान में पहुँचती है। विद्युपक वसन्तसेना को देखने के लिए गाढ़ी का पर्दा उठाता है। वह उसमें वसन्तसेना के स्थान पर आर्यक को देखकर आश्चर्य करता है। आर्यक चाहूदत से शरण मांगता है। चाहूदत उसे अमय-दान देकर उसके बन्धन कटवा देता है।

आठवें अक में वसन्तसेना पुष्पकरण्डक उद्यान में पहुँचती है। वहाँ उसे चाहूदत के स्थान पर दुष्ट शकार मिलता है। वह उससे प्रणाय-याचना करता है। वसन्तसेना उसकी प्रार्थना को अस्थीकृत कर देती है। इस पर वह उसका गला घोटता है, जिससे वह मूर्च्छित होकर गिर जाती है। उसको मूर्च्छित देखकर भिखु (सवाहक) उसे विहार में ले जाकर विश्राम कराता है।

नवम अक में शकार न्यायालय में जाकर यह मूर्च्छना देता है विचाहूदत ने वसन्तसेना को मार डाला है। न्यायालय के अधिकारी वसन्तसेना की हत्या की जीव के लिए बीरक को घटनास्थल पर भेजने हैं। वही से आकर वह किसी रक्षी की हत्या की पुष्टि वरता है। इसी बीच वसन्तसेना के आभूपण लेकर विद्युपक वहाँ आ जाता है। उसका शकार से भगड़ा हो जाता है, त्रिसमें उसकी वगन से वसन्तसेना के आभूपण गिर पड़ते हैं। इस प्रमाण के आधार पर न्यायाधिकारी चाहूदत को प्राणदण्ड की आज्ञा देते हैं।

दशम अक में चाण्डाल लोग चाहूदत को वध-न्याय पर ले जाने हैं। चाहूदत के प्राणदण्ड की आज्ञा से नगर में चारों ओर परस्परपूर्ण बातावरण द्या जाता है। सभी लोग इस दण्ड को अनुचित बताने हैं।

इसी समय यह सूचना मिलती है कि आर्यक पालक को मार कर स्वर्य राजा बन गया है^१। आर्यक चाहुदत का परम भित्र है अतः वह चाहुदत को प्राणदण्ड से मुक्त कर देता है और दुष्ट शकार को फांसी का आदेश देता है। चाहुदत राजा को कह कर शकार को भी क्षमा दिला देता है। अन्त में चाहुदत के साथ वसन्तसेना का विवाह सम्पन्न होता है^२।

भास, कालिदास और शूद्रक के उपर्युक्त स्पकों में सामान्य-स्प से तत्कालीन समाज के विभिन्न स्पों का चित्रण हुआ है जिसके आधार पर उस समय की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। नाटकों में समाज-चित्रण के विविध स्पों के अन्तर्गत परिवार पर ही विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में एक ओर प्रचुर वैभव से सम्पन्न राज-परिवार या तो दूसरी ओर अनेक अभावों से अस्त सामान्य परिवार। राज-परिवार का आवास, वेशभूषा, सान-पान, मनोरंजन आदि भी विशिष्ट प्रकार के होते थे। सामान्य परिवारों के रहन-सहन का स्तर सामान्य कोटि का था। इन परिवारों में संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली प्रचलित थी।

समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था एवं अनेक सामाजिक वर्गों से भी उस काल के समाज की स्थिति का परिचय मिलता है। वर्ण-व्यवस्था के अनुसार समाज ब्राह्मण, धनिय, वैश्य तथा शूद्र—चार वर्गों में विभक्त था। इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में सामान्यतः अनेक वर्ग-भेदों की सत्ता थी। राजा-प्रजा, गृहस्थ-संत्यासी, धनी-निधन, गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक आदि ऐसे ही वर्ग-भेद थे।

नारी भी समाज का एक प्रमुख अग थी। माता, प्रेयसी, पत्नी, गृहिणी आदि के विविध स्पों में वह अपने कर्तव्य का सम्यक् निर्वाह करती थी। धार्मिक कार्यों के सम्मान में भी उसका विशेष महत्व था, इसीलिए ज्येष्ठ यज्ञमणि, धर्मजन्मी शादि जाति से अभिन्नता किया जाता था। समाज में विधवाओं का सम्मान नहीं था। पति

१. श्राव्यवेणीविवृत्तेन कुलं मानेच रक्षता।

पशुवद्यनवाटस्थो दुरात्मा पालको हत।

मृच्छा० १०.५१

२. श्राव्य ! वसन्तसेन ! परितुष्टो राजा भयती वधूवादेनानुग्रहाति। मृच्छा०
पक १०, प० ५६८

की मृत्यु के पश्चात् यद्यपि उनका जीवन त्याग और तपोमय होता था पर समाज उहे उपेक्षा की इष्टि से ही देखता था।

आलोच्य नाटकों में तत्कालीन समाज के रहन सहन का भी चित्रण मिलता है। राजा तथा अन्य धनी व्यक्ति ऋतु के अनुकूल सुविधाओं से परिपूर्ण आवास-गृहों में रहते थे। उनका भोजन भी विविध प्रकार के सुस्वादु और पीछिक पदार्थों से युक्त होता था। धनी लोग प्राय आर्मिय भोजी थे। इनके विपरीत सामान्य लोग राधारण कोटि के धरों में रहते थे और उनका भोजन सादा और निरामिय होता था।

समाज में शिक्षा का महत्व भी कम नहीं था। गुरुकुल शिक्षा केन्द्र थे, जिनमें रह कर विद्यार्थी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों का जीवन सादा और स्वावलम्बी होता था। वैसे तो बालक की अनीपवारिक शिक्षा माता पिता के उपदेशों के रूप में घर से ही प्रारम्भ हो जाती थी, पर व्यवस्थित शिक्षा गुरुकुलों में ही दी जाती थी।

धार्मिक दृष्टि से समाज में प्रमुखत आहारण धर्म, वैष्णव धर्म तथा दौढ़ धर्म का प्रचार था। समाज में अनेक दाशनिक भाष्यताएँ प्रचलित थीं जिनमें ब्रह्म, जगत् जीव कर्म पुनर्जन्म आदि के सिद्धात् प्रमुख थे।

समाज में प्रचलित कृपि वाणिज्य, व्यापार, विनियम, उद्योग एवं विभिन्न व्यवसायों में द्वारा समाज की आर्थिक स्थिति का अच्छा परिनय मिलता है। जीविकोपार्जन में संघनों में शृणि, व्यापार एवं गोपालन प्रमुख थे।

विवेच्य नाटकों के आधार पर तत्कालीन समाज के राजनीतिक वातावरण का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय राजतत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा न्याय और व्यवस्था का प्रतीक होता था। न्यायी एवं योग्य शासक लोकप्रिय हुमा करते थे।

उस समय के बलाकीर्ण की देख कर समाज के सुख और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत बरने का अनुमान लगाया जा सकता है।

वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला एवं साहित्यकला—ये सभी विद्याएँ उस समय उन्नत रूप में विद्यमान थीं। लोग प्रायः कला-प्रेमी होते थे।

नाटकों में चित्रित समाज के इन विविध रूपों का सविस्तर विवेचन आगे के अध्यायों में प्रस्तुत किया जायगा।

परिवार

पिछले अध्याय में आलोच्य नाटकों में चित्रित समाज के विविध हृपों को जिन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णित किया गया है, उनमें से परिवार की यहीं सविस्तर विवेचना की जाती है।

'परिवार' शब्द सस्कृत की 'परि' उपसर्गपूर्वक 'बृ०' धातु से ब्रुत्पन्न है। इसका अर्थ है 'समूह' या सगठन। इस शादिक अर्थ के परिवार पर परिवार व्यक्तियों का सबसे आधार और महत्त्वपूर्ण सगठन है। यह विशाल समाज का घटक या मूल है।

समाज-शास्त्रियों की समाजपरक विवेचना के अनुसार यह समाज की अनिवार्य इकाई है। समाज के सगठित स्वरूप एवं सुसचालन में परिवार ही सहयोग देता है। सामाजिक सुहङ्गता और सुव्यवस्था पारिवारिक सुदृढता और सुव्यवस्था पर अबलम्बित है। इस प्रकार समाज-विकास परिवार से ही प्रारम्भ होता है।

परिवार-निर्माण के मूल में भारतीय सस्त्रुति की समन्वय-भावना ही क्रियाशील है। समन्वय भारतीय सस्त्रुति का प्राण है। सस्त्रुति की आत्मा सर्वांगीण विकास की साधिका है। इमने विभिन्न जाति, धर्म एवं सस्त्रुति के विरोधी तत्त्वों को बड़े प्रेम एवं आदर से गले लगा कर अपने में समाहित किया है। भारतीय समृद्धि-परिवार का यही आधार है। विरुद्ध गुण एवं प्रहृति वाले व्यक्तियों के स्नेह-भय एवं विरयासपूर्ण सम्बन्ध का नाम ही परिवार है।

प्राचीन समाज-व्यवस्था में आधारभूत परिवार यो दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—राज-परिवार एवं इतर परिवार या सामान्य-परिवार।

प्राचीन समाज में राज-परिवार का अपेक्षाकृत विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण स्थान था। जनता में उसको विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसको जीवन की सामान्य राज-परिवार एवं दैनिक सुविधाओं के साथ साथ भोग-विलास के सभी साधन उपलब्ध थे^१। राज-परिवार की जीवन-पद्धति सुख-समृद्धि की परिचायिका होती थी। उसकी वेश-भूपा, रहन सहन, खान-पान, आवास निवास सभी रो वैभव एवं ऐश्वर्य परिलक्षित होता था^२।

राज परिवार की उसके गौरव एवं प्रतिष्ठानुसार कुछ परम्पराएँ एवं भर्यादाएँ थीं। राज-प्रासाद में प्रत्येक अम्बागत को पहले

राज परिवार की परम्पराएँ द्वारपाल या प्रतिहारी द्वरा राजा को सूचना भेजनी पड़ती थी और राजा की अनुसति प्राप्त होन पर ही उसे प्रवेश मिलता था^३। अन्त पुर में तो विशेष

स्प से आगन्तुकों का प्रवेश बंजित था। कचुकी जैसे विश्वास-पान और बयोबृद्ध अनुचर ही राजकीय अन्त पुर में प्रवेश कर सकते थे^४।

कन्यान्त पुर में अमात्य की ओर से विद्वस्त रक्षकों का प्रवन्ध रहता था^५। राज परिवार में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। रानियाँ कचुक

१ अपास्य भोगान् मा चैव ध्रिष्ठ भहतीमिमाम् ।

भागुपे न्यस्त हृदया नैव वदयत्यमागता ॥—प्रतिज्ञा०, २ १२

२ (क) अहो, राजकुलस्य थो—धर्मिं, अन् ३, पृ० ७५

(ख) अहो, रावणभवनस्य विभास ।—प्रभिपेक०, अक २, पृ० २६

(ग) अय ! क्य दीपिकावतोऽ । (विलोक्य) अये रावण ।

—प्रभिपेक०, अक २ पृ० ३१

३ जयतु जयतु देव । एते यतु हिमगिरेष्यकारण्यवासिन कण्वसदेशमादाय सस्त्रीकास्तपस्विन प्राप्ता । युत्था देव प्रमाणम् ।

—प्रभिं शा०, अक ५ पृ० ८१

४ आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वैत्रयष्टिरवरोधगृहेषु ।

काले गते वहुतिथे मम सेव जाता प्रह्यान विकलवगते पल्लवदलम्बनायम् ।

—प्रभिं शा०, ५ ३

५ राजपुरुषा । अमात्य प्रस्थित इति कदिचदमात्यभृत्य कन्यापुररक्षणार्थ नाम्यागत ।—प्रविं, अक ४, पृ० ६३

से आद्वृत्त शिविका या प्रब्यहरण में बैठ कर विहारार्थं या देव दर्शन के लिए जाती थी। यज्ञ विवाह, विपत्ति और वन में रानियों का दर्शन निर्दोष समझा जाता था^१। कन्या दर्शन सदैव निर्दुष्ट माना जाता था। अतः राजकुमारियों की शिविका का कचुक हटा दिया जाता था^२। राजा और उसके परिवार जन जहाँ कहीं जाते थे वहाँ परिचारक गण अग्ररक्षक के रूप में उनके साथ रहते थे^३। राजाओं के लिए मयदा पालन अत्यन्त आवश्यक था। मर्यादा का उल्लंघन करने पर समाज और परिवार में उनकी निन्दा होती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में राजा अग्निमित्र जव मालविका से प्रेम कर अपने राजगौरव के प्रतिकूल आचरण करता है तो राजमहिपियाँ उसे अपना पति तथा कहना स्वीकार नहीं करती^४।

अन्त पुर में महारानी से मिलने जाते समय रिक्त हाथ जाना उचित नहीं समझा जाता था। खाली हाथ जाना महारानी के अनादर या प्रतीक था। भगवती कौशिकी महारानी धारिणी से मिलने जाते समय उनकी प्रतिष्ठार्थ एक विजौरिया नीदू ही भेंट करने के लिए ले जाती है^५।

राज परिवार का केन्द्र-विन्दु राजा था। परिवार में उसका ही प्रभुत्व रहता था। समस्त पारिवारिक सदस्य यथा राजमहिपियाँ,

१ हवेर हि पश्यतु कलभ्रमेतद् वाष्पा तुलाधीर्वदनं भेवना
निर्दोषदृश्या हि भवति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने घने च ।

—प्रतिशा १२०

२ तत्रभवती वागवदस्ता नाम राजदारिका वन्यवादर्शनं निर्दोषमिति
शृत्वाऽप्यनीत कचुकाया शिविकायाम् ।—प्रतिशा०, भक ३, प० ६३

३ (क) तत्र प्रविशति रावण राष्ट्रिवार ।—प्रतिशा०, भक २, प० ५१
(ख) तत्र प्रविशति देवी राष्ट्रिवार ।—प्रतिशा०, भक २, प० ५१

४ तत्र मा देवश पृष्ठा । विद्वन्द्विक्षिनी वल्नभजन इति । तथोक्तम् । मद्दो
य उपवार यद्वारिजने सद्वात् वल्नभत्व न जायते ।

—माल०, भक ४, प० ३१५

५ राति भगवत्याजापयति । अरिहपालिनाऽम्माहृशत्वनन् तत्रभवती देवी
इष्टम्भा । सद्वीवपूर्वेण शुश्रूपितुमिच्छामीति ।—माल०, भक ३, प० २६०

परिवार में राजा
का स्थान

राज-भुज, राज-कन्याएँ आदि उसका अत्यन्त सम्मान करते थे। राज-महिपियाँ तक राजा के आगमन पर अभ्यर्थनार्थी खड़ी हो जाती थीं। 'भालविकाग्निमित्र'

के चतुर्थीक म देवी धारिणी पांच के ग्रणपीढित होने पर भी राजा के आने पर ओपचारिकतावश उठना चाहती है^१। परिवार में राजा की इच्छा ही सर्वमान्य होती थी। परिवार के लोग उसकी इच्छा के समक्ष अपनी भावनाओं तक का दमन कर डालते थे। 'विक्रमोदयीय' में पुरुरवा की रानी तथा 'मालविकाग्निमित्र' में देवी धारिणी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। पुरुरवा की रानी अपने सुख का बलिदान करके पति की प्रेयसी एवं भावी महिली उर्वशी के साथ बड़े प्रेम से रहने की प्रतिज्ञा करती है^२। देवी धारिणी अपने लिए सप्तनी लावर भी मनोरथ को सफल करनी है^३। 'प्रतिमा नाटक' में राम अपने पिता की प्रतिज्ञा की रक्षार्थ चौरधारी बनकर बनवास के लिए प्रस्थान करते हैं^४।

राजा भी अपने परिवार-जन के साथ स्नेहमय सम्बन्ध रखता था। राजा अपनी महिपियों से अत्यन्त प्रेम करता था^५ और उन्ह यथोचित सम्मान प्रदान करता था। पारिवारिक समस्याओं म राजा रानी से परामर्श भी लिया करता था। 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' में राजा महासेन पुनर्नी वासवदत्ता के वर निर्णयार्थ रानी को परामर्श के लिए

१ परिवारिका—यत भगवान् विदिशेऽवर सम्प्राप्त ।

पारिणी—(अहो भर्ता) (इत्पुत्रातुमिच्छति) ।

—माल०, अक ४, पृ० ३१८

२ एषाह देवतामिष्वन् रोहिणीमृगलाघन साक्षीहृत्यायपुनर्मनुप्रसादयामि अद्य प्रभृति या स्त्रियमायपुन् प्रायंयत या चायपुत्रस्य समागमप्रणायिनी तथा यह प्रतिबधन वर्तितव्यम् इति । —विक्र०, अक ३, पृ० २०५

३ प्रतिपदेणापि वर्ति सवन्ते भर्तृवत्सला साध्य ।

यदस्तरितामवि जन समुद्रगा प्राप्यत्पुद्धिम् । —माल० ५ १६

४ प्रतिमा नाटक, अक १, पृ० ३१-४६

५ सति प्रियकलशो राजपि । न पुनर्दद्य निवतयितु शब्दोमि ।

—विक्र०, अक ३, पृ० २०६

सभा भवन में बुलवाते हैं^१। रानी के मन के विस्तृद्वया राज मर्यादा के विपरीत काय करने पर उसे भय भी रहता था। प्रजाजन के समान पारिवारिक सदस्यों के प्रति भी राजा उत्तम्यनिष्ठ रहता था। पारिवारिक उत्तरदायित्व के प्रति वह उदासीन नहीं था। सन्तान की समुचित शिक्षा दीक्षा और भावी उन्नति के प्रति उसका सदा ध्यान रहता था। राजपुत्रों के लिए राजोचित एवं रुच्यनुकूल विषयों के शिक्षण का प्रबन्ध किया जाता था। राजकुमार विभिन्न विषयों में पारगत्व प्राप्त करते थे^२। राज कन्याओं के शिक्षण की भी समुचित व्यवस्था राज परिवार में थी^३। प्रजा पालन के दुष्कर कर्तव्य में रत रहने पर भी राजा को अपनी कन्याओं के सरकारा एवं विवाह^४ की उतनी ही चिंता थी जितनी एक सामाज्य गृहस्थ को।

राजकुमार के युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने के महोत्तम को
योवराज्याभियेक^५ कहा जाता था। जब राजपुत्र वम-ववच^६ धारण
करने योग्य हो जाता था तभी उसे
योवराज्याभियेक
युवराज पद पर अभिप्रिक्त किया जाता
था। युवराज बनने से पूर्व वह केवल
कुमार^७ सज्जा से अभिहित होता था। अभियेकोचित धार्मिक वृत्त्यों

^१ दृहितु प्रदानवाने दुखाना हि मातर । लस्माद् देवी तावदाहूयताम । —प्रतिना० अक २ पृ ५०

^२ अयास्त्रगुणप्राही ज्येष्ठो गोपालक सुत ।
गाधवंदृष्टी व्यायामाली चाप्यनुपालक ॥ —प्रतिना०, २ १३

^३ राजा—वासवदत्ता वद ?
देवी—उत्तराया वैतालिक्या सकाने वीणा निकितु नारदीयां गतासीत । —प्रतिना०, अक २ पृ ५२

^४ अत लतु चित्यने ।
पापाया वरसम्पत्ति पितु (प्राय) प्रयत्नत ।
भाग्यपु नापमायते दृष्ट्यूप न चाप्यया ॥ —प्रतिना० २ ५

^५ रम्ये । उपनीयता स्वय महेऽलग समृत कुमारस्यापुषो योवराज्याभियेक । —विभ०, अक ५ पृ २५५

^६ गृहीतविद्य भागु याम्प्रत ववचहर यद्वृत । —विभ० अक ५ पृ २४८

^७ देविय पादटिष्ठणी न० ३

तथा सस्कारो से यौवराज्य श्री^१ कुमार को प्राप्त हो जाती थी। अभिपेक विधि का उदाहरण 'विक्रमोर्वशीय' के पचम अक मे वर्णित पुरुत्वा के पुन आयु के यौवराज्याभिपेक के समय मिलता है^२। श्रेष्ठ और विद्वान् व्रह्मपि अभिपेक कर्म का सम्पादन करता था। उसके आदेशानुसार कुमार को भद्रपीठ^३ पर बैठाया जाता था। फिर वह अभिमत्रित जल से परिषुरंग कलश^४ से उसका अभिविचन करता था। सस्कार की शेष विधि दूसरे व्यक्ति सम्पादित करते थे^५। इसके बाद कुमार यथाक्रम गुरुजनो का अभिवादन करता था^६। फिर बैतालिक-द्वय 'विजयता युवराज'^७ कहकर उत्तरको आशीर्वाद देकर उसके पूर्वजो का काव्यमय गुणानुवाद करते थे^८।

राजकुमार को इस प्रकार युवराज-पद पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य उसको राज्य-सचालन के लिए पहले से प्रशिक्षित करना होता था, जिससे वह राजा के बृहद होने पर, राज्य के गुरुत्व भार को बहन करने मे समर्थ हो सके^९। युवराज राजा को अनेक कार्यो मे सहायता देकर उसके शासन भार की हलका करता था। उसके सह-योग से शासन प्रबन्ध मे सुव्यवस्था आ जाती थी और उसे स्वयं को राजा के निरीक्षण म शासन कार्य का अच्छा अनुभव हो

१ प्रायुपो यौवराज्यश्वी स्मारयत्यात्मजस्य हि ।

अभिविक्त महासेन सनापत्ये भूत्वता ॥ —विक्र०, ५ २३

२ विक्र०, अक ५, पृ० २५५-२५७

३ उपवेश्यतामायुष्मा भद्रपीठे ।—विक्र०, अक ५ पृ० २५५

४ नारद—(कुमारस्य शिरसि कलशमावज्यं) ।—विक्र० अक ५, पृ० २५५

५ रम्भे । निवत्यता दोपो विधि ।—विक्र० अक ५, पृ० २५५

६ वत्स ! प्रणम भगवात् पितरो च ।—विक्र०, अक ५ पृ० २५५

७ बैतालिकौ—विजयता युवराज ।—विक्र०, अक ५ पृ० २५५

८ बैतालिक—तद पितरि पुरस्तादुप्रताना स्थितेऽस्मिन्

स्थितमति च चिभक्ता द्वम्यानमध्येष्ठे ।

अधिकतरभिदानी राजते राजलक्ष्मी

हिमवति जलोष च व्यस्ततोऽयैर गगा ।

—विक्र०, ५ २२

९ देखिये, भगवताशरण उपाध्याय बालिदास का भारत, भाग १, पृ० १५२

जाता था। इस प्रकार राजकुमार को युवराज बनाना एक प्रकार से उसके राज्याभिषेक का ही उपक्रम होता था।

राजकुमार को युवराजपद पर अधिष्ठित करने के लिए जिस प्रकार योवराज्याभिषेक होता था वैसे ही राज्यारोहण के अवसर पर राज्याभिषेक विधा जाता था। राजा

राज्याभिषेक

वृद्धावस्था आने पर प्राय पुत्र को राज्याभिषिक्त कर उसको राज्य व कुटुम्ब का

भार सौप कर वन में तपस्या करने ले जाते थे^१। राज्याभिषेक के समय राजा के आदेशानुसार अमात्य परिपद अभिषेक सामग्री का आयोजन करते थे^२। राज्याभिषेक विधिपूर्वक सम्पन्न किया जाता था।

सर्वप्रथम राजा उपाध्याय आचार्य तथा प्रजा, सभी की उपस्थिति में एक छोटा सा समारोह होता था जिसमें राजा युवराज वो गोद म बैठा वर स्नेहपूवक वहता था, 'बेटा ! यह राज्यभार स्वीकार करो'^३। युवराज की मौन स्वीकृति पर राजा स्वयं चामरयुक्त द्वय संभालता था^४ और अभिषेक की प्रसन्नता में चारों ओर पट्टादि^५ मगलबाद्य गूँजने लगते थे। राजपुत्र के हाथ में मगल-सूत्र वाँधवर उसे भद्रासन पर बैठाया जाता था^६। मुनिया ढारा विभिन्न नदिया से

१ राज्ये त्वामभिषिद्य रसनरपतेलीभाव इतरथा प्रजा

फृत्वा त्वराहनान् रामानविभवान् युवराजिन साततम्

इत्यादिश्य च ते, तपोवनमिती गन्तव्यमित्यत्यथा —प्रतिमा०, २ १६

२ सातत्वं भद्रचनादमात्यपरिपद द्वृहि सभियतामायुषो राज्याभिषेक इति ।

विक०, अ८ ५ प० २५२

३ राय —शूषताम् ! प्रदातिम महाराजेनौगाध्यायामात्यप्रद्विजनसम्पदमेह प्रकारमधित बोगलराय दृत्या वायाम्यस्तमद्वारोध्य मातृगोत्र विनाशमाभाष्य पुत्र राय ! प्रनिष्ठाता राज्यम् । —प्रतिमा०, अ८ १, प० २७

४ दत्र द्वय दृपतिना ददतामृहीन । —प्रतिमा० १७

५ घटरूप पट्टू । —प्रतिमा० १५

६ यनाह यूनवानप्रनितरो भद्रायतारातिसा

इत्यम्याया विष्विच्छाण नृपतिना भिन्नाभिषेक इत ।

—प्रभि०, ६ ३४

लाये हुए तीर्थोदक से परिपूर्ण हेम-कलशों से—जिनमें दर्भ, कुसुमादि डाल दिये जाते थे^१ —उसका अभिषेक-संस्कार होता था। अभिषेक के पश्चात् वह प्रकाशमान् मुकुट धारण कर 'नृप' अभिधा से विभूषित होता था। प्रजा नवशक्ति वे सहस्र अपने नूतन राजा का जय-जयकार कर उठती थी^२। मित्र, बन्धु और अनुचरणण उसको राजा होने की घबाई देते थे^३। इसके पश्चात् उसको रथ पर विठाकर नगर-परिभ्रमण के लिए ले जाया जाता था। अभिषेक-महोत्सव के अवसर पर एक सामयिक अभिनय^४ का भी आयोजन किया जाता था, जिसमें नठ अपनी कला प्रदर्शित करते थे। राज्याभिषेक का आयोजन अन्य राजकीय उत्सवों और समारोहों की तरह केवल मनोरंजन के लिए नहीं बरन् राजा प्रजा के दैवी सम्बन्ध को सुहृद बनाने के लिए होता था। इसमें राजा को पद-गौरव के साथ-साथ प्रजा-पालन के महान् उत्तरदायित्व को भी बहन करना पड़ता था। राजपद प्राप्त करने पर भी जब तक राजा प्रजा का न्यायपूर्वक पालन नहीं करता था तब तक वह यथार्थतः 'राजा' नहीं रामझा जाता था। जिस प्रकार सूर्य सदा रथ में अश्वों को जोते रहता है और वायु निरन्तर प्रवाहित रहती है, उसी प्रकार अन-वरत प्रजा-रक्षण में रत राजा ही नृपत्व को सार्थक करता था।

राजकूल में वहुविवाह-प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा राज-वैभव एवं राज्य-गौरव को सूचित करती थी। राजा की अनेक महिलायां या पत्नियाँ होती थी^५। 'स्वप्न-वासवदत्त' में तो राजा महारोन की पोदश्च रानियों का उल्लेख मिलता है। रानियों

१. न्यस्ता हेमसया. सदर्भकुसुमास्तीयम्बुपूर्णा घटा: ।—प्रतिमा०, १.३
२. अधिगतनृपशब्दं धार्यमाणातपत्र विकसितहृतमौलि तीर्यतोयाभिपित्तम् ।
मुरुमधिगतलील धन्यमान जनोधै. नवशक्तिनमिकायै पश्मतो मे न तृप्ति. ॥
—प्रतिमा०, ७.१२
३. विभीषणो विज्ञापयति । सुग्रीवनीलमैन्दजाम्बवद्नूमत्प्रमुखाइचानुगच्छन्तो
विज्ञापयन्ति—दिष्टधा भवान् वधुंते इति ।—प्रतिमा; अक ७, पृ० १८३
४. सारसिके ! मार्त्यिके ! सगीतशाला गत्वा नाटकीयाना विज्ञापयकाल-
संवादिना नाटकेन राजा भवेति ति ।—प्रतिमा; अक १, पृ० ३
५. परिप्रहृत्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे —अभिमा० शा०, ३.१८

में जेयष्ठ और राजा की प्राणवह्लमा महाराजमहिपी वे पद को विभूषित करती थी। महाराजमहिपी के लिए महादेवी^१ और 'देवी'^२ शब्दों का प्रयोग होता था और अन्य राजमहिपियों को भट्टिनी^३ की राजा रो अभिहित किया जाता था। पाणिनि प्रधान रानी को 'महिपी' लिखते हैं और अन्य रानियों को प्रजावती^४। राजा या युवराज की माता राजमाता पद की अधिकारिणी होती थी। अन्त पुर में महाराज-महिपी का ही एकचक्षु शासन होता था। वहाँ सग्राट तक का अधिकार नहीं था। 'मालविकाग्निमित्र' में इरावती^५ आदि रानियाँ महारानी धारिणी की आज्ञा का ही समर्थन करती हैं।

राज्य के सुप्रबन्ध के लिए राजा के अधीनस्थ सेवकों का एक विशाल वर्ग होता था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के व्यक्ति समाविष्ट थे। सेवकों के पृथक पृथक कार्य

राजा के सेवक

निर्धारित थे जिनके अनुराग उन्हें निम्नाकृति प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता

है। (क) शृङ्गारसहाय (ख) अथचिन्तासहाय (ग) धर्मसहाय
(घ) दण्डसहाय (ड) अन्त पुरसहाय (च) राबादसहाय।

राजा के सेवक वर्ग के अन्तर्गत शृङ्गारसहायों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये राजा के अनेक व्यक्तिगत कार्यों में सहायता होते थे

शृङ्गारसहाय में विट चेट विद्युषक,

(क) शृङ्गारसहाय

मालाकार रजक, तमोलो और गधी

आदि होते हैं^६। इनका प्रमुख कार्य राजा का मनोरजन करना तथा उसके प्रणाय व्यापार को सफल बनाना होता था। उदाहरणार्थं अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यत का मित्र माडव्य, विक्रमोर्बशीय में पुरुरवा का सहचर माणवक तथा प्रतिज्ञायीगन्ध-

^१ जाते। भतुवहुमानसूचक महादेवीशब्द न भस्त्र। अभिनी शा० अक ४, पृ० ५५

^२ पश्चप्रत्यक्ष देवीमय है। अभिनी शा० अक १ पृ० २७२

^३ ननु भट्टियवलोकयतु।—माल० अक ३ पृ० ३०२

^४ इह द्या ऐज तीन हु पाणिनि—अप्रवाल पृ० ४०४ ५

^५ इरावती पुनर्विज्ञापयति—सहश देव्या प्रभवारया। तब वचन सकलित्ता न मुञ्चयते। यथा कर्तुमिति।—माल० अक ५ पृ० ३५४

^६ दयामसु दरदास एव बदर्वान दशस्पक रहस्य, पृ० १०४

रायण' म राजकुमारी कुरगी की सखी नलिनिका और धात्री राजा के प्रणाय व्यापार को सफल बनाने म सहायक रिद्ध होते हैं। कुरगी की धात्री उसकी विकलता को देखपर अविमारक के पास जाती है और उसे कन्यापुर म आने का निमन्वण दे आती है'।

राजा के दूसरे सहायक वे हैं जिन्ह 'अर्थसहाय' कहा जा सकता है। इनम तन्न अर्थात् राज्य की चिन्ता और आवाप अर्थात् शतुराज्य की चिन्ता करने वाले मन्त्री समाविष्ट हैं। राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए तथा शासन प्रबन्ध के सुचारु सचालन के लिए राजा के पास अनेक प्रत्युत्पन्नमति मन्त्री होते थे। महाभारत,^१ मनुस्मृति^२ आदि ने स्पष्टरूप से मन्त्रियों को राज्य की सुव्यवस्था के लिए अनिवार्य माना है। जिस प्रकार एक चक्र से रथ अग्रसर नहीं हो सकता, उसी प्रकार मन्त्रियों के बिना शासन-कार्य नहीं चल सकता। जब साधारण सा कार्य अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कार हो जाता है, फिर शासन-कार्य की क्या क्या ?

राजा की सहायता के लिए विभिन्न शासन-विभागों के मन्त्रियों^३ वी एक परिपद होती थी। यह परिपद मन्त्रि-परिपद^४ या अमात्य-परिपद^५ कहलानी थी। राजा शासन-कार्य सम्बाधी और युद्ध विग्रह विषयक विषयों पर परिपद से परामर्श करता था^६। मनि-परिपद विविध राजकीय विषयों पर नीति निर्धारित कर अन्तिम निर्णय के लिए

१ योगमिद्दन्त्याधागत स्व। मनुमन भार्यण योग इति ननु निर्दित काय महामाक राजकुल विविनते अवकाशे। तथापि कोइपि जनोऽधिकतर योग चिन्तयनस्ति। तेन सह तत्रैवायेण सुष्ठु योगविधान चिन्त्यनामिति।

—भवि० अरु २ प० ४२

२ महाभारत ५ ३७ ३८

३ मनुस्मृति ८ ५३

४ कार्यन्तरयचिवोऽस्मानुपस्थित ।

—माय० अक १, प० २६६

५ तेन हि भविष्यपरिपद यूहि—

—माल०, अक ५ प० ३५२

६ मदुष्टनादमात्यपरिपद यूहि

—विक० अक ५ प० २५२

७ (क) अयवा दि ववाभयने ।

—मान० अक १, प० २६८

(क) तदमात्यवर्गेण सह समान्य गन्तव्यम् । — अभियेक, अक १, प० ८

राजा के पास भेजती थी^१। राजा का निखंग ही सर्वसम्मति से स्वीकार्य होता था^२।

राजकीय समस्याओं के अतिरिक्त राजा अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों में भी मंत्रियों की सलाह लेता था; अविमारक में कुन्तिभोज अपनी पुत्री कुरुंगी के विवाह के लिए मंत्रियों से भी मन्त्रणा करता है^३।

धर्मसहाय में राजा के वे सहायक समाविष्ट होते हैं जो यज्ञ, देवार्चन, विवाह आदि धार्मिक संस्कारों में राजा की सहायता करते थे और उसे धर्म का यथार्थ तथ्य समझाते

(ग) धर्मसहाय थे। इनमें उपाध्याय, धर्मधिक्ष, द्रत्विद, वैतानिक और देवकुलिक आदि प्रमुख हैं।

उपाध्याय राजगुरु और कुलगुरु के पद को अलगृह करता था। राजा उसका पितृवत् आदर करता था। गनु^४ के अनुरार वेतन सेकर वेद के कुछ अश या वेदांगों को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता है। धार्मिक या राजनीतिक समस्याओं में भी राजा उपाध्याय या पुरोहित से ही परामर्श लेता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजर दुष्यन्त शकुन्तला के परिग्रहण और परित्याग की द्विविधा में अपने कुल-पुरोहित सौमरात रो ही परामर्श लेता है^५। राज-सभा में आने वाले आश्रमवासी तापसों एवं महर्घियों के आतिथ्य-सत्कार का भार राज-पुरोहित पर होता था^६।

१. अमात्यो विज्ञापयनि—विदर्भं गतमनुष्ठेयमनुष्ठितमभूत्। देवस्य तावदभिन्नायं शोतुमिल्लभीति। —माल०, अक ५, पृ० ३५१

२. अमात्यो विज्ञापयति—कलयाणी देवस्य बुद्धि। मनिपरिषदोऽप्येतदेव दर्शनम्। —माल०, अक ५, पृ० ३५२

३. सम्यगुक्तं कौञ्जयनेन। भूतिक। सर्वराजमण्डनमपोह्य द्वयोः रथापितयोः क प्रति विशेष। —भवि०, अक १, पृ० २४

४. एकदेशं तु वेदस्य वेदानान्यपि वा पुनः। योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते। —मनु० २.१४१

५. राजा—(पुरोहितं प्रति) भवन्तमेवात्र मुहूर्नाध्वं पृच्छामि। —भवि० शा०, अक ५, पृ० ३२३

६. तेन हि मद्वचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरात्—असूनाश्रमवासिनः थोतेन विधिना सल्लक्ष्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहूर्तीति। —भवि० शा०, अक ५

राज्याभिपेक के समय भी वही सर्वेसर्वा होता था^१। वह बेदी पर आसीन होकर युवराज को अभिपेकोचित कियाएं सम्पन्न करता था।

धर्माध्यक्ष धर्म विभाग का अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति आथर्वासी तपस्त्रियों की रक्षा के लिए होती थी। तपस्त्रियों की तपश्चर्या निविद्धन चल रही है या नहीं, उपद्रवी राक्षसों ने उनके तप में वाधा तो नहीं ढाली अथवा किसी ने तपोवन के प्राणियों को तो नहीं सताया है—इन सब वातों की देखभाल धर्माधिकारी ही करता था^२।

ब्रह्मविद् के अन्तर्गत कुलपति कण्व, महर्षि कश्यप, मारीच और भगवान् वसिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी आते हैं। ये समय समय पर राजा को सप्तार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराते थे, जिससे राजा पूर्णरूपेण भोग विलाप में आसक्त न हो जाय। ब्रह्म सम्बन्धी विषयों के साथ लौकिक विषयों में भी ये राजा को सत्परामर्श देते रहते थे। महर्षि कण्व अससारी और सन्यासी होते हुए भी अपनी पुत्री शकुन्तला^३ को भावी जीवन को आदर्श बनाने के लिए सारारिक व्यवहार की बारें समझते हैं।

स्मरण दिलाते थे कि उन प्रहरों में राजा की निश्चित दिनचर्या क्या है ?

दण्ड-सहायक के अन्तर्गत राष्ट्र, नगर और राजकुल की रक्षा के लिए नियुक्त राजकर्मचारी, सेना के

(घ) दण्ड-सहाय प्रमुख सेनापति, घरपति, सैनिक, दण्ड-विभाग अथवा न्यायालय के अधिकारी, राजा के अंगरक्षक, मित्र राजा, युवराज, सामन्त आदि आते हैं।

नागरिक^३ या राष्ट्रिय प्रधान दण्ड-सहाय था । वह प्रायः राजा का साला या राजा की उप-पत्नी का भाई होता था । इसीलिए इसे राजश्याल^४ या राष्ट्रिय-इयाल^५ आदि नामों से अभिहित किया जाता था । यह 'श्' बहुल शकारी बोली^६ का प्रयोग करने के कारण शकार भी कहलाता था । यह नगर-रक्षा-विभाग और राज्य का प्रधान पुरुष होता था^७ । इसके अधीन अनेक रक्षक होते थे^८ । राजा की ओर से इसकी नियुक्ति नगर में शान्ति स्थापित करने और दुष्टों के दग्नि के लिए होती थी । किन्तु कभी-कभी दुष्ट राष्ट्रिय की नियुक्ति भी हो जाती थी, जोकि दुश्चरित्र होने के कारण राज्य में अशान्ति और भ्रष्टाचार फैलाता था और दुष्टों के स्थान पर निर्दोषों को दण्ड दिलाता था । यह राजश्याल होने के कारण सर्वत्र प्रभुत्व रखता था और अपने को ही राज्य का कर्ता-धर्ता समझता था । 'मृच्छकटिक' में शकार

१. भालोकान्तप्रतिहतमोवृत्तिरासा प्रजान ।

तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्चाधिकारो मतो नः

तिष्ठत्येकः क्षणमधिपतिज्योतिष्या व्योममध्ये

पठे काले त्वमपि लभसे देव विश्वान्तिमहत् । —विक्र०, २.१

२. (ततः प्रविशति नागरिक) —मधिर० शा०, घरक० ६, पृ० ६७

३. कर्यं भम नयनयोदायासकर इव राजश्याल । —मृच्छ०, घरक० ८, पृ० ३६६

४. महं राष्ट्रियश्यालः *** —मृच्छ०, घरक० पृ० ४१८

५. भावे भाषे, चलिए बल अन्धकाले भाशलाशिपविष्टा विष्य मशिगुडिया दीशन्दी ज्ञेव पण्डु वशन्तसेणिआ । —मृच्छ०, घरक० १

६. भाव भाव, मा प्रवरपुर्वं मनुष्य धासुदेवकम् । —मृच्छ०, घरक० ८, पृ० ४०३

७. (ततः प्रविशति नागरिक...रक्षणी च ।) —प्रभिर० शा०, घरक० ६, पृ० ६७

वसन्तसेना को मार कर अपना अपराध किरी अन्य पर आरोपित करने के लिए विट को कुछ स्वर्ण मुद्रा और कार्पणि देता है^१। वह निर्दोष चारुदत्त पर वसन्तसेना को मारने का दोष लगा कर उसे न्यायाधीश से मृत्यु-दण्ड दिलवाता है।

सेनापति और बलपति का दण्ड-सहायकों में दूसरा स्थान है। दोनों पुलिस के प्रधान अधिकारी होते थे और अपराधियों और दुष्टों को खोजने के लिए नियुक्त किये जाते थे। सेनापति नगर-रक्षाधिकारी और प्रधान दण्ड धारक होता था। सेनापति और बलपति राजा के विश्वस्त कर्मचारियों में से होते थे। 'मृच्छकटिक' में वीरक और चन्दनक ऐसे ही पुलिस अधिकारी हैं^२।

दण्डसहाय में न्याय विभाग भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, श्रेष्ठी, सहायक न्यायाधीश, कायस्थ एवं व्यवहार-सेवक आदि परिणित होते थे^३। इनका विस्तृत वर्णन अष्टम अध्याय में किया गया है।

राजा के अन्त पुर में भी कई सेवक होते थे। कचुकी इनमें प्रधान होता था। यह प्राय सात्त्विक (इ) अन्त पुर सहाय और बृद्ध नाह्यण होता था। कचुकी नाम सम्बन्धित इरालिए पड़ा कि यह कचुक पहनता था। यह अन्त पुर वीरानियों का प्रधान अगरक्षक होता था^४। इसके हाथ में यष्टि रहती थी, जो वंत की बनी होती थी^५।

१ अर्णन् शत ददामि सुवर्णक ते कार्पणि ददामि सबोडिकन्ते एव दोपस्थान पराक्रान्ते गे सामान्यको भावतु मनुष्यकाणाम् ।

—मृच्छ०, ५ ४०

२ मृच्छ०, अक ६, पृ० ३४३

३ वही, अक ६ (सम्पूर्ण)

४ सेवाकारा परिणितिरहो स्त्रीपु कष्टोऽधिकार । —वित्र०, ३ १

५ आचार इत्यवहितैन मया गृहीता

या वेत्रयस्तिरवरोपश्चैपु राज ।

काले गते बहुतिये भम सैव जाता

प्रस्थानविवलवगतोरवन्मनार्दा ।

—दभि० शा०, ५ ३

कचुकी के अतिरिक्त अन्त पुर के सेवको मे किरात, कुब्ज^१, रानी व राजकन्याओं की सखियाँ और परिचारिकाएँ आती हैं।

सदेशसहाय मे दूत भी उल्लेखनीय है। दूत किसी कार्य की सिद्धि के लिए सदेश लेकर भेजे जाते थे। उनके तीन भेद किये जा सकते हैं—नि सृष्टार्थ, मितार्थ और

(च) सदेशसहाय सदेशहारक। नि सृष्टार्थ उसे कहते हैं जो भेजने वाले और जिसके पास भेजा जाये,

दोनों के मनोभावों को समझकर स्वयं ही उत्तर-प्रत्युत्तर कर कार्य की सिद्धि करता है। मितार्थ मितभाषी होता है, किन्तु कार्य को अवश्य करता है। सदेशहारक उतनी ही बात कहता है जितनी उसे कही जाये। 'दूतवाक्य' मे श्रीकृष्ण नि सृष्टार्थ दूत है। वह युधिष्ठिर का सदेश लेकर दुर्योधन की राजसभा मे जाते हैं और उसका सदेश सुनाते हैं। दुर्योधन के न मानने पर वह स्वयं अपने वार्षेभव द्वारा समस्या मुलझाने की कोशिश करते हैं। 'दूतघटोत्कच' मे घटोत्कच मितार्थ दूत है। ये दूत अवध्य होते थे^२। इन्हे निर्भय होकर अपने स्वामी का सदेश सुनाने की आज्ञा दी जाती थी। जब घटोत्कच श्रीकृष्ण का सदेश लेकर दुर्योधन के सभा-भवन मे जाता है तो दुर्योधन उसे निर्भय होकर श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाने की आज्ञा देता है^३। चाहे दो राजाओं मे परस्पर कितनी ही शत्रुता क्यों न हो उनके दूतों का बड़ा आदर-सम्मान होता था।

राजा की वेश-भूपा राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष साज-सज्जा लिये हुए होती थी।

राजा की वेश-भूपा उसके वस्त्राभूपण अन्य पुरुषों के वस्त्र-भूपणों से मिन्न और बहुमूल्य होते थे।

१ अहो, एष देव्या परिजनाम्यन्तर किमपि जतुमुद्रालादिता मञ्जूपा यृदीत्वा चतु शासात् कुञ्ज रारसिको विष्कामनि—माल०, अक ५, पृ० ३३८

२ (क) दूत खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थंमागत ।
गृहीत्वा गच्छ सन्देश न वय दूतघातका ॥

—दूतघटोत्कच, १ ४८

(ख) सर्वपिराधेष्वध्या खलु दूता ।

—यमियेक०, अक ३, पृ० ५७

३ ‘यूट आवय मा जनादेनवयो’

—दूत घटोत्कच, १ १४

उसके बस्त्र अधिकतर रेशमी (क्षीम)^१ होते थे। वह शरीर के ऊपर के भाग को ढकने के लिए उत्तरीय का उपयोग करता था जो श्वेत दुकूल का बना हुआ होता था^२। उसके सभी आभूपण मणिजडित और स्वर्णमणित होते थे। आभूपणों में हार^३, केयूर^४ (अंगद), कंकण^५ और अगुलीयक^६ मुख्य थे। राजा अंगरामादि सुगन्धित द्रव्यों का भी प्रयोग करता था।^७ मुकुट^८, छत्र^९ और चौबर^{१०} उसके विशेष चिह्न थे। यदि राजा दरवार में रिहारान परन बैठ कही बाहर भी आ जा रहा हो तब भी उसके साथ छत्र, चौबर, मुकुट अवश्य रहता था। उसके अतिरिक्त राजदण्ड^{११} भी उसका चिह्न था।

आलोच्य नाटकों में राज-प्रासादों के साथ राजपरिवार के प्रसाधनों का भी विशद चित्र मिलता है। कालिदास के 'मालविकामिनित्र' नाटक में अन्तःपुर वर्ग की साज-राजपरिवार के प्रसाधन सज्जा और प्रसाधन के लिए 'अन्तः-पुरनेपथ्य'^{१२} का प्रयोग हुआ है। वेसे तो नेपथ्य का अर्थ—'नेपथ्य स्याजजवनिका रंगभूमि प्रसाधनम्'^{१३}। इस लक्षण के अनुसार 'जबनिका' या परदा होता है, किन्तु व्यापक स्प में

- | | |
|---|--------------------------|
| १. ...सृष्टा चैव युधिष्ठिरस्य विपुल क्षीमागस्वय भुज । | —जहमग, १.५३ |
| २. दयामो युवा सितदुकूलकृतीतरीय ॥ । | —दूतवाचय, १.३ |
| ३. ...वक्षस्युत्तिर्त्ते प्रहाररधिरहर्दावकाशो हृत । | —जहमग, १.५१ |
| ४. पश्येमो ब्रह्मवाचनागदघरो पश्यप्तिशोभी भुजो । | —जहमग, १.५१ |
| ५. अभिं शा०, ६.६ | |
| ६. यनुमूर्या— ...प्रस्तु तेन राजविणा संप्रस्त्यतेन स्वतामयेऽकितमंगुलीयकम् | |
| स्मरणीयामिति स्वय पिनदम् | — अभिं शा०, अक ४, पृ० ६० |
| ७. द्रूतवाचय, १.३ | |
| ८. विक०, ४.६७ | |
| ९. विक०, ४.१३ | |
| १०. विक०, ४.१३ | |
| ११. अभिं शा०, ५.८ | |
| १२. नम कारणाददेवी मामन्तःपुरनेपथ्येन योजयिष्यतीति । | |
| | —माल०, अक ३, पृ० ३०० |
| १३. अमरकौट | |

यह पात्रों की वेश-भूषा के लिए भी प्रयुक्त होता है। अन्त पुर-नेपथ्य को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो अनिवार्य नेपथ्य और दूसरा वैकल्पिक नेपथ्य। प्रथम मानव शरीर की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है और द्वितीय उपभोक्ता या प्रयोक्ता की इच्छा-अनिच्छा पर आधारित है। १. अनिवार्य नेपथ्य—इसके अन्तर्गत वसन-सामग्री आती है। वसन मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकताओं में वरिगणित होते हैं। इसलिए उन्हें शरीर का अग्रभूत माना गया है।

प्रासादान्त पुर में क्रृत्वानुसार सूती, ऊनी, रेशमी, तीनी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था, लेकिन महीन रेशमी वस्त्र अधिक प्रचलित थे। यहाँ तक कि सूती और ऊनी कपड़ों में भी रेशम का अदा मिला रहता था। कौशेय पत्रोर्ण^१ इसी प्रकार का ऊनी रेशमी वस्त्र है जिसे मालविका विवाह के अवसर पर धारण करती है। वस्त्र के विभिन्न प्रकारों में, क्षीम,^२ दुक्कल^३, कौशेय-पत्रोर्ण^४, पत्रोर्ण^५ और अशुक^६ का उल्लेख हुआ है। क्षीम बहुत महीन और सुन्दर वस्त्र था। यह अलसी की छाल के रेशों से बनता था।

“क्षीम वस्त्र, जैसाकि इसके नाम से प्रकट है, कदाचित् कुमा या अलसी नामक पौधे के रेशों से तैयार होता था। (यह सम्भवत् छालटीन था)। भाग, सन और पाट या पट्टसन के रेशों से भी वस्त्र तैयार किये जाते थे, पर क्षीम अधिक कीमती, मुलायम और बारीक होते थे। चीनी भाषा में ‘छु-म’^७ एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार

१. क्षीम केनचिदिन्दुपाण्डु तदण्डा माग्लयमाविष्कृतम् ।

—भभि० शा० ४५

२. विश०, अक ५, पृ० ३३६, माल०, ५७

३ गच्छ तथ्यत् । कौशेयपत्रोर्णयुगलभुपनग । —माल०, अक ५, पृ० ३५६

४. प्रेष्यभावेत नामेष देवी शब्देक्षमा सती ।

—माल०, ५ १२

५ विश०, ३ १२

६ ढा० गोतोचन्द्र प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ५

७ चागुदेवशरण अप्रवाल हर्षचरित् एक सास्कृतिक अध्ययन, पाद टिप्पणी न० ५, पृ० ७६

वस्त्रों का प्राचीन नाम था जो बारण के समकालीन थाङ्गुग में एवं उससे पूर्व प्रयुक्त होता था। यही चीनी धास भारतवर्ष के पूर्वी भागों (आसाम, बगाल) में होती थी। अतः क्षीम रेशों से तंयार होने वाला वस्त्र था। यह अवश्य ही आसाम में बनने वाला कपड़ा था क्योंकि आसाम के कुमार भास्कर बर्मी ने हर्ष के लिए जो उपहार भेजे थे उनमें क्षीम वस्त्र भी शामिल थे^१। यह विवाहादि मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होता था^२।

क्षीम के समान दुकूल भी 'दुकूल' वृक्ष की छाल के रेशों से बना करता था^३। यह नील, साल, घवल आदि अनेक वर्णों का होता था^४। इसके विषय में बारण ने लिखा है कि यह पुंड्रदेश (बंगाल) से बन कर आता था^५। इसके बड़े थान में से काट कर चादर, घोती या अन्य वस्त्र बनाये जाते थे। दुकूल से बने हुए उत्तरीय, साड़ियाँ, पलंगपोश, तकियाँ के गिलाफ आदि नाना प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख वाण के ग्रन्थों में आया है। दुकूल शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः कूल का अर्थ देश्य या आदिम भाषा में कपड़ा या जिससे कौलिक शब्द बना है। दोहरी चादर या थान के स्प में विक्रयार्थ आने के कारण यह द्विकूल या दुकूल कहलाया^६। यह क्षीम, अगुक आदि वस्त्रों के समान महीन व वारीक वस्त्र न होकर मोटा या गाढ़ा कपड़ा होता था। इसका प्रमाण यह है कि विवाहादि मांगलिक अवसरों पर इसका कही भी उल्लेख नहीं हुआ है।

पत्रों का उल्लेख मालिकिका के विवाहावसर पर हुआ है^७। इससे व्यक्त होता है कि यह महीन या वारोक वस्त्र होता होगा। सीताराम चतुर्वेदी की प्रकाशित टीका में ऊण का अर्थ 'ज्ञ' मिलता है^८। और ऋग्वेद (१।६७।३) में भेड़ को ऊणविती कहा गया है।

१. वासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित : एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७७
२. अग्नि शा०, ४.५
३. डा० मीतीचन्द्र प्राचीन वैशभूषा, भूमिका, पृ० ८
४. वही, पृ० ८।
५. वासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित : एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७०
६. वही, पृ० ७६
७. साल०, ५.१२
८. वालिदास प्रन्यावली, द्विनीय रास्करण, पृ० ३५६

अतः इसका अर्थ ऊनी-वस्त्र भी हो सकता है। डा० मोतीचन्द के अनुसार इसकी रचना नागवृक्ष, लकुच, घकुल और बटवृक्ष की छाल के रेशों से होती थी। इसका रंग क्रमशः गेहू़आ, सफेद और मख्लन का-सा होता था^१। नागवृक्ष से बना पत्रोर्ण का कपड़ा पीला, लकुच का गेहू़आ, घकुल का सफेद होता था^२। वासुदेव जी^३ इसे पटोर रेशम मानते हैं। इसे क्षीर स्वामी^४ ने कीड़ों की लार से उत्पन्न कहा है। गुप्तकाल में पत्रोर्ण धुला हुआ बहुमूल्य रेशमी कपड़ा समझा जाता था^५। डा० मोतीचन्द इसे जंगली रेशम स्वीकार करते हैं^६।

कौशेय-पत्रोर्ण—यह सम्भवतः कौशेय और पत्रोर्ण दो प्रकार के वस्त्रों से मिलकर बनता था। कौशेय कोशकार देश का बना रेशमी वस्त्र होता था^७ और पत्रोर्ण हमारे विचार से ऊनी वस्त्र का एक प्रकार होता था। अतः कौशेय पत्रोर्ण ऐसा वस्त्र होगा जिसका निर्माण ऊन में कुछ रेशम मिला कर होता होगा।

अंगुक अत्यन्त भीना और स्वच्छ वस्त्र माना गया है^८। कुछ विद्वान् इसे मलभल समझते हैं^९। यह दो प्रकार का होता था, एक भारतीय और दूसरा ऊन देश से लाया हुआ, जो भीनांगुक कहलाता था। अब प्रश्न उठता है कि वह भूती वस्त्र या या रेशमी। इस विषय में जैन आगम 'अनुयोगदार सूत्र' की साक्षी का प्रमाण उल्लेखनीय है। इसमें कीटज-वस्त्र पाँच प्रकार के बताये गये हैं—पट्ट,

१. डा० मोतीचन्द : प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ६

२. वही, पृ० ५५

३. वासुदेवशरण अग्रवाल . हर्यंचरित : एक साम्झूतिक अध्ययन, पृ० ८८

४. 'घकुलवटादिपत्रेषु' कुमिलालोर्ण छत पत्रोर्णम्—क्षीरस्वामी।

५. वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्यंचरित . एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७७

६. डा० मोतीचन्द : प्राचीन वेशभूषा, पृ० १४६

७. वही, पृ० ६ (भूमिका)

८. गूडगविमलेन अशुकेनाञ्चावितचरीरा देवी सरस्वती।

—वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्यंचरित : एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७८

९. वासुदेवशरण अग्रवाल : हर्यंचरित : एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७८

मलय, असुय, चीनासुय और बिभिराग^१। इससे स्पष्ट है कि यह रेशम के कीड़ों द्वारा निर्मित कोई रेशमी-बस्त्र होता था। यह श्वेत, नील आदि अनेक बर्णों का था। श्वेत रग के अशुक को सिताशुक^२ और नीलवर्ण के अशुक को नीलाशुक^३ कहा जाता था। अभिसारिका-वेश में नीलाशुक ही धारण किये जाते थे^४।

बस्त्रों के प्रकारों का वरणन करने के पदचारू सबसे पहला प्रदर्शन यही उठता है कि बस्त्र स्पूत होते थे या अनुस्पूत। नाटकों में इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सकेत नहीं भिलता। अनुमान यही किया जाता है कि बस्त्र विना सिले ही पहने जाते थे। 'दुकूल मुगम', 'क्षीम मुगम'^५, 'कौशेय पत्रोएंमुगल' जैसे शब्द-प्रयोगों से यही सिद्ध होता है कि शरीर की सुरक्षा के लिए दो बस्त्र प्रयुक्त होते थे—एक निम्न भाग को आकृत करने के लिए, जिसे अधोबस्त्र कह सकते हैं, और दूसरा ऊपर के भाग को ढकने के लिए, जो उत्तरीय^६ कहलाता था। स्तनाशुक^७ भी शारीरिक सौन्दर्य-वृद्धि के लिए पहना जाता था। यह आजकल के घलाउज की तरह सीया नहीं जाता था बरन् अशुक जैसे रेशमी बस्त्र के टुकड़े को सामने से ले जा कर पीछे गाँठ बाँध कर उसे स्तनावरक वा स्प दे दिया जाता था।

राजकीय प्रसाधनों में वैकल्पिक नेपथ्य का भी उल्लेख हुआ है। इसके अन्तर्गत शरीर को अलकृत व प्रसाधित करने वाले मृज्जा-

१ अनुयोगद्वार सूत्र ३७, श्री जगदीशचन्द्र जैन कृत 'लाइफ इन एन्ड इण्डिया ऐज डेपिकटेड इन जैन केन्द्र' पृ० १२६

२ सिताशुक मालमामभूषणा पविनदूर्वाकुरताछिनालना—विक्र०, ३ १२
३ हना चित्रलेखि । अदि रोचते सेऽय मैज्जपामरणमूर्यितो नीलाशुकपत्रियहो-
अभिसारिकावेश । —विक्र०, अक ३, पृ० १६८

४. विक्र०, अक ३ पृ० १६८

५. माल०, अक ५ पृ० ३५६

६ यावदेव्या विटपलमामुक्तरीय तरतिका, मोचयति तावमया निर्वाहित
आत्मा । —अभिर० शा०, अक ६, पृ० ११६

७ इयं ते जनकी प्राप्ता रघुदालोऽनन्तत्परा ।
स्नेह प्रस्त्रिनिर्भन्मुद्दहती स्तनाशुकम् ॥

—विक्र०, ५ १२

वैकल्पिक नेतृत्व रिक उपकरण समाचिष्ठ हैं। इन उपकरणों से आभूषण, पुण्य, नाना प्रकार के सुगन्धित अवत्तेपन एवं चूर्ण प्रमुख हैं। नाटकों में भूषण के लिए आभरण^१, अलकार^२ तथा भण्डन^३ का प्रयोग हुआ है। रानियां बहुमूल्य रत्नाभूषण धारण करती थीं। रत्नों में मणि^४, सुवर्ण^५ और मुक्ता^६ का बहुल प्रयोग होता था। शरीर के अवयवानुसार निम्नाभूषण उल्लेखनीय है—

कान के आभूषण के रूप में केवल कर्णचूलिका^७ का वर्णन हुआ है। स्वप्नवासवदत्त^८ के द्वितीय अक-

कर्ण भूषण मे कन्दुक-क्रीडा के समय पद्मावती की कर्णचूलिका कान के ऊपर चढ़ जाती है^९। इससे सिद्ध होता है कि यह आजकल के भुमके जैसा कान के नीचे तक लटकने वाला आभूषण होता होगा।

गले में भी मोतियों और रत्नों के नाना प्रकार के हार पहने जाते थे। हारों में मौक्तिक लम्बक^{१०}, मुक्तावली^{११} और एक-
कण्ठाभूषण वली वैजयन्ती^{१२} प्रमुख थे। मौक्तिक-
लम्बक, जैसाकि इसके नाम से शात होता है लम्बा हार होता था। उसके

१ अतिलभिदुकूलनिवासिनी बहुभिराभरणोप्रतिभाति मे। —माल०, ५७
२ राम—मैथिलि ! किमद्यं विमुक्तालकारासि ।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० २३

३ तादत्ते प्रियमण्डतापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् । —अभिराशा०, ४६
४. मृच्छ०, अक ४, पृ० २३६

५ त्रीर्णिकमिव बल्कल सदृत्तम् । —प्रतिमा०, अक १ पृ० १२
६ पाद टिष्ठणी न० ४

७,८ इय भर्तृबारिका उत्कृतकण पूलिकेन व्यायामसजातस्वेदविन्दुविचित्रितेन ।
—स्व० वा०, अक २ पृ० ६७

९ ते कुमुकिता नाम प्रवालान्तरितैरिव मौक्तिकलम्बकोराचिता कुसुमे ।
—स्व० वा०, अक ४, पृ० ६०

१० पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती मुकुदावलीविरचना पुनरशक्तिमस्ते ।
—विक्र० ५ १५

११ अहो तत्ताविद्यपूर्वकावली वैजयन्ती मे लत्ना । —विक्र०, अक १, पृ० ११४

मध्य में मोतियों के बीच-बीच में प्रवाल या मूँगे पिरो दिये जाते थे^१। मोतियों की एक लड़ी माला (मुक्तावली) कहलाती थी। एकावली वैजयन्ती सम्भवत मुक्तावली जैसा ही एक लड़ी हार था। गोपीनाथ राव^२ वैजयन्ती को रत्नों के समूहों की उत्तरोत्तर पवित्रों से बना हार मानते हैं जिसके प्रत्येक रत्न-समूह में पाँच रत्न विशिष्ट क्रम से रखे जाते थे। वे अपने मत की पुष्टि के लिए 'विष्णुपुराण' का प्रकारण प्रस्तुत करते हैं। "वैजयन्ती नामक विष्णु का हार पाँच आकृतियों वाला है, क्योंकि यह पचभूतों से बना है। यहाँ पचाश्चति से पाँच प्रकार के रत्नों अथवा मोती, मालिक्य, पन्ना, नीलम और हीरा का बोध होता है।"

राजमहिपियों के आभूपरण के रूप में केवल अगुलीयक का उल्लेख मिलता है। यह कई प्रकार की करामूपण होती थी। नागादि की मुद्रा बड़ी रहती थी, जिसमें से केसर के समान पीली किरणें फूटती थी^३ और बिनी में रत्न के मध्य व्यक्ति का नाम खुदा रहता था^४। अगुलीयक का उपयोग कभी-कभी अधिकार-सूचनायाँ भी होता था^५।

राजकीय प्रसाधनों में कटि के आभूपरणों का भी महत्व है। इस

१ ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितैरिव मेकिरलम्बनैरचिता कुसुमै ।

—स्व० चा०, अक ४, पृ० ६०

२ दि हिंदू इत्नोनोप्राप्ति, भाग १, खण्ड १, पृ० २६ तथा भगवत्पराण उपाध्याय वालिदारा का भारत, पृ० ३२६

३. कुमुदिनी—प्रहो वकुलावलिका। सखि ! देव्या इद मिलिपसकाशादानीत नागमुद्रासनाथमगुलीयक स्त्रिय निव्यायन्ती तवोपात्रम्भे पतितास्मि । यनेनागुलीयकेनोदभिन्नकिरणकेसरेण ।

—माल०, अक १, पृ० २६३

४ सखि ! यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानम् यरो भवेत्तत्त्वस्येदमात्म-नामधेयाकित अगुलीयक दर्शय ।

—मभि० दा०, अक ४, पृ० ७६

५ ममागुलीयकगुद्रिकाम् दृष्ट्वा न भोक्तव्या त्वया हताद्या मालविका वकुलावलिका चेति । माल०, अक ४, पृ० ३१७

बर्ग में भेखला^१, काची^२ व रशना^३ तीन आभूषण आते हैं। 'माल-विकागिनमित्र' के चतुर्थ अक में एक ही कटि के आभूषण प्रसग में इन तीनों का एक साथ बर्णन हुआ है, इसलिए हमारी दृष्टि में ये एक ही आभूषण के नामा अभिधान प्रतीत होते हैं। श्रीमती गायत्री देवी वर्मा^४ इन तीनों में भेद स्वीकार करती है। उनके विचारानुसार काची, रशना और भेखला सब साथ पहनी जाती थी। अपने मत के समर्थन में वह डा० मोतीचन्द की 'प्राचीन वेशभूषा' नामक पुस्तक के पृ० ८० ७२ पर दिये गये यक्षिणी के चित्र, जिसमें यक्षिणी भिन्न प्रकार की चार लड़ियों वाली करधनी पहने हुए हैं—को प्रमाण-स्वरूप उद्घृत करती है।

पदाभूषणों के अन्तर्गत नूपुर^५ का नाम आता है। यह सम्भवत आधुनिक पायजेब या पायल का ही दूसरा रूप था। इससे चलते पदाभूषण समय छनन-छनन का भधुर रव जिसे शिजन^६ कहा गया है, उत्पन्न होती थी। इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि इसमें छोटे-छोटे घुघुरु लगे रहते थे जो शब्द उत्पन्न करते थे। सीताराम चतुर्वेदी ने नूपुर का अर्थ बिछुआ किया है^७।

१ शठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवस्थवधीरणा प्रिये ।

चरण पतितया न चण्डि । ता विलूजिति भेललयापि याचिता ॥

—माल०, अ८०

२ बालसारा हेमकाचीगुणेन धीणीविष्वादप्युपेक्षाच्युतेन ।

—माल०, अ८१

३ (दरावती रशनासधारितचरणा चजत्येव) । —माल०, अ८०, पृ० ३११

४ कालिदास के प्रथो पर भाषारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति,
पृ० २२६-२२८

५ यायया कथ देवी त्वर्यधारित नूपुरयुगम परिजनस्याभ्यनुगास्यति ?

—माल०, अ८०, पृ० ३०२

६ मैथियामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्तुक्षेत्रसाम्
कूजित राजहृसाना नेद नूपुरशिजितम् ।

—विक०, अ४०

७ कालिदास यथावली (दिलीय संस्करण), दिलीय राष्ट्र, पृ० ३०६

रनिवास के बहुमूल्य आभूपणों को सुरक्षित रखने के लिए आवृनिक लॉकर (Locker) जैसी एक पेटिका होती थी जिसे आभरण-मजूपा^१ कहा जाता था।

आभूपणों के पश्चात् पुष्प प्रभुख शृङ्खारिक उपकरण माने जाते थे। अन्त पुर की नारियों क्रत्वानुकूल^२ पुष्पों से अपने केश और शरीर को अलंकृत करती थी। पुष्पों का पुष्प और अवलेपन आभूपणों के रूप में भी उपयोग होता था। पुष्पों के अवरत्स और हार^३ अधिक प्रचलित आभूपण थे। पुष्प और पुष्प-मालाओं से शृङ्खार करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है और साहित्य में भी इसका पर्याप्त उल्लेख मिलता है। जातक-प्रन्यो^४ में पुष्प-मालाओं और पुष्पाभरणों का उल्लेख मिलता है। (प्रसाद ने भी पुष्पाभरणों का उल्लेख लिया है)^५। अवलेपनों के अन्तर्गत रक्ता-चन्दन^६, अलकतक^७, वालागुरु^८ चन्दन^९, ओष्ठ राग^{१०} आदि अवलेपन का प्रयोग शीतलता और सुगन्धि के लिए होता था।

आलोच्य नाटकों में राजप्रासाद का भी मव्य वर्णन मिलता है।

१. (भ) पुरविजयनिमित्तेन परितोयेणात् पुराणामारणानां मजूपाद्यम
संवृत्ता। —माल, अक ५, पृ० ३५५
२. अत्र ह्यग्रन्ता परिजनेन मम परितोयनिमित्त वकुलसरलसजर्जिनवद्य-
नीपतिचुनप्रमृतीनि भेदकालवल्लमानि परमगुरभीष्मानीपमानानि मामु-
मादयन्ति। —भविं, अक ५, पृ० १२२
३. भन्दूदारिकायै सुमनोर्णक मया रोचते। —भविं, अक ४, पृ० ८५
४. मुशिरजालक, २.३०. १४३
५. राजदथी, १.११, १ १३, १.१४
६. देव ! प्रवासाशयने देवी निपणा रक्तचन्दनधारिणा... तिष्ठति। —माल०, अक ४, पृ० ३१७
७. चाहादगतिरनक्तवामा। —विक्र०, ४ १६
८. ... वालागुरुचन्दनाद्यादि...। —भविमारक, ५ १
९. दृतोष्ठरागेन्द्रपनोदविन्दुभि ...। —विक्र०, ४.१७

‘मालविकाग्निगिन’ के चतुर्थ अक मे राजा धारिणी और इरावती के भय से चोर मार्ग द्वारा वन मे जाता है। प्रमद वन मे नाना प्रकार के पुण्यों और फलों से लदे हुए वृक्षा वाले कुज होते थे^१। आँधी, पानी और धूप से बचने के लिए इसमे लता मण्डप होते थे जिनमे विश्वामार्य शिलापट्ट बनाये जाते थे^२। आजकल भी गृहोदायानों मे सगमरमर या पत्थर की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। पशु पक्षियों के कलरव से वन सदा गुजित रहता था^३। भगवतशरण जी के शब्दों मे सम्भवत प्रमद-वन मे चिड़ियाघर भी होने थे^४। यहाँ मनोविनोदार्थ पशु पक्षियों के चिनों से चित्रित कृनिम नीडापर्वती^५ का भी निर्माण किया जाता था। नानाविध जलचरा से परिपूर्ण दीधिकाएँ और वारिकणों को चतुर्दिव फैलाने वाले वारियन्न^६ वन-लक्ष्मी की श्री मे चार चाँद लगाते थे। वसन्त मास मे तो प्रमदवन यथार्थ म अपनी अभिधा को सार्थक करता था। वन्दन-लक्ष्मी मन्त्रा कामियों को लुभाने के लिए पोड़क शृङ्खार के साथ बाहर निकलती थी^७।

१ अहो प्रमदवनमृद्धि । इह हि

+ + +

नित्यं पुष्पकनाद्यपादपुना देशाद्व दृष्टा मया ।—यमि० २६

२ एष मणिनापट्टमनाथोऽतिमुक्तनामण्यो ।

—विक्र०, अक २ पृ० १७४

३ उम्पुआनुभिन्निरे निषीदति तरोमूर्ते शिष्ठो
निभिष्ठोपवग्निकारमुकुनान्यानोयते पदपद ।
तन वारि विहाय तीरतिनीं कारण्डव रोचते
शीढावश्मनि चैप वज्रगुक वलातोजन याचते । —विक्र०, २ २३

४ भगवताररु उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० ४७

५ भी यथस्य द्विमेतत्पवनवशगामि प्रमदवनसभीपागतकीडापवन गर्यते दृश्यते ।
—विक्र० अक २, पृ० १८८

६ नानावारिचराण्जविरचिता दृष्टा मया दीपिका । —यमि०, २ ६

७ द्विदृशेपात् पिपासु परिसरनि शिरी भातिमद्वारियात्रम् ।
—माल०, २ १२

८ एतत्वनु भवतिभिन्न विनोभिन्नकामया प्रमदवनलभ्या मुखतिवेपनज्ञा
प्रयत्नक वसतत्कुम्पनेपद्य गृहीतम् । —माल०, अक ३ पृ० २६५

राजकुल के वहिभाग में दर्शनीय वस्तु राज-प्रासाद होता था । इसमें राजा के बैभव के अनुसार अनेक गृह और भवन होते थे जिनका अपना अपना वैशिष्ट्य होता था । ये सभी भवन सुन्दर और सुसज्जित होते थे । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

यह भवन जैसाकि इसके नाम से जात होता है, सम्भवत मणिमय होता होगा अर्थात् इसके निर्माण में मणिमय उपकरणों का बहुत प्रयोग होता होगा । इसकी सीढ़ियाँ

१ मणिहम्यं भवन गगा की तरणों के सहश शुभ्र स्फटि काल म वडा रमणीय एव मनमोहक प्रतीत होता था^३ । इसकी छत से चन्द्रमा अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था । अतएव भ्रत के दिन रानियाँ इसी भवन से चन्द्रमा के दर्शन करती थीं^४ । पी० के० आचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—‘एक छपरी भजिल, एक स्फटिक भवन, रत्न-जटित प्रासाद’^५ ।

यह भी एक प्रासाद विशेष था । ‘मधूरस्थित्यर्थं यप्त्यो यत्त स्यापिता स सीधविशेषं’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह सम्भवत ऐसा प्रासाद था जिसमें मधूरों के

२ मधूरयटि प्रासाद^६ विश्रामार्थं मणियाँ लगाई जाती थीं । इसमें अनेक कक्ष होते थे^७ । आतप रक्षण के लिए एक मणिमय कक्ष की रचना की जाती थी, जो मणिभूमिका^८ कहलाता था ।

१ एतेन गगातरगसश्रीकेण स्फटिकमणिसोगानेनारोहतु ।

—विक०, अक ३, पृ० १६६

२ प्रदीपावभरमणीय मणिहम्यम् । —विक० अक ३ पृ० १६६

३ मणिहम्यपृष्ठं मुद्रानदचाद्र । तथ सनिहितेन देवेन प्रतिपालयितुमित्यामि यावद्वौद्विषीसयोग इति । —विक०, अक ३ पृ० १६५

४ पी० के० आचार्य एनसाईवलोपीडिया आफ हिंदू आर्किनेक्चर, मानसार सीरीज, भाग ६, पृ० ३६४

५ मधूरयटिमुखे । —प्रतिज्ञा० भव २ पृ० ६६

६ प्रतिज्ञायोगधदायणु की १० कपिलदेवमिरि कृत सस्कृत टीका पृ० ६६

७ आतपप्रतिकूल्यार्थं मणिभूमिकाया प्रवैर्येत्यशाप्तय । —प्रतिज्ञा० अक २, पृ० ६६

प्रमद-वन मेरे एक दोला-गृह भी होता था। इसमे अनेक भूले पड़े रहते थे। राजकीय उत्सव या समारोह के अवसर पर ग्रथया रानी वौ इच्छा होने पर राजा-रानी इसमे भूला भूलने का आनन्द प्राप्त करते थे। 'मालविकासिनिमित्र' मेरी इरावती पूर्व निश्चय के अनुसार तिपुणिका को साथ लेकर राजा के साथ भूला भूलने के लिए प्रमद-वन जाती है। वसन्त मास मे वसन्तोत्सव के अवसर पर प्रमद-वन मेरे दोलोत्सव भी मनाया जाता था। प्रमद-वन की रक्षा के लिए उद्यान-पालक^१ और उद्यान-पालिकाएँ^२ भी नियुक्त होती थीं।

अन्त पुर का ही एक भाग कन्यान्त पुर होता था। इसका उल्लेख केवल भास के 'अविमारक' नाटक नाटक मे हुआ है^३। इससे सिद्ध होता है कि भास-युग मेरी राज-भवन मेरी राज कन्याओं के लिए पृथक् प्रासाद की व्यवस्था थी। कन्यापुर मेरी राजकन्या, उसकी सखियाँ, परिचारिकाएँ और धानी निवास करती थीं। 'अविमारक' मेरी कन्यापुर मेरी राजकुमारी कुरंगी के साथ उसकी धानी और नलि-निवा आदि सखियाँ रहती हैं। कन्यापुर का प्रधान-रक्षक अमात्य^४ होता था जिसके अधीनस्थ अनेक भूत्य होते थे। अमात्य की अनु-पस्थिति मेरी अमात्यभूत्य रक्षण का भार सभालते थे^५। राजकन्याओं का प्रासाद भी अपनी समृद्धि के बारण इन्द्रपुरी से स्पर्धा बरता हुआ प्रतीत होता था^६।

- १ घर्यै प्रथमावतारसुभगानि रत्नकुरवकाण्युपायन प्रेष्य नववसातापतार व्यपदेशेनरावत्या निपुणिवासुनेन प्राप्तितो भवाम्—इच्छाप्यार्यपुत्रेण सह दीनापिरोहणमनुभवितुमिति। भवताप्यस्यै प्रतिशानम् तत्प्रमदवनमेव गच्छाय। —माल०, घर ३, पृ० २६३
- २ नादेनैव विगजीहना प्रमदवनपात्रा। —घरिं०, घर ३, पृ० ४८
३. तदावत्प्रमदवनपात्रिरा मधुररिपामचिष्यामि।—माल०, घर ३, पृ० २८०
- ४ अर्यै प्रदेष्ट्य वन्यापुरम्। —घरिं०, घर २, पृ० ४३
- ५ अमात्य प्राप्य भूतिर कन्यापुररक्षक वाणिरावद्वृतेन राह अरमाक महा-राजन् पूर्वित ...। —घरिं०, घर २, पृ० ४३
- ६ अमात्य प्रदिपन इति विचदमात्यभूत्य कन्यापुररक्षणार्थं नाम्यान्त। —घरिं०, घर ३, पृ० ६३
७. उद्बृहित इव भवननानेन स्वर्गं। —घरिं०, घर ३, पृ० ७३

मिलता है। श्री गणपति शास्त्री ने सूर्यमुख प्रासाद वी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—‘सूर्या विवाह देवता सा

४ सूर्यमुख-प्रासाद मगलार्थगजलक्ष्म्यादि देवतावत् दार-
शिलाधुत्कीर्णि मुखे यस्य प्रासादस्य स.

सूर्यमुखप्रासाद”^१। उन्होंने सूर्या का अर्थ ‘विवाह देवता’ किया है। उनके मनानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्रभाग में पत्तर या काढ़ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की प्रतिमा सुशोभित होती है।

यह भी अन्य प्रासादों के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद होता था। प्रासादों के नाम प्रासाद स्वामियों की इच्छा के अनुसार नहीं रखे जाते थे बरन् उनके वैशिष्ट्य

५ मेघप्रतिच्छन्द^२ के आधार पर रखे जाते थे। मात्सर्य किंचित् भिन्न नाम ‘मेघकान्त’ से ‘मेघ-प्रतिच्छन्द’ का सकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-भजिले प्रासादों के बग्गे में आता है^३।

६ वैद्यच्छन्दक^४—यह भी मेघप्रतिच्छन्द जैसा ही प्रासाद होता होगा।

७ शान्ति-गृह^५—राजभवन में अभ्यागतों के विश्रामार्थं शान्ति-गृह भी बनाये जाते थे।

राजभवन के बहिर्भाग में एक ‘उपस्थान-गृह’^६ या आस्थान-

१ साहित्याचार्य पी० पी० शर्मा कृत स्वप्नवारावदत्त की हिन्दी टीका, पृ० १८३

२ अद्यपृष्ठपणे केनापि सहयेनातिकम्य मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याप्रभूमि-
मारोपित । —शब्दि० शा०, अक ६, पृ० १२४

३ भगवतशरण उपाध्याय—कानिदास का भारत, भाग २, पृ० ४६

४ तथावत्स राजा धर्मासुनगत इत आयाति तावदेत्स्मिन्द्विरत जनराधाते
वैवच्छन्दवप्रासाद आह्यु स्वास्थ्ये । विक्त०, अक २, पृ० १६७

५ भार्य ! शान्तिगृहे मा प्रतीक्षस्व । प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० ४१

६ कहिम् । प्रदेशे वर्तते स्वामी ? कि वचीपि उपस्थानगृहमेतत् ।
—शब्दि०, अक १, पृ० ८

राज-प्रासादों के अन्तर्गत समुद्रगृह^१ भी होते थे। आचार्य रामचन्द्र मिश्र के अनुमार यह कृत्रिम समुद्र या जलाशय के समीप स्थित प्रासाद होता था^२। जिस प्रकार

३. समुद्र-गृह

विहारार्थ कृत्रिम कोडी शंलादि बनाये जाते थे उसी प्रकार कृत्रिम समुद्रों का भी निर्माण होता था। 'मत्स्यपुराण'^३ में इसको पोटशभुज दुमजिला प्रासाद माना गया है। यह अन्त पुरीय प्रमदबन के निकट बनाया जाता था। यह श्रीमकाल में विश्राम और विहार के लिए 'सावन-भादो' का काम करता था। जिस प्रकार सावन-भादो में बैठकर मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक शान्ति प्राप्त करता है उसी प्रकार समुद्रगृह क्लान्त एवं परिव्वान्त राजवर्ग के लिए शान्ति-स्थल था^४। 'मालविकाग्निमित्र'^५ के चतुर्थ अक्ष में राजा मालविका के साथ इसी गृह में विहार करता है^६। भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार यह चतुर्दिक फव्वारेदार भरनो से घिरा हुआ विहार-भवन होता था^७। 'भविष्य पुराण'^८ में भी 'समुद्र' का उल्लेख हुआ है जो इसी प्रासाद का सकेत देता है।

राजहम्पों के अन्तर्गत सूर्यमुख प्रासाद^९ का भी उल्लेख

१ समुद्रगृहे सखीसहिता मालविका स्थापयित्वा ।

—माल०, अक ४, पृ० ३२५

२ रामचन्द्र मिश्र कृत प्रतिमा लाटक की संस्कृत टीका, पृ० ४७

३ पोडशाल समाचाच विजय स समुद्रका ।

पादवेयोऽचन्द्रशालेऽस्य उच्छायो भूमिकाद्यम् ।

—मत्स्य पुराण, २६६ ३८

४ एप हि महाराज । राममरण्य गच्छन्तमुपावतेऽपितुमशक्त पुच्चिरहं शोकाग्निना दग्धहृदय उन्मत्त इव वहू प्रलपन् रागुद्वगृहके दायान ।

—प्रतिगा०, अक २, पृ० ४७

५ माल०, अक ४, पृ० ३२५

६ भगवतशरण उपाध्याय कालिदाम का भारत, भाग २, पृ० ४७

७ समुद्रपथगहृदमदिव्यधंभुजदा ।

गृहराजो वृषो हस्ता सर्वतोभद्रको घट । —भविष्य पुराण, १३ २४

८ एष भर्ती सूर्यमुखप्रसादादवतरति । —हृद० वा० अक, ६, पृ० १८०

मिलता है। श्री गणपति शास्त्री ने सूर्यमुख प्रासाद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—‘सूर्या विवाह देवता सा

४. सूर्यमुख-प्रसादाद मगलार्थगजलक्ष्म्यादि देवतावत् दास-शिलाधुत्कीर्णा भुक्षे यस्य प्रासादस्य सः सूर्यागुखप्रासादः’^१। उन्होंने सूर्या का अर्थ ‘विवाह देवता’ किया है। उनके मतानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्र भाग में पत्थर या काप्ठ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की प्रतिमा सुशोभित होती है।

यह भी अन्य प्रासादों के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद होता था। प्रासादों के नाम प्रासाद स्वामियों की इच्छा के अनुसार नहीं रखे जाते थे बरन् उनके वैशिष्ट्य

५. मेघ प्रतिच्छुद्ध^२ के अधार पर रखे जाते थे। मानसार किञ्चित् भिन्न नाम ‘मेघकान्त’ से ‘मेघ-प्रतिच्छुद्धन्द’ का सकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-मजिले प्रासादों के बर्ग में आता है^३।

६. देवच्छुद्धक^४—यह भी मेघप्रतिच्छुद्ध जैसा ही प्रासाद होता होगा।

७. शान्तिगृह^५—राजभवन में अभ्यागतों के विधामार्थ शान्ति-गृह भी बनाये जाते थे।

राजभवन के बहिर्भाग में एक ‘उपस्थान-गृह’^६ या आस्थान-

१. साहित्याचार्य पी० पी० शर्मा कृत स्वप्नवासवदत्त की हिन्दी टीका, पृ० १८३

२. भद्रपृष्ठपेण केनानि सत्त्वेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छुद्धस्य प्रासादस्याग्रभूमि-मारोपित । —अभिं० शा०, अक ६, पृ० १२४

३. भगवतशशरण उपाध्याय—कानिदाम वा भारण, भाग २, पृ० ४६

४. तथावत्स राजा धर्मसिनगत इत आयाति तावदेत्तस्मिन्चिरल जनसधाते देवच्छुद्धकप्रासाद आरुहा स्याह्ये । विक०, अक २, पृ० १६७

५. भार्य ! शान्तिगृहे भा प्रनीक्षस्व । प्रतिशा०, अक १, पृ० ४१

६. वस्मिन् प्रदेशे बनते स्वाभी ? कि ब्रवीपि उपस्थानगृहमेतद् ।

—अधिं०, अक १, पृ० ८

मण्डप भी होता था । इसको हम देशी भाषा में दरबारे-आम' भी कह सकते हैं । उपस्थान गृह था अर्थ है—'यत् स्थित्वा राजा प्रकृति-भिस्पास्यते' अर्थात् जहाँ प्रजा देववत् राजा की उपासना करती है । इस गृह में राजा का दरबार लगता था जिसमें राजा की पट्टमहिपी, जिसे 'देवी' नाम से सम्बोधित किया जाता था भी उसके साथ बैठती थी^१ । दरबार में राजा प्रजा की समस्याओं को सुनकर उन पर ध्यानपूर्वक विचार करता था । सभा-भवन में रार्वसाधारण का निर्वाचित प्रवेश अनुमत था^२ ।

सभा मण्डप का एक अग्र मन्त्रशाला होती थी । यह स्थायी नहीं होती थी, बरन् आपत्कालीन स्थिति में गुप्त मन्त्रणाओं के लिए राजा की आज्ञा से इसकी रचना बीं जाती थी^३ । यहाँ राजा अपने मित्र राजाओं और प्रधान सभासदों के साथ गूढ़ विपयों पर विचार विमर्श करता था^४ । मन्त्रशाला में समस्त राजाओं और सभासदों के लिए यथायोग्य आसन होते थे^५ । राजा के शाला में प्रवेश कर अपना आसन ग्रहण करने के उपरान्त ही सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण करते थे । राजा से पूर्व आसन ग्रहण करना अनुचित समझा जाता था । 'दूतवाक्य के प्रथम अक मे जव दुर्योधन अपने गुरुजनों और समस्त क्षत्रियों को साम्राज्य बैठने के लिए कहता है तो वे लोग आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि 'महाराज' आप नहीं बैठगे ? दुर्योधन के आसन ग्रहण करने पर वे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं^६ । शाला के

- १ यदे महाराजो देव्या सहारते । —अविं, अक १ पृ० १५
 २ किं व्रवीपि—उपस्थानगृह इति । अतस्त्वदकनीयेष भूमि । यावद् प्रविशामि । —अविं, अक १, पृ० १५
 ३ उत्पन्ने धात्राध्वरणा विरोध गाण्डवै सह । मन्त्रशाला रचयति भूत्यो दुर्योधनाज्ञया ॥ —दूतवाक्य, १२
 ४ महाराजो दुर्योधन समाजापयति—मद्य सवपाथिवै सह मनयितु मिद्दामि । —दूतवाक्य, अक १ पृ० ३
 ५ आचार्य ! एतद् कूर्मसिनम् आस्यताम् । पितामह ! एतद् शिहासनम् आस्यताम् । मातुन ! एतद्वर्मसिनम् आस्यताम् । —दूतवाक्य, अक १, पृ० ६
 ६ दूतवाक्य, अक १, पृ० ६

वहिद्वार पर कचुकी द्वार-रक्षक का कार्य करता था। यदि दूतादि कोई व्यक्ति राजा को कोई समाचार देना चाहता तो वह पहले कचुकी द्वारा अपने आने की सूचना राजा के पास भिजवाता था। कचुकी जब उसके प्रवेश की अनुमति ले आता तभी वह शाला के अन्दर प्रवेश कर सकता था^१।

राजकुल में धार्मिक क्रियाओं—हवनादि—के लिए एक अग्निगृह या अग्न्यागार होता था। इसे अग्निशरण^२ भी कहा जाता था। यह स्थान तपस्त्रियों और व्रतविदों के अम्बर्चना के योग्य समझा जाता था^३। जब कभी आश्रमवासी नह्यिगण राजा के पास आते थे तो वह इसी गृह में उनका अभिनन्दन करता था। यह स्थान सदा सम्मानित रहने के कारण मनोहर प्रतीत होता था^४। घी-दूध आदि के लिए यज्ञशाला के अलिन्द में गायों की व्यवस्था थी^५।

राजा के धैमव के अनुसार नानाविष वहमूल्य उपकरणों से सजिजत राजगृहो, प्रासादों तथा आस्थानमण्डप के अतिरिक्त शयनागार^६, शस्त्रशाला^७, हस्तिशाला^८, सगीतशाला^९, नीडावेशम^{१०},

१ (प्रविश्य) नचुकीय—जयतु महाराज । एष खुलु पाण्डवस्वप्नावाराद्
दीत्येनागत पुष्योत्तम नारायण ।

—द्रूतवाक्य, अक १ पृ० ७

२ राजा—वेत्रवति^१ भनशरणमार्गेषादेशय ।

—अभिं० शा०, अक ५ पृ० ३०६

३ यहमप्येतास्तपस्त्रिवदनोचितप्रदेशे प्रतिपालयामि ।

—अभिं० शा०, अक ५ पृ० ३०६

४ एयोऽभिनवसमाजैनसश्रीव । —अभिं० शा०, अक ५ पृ० २८०

५ सनिहितहोमघमुरभिनशरणालिद । —अभिं० शा० अक ५ पृ० २८०

६ वेत्रवति । पर्यातु लोऽस्मि । शयनभूमिमागमदेशय ।

—अभिं० शा०, अक ५ पृ० ८६

७ विस्तीर्णी शस्त्रशाला वदुविधकरणै शस्त्रैषचिता । —द्रूतवाक्य, १ ११

८ अस्मा हस्तिशालाया पाश छित्वा क्षिपामि । —अविं०, अक ३, पृ० ७५

९ भो वदस्य । सगीतशालान्तरेऽवयान देहि ।

—अभिं० शा०, अक ५, पृ० २६१

१० श्रीडावेशमनि चैव पञ्चरक्षक कनातो जल याचते । —विशा०, २ २

सरभाण्ड-गृह^१, चतु शाल^२, मगल-गृह^३, प्रवातशयन^४ आदि भी राजकुल के अन्तर्गत समाविष्ट थे।

विवेचय नाटको मे राज परिवारीय जीवन पढ़ति के साथ-साथ राजकीय उत्सव, मनोविनोद एव क्रीडाओं का दर्शन भी उपलब्ध है।

आमोद-प्रमोद राजाओं के व्यस्त एव कर्मठ जीवन मे आनन्द एव उल्लास का स्रोत सचारित करने के लिए आमोद-प्रमोद का भी विधान था। उत्सवो एव समारोहों मे राजा और प्रजा पारस्परिक भेद-भाव भूलकर सम्मिलित रूप से मनोविनोद करते थे।

राजकीय उत्सवो मे वसन्तोत्तराव^५ का विशिष्ट स्थान था। इसको 'ऋत्तुत्सव'^६ और 'वसन्तावतार'^७ की सज्जा रो भी अभिहित किया जाता था। वसन्त ऋतु के आगमन पर खामदेव की प्रतिष्ठा मे यह उत्सव भनाया जाता था। इस अवसर पर नगर में वार्ष दिनों तक हूर्षे एव उल्लास का साम्राज्य छाया रहता था। न बैवल पुरवासी अपितु प्रकृति भी वसन्त के स्वागत के लिए तैयारियाँ प्रारम्भ कर देती थीं। ऋतुमगल-रूप लाल, पीली, हरी आदि-मजरियों

१ सा लुलु उपस्वनी तथा पिगलाक्ष्या सारभाण्डभूरुहे गुहाकामिव निधिपत्ता ।

—माल०, अक ४, पृ० ३१५

२ किं भण्णि, चतु शाले वर्तते इति । —अविष्णु, अक २, पृ० ३६६

३ मगलशृङ् आसनस्या भूवा । —माल०, अक ५, पृ० ३३६

४ देव ! प्रवातशयने देवी । —माल०, अक ४, पृ० ३१७

५ अनात्पन्ने ! देवेन प्रतिपद्मे वरान्तोत्सवे त्वमाग्रदलिकाभगमारभसे । —धर्मिष्ठा०, अक ६, पृ० १०३

६ किं नु लुलु ऋत्तुत्सवेऽगि निष्ठसवारमभमिव राजकुल हृथते । —धर्मिष्ठा०, अक ६, पृ० १०६

७ अर्थव प्रवमावतारमुभगानि नववसन्तावतारव्यपदेशेनेरावस्या । —माल०, अक ३, पृ० २६३

८ रक्षाओकरुचा विशेषितगुणो विष्वाघरालकनक

प्रत्यारुप्यातविदेशक कुरुक्ष इयामावदातारणम् ।

आकान्ता तित्तक्रिया च तिलकीर्मनद्विरेकाजने

सावज्ञे मुलग्रसाधानविधि श्रीमधिवो योपिताम् ॥

—माल०, ३ ५

से भगवान् अनंगदेव की अन्यर्चना की जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में भयुरिका और परभृतिका नामक चेटिर्याँ आम-मंजरी से धनुधारी कामदेव की पूजा करना चाहती है'। विशेष परिस्थितियों में राजा की आज्ञा से वसन्तोत्सव का आयोजन स्थगित भी कर दिया जाता था^३।

वसन्तोत्सव के अन्तर्गत अशोक-दोहदोत्सव भी मनाया जाता था। कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में इसका विशद उल्लेख किया गया है। वसन्त-मास में अशोक के पुष्पित न होने पर उसके दोहद-निमित्त इस उत्सव का आयोजन किया जाता था। प्रायः अन्त-पुर के प्रमद-बन में अशोक-दोहद का समारोह सम्पन्न होता था। 'सुन्दर रमणी के पदाधात से अशोक पुष्पित हो जाता है' इस पुरातन मान्यता के अनुसार वस्त्राभूपसरों से अलंकृत राजमहिलों वाम-पदाधात^४ से उसे प्रताङ्गित करती थीं। रानी के अस्वस्थ होने पर कोई सुन्दरी रानी के नूपुर पहन कर अशोक-दोहद के कार्य को सम्पन्न करती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में महारानी धारिणी के अस्वस्थ होने पर मालविका ही रानी के नूपुर पहनकर अशोक वृश पर पदाधात करती है^५। अशोक-दोहद के लिए नियुक्त रमणी को राजसी अलंकारों से मणिडत किया जाता था^६। उसके पैरों में बड़े कलात्मक ढंग से महावर लगाई जाती थी^७ और कानों में अशोक-नग का करणीवतंस पहनाया

१. सभि ! अवलम्बस्व मां यावदग्रपादस्थिता भूत्वा चूतकलिकां गृहीत्वा काम-देवार्चनं करोमि । —अभिंशा०, अंक ६, पृ० १०२
२. यदनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वव्यं कि निमित्तं भर्ता वसन्तोत्सवः प्रतिगिद्ध । —प्रभिंशा०, अंक ६, पृ० १०४
३. मुत्त नाम अनभवतः प्रियवस्योऽयमशोको ननु वामपादेन ताडपितुम् । —माल०, अंक ३, पृ० ३०८
४. तर्क्यामि दोलापरिभृत्या सहजचरणया देव्याऽशोकदोहदाधिकारे मालविका नियुक्तेति । अस्यया कर्यं देवी स्वयं धारितं नूपुरयुग्मं परिजनस्याभ्यनुजास्यति ? —माल०, अंक ३, पृ० ३०२
५. राजा—कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भ ? विद्युपक—विनु खलु जानासि त्वम् । मम कारणादेवीमामन्त-पुरनेष्येन योजयिष्यतीति ? —माल०, अंक ३, पृ० २६६-३००
६. भाद्रालितकमस्याश्चरण मुखमाल्लेन शोपयितुम् । —माल०, २०१३

जाता था^१। अशोक के पुष्पित होने पर उमकी प्रसूत लक्ष्मी को देखने का भी उत्तम भव मनाया जाता था^२। राजा राजमहियियो एवं परिचारिकाओं सहित कुमुम-समृद्धि के दर्शन करता था^३। इस अवसर पर ब्राह्मण को वसन्तोत्तमवोपायम स्पष्ट दर्जिणा आदि भी दी जाती थी^४।

वसन्तोत्तमव के अवसर पर नववर्मनतागमन के उपलक्ष्म में राजा-रानी दोलाधिरोहण से भी आनन्द प्राप्त करते थे^५। रानियाँ सम्मवत् भदिरोन्मत्त होकर भी भूला भूलती थीं। 'मालविकाग्निमित्र में रानी इरावती भदिरा पान कर राजा के साथ भूला भूलने जाती हैं'। राजाओं के भूले एवं विदेश गृह में लगे रहते थे, जो दोलागृह^६ कहलाता था।

वसन्तोत्तमव के अवसर पर साहित्यिक स्पष्टकों का अभिनय भी होता था। इस अवसर पर अभिनीत स्पष्टक (नाटक) साधारण जनता के लिए भी दर्शनोपलब्ध होते थे। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक वसन्तोत्तमव पर ही सर्वप्रथम जनता के समक्ष अभिनीत हुआ था^७।

१ एषोऽशोकदाक्षावलम्बी पल्लवगुच्छ । अथवास्येनम् ।

—माल०, अक ३, पृ० ३०६

२ देवी विभाषयति—तपनीयांगोशस्य कुमुमसहदामेन मधारम्भ सफल क्रियतामिति । —माल०, अक ५, पृ० ३४२

३ यथार्हसम्मानमुद्दितमत्त पुर विस्त्रय मालविकापुरोगणात्मन परिज्ञेन सह देव प्रतिपालयति । —माल०, अक ५, ३४२

४ वसन्तोत्तमवोपायवलोक्येनार्यगीनमेन वर्यिन त्वरता भट्टिनीति । —माल०, अक ३, पृ० ३०८

५ नववसन्तावतारव्यपदेशेनेत्रावयानिपुणिकामुखेन प्रायितो भवान्—इच्छाम्यार्यपुत्रण सह दोलाधिरोहणमनुवित्तुमिति । —माल०, अक ३, पृ० २६३

६ चेठि । मदेन कलाम्यमानमात्मानमार्यपुत्रस्य दर्शने हृदय त्वरयति । चरणो पुनर्न मम प्रसरत । —माल०, अक ३, पृ० ३०९

७ ननु सम्प्राप्ते स्वौ दोलागृहम् । —माल०, अक ३, पृ० ३०१

८ अनिहितोऽस्मि विद्वलारियदा कालिदाराप्रभितपस्तु मालविकाग्निमित्र नाम नाटकमस्मिन् वसन्तोत्तमवे प्रयोगनव्यमिति । —माल०, अक १, पृ० २६१

उत्सवों में धनुर्मह^१ भी अपना विशेष महत्व रखता था । इस उत्सव पर राजा मनोरंजनार्थ मल्लयुद्ध करवाते थे । इनके लिए उनके पास बड़े-बड़े मल्ल होते थे और दूसरे धनुर्महोत्सव राज्यों से राजमल्लों को आमन्वित भी किया जाता था । ये मल्ल परस्पर करण, सन्धि और आवन्ध प्रहारों से युद्ध करते थे^२ । कंस के राजभवन में चाणूर और मुष्टिक नामक दो विकट मल्ल थे^३ । राजा प्रासाद में बैठ कर मल्लयुद्ध का आनन्द लेता था^४ । राजा के आदेश के साथ ही भट माला फेंक कर युद्धारम्भ की घोपणा करता था^५ । मुद्द से पूर्व संख्यपटह बजाये जाते थे^६ । राजनगर नववक्तृ के तरह सजाया जाता था । राजपथ छवजा, पताका, पुष्प, मालाओं एवं ग्रग्र धूपादि सुगन्धित द्रव्यों से मणित एवं नुगन्धन्वत किये जाते थे^७ ।

राजकीय समारोहों में वर्षवर्धनोत्सव भी परिगणित था । राजा का जन्मदिवस बड़ी धूम-धाम में मनाया जाता था । राजा आयुवर्धनार्थ जन्मकालिक नक्षत्र की पूजा करता था^८ वर्षवर्धनोत्सव और महों गायों का दान करता था । गोदान के लिए नगरोद्यान के मार्ग पर

१. मधुराया धनुर्महो नाम गहोत्सवो भविष्यति ।

—वा० च०, अक ४, पू० ६४

२. अनिद्यकरणमन्यावन्यप्रहारेयुद्धकिनेपे. सिंह गच्छाम ।

—वा० च०, अक ५, पू० ७०

३. गच्छ ! यथानिदिष्टौचानूरमुष्टिकौ प्रवेशय*** —वा० च०, अंक ५, पू० ६८

४. यावद्दृष्टिप्रासादमाश्वः*** युद्धं पश्यामि ।

—वा० च०, अक ५, पू० ६६

५. देतिये, वा० च०, अक ५, पू० ७२

६. वादमत्, वादयन सर्वपटहान् । —वा० च०, अक ५, पू० ७२

७. एष डानीं नन्दगोपपुत्र उत्सवाधिकारोच्चूतव्यजपनाव नवसकृतमान्ददा-मालदृतमुत्यादितागुम्भूपस्तमादुन राजपथ प्रविदय***** ।

—वा० च०, अक ५, पू० ६७

८. वदमेन ! जन्मनक्षत्रकियाव्यापूतस्य महाराजस्य दावदकालनिवेदन नन्द-मुत्पादयति । —पचरात्र, अक २, पू० ५८

सबतसा गाएँ सजा दी जाती थी^१ । गोपदालक और गोपदालाएँ नवीन वस्त्राभूपणों से सज-धज कर आनन्द-मगल मनाते थे और नाचते गाते थे^२ ।

विजयोत्सव भी एक प्रकार का उत्सव था । आलोच्य नाटकों में इसका विस्तृत बरण नहीं प्राप्त होता है । केवल ‘मालविकाग्निमित्र’

विजयोत्सव नाटक के पचम अक में राजकुमार वसुमित्र के विजयोपलक्ष में इस समारोह का सकेत मात्र किया गया है । राज-विजय

के उल्लास में सम्पूर्ण राज्य और राजकुल में आनन्द मगल मनाया जाता था । राजकुल में विजय की सूचना देने वालों को पुरस्कारों एवं पारितोषिकों से पुरस्कृत किया जाता था । ‘मालविकाग्निमित्र’ में प्रतिहारी रानी से कहती है कि आपके पुत्र की विजय मुनकर मुझ पर पुरस्कारों की इतनी वर्षा हुई कि मैं अन्त पुर के आभूपणों की मजूपा बन गई^३ । विजयोत्सव के अवसर पर कारागार के समस्त वन्दी राजाज्ञा से मुक्त कर दिये जाते थे^४ ।

विवाहोत्सव भी एक प्रमुख राजोत्सव था । राजकुल में राज-वश परम्परा की रक्षार्थ और राजलक्ष्मी के परिपालन के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य माना जाता था ।

विवाहोत्सव विवाह संस्कार अनिवार्य माना जाता था । अभिज्ञानशाकुन्तल में राजा दुष्यन्त समुद्रव्यवहारी धनमित्र के विवरण को पढ़ कर पुरुषशशी की शोचनीय दशा की फलपना कर अपने अनपत्यत्व

१ महाराजविशाटस्य वर्यवर्धनगोप्रदाननिमित्तमस्था नगरोपवनवीथ्यामायातु गीष्मन् । —पचरात्र, अक २, पृ० ५३ ५४

२ ही ही सुष्ठु नतिव सुष्ठु गीतम् ।

—पचरात्र, अष्टू, २, पृ० ५४

३ यद्याज्ञापयति । भट्टिनि । पुत्रविजयनिमित्तेन, परितोषेणात पुराणा-माभरणाना मजूपास्मि सवृत्ता । —माल०, अष्टू, ५, पृ० ३५५

४ भीदुगल्य । यजसेनश्यालमूरीकृत्य मोर्ध्यता सर्वे वस्थनस्या ।

—माल०, अष्टू, ५, पृ० ३५४

पर अत्यन्त लिप्त होते हैं^१। ऋग्वेद^२, ऐतरेय ब्राह्मण^३ तथा शतपथ ब्राह्मण^४ में भी वश-रक्षण के लिए विवाह परमावदयक रामभा गया है। राजा सन्तान-प्राप्ति के लिए अनेक कन्याओं से विवाह करते थे। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त अनेक पत्नियों के रहते हुए भी पुथ्र-प्राप्ति के लिए शकुन्तला से विवाह करते हैं।

राजकुल में सामान्यतया सबर्ण एव सजातीय विवाह-प्रथा ही मान्य थी। सजातीय विवाह राज-मर्यादा एव वश-गौरव का प्रतीक समझा जाता था। राजा लोग अन्तर्जातीय विवाह भी करते थे। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अव में भट्टारानी धारिणी के भ्राता वीरसेन के लिए वर्णावर शब्द का प्रयोग इम वात का सूचक है कि राजपरिवार में अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित था^५। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त का क्षत्रिय पिता तथा आप्मरा माता से उत्पन्न शकुन्तला नामा आश्रमवासिनी कन्या के साथ विवाह और 'विक्रमोर्धवीय' में राजा पुरुरवा का उर्ध्वशी नामा अप्सरा से पाणिग्रहण अन्तर्जातीय विवाह के ज्वलन्त उदाहरण हैं। राजवर्ग में वहुविवाह की भी अत्यधिक मान्यता थी^६। इसका कारण सम्भवत् ऐश्वर्य एव समृद्धि की विपुलता थी। 'अभिषेक नाटक' में रावण मन्दोदरी आदि अनेक रानियों के रहते हुए भी ऐश्वर्य एव वैभव के मद में सीता से विवाह करना चाहता है^७। विवेच्य नाटकों में वहुविवाह के अनेक

१. कष्ट खतु भनपत्यता। ममाप्यन्ते पुरुवशात्रिय एष एव बृत्तात्।

—अभिम० शा०, अङ्कू० ६, प० १२२

२. ऋग्वेद, १०, ८५, ३६, ५, ३, २, ५, २८, ३ ।

३. ऐतरेय ब्राह्मण, ३३, १, १ का २ ४

४. शतपथ ब्राह्मण, ५, २, १, १०

५. अस्ति देव्या वणुविरो भ्राता वीरसेनो नाम।

—माल०, अङ्कू० १, प० २६६

६. (क) वहुवल्लभा राजान् शूयन्ते। —अभिम० शा०, अङ्कू० ३, प० ५१

(ख) किमत्पुरविरहपर्युत्सुकस्य रानयैश्वरोपेन।

—अभिम० शा०, अङ्कू० ३, प० ५१

७. सीते! भाव परित्यज्य मानुषेऽस्मिन् गतायुपि।

मर्यैव त्वं विद्यालाक्षि! महर्ती वियमानुहि।

—अभिम०, ५ ६

हृष्टान्त देखे जा सकते हैं। 'प्रतिमा नाटक' में राजा दशरथ के कौसल्यादि तीन रानियों का वर्णन मिलता है। 'मालविकाभिनगित्र' में राजा अभिनगित्र को इरायती और धारिणी दो रानियाँ थीं। 'स्वप्नवासवदत्त' में राजा महासेन की पोड़ा पत्नियाँ थीं।—इसका स्पष्ट संकेत मिलता है।

राजपरिवार में भी विवाह एक समस्या थी। राजाओं को राजकन्या के विवाह की सतत चिन्ता रहती थी^१। निश्चित समय पर
 बन्या का विवाह न करने पर उसे समाज
 विवाह-विधि एव प्रजा के उपहास का पात्र बनना
 पड़ता था^२। यद्यपि राजकन्या के विवा-
 हाथ भिन्न-भिन्न राजकुलों से प्रतिदिन दूत आते रहते थे^३ किन्तु उन
 को प्रत्युत्तर देना अति दुष्कर कार्य था। विवाह में अनेक वरों में से
 एक वर का निर्वाचन होता था^४। अत. विवाह-सम्बन्ध वहात् विचार-
 विमर्श और परीक्षण के पश्चात् निश्चित किया जाता था^५। विवाह-
 सम्बन्ध के निश्चय करते समय गुण, गोरव, तात्कालिक स्थिति तथा
 भविष्य का विचार, तत्परता और दीर्घसूत्रता का परित्याग, देशकाला-
 नुसार कार्य करना—ये चार बातें आवश्यक मानी गई थीं^६। राजा
 अपनी पुत्री के लिए सर्वगुणमध्यम वर प्राप्त करने की चेष्टा करता
 था^७। राज-वर के लिए कुलीनता, दयालुता, गोरव, सौन्दर्य, उदग्रीवीर्य,
 प्रजावत्सलता आदि गुण आवश्यक थे^८।

१. पोदशान्ति पुरजयेष्ठा पुण्या नगर देवना। — द१० वा०, ६.६
२. कन्यापिनुहि सतत बहु चिन्तनीयम्। — अवि०, १.२
३. अदसे त्यागतालज्जा दसेति व्यथित मन। — प्रतिज्ञा० २.७
४. एव नामाहम्यहनि गोत्रानुकूलेभ्यो राजकुसेभ्य कन्याप्रदान प्रति दूतसम्प्रे-
षणा वर्तके। — प्रतिज्ञा०, अङ्क २, पृ० ४३
५. बहुमुखा विवाहा यथेष्ट साध्यते। — प्रवि०, अङ्क १, पृ० २४
६. विवाहा नाम बहुश परीक्षय कर्तव्या भवन्ति। — अवि०, अङ्क १, पृ० ६
७. गुणवाहुत्य तदात्कमायति चावेष्य त्वरता दीर्घसूत्रता च परित्यज्य देश-
कालविरोधेन साधयितव्यं यर्थमित्यर्थ। — प्रवि०, अङ्क १, पृ० २०
८. कन्याया वरसाम्पत्ति पितुः (प्राय) प्रयत्नत। — प्रतिज्ञा०, २.५
९. प्रतिज्ञा०, २.४ (स) प्रतिज्ञा०, अङ्क २, पृ० ६४

आलोच्य नाटकों में विवाह के अष्ट भेदो—ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य, देव, गान्धवं, आसुर, राक्षस और पैशाच^१ में से केवल ब्राह्म और गान्धवं विवाहों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विवाह-भेद सकेत मिलता है। ब्राह्म विवाह में वस्त्राभूषणों से सुगजित कन्या विद्याप्रवीण एवं आचारशील व्यक्ति को प्रदान की जाती है। 'स्वप्नवासवदत्त' में पद्मावती तथा उदयन का विवाह इसी कोटि में आता है। ब्रह्म विवाह समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। कन्या और पर के पारस्परिक प्रेम के आधार पर होने वाला विवाह गान्धवं विवाह कहलाता है^२। इसमें दोनों पक्षों के गुरुजनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। गान्धवं विवाह तत्कालीन समाज में अभिनन्दित था^३।

वह सावन होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यन्त लाभ-कारी था। इससे शारीरिक विकृति और अनावश्यक स्थूलता दूर हो जाती थी तथा शरीर कर्मठ और स्फूर्तिशील बनता था। 'अभिज्ञान शाकुतल' के द्वितीय अक्ष में सेनापति मृगया की प्रशासा करते हुए कहता है कि इससे मेद का द्वेदन हो जाता है उदर पतला हो जाता है शरीर हल्का और स्फूर्तिशील बनता है भय और क्रोध को अवस्था में प्राणियों के चित्त में उत्पन्न होने वाले विकार का परिज्ञान हो जाता है चलायमान लक्ष्यों के वेधन में नेपुण्य प्राप्त हो जाता है। इसको मिथ्या ही व्यसन कहते हैं नहीं तो उसके जैसा विनोद कहाँ? ^१ मृगया के समय निरन्तर प्रत्यन्ता के आसफालन से शरीर का पूर्वभाग कठोर होकर सूर्य के तेज तक को राहन करने में समर्थ हो जाता था और शरीर के पुष्ट होने के कारण कृशता लक्षित नहीं होती थी^२। कौटिल्य भी व्यसनाधिकरण प्रकरण में अन्य व्यसनों के साथ मृगया को भी राजाओं का एक व्यसन मानते हैं। दूत, सगीत, नृत्य और सुरामान की अपेक्षा इसे अच्छा रामफने हैं। इसी प्रसग में उन्होंने मृगया के अनेक लाभ वर्णित किये हैं^३।

राजा मृगयावेश^४ धारण कर रथ पर बैठ कर आखेट के लिए जाता था। उस समय वन पुष्प की मानाएँ पहने हुए और हाथ में घनुप बाण लिये हुए यवनी परिचारिकाएँ राजा के शरीर के रक्षा

१ मेददेहै हनोदरलघु भवत्युत्यानयोग्य वमु
सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमन्त्त भयक्रोधयो ।
उत्कप स च विवान यदिपव सिद्धन्ति लक्ष्ये चले
मिथ्यैव व्यसन वदति मृगयाभीष्टु विनोद कृत ।
—अभिंशा० २०, २५

२ अनवरतघन्तुर्ज्याह्विकालनकूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशीरभिन्नम् ।
अपचितमपि मात्र व्यायतत्वादलक्ष्य गिरिष्वर इव नाग श्राणसार विभृति ।
—अभिंशा० २४

३ अथगास्त्र, द३५०

४ अपनयन्तु मृगयावेश । —अभिंशा० २० अक २ पृ० ३२
नाटक में मृगयावेश का उल्लेख मात्र मित्तता है। आखेट की वेशभूषा कई होनी चाहिए इसका कहीं सकेत नहीं है।

करती थी'। यदनियो के अतिरिक्त राज-सैनिक और वन-ग्राही मृगया करते समय राजा की सहायता करते थे। वन-ग्राही राजा से पहले ही वन में पहुँच जाते थे और वन को चारों ओर से घेर कर शिकार की सूचना राजा को देते थे^३। लक्ष्य पशुओं में मृग^३, बराह^४, शार्दूल^५, महिष^६ प्रमुख थे। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुनिलुधक^७ के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि उस समय पक्षियों का भी शिकार किया जाता था। ग्ररण्य हस्तियों का शिकार भी किया जाता था^८ विन्तु बहुत कम। गजलक्षणशास्त्र के ज्ञाता और गजवशीकरण विद्या में पारगत राजा ही वन्यगणों का आखेट कर सकते थे। 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में राजा हस्ति शिक्षा के आधार पर नील कुवलय को चक्रवर्ती हस्ती बताता है और केवल बीणा की सहायता से उसे पकड़ने के लिए जाता है^९।

आखेट में भग्नोरजन के साथ-साथ कष्ट भी प्राप्त होते थे। राजा के आखेट सहायों के शरीर की सधियाँ शिकार के लिए दौड़ते-दौड़ते शिथिल पड़ जाती थी^{१०}। वन में पहाड़ी नदियों का कडबा और कस्तूरा जल पीना पड़ता था। अनियत समय पर लोहे की शलाखाओं पर भुना हुआ मास खाना पड़ता था^{११}।

- १ एप वाणासनहस्ताभियंवनीगिर्वनपुण्यमासाधारिणीभि परिवृत् इत एवा-
गच्छति प्रियवयस्य । —अभिं शा०, अक २, पृ० २७
- २ तेन हि निवत्यं पूवयता वनग्राहिण । —अभिं शा०, अक २, पृ० ३१
- ३ ४ ५ अथ मृगोऽय वराहोऽय शार्दूल इति गच्छाह्नेऽपि श्रीप्रबिरलपादपच्छादा-
यासु वनराजीप्वाहिष्ठतेऽटवीतोटवी । —अभिं शा०, अक २, पृ० २६
- ६ अभिं शा०, २ ६
- ७ शकुनिलुधकेवंनग्रहणको नाहलेन । —अभिं शा०, अक २, पृ० २७
- ८ द्वचमात्रपरिच्छदैन गजयूथविमर्दयोग्येन वलेन मार्गमदया वीथ्या ।
—प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० १५
- ९ पस्तश्य चक्रवर्ती हस्ती नीलकुवलयतनुर्नाम हस्तिशिक्षाया पठित ।
तद् प्रप्रमत्ता भवत मूष्यमस्मिन् मूष्ये। गज तमह बीणाहितीय भानयामीति ।
—प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० १७ १८
- १० तुरगानुधावनकण्ठतस्थे । —अभिं शा०, अक २, पृ० २७
- ११ पश्चकरबन्यायाणि कद्मनि गिरिनदोजवानि पीयते । अनियतवेल दूल्य-
मासभूयिष्ठमाहारो भुज्यते । —अभिं शा०, अक २, पृ० २६

द्यूतकीडा भी राजमनोविनोदो मे परिगणित थी । राजा अक्षकीडा के व्यसनी होते थे^१ । जुए के अनर्थों को जानते हुए भी वे जुआ सेलते थे और राज्य, मान, स्त्री, सभी से वचित हो जाते थे^२ । उनके सत्य, धर्म, दया आदि गुणों का लोप हो जाता था, उनकी चेतना विभ्रष्ट हो जाती थी और उन्हे कोक मे श्रपमानित होना पड़ता था^३ । 'पचरात्र' मे पाण्डव धर्मपरायण और सत्यप्रतिज्ञ होते हुए भी द्यूतकीडा मे राज्य और स्त्री को हार जाते हैं ।

सगीत एव नृत्य भी राजाओं के मनोविनोद के साधन थे । सगीत मे चित्त को मोहित करने वाली शक्ति का अधिष्ठान माना जाता था^४ । सगीतशाला^५, प्रेक्षागृह^६, संगीत एव नृत्य नाट्याचार्य^७ आदि शब्द-प्रयोग राजाओं की सगीताभिष्ठाचि के परिचायक हैं । राजा स्वयं सगीत-मर्मज्ञ होता था और उसके राज्य मे भी अनेक विद्वान् नाट्याचार्य सगीत शिक्षण के लिए नियुक्त रहते थे^८ । राजसभा मे सगीत प्रतियोगिताएँ होती थी जिनमे निषण्यिक राजा को बनाया

- १ अवेदानीं धर्मच्छलेन वचितो द्यूताश्रयवृत्तिर्युष्मितिर । —पचरात्र, अक १, पृ० ३१
- २ यद्य पुरा ते सभामध्ये राज्ये माने च धर्षिता । वलात्कारसमर्थस्ते कि रोपो धारितस्तदा । —पचरात्र, १ ३७
- ३ सत्यधर्मधूणायुक्तो द्यूतविभृष्टचेतन । करोत्यपामविक्षेपै शान्तामर्यं तृकोदरम् ॥ —द्यूतवाच्य, १ ८
- ४ अहो रामनिविष्टनिच्छवृत्तिरुलिखित इव रावेतो रग । —अभिंशा०, अक १, पृ० ५
- ५ भो वयस्य ! सगीतशाला तरेऽवधान देहि । —अभिंशा०, अक ५, पृ० ७६
- ६ तेन हि द्वावपि वर्गी प्रेक्षाएहे । —माल०, अक १, पृ० २७८
७. कथय, तावदन्यो वसवितयोर्नटिचार्यंयो । —माल० अक ३, पृ० २६९
- ८ भवति, पश्याम उदरभरितवादम् । कि मुषा वेतनदानेनैतेपाम् । —माल०, अक १, पृ० २७४

जाता था। 'मालविकाग्निमित्र' में नाट्याचार्य हरदत्त और गणदास अपनी नाट्यशास्त्र-योग्यता के निर्णयार्थ राजा अग्निमित्र की सभा में जाते हैं^१। राजकुल में सगीत विद्या राजाओं को वशपरम्परा से भी प्राप्त होती थी। 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में राजा उदयन को गान्धर्व विद्या स्नानदानी वपौती के रूप में प्राप्त हुई थी^२।

चिनोद के साधनों में सगीत एवं नृत्य के समान चित्रकला भी समाहृत थी। मानसिक अस्वस्थता या उद्विग्नावस्था में चित्रकला मनस्थिरीकरण का माध्यम थी। राजा

चित्रकला दुष्प्रयन्त शकुन्तला के विरह में व्याकुल होकर उसके चित्रालेखन द्वारा अपना

मनोविनोद करते हैं^३। उर्वशी के प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा को चिन्तित देखकर विदूपक उसे उर्वशी का चित्र बनाकर उससे दिल बहलाने के लिए कहता है^४।

कथा-आख्यायिका द्वारा भी मनोविनोद किया जाता था। राजसेवक या राजपरिजन विविध मनोरजनक कथाएँ सुनाकर राजा का चित्तानुरजन करते थे। 'स्वप्न-वासवदत्त' नाटक में राजा निद्रापीडित होने पर विदूपक से कथा सुनाने को कहता है^५।

१ उभावभिनयाचार्यो परस्परजयेषिणो ।

स्वा द्रष्टुमुद्यतो साक्षाद्भावाविव शरोरिणो । —माल०, १ १०

२ दपयत्येन दायाद्यागतो गान्धर्वो वैद । —प्रतिज्ञा० अक २ पृ० ६३

३ तन्वासानपरिचरिका चतुर्तिका भवता सदिषु—ग्रध्यीमण्डप इम्र वेला मतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगता स्वहस्तलिखिता तत्रभवत्या शकुन्तलाया प्रतिकृतिमानयेति । —प्रभि० दा०, अक ६, पृ० १०८

४ अथवा सत्रभवत्या उवश्या प्रतिकृति चित्रफलक आतिस्थावलोक यस्तिष्ठनु । —विक्र० अक २ पृ० १७८

५ वयस्य । निद्रा मा वापत । व्ययता काचित् कथा । —स्व० दा०, अक ५, पृ० १४५

राजात् पुरीय मनोविनोदो मे कन्दुक कीडा^१ जल कीडा^२
बाटिका विहार^३, कथाल्यायिकाथवरण^४ आदि प्रमुख थे। इसके अति-
रिक्त अत् पुर मे मनोरजनाथ मयूर शुक-
अन्त पुरीय कीडाएँ सारिका आदि कीडा पक्षी भी पासे जाते
थे^५। ये पक्षी अपने व्याख्यान और विविध
कथाओं द्वारा रानियों एवं राजकुमारियों को आनंदित करते थे।

राज परिवार के विस्तृत विवेचन के पश्चात् इतर परिवार
का वर्णन भी अनिवार्य है। इतर
इतर परिवार परिवार के अन्तर्गत जन सामाज के
परिवार समाविष्ट हैं।

तत्कालीन जन समाज मे संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी।
संयुक्त परिवार की आधारशिता पारस्परिक प्रम एवं सहयोग की
भावना थी। परिवार के समस्त सदस्य
संयुक्त परिवार प्रथा माता पिता चाचा-ताऊ भाई बहिन
आदि सम्मिलित रूप से रहते थे और
प्रम एवं सहयोग से जीवन यापन करते थे। उनमे अहंभाव या स्वाथ
लेशमात्र भी नहीं होता था। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व
त्यागभय एवं तपोमय होता था। एक सदस्य दूसरे सदस्य की रक्षा

१ (क) कुमारी यसुलदमी कदुकेमनुधावाती ।

—माल० अक ४ पृ० ३३५

(ख) एषा भतृवारिका माधवीलतामण्डपस्य पाइकत कदुकेन कीडतीति ।

—स्व० या० अक २ पृ० ६७

२ का कालोऽह भतृवारिकाया बासवदत्ताया उदके कीडितुकामादा ।

—प्रतिज्ञा० अक ४ पृ० १०२

३ ततो गत्वोद्यान यथामुखगाकीक्य निवतमानाया राजसुतायाम् ।

—अवि० अक १ पृ० ६

४ प्रवदतशयने देवी निपण्णा भगवत्या कणाभिविनोदमाना तिष्ठति ।

—माल० अक ४ पृ० ३१७

५ अथ चेमे मयूरा अस्माक राजकुलमानसे अतिपीठमदभाव कुवति ।

शुकसारिकापि व्याख्यानमेव कथितुमारवधा । मम निवेदभावमजानती
भूतिकसारिकापि सवलोकवृत्तात् । —अवि० अक ५ १२१ २२

के लिए अपने प्राणों तक का वलिदान करने को उद्यत रहता था। 'मध्यमव्यायोग' में केशवदास नामक द्राह्यण के परिवार में त्याग की ऐसी ही उदात् भूमिका परिलक्षित होती है। द्राह्यण परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार की रक्षा के लिए प्राण-त्याग करने को उद्यत है। वृद्ध पिता अपने शरीर द्वारा पुन के जीवन की रक्षा करना चाहता है^१। पत्नी अपने सौभाग्य की रक्षार्थ अपनी वलि देने को तत्पर है^२। पुन गुरुजनों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का विनिमय करने की अभिलापा रखता है^३। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य एव उत्तरदायित्व को पूर्णपूर्ण समझता था।

ऋग्वेद म सयुक्त परिवार के मर्म को इस प्रकार समझाया है— 'सगच्छब्व सबदध्व स वो मनासिजानतम् ।'^४ अर्थात् मनुष्या को एक साथ चलना चाहिये, एक साथ बोलना चाहिये और एक दूसरे के भन को अच्छी तरह समझना चाहिये। आजकल सयुक्त-परिवार-प्रथा के विवेदन का कारण स्वार्थ एव द्वेष की भावना है। आज परिवार के प्रत्येक सदस्य म अह की भावना ने प्रवेदा बर लिया है जो पारिवारिक सुहृद्दता के लिए अत्यन्त घातक है।

सयुक्त परिवार मे वयोवृद्ध व्यक्ति गृहपति सज्जा से विभूषित होता था। वह परिवार का मुखिया एव सर्वेसर्वा होता था। उसका

प्रभुत्व सम्पूर्ण परिवार जन पर रहता

गृहपति था। उसकी आज्ञा ही सर्वमान्य होती थी। आयु अनुभव एव ज्ञान की श्रेष्ठता के बारण उसके अधिकार सुरक्षित रहते थे। गृहपति की आज्ञा से

१ शुतकृत्य शरीर मे परिणामेन जर्जरम् ।

राजसाम्बो सुतापेशी होप्यामि विविस्त्वतम् ।

—मध्यमव्यायोग, ६६,

२ पतिमात्रघमिणी पतिव्रतेति नाम। गृहीतप्रसेनैतन गर्भग्रावं कृत च रश्मितुमच्छामि । —मध्यमव्यायोग, अठ ५, गु. २६

३ विनिमाय गुणप्राणान् स्वै प्राणेगुरुवत्सन् ।
अहुतात्मदुरावाप ग्रहालोकमवाप्नुहि ।

—मध्यमव्यायोग, १२१

४ ऋग्वेद, १० १६१, १६२

पुत्र मृत्यु के मुख में जाने को भी उद्यत रहता था। मध्यमव्यायोग में भव्यम पुत्र को राक्षसी का आहार बनना इसी बात का प्रमाण है^१। गृहपति का समस्त पारिवारिक सदस्यों पर नियन्त्रण रहता था।

परिवार में गृहपति के पश्चात् गृहिणी का महत्वपूर्ण पद था। माता परिवार की स्वामिनी होती थी। परिवार की बाह्य व्यवस्था

गृहिणी

गृहपति संभालता था और आत्तरिक व्यवस्था का भार गृहिणी के कन्धों पर रहता था। गृहिणी ही गृह की आत्तरिक

नीति वा परिचालन करती थी। वही परिवार के व्यक्तियों के आहार विहार आवास निवास और रहन सहन की व्यवस्था करती थी। पारिवारिक संयोजन की आधारशिला गृहस्वामिनी ही थी। वह गृहपति को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी कार्यों में सहयोग देती थी। धार्मिक कर्तव्य तो उसके बिना अपूरण समझे जाते थे। अभिज्ञान शाकुन्तला^२ के चतुर्थ अक्ष में शाकुन्तला की विदा के अवसर पर कण्व लौकिक व्यवहार के शास्ता न होने पर भी गृहिणी के कर्तव्यों की बहुत सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं^३।

गृहपति एवं गृहिणी के अतिरिक्त पारिवारिक संयोजन एवं सघठन में परिवार के अन्य सदस्य भी सहयोग प्रदान करते थे।

प्राचीन पारिवारिक जीवन में शिष्टाचार एवं सदाचार का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने गुरुजनों या

पारिवारिक शिष्टाचार सम्बोधित करता था। बालक या अल्पायु गुरुजनों को अभिवादन करते समय

१ द्वितीय — प्रयोऽस्मि यद् गुरुप्राणा स्वै ग्राणे परिरक्षिता ।
व घुस्नेहाद्वि महत् कायस्नेहस्तु दुलभ ॥

—मध्यमव्यायोग १२०

२ शुभूपस्व गुरुकुरु प्रियरक्षीवृत्ति रापत्तीजने
भतुविप्रकृताद्धि रोगणुतया मा स्त ग्रतीप गग ।
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येवनुत्सेकिनी
यास्त्येव गृहिणीपद मुवतयो वामा कुलस्याधय ।

—धर्मि० शा०, ४ १८

'तात'^१, 'आर्य'^२, 'प्रणम', 'वन्दे'^३, 'अभिवादय'^४ आदि शब्दो का प्रयोग करते थे, और गुरुजन आदीवर्दि या प्रत्युत्तर देते समय 'वत्स'^५, 'पुनक', 'स्वस्ति'^६ आदि वा उच्चारण करते थे। पत्नी पति को 'मार्य'^७, या आर्यपुन कहकर सम्बोधित करती थी और पति पत्नी को 'प्रिये'^८, 'प्रेयसि'^९ आदि सज्जाओं से अभिहित करता था।

१ भौस्तान । अभिवादये ।

—मध्यमव्यायोग, अक १, पृ० १७

२ आर्य । मा मैवम् ।

—वही, अक १, पृ० १५

३ तातवदे ।

—विक०, अक ५ पृ० २४७

४. मध्यमव्यायोग, अक १, पृ० १७

—विक० अक ५, पृ० २५६

५ एहि यत्व ।

—विक०, अक ५, पृ० २४७

६ स्वस्ति मथतो ।

—मध्यमव्यायोग, अक १, पृ० १४

७ आर्य । मा मैवम् ।

—मृच्छ०, अक १०, पृ० ५६०

८ हा प्रिये ।

९ मृच्छ०, १० ५७

सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था

नाटकों में चित्रित समाज के विविध रूपों को जिन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनमें परिवार के पश्चात् 'सामाजिक वर्ण एवं वर्ग व्यवस्था' परिणामित है। परिवार के समान ही वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उसमें भी समाज का एक रूप-विशेष, समाज की एक भाँकी हृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत अध्याय में उसी की विवेचना की जायगी।

देशकाल के बातावरण में गनुभ्य की समष्टि ही समाज है। अत रामाज में व्यष्टिगत उन्नति एवं विकास की आधारशिला समष्टिगत उन्नति एवं विकास है। वर्ण-व्यवस्था का महत्व भस्कृति एवं सम्मता के क्षेत्र में मानव की प्रगति सामूहिक प्रयत्न एवं उपलब्धि का परिणाम है। व्यष्टि, समष्टि से विरहित कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता है। उसके विकास के लिए सामाजिक उन्नति अनिवार्य है।

भारतीय मनोपियों ने सामाजिक विकास की हृष्टि से ही 'वर्णव्यवस्था' की वल्पना की थी। यह व्यवस्था समाजशास्त्रीय तत्त्वों के आधार पर विकसित हुई थी। इसके अनुसार समाज को आहुण, क्षत्रिय, वैश्य और दूद्र इन चार वर्णों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन सम्भवत अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर अवल-मित था। चारों वर्णों के वर्ण-कर्त्तव्य एवं वर्ण-धर्म निश्चित थे।

ऋग्वेद के पुरुषमूक्त^१ में समाज की एक जीवित-जाग्रत-शरीर के रूप में बल्पना की गई है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र को नमस उस शरीर का मुख, मुजा, जघा और चरण माना गया है^२। यह स्पष्ट समाज में वर्णों की आवश्यकता और महत्व का परिचायक है। शरीर में जिस प्रकार मुख, हाथ, जघा और पैर का आगना अपना अस्तित्व और महत्व है, उसी प्रकार चतुर्वर्ण भी समाज में आवश्यक-तानुसार महत्वपूर्ण थे।

आलोच्य नाटक युग में वर्ण-व्यवस्था का रूप सुस्थिर एवं हठ था। वर्ण-चतुर्ण्य की शृङ्खला भारतीय समाज को अपने शक्ति-शाली वन्धन में आबद्ध किये हुए थी।

वर्ण-विभाजन	नाटकों में आये हुए 'चतुर्णां वर्णानाम' ^३ , 'वर्णेन्म्यो' ^४ , 'वर्णाश्रिमाणाम' ^५ आदि
-------------	---

शद प्रयोग तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था के स्थिर एवं नियत स्वरूप के ही परिचायक हैं। वर्ण परम्परा और वर्ण विभाजन के कारण समाज मर्यादित एवं मुग्धित था। समाज में ब्राह्मणादि चारों वर्णों के धर्मगाम्ब्रों द्वारा प्रतिपादित पृथक्-पृथक् आचार धर्म एवं कर्तव्य थे। वर्णों आचार धर्म एवं कर्तव्य का पालन प्रत्येक सामाजिक के लिए अनिवार्य था। इस आदर्श की पूर्ति के लिए राजा अपनी प्रजा के साथ प्रयत्नशील रहता था। इमीलिये राजा को वर्ण-व्यवस्था वा रक्षा^६ और चारों वर्णों को धर्म प्रदान करने वाला^७ कहा गया है। राजा के समृच्छित अदेशण में प्रजा-जन अपने-अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे और निवृष्टतम् वर्ण भी अपय या अधर्म से बचने वे लिए सन्तत प्रयत्नशील रहना था^८। राजा और प्रजा के सहयोग एवं सम्मिलित प्रयास से वर्ण-धर्म-व्यवस्था सुरक्षित थी।

१ ऋग्वेद, १० ६० १२

२ चतुर्णां वर्णानामस्यगिव ।

—प्रतिमा०, ४७

३ यदुतिष्ठति वर्णेन्म्यो ।

—मध्मि० शा० २ १३

४ अभि० शा०, अक ४, शृ० ८४

५ यही ।

६ प्रतिमा०, ४७

७ न विचड्हाणिमामग्रथमपहृष्टोऽपि भजते ।

—मध्मि० शा०, ५ १०

वर्ण-क्रम की हृष्टि से तत्कालीन समाज में ब्राह्मण का प्रथम स्थान था। ब्राह्मण के बल वर्णों में ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी पर पूज्यतम माना जाता था^१। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—

ब्राह्मण ये तीनों वर्णों ब्राह्मण की सर्वतिमना पूजा एवं अभ्यर्चना करते थे। राजा विशिष्ट

ब्राह्मणों के सत्कारार्थ आसन से उठ जाया करता था। यही कारण है कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त आसन छोड़ कर अग्निगृह में कण्व शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा करता है^२। 'मालविकानिमित्र' में राजा अग्निमित्र आचार्य गणेशास और हरदास को देख कर आगदरपूर्वक उन्हे स्थान देता है^३। ब्राह्मण के समस्त अपराध क्षम्य थे^४। ब्राह्मण-वध सबसे बड़ा पाप था। हत्या का अपराध करने पर भी ब्राह्मण अवध्य समझा जाता था। उसके लिए अक्षत विभव सहित राष्ट्र निष्कासन का दण्ड विहित था। मृच्छकटिक में चारदत्त के अपराधी सिद्ध होने पर भी न्यायाधीश उसे राष्ट्रनिष्कासन का दण्ड ही देता है^५। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों के उत्सर्ग को भी धर्म समझते थे^६।

अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, वान और प्रतिप्रह-ब्राह्मण के में पठकर्म थे, जो उराकी जीवन चर्चा के अग थे। विद्या ब्राह्मण का भूपण^७ और विद्याध्ययन उसका परम कर्त्तव्य था। वेद वेदागों के अनुशीलन और वेदग्रन्थों के पठन-पाठन का प्रमुख अधिकारी ब्राह्मण ही था। वह श्रुतियों का ज्ञाता और वेदपाठ में निपुण होता था^८। अध्ययन

१ द्विजोत्तमा पूज्यतमा पृथिव्याम् ।

—मध्यमव्यायोग, १६

२ अभिंशाऽ, अक ५, पृ० ८४

३ स्वागत भवद्वद्याम् । आसने ताष्ठदत्तभवतो ।

—माल०, अक १, पृ० २७१

४ सर्वापराधेऽवध्यत्वा मुञ्यता द्विजसत्तम् ।

—मध्यमव्यायोग, १३४

५ मृच्छ०, ६ ३६

६ क्षत्रियकुलोत्तोऽहम् । पूज्यतमा खतु ब्राह्मणा । तत्माच्छ्रीरेण ब्राह्मणशारीर विनिपातुषिच्छामि । —मध्यमव्यायोग अक १, पृ० ३४

७ विद्याविशेषालकृत किं कोऽपि ब्राह्मणगुवा काम्यते ?

—मृच्छ०, अक २ पृ० ६७

८ इच्यात्र, १५

के साथ-साथ अध्यापन भी ब्राह्मण का धर्म था। महूर्धि कण्ठ और आचार्य द्वोण इसके जबलन्त उदाहरण हैं। ब्राह्मण धर्म में यजन-यजन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ब्राह्मण नित्य दैनिक हवन, यज्ञादि का अनुष्ठान करता था^१। राजादि के यज्ञों में ब्राह्मण ही अनुष्ठान होता था। राजा यज्ञों में विद्वान् ब्राह्मणों को आमत्रित यरता था और यज्ञावसान पर उन्हें प्रभूत दक्षिणा देता था^२। ब्राह्मण को दक्षिणा देना पवित्र कार्य था। सामाजिक उत्तरादो^३, समारोहों एवं व्रत-उपवासादि^४ धार्मिक क्रियाओं में ब्राह्मण-दक्षिणा का बड़ा माहात्म्य माना जाता था। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते थे जो प्रतिग्रह, दक्षिणा आदि स्वीकार नहीं करते थे। 'मृच्छकटिक' में शब्दिलक ऐसे ही चतुर्वेदज्ञ और अप्रतिग्राहक ब्राह्मण का पुत्र है^५।

यज्ञोपवीत द्विजत्व का महदुपकरण था^६। यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का दावा नहीं कर सकता था। विशेष वेश भूपा के साथ शिखा भी ब्राह्मणत्व का चिह्न थी^७। यष्टि भी ब्राह्मण वेश का एक आवश्यक उपकरण थी^८।

विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण जीविकोपार्जन के व्यापारादि इतर साधनों को भी स्वीकार कर सकता था। आपद्वर्म में ब्राह्मण को कृपि, गो-पालन तथा बाणिज्य वृत्ति स्वीकार करने की अनुमति मनुस्मृतिकार ने भी दी है^९। 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त इसका निदशन है। वह ब्राह्मण

१ नैत्यवावसाने प्राणिवममनुतिष्ठति मयि प्रतिमागृह प्रविष्ट ।

—प्रतिमा० अक ३ पृ० ७७

२ पचरात्र १४

३ वसुतोत्तरावोपायनतोनुपेनायगीतमेन । —माल०, अक ३ पृ० ३०१

४ आय । सम्पन्न भोजन नि सपत्नं च । अपि च दक्षिणा कापि से भविष्यति । —मृच्छ० अक १ पृ० १६

५ मृच्छ० अक ३ पृ० १६६

६ (क) यनोपवीत हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यम् । —मृच्छ० अक ३ पृ० १६३
(ख) मृच्छ० १० ५५

७ अभिं गा० गा० अक ५ पृ० ८०

८ विप्रा याति वय प्रकपशिधिता यष्टित्रिपादकमा । —पचरात्र १५

९ मनुस्मृति १० ८२

होते हुए भी वाणिज्य एवं व्यापार को जीविका-रूप में ग्रहण करने के कारण सार्थकाह कहलाता है।

रामाज में ब्राह्मण के पश्चात् क्षत्रिय का महत्वपूर्ण स्थान था। 'ब्रह्मावै ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः'^१ इसी बात का प्रमाण है। शुक्राचार्य के शब्दों में क्षत्रिय की परिभाषा इस प्रकार है—“जो प्रजा का रक्षण करने में निपुण हो, दूर और पराक्रमी हो और जो दुष्टों का दमन करने में समर्थ हो, वही क्षत्रिय कहलाता है”^२। नाटकों में राजा इन्ही क्षत्रियोचित आदर्शों के पालक दिखायी देते हैं।

तत्कालीन समाज में क्षत्रिय ही राजपद का अधिकारी होता था। प्रजापालन एवं लोकानुरंगन राजा का परम धर्म था^३। मनुस्मृति से भी इस तथ्य का समर्थन होता है^४। राजा अपनी प्रजा का सन्तान के सट्टा पालन करता था^५। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त प्रजा के कल्याण के लिए यहाँ तक घोणा कर देता है कि 'प्रजा में जो-जो व्यक्ति अपने जिस-जिस बन्धु से वियुक्त होता है, पाप को छोड़कर, उसका वह-वह बन्धु दुष्यन्त समझा जाय।'^६ तेज क्षत्रिय व्यक्तिस्त्व का अनिवार्य गुण था^७। क्षत्रिय अतीव पराक्रमी और वलशाली होता था। उसके शीर्य का उपयोग आर्त एवं पीड़ितों की रक्षा के लिए होता था^८। 'प्रतिमा नाटक' में जब रावण सीता को हरण कर से जाता है तो मेरी

१. मृच्छ०, अक ६, ष० ४७१

२. तैतिरीय ब्राह्मण ३.६.१४

३. लोकसंस्कारो दक्ष शूरो दातः पराक्रमी। दुष्टगिरहशीलेय ग वै क्षत्रिय उच्चते। —शुक्रनीति, १.४१

४. स्वमुखनिरभिलापः लिदसे लोकहेतोऽप्रतिदिनमवक्ता ते वत्तिरेव विद्येवः

—भ्रमिं शां०, ५.५

५. मनुस्मृति, १.८६

६. अभिं शां०, ५.४

७. अभिं शां०, ६.२३

८. अविं, १.७

९. आर्तवाणाम वः शरनं न प्रहर्तुमनागसि।

—अभिं शां०, १.११

रक्षा करें।] क्षत्रिय की सम्पत्ति उसके दास्त्र होते थे^२। क्षत्रिय केवल प्रजा के पालन के लिए सम्पत्ति का अर्जन करता था, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व तक ब्राह्मणों को दान में दे देता था^३। वह अपने प्राणों द्वारा भी ब्राह्मण को रक्षा करने को तत्पर रहता था^४। प्रतिज्ञा-पालन क्षत्रिय का न्रत था^५। वचन-पालन के लिए वह प्राणोत्सर्ग तक कर देता था। क्षत्रिय-कुमार के लिए दास्त्र विद्या एवं घनुर्वेद का ज्ञान परमावश्यक था। 'विनमोर्वद्धीय' में राजा पुरुरवा का पुन आयु च्यवन कृषि के आधम में अन्य विद्याओं के साथ साथ क्षत्रियोचित घनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करता है^६।

क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के समान ही उच्च थे। अत द्विज शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए भी होता था^७। ब्राह्मणों की तरह उनके भी जात-कर्मादि संस्कार सम्पन्न होते थे^८।

चतुर्वर्णों में वैश्य तृतीय वर्ण है। नाटकों में इस वर्ण के लिए 'वाणिज'^९, 'नैगम'^{१०}, 'श्रेष्ठी'^{११}, 'सार्थकाह'^{१२}, 'विश'^{१३} आदि शब्दों वैश्य का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान वैश्यों का भी समाज में उच्च स्थान था। व्यापार एवं वाणिज्य उनका

- | | | |
|----|--|--|
| १ | दावधर्मे यदि स्तिष्य कुर्याद् राम परानमम् । | —प्रनिमा०, ५ २१ |
| २ | वाणावीना क्षत्रियाणा समृद्धि । | —पचरात्र, १ २४ |
| ३ | पचरात्र, १ २४ | |
| ४ | मध्यमव्यायोग, अक १, पृ० ३४ | |
| ५ | तस्मात् प्रतिज्ञा कुरु वौर ! सत्या सत्या प्रतिज्ञा हि सदा कुरुणाम् ॥ | —पचरात्र, १ ४६ |
| ६ | गृहीतविद्यो घनुर्वेदभिविनीत । | —विष्ण०, अक ५, पृ० २४६ |
| ७ | द्विजमुद्ध्यतम् कविवभूव प्रथित । | —मृच्छ० १ ३ |
| ८ | यत्स्वधियकुमारस्य जातकमादिविषान
मनुष्णिनम् । | तदस्य भगवता च्यवनेनारोप-
—विष्ण०, अक ५, पृ० २४६ |
| ९ | वाणिजयुवा या काम्यता । | —मृच्छ०, अक २, पृ० ६७ |
| १० | विष्ण०, ५ १३ | |
| ११ | शष्ठिचत्वरे । | —चारदत्त, अक ५, पृ० १११ |
| १२ | अभिम० दाम०, अक ६, पृ० १२१ | |
| १३ | मृच्छ०, १ ३२ | |

प्रमुख व्यवसाय था। वैश्य देश को समृद्ध करने के लिए व्यापार में सलग्न रहते थे। वे अनेक नगरों में व्यापार करने जाते थे और अपने वैभव का विस्तार करते थे^१। व्यापारियों के पृथक पृथक समुदाय होते थे जो राष्ट्र^२, कहनाते थे। साथ का प्रधान साथवाह होता था। धन प्रधान व्यवसाय के एवं कम के कारण वैश्यों का रवभाव भी कदु और कक्षा हो जाता था। वे लोभी समृद्ध, शिष्टजनहृषी और निज व्यवसाय में कठोर धन जाते थे^३। स्थलीय व्यापार के साथ साथ सामुद्रिक व्यापार भी प्रचलित था। अभिज्ञानशास्त्रानुस्तल में समुद्र व्यवहारी धनमिन इसका ज्वलन्त प्रमाण है^४।

वर्ण परम्परा में शूद्र का चतुर्थ स्थान है। समाज में यह बण चारों वर्णों में अधम माना जाता था^५। शूद्र के विषय गे मनुस्मृति

का कथन है— शूद्र तु कारयेद् दास्य कीर्त
मत्रीतमेव वा। दास्यायैव हिगृष्टोऽसौ
ब्राह्मणस्य स्वयभुवा^६। शूद्रों को उच्च

वर्णों के समान कोई अधिकार प्राप्त न थे। द्विज की सेवा करना ही उनका वास्तविक धर्म था। ब्राह्मणादि के सदृश उनके जातकार्मादि पोड़श सस्कार नहीं होते थे। उनको वेदमत्रों के पठन पाठन का अधिकार भी नहीं था। देवाचन के समय भी वे वेदमत्रों का उच्चारण किये विना ही देवताओं को प्रणाम करते थे^७। मनु के अनुसार उनके समस्त धार्मिक काय विना मत्रों के होन चाहिए^८। उनके लिए कुछ भी पाप नहीं है धर्म में उनका कुछ भी अधिकार नहीं है न किसी भी

१ किंगनेकनगराभिगमनजनितविभवविस्तारो वस्तिग्रन्थावा ।

—मच्छ० अक २ पृ० ६७

२ पर्विकरात्व विदिशाणामिमम् ।

—माल० अक ५ पृ० ३४८

३ चाहदत् ३७

४ अभिं शा० अक ६ पृ० १२१

५ वाप्या स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वरुषिम ।

—मच्छ० १ ३२

६ मनुस्मृति ८४१३

७ वाप्यनस्तु प्रणाम स्यादमन्त्राचितदैवत ।

—प्रतिमा० ३ ६

८ मनुस्मृति १० १२७

कार्य करने का प्रतिपेद है^१। द्विंशूद्र को अस्पृश्य-रा समझते थे। शूद्रों का सानिध्य वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे^२। शूद्र कुलीन व्यक्तियों को समादरपूर्वक अभिभाषित करते थे^३।

तत्कालीन भारत में चतुर्वर्णों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो अन्त्यज^४ कहलाते थे। वे अस्पृश्य होने के कारण नगर से बाहर प्रचलन रूप में रहते थे^५। वे कुलविकल और कुलभ्रश्ह होते थे अर्थात् उनका कोई कुल नहीं होता था^६। रूप, ज्ञान, वल, सम्पत्ति—सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी उनका चरित्र विशुद्ध नहीं होना था^७।

अन्त्यजों के अन्तर्गत चाण्डाल भी परिणामित थे। समाज में उनका स्थान अत्यन्त निम्न था। उनकी सबसे नीच वृत्ति या आजीविका थी। वे बघ, दीर्घच्छेदन और दूलारोपण में दक्ष होते थे^८। नगर में प्रवेश करते समय वे जोर जोर से आवाज देते हुए चलते थे जिससे मनुष्य उनके स्पर्श भय से मार्ग से हट जाए^९। गुप्त-कालीन यात्री फाहुनान ने अपने मात्रा विवरण में चाण्डालों की स्थिति के विषय में लिखा है कि ‘जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने वे लिए लकड़ी बा ढोल बजाते हुए चलते हैं, जिससे लोग उनके मार्ग से हट जाएं तथा उनका स्पर्श बचा कर चलें। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मास बेचते हैं।’

१ मनुस्मृति, १० १२६

२ • द्विंशूद्र वृपल पाश्वे न सहते। —पचरात्र, १६

३ नीन्द्रव्यभिभाव्यन्ते नामभि क्षवियावया। —पचरात्र २४७

४ शुतप्रस्माभिरन्त्यन इति। —भविष्य, अक १, पृ० १७

५ भविष्य, ६८

६ वृष्णिशापेन कुरुपरिभ्रश्मन्त्यज्ञुलप्रवासमात्मनो। —भविष्य, अक २, पृ० २६

७ भविष्य, २५

८ मृच्छा, १० १

९ अपसरत आर्या, अपसरत। कि प्रेक्षणे। —मृच्छा, अक १०, पृ० ५२५

सम्भवता एव संस्कृति के विकास के साथ-साथ चातुर्वर्ण्य में अन्तर्जातीय विवाह-पद्धति के प्रचलन से वर्ण-सकरता का जन्म हो गया था जिससे जाति-भेद का प्रादुर्भाव जाति-व्यवस्था भी हो गया था। 'मालविकामित्र'^१ में महारानी धारिणी का वर्णाविर भ्राता वीरसेन^२ सम्भवत वर्णसकर सन्तान ही है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यवसायों तथा उद्योगों के कारण भी जाति-भेद को प्रोत्साहन मिला था। पृथक् पृथक् व्यवसाय और आजीविका ग्रहण करने वालों के पृथक् पृथक् समुदाय एव वर्ग बनने लग गये थे जो आगे चलकर व्यावसायिक जातियों में परिवर्तित हो गये। उदाहरण के लिए शिल्पकार^३, धीवर,^४ लुधक,^५ नापित,^६ चर्मकार,^७ थावक,^८ कुम्भकार^९ आदि इसी प्रकार की व्यावसायिक जातियाँ हैं। ये जातियाँ अपने पैतृक व्यवसाय को ही स्वीकार करती थीं। परम्परागत पैतृक कर्म निर्वित एव घृणित होने पर भी, परिहरणीय नहीं था^{१०}।

राज्य जातियों के अतिरिक्त यवनी,^{११} खस खत्ति, खडा, खडह, विलय करण्डि, कर्ण, प्रावरणा, द्रविड चोल, चीन, बर्बर, खेर खान, मुख, मधुधात^{१२} आदि म्लेच्छ एव अनार्य-जातियाँ अनाय जातियाँ भी विद्यमान थीं। वे देशभाषा का समुचित ज्ञान न होने के

१ अस्ति देव्या वर्णाविरो भ्राता वीरसेनो नाम। —माल०, अक १, पृ० २६६

२ अहो वकुलायलिका। सदि । देख्या इदं शिल्पसकाशादानीतम् ।

—माल०, अक १, पृ० २६३

३ अभिं० शा० अक ६ पृ० ६७

४ अभिं० शा० अक २ पृ० ८७

५ गृ०८० ६ २२

६ अहु चादनकश्चमकार ।

—मृ०८०, अक ६ पृ० ३५२

७ मृ०८०, अक ८, पृ० ३७८

८ वही ।

९ सहज किल यदिनिदित न शब्दु तत्कार्म विवर्जनीयम् । —अभिं० शा० ६ १

१० एव वाण्यासमहस्ताभिर्वतीभिः । —अभिं० शा०, अक २ पृ० २७

११ मृ०८० अक ६, पृ० ३४६

कारण उसका अशुद्ध एवं इच्छानुसार उच्चारण करती थी ।

यहाँ यह विचारणीय तथ्य है कि विवेच्य नाटककारों में से कालिदास और शूद्रक के नाटकों में तो विविव जातियों का वर्णन हुआ है, किन्तु भास के नाटकों में जाति-संकेत नहीं मिलता ।

इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं —

१ भास ने जाति-भेद की उपेक्षा की है ।

२ अथवा भास-युग में जाति-भेद का उदय विशेष ध्यान देने योग्य या ही नहीं ।

३ भास-युग में कालिदास-युग की अपेक्षा वर्ण-व्यवस्था अधिक कठोर थी ।

४ कालिदास-युग में नाटकों में जाति-वर्णन मिलता है और भास के नाटकों में नहीं मिलता । यदि इसका कारण भास की उपेक्षा नहीं है, तो कालिदास-युग में जात्यभ्युदय भास युग को कालिदास-युग से पूर्ववर्ती प्रमाणित करता है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों की वर्ण-व्यवस्था ने अपने विकास-क्रम में अनेक जातियों के लिए भूमिका

तैयार कर दी थी जिसको व्यावरायिक
वर्ण-भेद एवं औद्योगिक विकास ने और भी अधिक

विकसित कर दिया । इससे वर्ग-भेद के प्रजनन म अर्थ-व्यवस्था को भी अवसर मिल गया । धनी और निर्धन, सेठ और दोन तथा मन्यासी और गृहस्थ के बीच अर्थ-व्यवस्था की उपेक्षा नहीं बीं जा सकती । राजा और रक के बीच भी अर्थ-भेद स्पष्ट हृष्टिगोचर हो रहा है ।

वर्ग-भेद पैदा करने में धर्म का भी बहुत कुछ हाथ रहा है । शृहस्थ और परिवाजक के वर्ग मूलत आधम-धर्म से प्रेरित हुए जिनके बीच धीरे-धीरे अर्थ-भेद भी अपना रग दिखाने लग गया । जो हो, वर्णाध्रम व्यवस्था ने वर्ग सृष्टि में जो कुछ योग दिया वह तो दिया ही, बाद म विकसित आर्थिक ढांचे ने भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योग दिया ।

आलोच्य युग में राजा-प्रजा, धनी-निधन, गृहस्थ-संत्यासी, स्वामी-सेवक और गुरु-शिष्य आदि अनेक सामाजिक वर्ग-भेद दिखायी देते हैं।

उक्त भेदों में राजा-प्रजा का वर्ग-भेद प्रमुख था। राजा प्रजा का शासकीय और प्राकृतिक दोनों प्रवार का सम्बन्ध था। प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि समाज ने अराजकता को राजा-प्रजा दूर करने के लिए तथा शान्ति-स्थापन के लिए राजा का नियन्त्रण स्वीकार किया था।

प्रजा का रक्षण एवं पालन राजा का प्रमुख कर्तव्य था। जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का विनाश करता है, उसी प्रकार राजा प्रजा का रक्षण और उसका कष्ट-निवारण करता था^१। वह अपने सुखों का परित्याग कर प्रजा-रंजन में दत्तचित रहता था^२। राजा-प्रजा का सम्बन्ध पिता-पुत्रवत् था। जिस प्रकार पिता पुत्र के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा-प्रजा की समस्याओं और कष्टों के निवारणार्थ सदैव उच्चत रहता था^३। प्रजा के साथ बन्धुवत् सम्बन्ध का यह अर्थ नहीं था कि राजा दुष्टों, दुर्विनीतों और कुमार्ग-गमियों को दण्डित नहीं करता था। वह राजदण्ड हाथ में लेकर कुमार्ग-गमियों को नियन्त्रित करता था और पारस्परिक विवादों का शमन करता था^४। राजा स्वयं मर्यादा-पालक होता था और प्रजा को भी मर्यादा-पालन की शिक्षा देता था। राज्य में राज-भय से निकृष्टवर्णीय व्यक्ति तक कुपथ का अनुसरण नहीं करते थे। फिर ब्राह्मणादि उच्चवरणों का तो कहना ही क्या^५? प्रजा के लिए राजा सर्वस्व त्याग करने को उच्चत रहता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा

१. आलोकान्तात्प्रतिहततमोवृत्तिरासां प्रजाना
तुल्योद्योगस्त्वं च सवितुर्वाचिकारो मतो न । —विका०, २.१
२. अभि० शा०, ५.७
३. अभि० शा०, ५.५
४. नियमयति कुमार्गप्रतिष्ठानात्तदण्डः
प्रधामप्रसि विवादे कल्पते रक्षणाय । —अभि० शा०, ५.८
५. महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसी ।
न कविष्वद् वणनिमामायमपकृष्टोऽपि भजते । —अभि० शा०, ५.१०

दुष्प्रयत्न की घोपणा कितनी मर्मस्पर्शी है^१। उसके हृदय में प्रजा के प्रति कितना स्नेह और सद्भाव है। जनता के लिए उसका हृदय दृढ़-दृढ़ हो जाता है।

राज्याभिषेक के पश्चात् राजा सर्वप्रथम यही कहता था कि 'मैं अब पृथ्वी पर पुण्यभार को बहन करने वाला राजा बन गया हूँ। मैंने न्यायपूर्वक प्रजापालन का उत्तरदायित्व उठा लिया है^२।' राजा न्याय का प्रतीक होता था। प्रजा के निष्पक्ष न्याय के लिए वह स्वयं धर्मार्थ पर दैठकर पौरकार्यों का अवेक्षण-निरीक्षण करता था^३। वह प्रजा के कल्याणार्थ चारों ओर से आय का पाठभाग कर हप में ग्रहण करता था^४।

राजा-प्रजा के पश्चात् दूसरा भेद धनी-निर्धन का था। जिस प्रकार आधुनिक समाज में शोपक-शोप्य या गूजीपति-गजदूर वर्ग का

साम्राज्य है उसी प्रकार तत्कालीन
धनी-निर्धन भेद समाज में धनिक-निर्धन वर्ग विद्यमान था। समाज में जहाँ एक और वसन्तसोना

और धनमित्र जैसे धनिक एवं समृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ दूसरी और धीवर और चाहुदत्त जैसे दरिद्रों का भी अस्तित्व था। धनिक-जन 'सर्वेगुणा-कांचनमाथ्यन्ते' इस उक्ति को चरितार्थ करते थे अर्थात् ऐहवर्यदालियों में समस्त गुणों का समावेश स्वीकार किया जाता था। इसके विपरीत निर्धन व्यक्ति में समस्त दुर्गुणों का आधय था। दरिद्र को जीवन की बढ़ोर आगदारों का समाना बरना पड़ता था, यहाँ तक कि उसे चारित्रिक सुरक्षा की भी सदा चिन्ता रहती थी। 'मृच्छकटिक' में आभू-पणों के चोरी चले जाने पर चाहुदत्त को सबसे बड़ी चिन्ता यही होती

१. येन येन वियुज्यन्ते प्रजा. स्त्वग्वेन बन्धुना ।

स स पापाद्वै तासा दुष्प्रयत्न इति घुण्यताम् ॥ —धर्मि० शा०, ६.२३

२. राजा शिलास्ति भुवि सखृतभारत्याहो,
यमेण सोऽप्तिरक्षणमन्युपेतम् ।

—प्रतिमा०, ७.११

३. वेत्रवति, मद्वनादमात्यपिशुन दृढि । चिरप्रबोधनान्स सभाविनमस्माभिरय
धर्माग्नमध्याहितुम् । यत्प्रत्यवेक्षित पौरकार्यमायेण तत्प्रभारोप्यदीयता-
मिति । —धर्मि० शा०, अक ६, पृ० १०७

४. यदुत्तिष्ठति वर्णोऽम्भो. नृपाणां क्षयि तत्फलम् ।
तप. पद्भागमक्षम्य ददत्यारण्यना हि नः ॥

—धर्मि० शा०, २.१३

है कि सब लोग दरिद्र होने के कारण मेरे चरित्र पर ही सन्देह करेंगे, वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा?'

समाज में निर्धनों की अस्थिन्ति हीमावस्था थी। निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु अधिक शान्तिप्रद समझी जाती थी^३। धनहीन की सम्बन्धवर्ग में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। जिस प्रकार मदजल पीने के लिए मौड़राते हुए भ्रमर समय के फेरे से शुष्क मदलेखा बाले हाथी के कपोलस्थल पर धूमना छोड़ देते हैं उसी प्रकार समय चक्र से बन्धु-बान्धव भी दरिद्र वा परित्याग वार देते थे^४। निर्धनता मनुष्यों की चिन्ता का आधार, शत्रुओं द्वारा अपमान वा स्थान, द्वितीयशब्द आत्मीयजन के बैर का कारण मानी जाती थी। दरिद्र को आपत्तियों की श्रृङ्खला के कारण घर छोड़ कर बन चले जाने की इच्छा होती थी^५। निर्धन का कोई समर्ग नहीं चाहता था और न उससे कोई आदर से बोलता था। यदि वह उत्सव आदि के अवसर पर धनियों के घर चला जाता था तो वहाँ उसे अनादर एवं अपमान ही प्राप्त होता था^६। धनियों में धन का गर्व या मद रहता था। वे व्यक्ति के गुणों का मान नहीं करते थे, वरन् धन एवं अर्थ को ही सर्वस्व समझ कर उसी की पूजा करते थे। समाज में इसके अपवाद भी थे। वसन्त-सेना जैसी धनवती वेश्या निर्धन चाहदत के गुणों पर मुग्ध होकर ही उससे प्रेम करती है^७। चाहुदत अपनी सम्पत्तावस्था में अपनी समस्त सम्पत्ति, भवन, विहार, देवालय फूफ, तडाग आदि सार्वजनिक

१ क थदास्यति भूतार्थ सर्वो मा तूलयिष्यति ।

शकनीया हि लोकेऽस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ —मृच्छ०, ३ २५

२ दारिद्रधा मरणादा मरण मम रोचते न दारिद्रपम ।

अत्यनेग मरण दारिद्रधमनन्तक बुखम ॥ —मृच्छ०, १ ११

३ मृच्छ०, १ १२

४ मृच्छ० १ १५

५ सङ्ग नैव हि कश्चिदस्य कुश्टे सम्भापते नादरात् ।

सम्प्राप्ते गृहमुत्सवेषु धनिना सावज्ञमालोक्यते ॥ —मृच्छ०, १ ३७

६ दरिद्रपुरुषमन्तमना सलु गणिका लोके मदचनीया भवति ।

मृच्छ०, थक २, पृ० ६६

स्थानों के निर्माण में व्यय कर' और याचकों को प्रभूत दान देकर^३ दर्ख बन जाता है।

समाज में एक वर्गभेद गृहस्य-सन्यासी का भी था। गृहस्य लोक-मर्यादा में रहकर परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तर-दायित्व वा निर्वाह करता था। परिवार-रक्षण एव पालन गृहस्य का प्रबान कर्त्तव्य था। इसके लिए वह अपना पैतृक कम या

गृहस्य सन्यासी आजीविका ही ग्रहण करता था^४। परिवार के साय-साय समाज का भी उम पर नहुण रहता था। समाज के नियमों एव परम्पराओं का पालन उसके लिए अनिवार्य था। वह लोक-मर्यादा एव लोक सभ्य का उल्लंघन कर लाकापवाद एव मामाजिक निन्दा का भागी बनना नहीं चाहता था। अभिषेक नाटक में राम लका विजय के पश्चात् यमु राघण के प्रासाद में रही हुई सीता को उसकी शुचिना जानते हुए भी लाकापवाद के भय से पत्नी रूप में ग्रहण नहा करते हैं^५। 'अभिज्ञानाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त लाक मर्यादा वा अनन्य प्रतीर है^६। प्रनिहारी दुष्यन्त को प्रशासा करत हुए वहना है कि 'महाराज धर्म एव मर्यादा वा किनना व्यान रखते हैं। अच्यथा एसे अनोक्तिक रूप का प्रात वर कीन सान विचार करता'^७। गृहस्य की नैतिक एव आध्यात्मिक दुष्टि के सिए दैनिक एव धार्मिक अनुष्ठान भी विहित थे। इन अनुष्ठानों में बन, उपवास, धर्मचिरण, तन, गन बचन तथा वर्मण देवाचंन आदि भूमायिष्ट थे। 'मृच्छउपटिक' में भैरव द्वारा देवपूजन

१ यन सायतन पुरस्थापनविहारारामदेवकुत्ततडाग्कूपमूर्त्तलहृना नगरी।

—मृच्छ०, अ० ६ पृ० ५०४

२ प्रग्युविजनमक्रामितिभरस्य।

—मृच्छ० अ० १ पृ० २७

३ सहदृवित्त पठिनिश्चित त यमुत्तम यिननीषम्। —भिं० गा०, ६ १

४ जानतापि च वैदेष्णा तुचिता पूमवेतन ।

प्रत्ययाव हि योक्तामेवमेव मया वृतम् ॥ —भिं० ६ २६

५ भिं० गा०, ५ १०

६ भौती धमारभिता भमु। इहा नाम शुगोपनत रूप हृष्या काऽयो विचारयति। —भिं० गा० अ० ५ पृ० ८८

की निन्दा करने पर चारुदत्त कहता है—‘हे गित्र ! ऐसा मत कहो । तन, मन, वचन तथा बलिकर्म द्वारा यह देवताओं का पूजन गृहस्थ का नित्य नियम है’^१ ।

गृहस्थ-जन ही वार्षिक्यावस्था आने पर अपने पुत्रादि पर कुदुम्ब का भार सौप कर बानप्रस्थी या सन्यासी बन जाते थे । ‘प्रतिमा नाटक’ में महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को राज्याभिपक्ष कर बन जाने का विचार करते हैं^२ । कुछ ऐसे भी सन्यासी थे जिन्होंने सासारिक कष्टों और आपदाओं से उद्धिग्न होकर परिवाजकल्प ग्रहण कर लिया था । सवाहक द्यूतकर द्वारा किये गए अपमान रो खिल होकर शाक्य श्वमणक बन जाता है^३ । सन्यासियों के लिए सिर मुँडाना ही पर्याप्त न था वरन् इन्द्रिय-दमन भी उनके लिए आवश्यक था^४ ।

तपस्वी एवं ऋषि लोग भी प्राय सन्यासि-कोटि के ही होते थे । धर्मानुष्ठान और तपस्चरण ही इनका जीवन-धर्म था । ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ में शाकुन्तला की विदा के समय भी महर्णि कण्व को अपने तपोपरोध की चिन्ता भी पीड़ित करती है^५ । तपस्वी जन नगर के अपमानों और दोषों से बचने के लिए शान्त आश्रम में निवास करते थे^६ । उनका जीवन शमप्रधान और तेजोमय होता था^७ । आश्रमवासी ऋषि नगर के गुस्सासक्त व्यक्तियों को उसी प्रकार समझते थे जिस प्रकार स्नात तैलालिप्त को, पवित्र अपवित्र को और जाग्रत सुप को समझता है^८ । आश्रमवासियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राजा पर होता था । तपस्वियों के धर्मोपरोधों और विघ्नों के परिज्ञान के लिए

१. मूँछ०, अक १, पृ० ३३

२. एव मया श्रुत—भर्तृदारकमभिपित्त्य गहारजो बन गमिष्यतीरि ।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० १७

३. अर्थव कदाचिन्वर्वेदेन प्रवर्जेयम् ।

—चारुदत्त, अक २, पृ० ६६

४. मूँछ०, अ ३

५. वत्से ! उपहृष्टते तपोऽनुष्ठानम् ।

—भिम० शा०, अक ४, पृ० ७७

६. स्व० शा०, १५

७. शमप्रधानेषु तपोघनेषु गूढ हि दाहात्मकमस्ति तेन ।

—भिम० शा०, २७

८. भिम० शा०, ५ ११

राजा की ओर से एक धर्माधिकारी नियुक्त होता था^१। राजा ऋषियों की तपस्था में वाघक विघ्नों का निवारण करता था और तपोबन के प्राणियों के साथ असत् व्यवहार करने-वाले को इण्ड देता था^२।

तत्कालीन समाज में स्वामी-सेवक भेद भी विद्यमान था जो आज भी मिटा नहीं है। किन्तु उस समय स्वामी और सेवक में अत्यन्त

सद्भावपूर्ण सम्बन्ध था। स्वामी सेवकों
स्वामी-सेवक भेद के साथ पुनर्बत् व्यवहार करता था और
सेवकों की भी स्वामी के प्रति अनन्य

भक्ति होती थी। सेवकों के साथ दया और स्नेह का व्यवहार करना ही उचित माना जाता था। कण्व शकुन्तला को पतिगृह-गमन के समय अपने परिजनों के प्रति उदार रहने की शिक्षा देते हैं^३। सेवक का आदर्श अपने स्वामी के प्रति अनन्य निष्ठा और प्रेम था। सेवक स्वामी का अपन स्वा कर उसके प्रति कपट नहीं करता था^४। स्वामी को विपत्ति से बचाने के लिए वह अपने प्राण तक बलिदान करने को तत्पर रहता था। 'प्रतिज्ञायीगन्धरायण' में यौगन्धरायण ऐसा ही स्वामि-भक्त अमात्य है। उसकी यह उक्ति "स्वामी रिपुतंगर, वन्धनागार, वन, सर्वत्र मुझे अपने समीप ही पायेंगे" कितनी हृदयस्पर्शी है^५। वह राजा के सुख-दुःख का साथी है। वह अपने चुदि-चातुर्य से अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर अपने स्वामी को महासेन के वन्धन से मुक्त कराता है^६। सेवक अपने स्वामी के सुख से सुखी और दुःख से दुःखी रहते थे। 'स्वप्नवासवदत्त' में रुमण्वानु वासवदत्ता के मरण से विपण राजा के दुख से अत्यन्त झिन्न है और उसे यथाकृत आश्रित करने वा

१. अभिंशा०, अव १, पृ० १८

२. अभिंशा०, ५ अ

३. भूषिष्ठ भव दण्डिणा परिजने भाग्येष्वनु सेक्षिनी०० ।

—अभिंशा०, ४ १८

४. तेन हि अनहंप्रनिक्रियमनिविष्टमतूपिष्टमनुपकृतसज्जसल्लार यदि खलु मा द्रष्टव्य मन्यते स्वामी। —प्रतिज्ञा०, अव १, पृ० ३४

५. प्रतिज्ञा०, १.४

६. रिपुमतमपनीय वरसराज ग्रहणमुपेत्य रणे स्वशहनदोपात् ।

भयमहमपनीतमतूदु यो जितमिति राजकुले मुख विशामि ॥

—प्रतिज्ञा०, ४ ५

प्रयत्न करता है। वह स्वामी के भूसे रहने पर स्वयं भी कुछ नहीं साता। उसके साथ-साथ धर्मविमोचन करता है और राजा के समान ही दुखी रहता है^१। स्वामियों वा सेवकों पर प्रभुत्व रहता था। अन सेवक अपने स्वामी की आलोचना करने में भयभीत रहते थे। 'प्रविमारक' में राजा कुत्तिभोज जब अपनी कन्या के वर-निलंयार्थ अमात्य भूतिक से परामर्श करते हैं तो अमात्य अपना मन्तव्य प्रवट परने में हिचकिचाता है^२। सेवकों की स्वामी के प्रति अनन्य निष्ठा वा दारण सम्भवत् स्वामी वा भूत्य के प्रति उदार एव सद्भावभय व्यवहार ही था। 'प्रतिज्ञायोगन्यरायण' में राजा उदयन विपत्ति के समय अपने स्वामि-भक्त अमात्य वा ही स्मरण करता है^३।

तत्कालीन समाज में दास-प्रयत्न भी प्रचलित थी। घनियों के गृहों में विभवानुगार दास रहते थे। दासों वा प्रयत्न दोता था। दास स्वामी की आजग्न सेवा करते थे। दासत्व से मुक्ति प्राप्त परने के लिए गूम्य देना पड़ता था। 'चार्दत्त नाटक' में सञ्जला अपनी प्रेमिका गदनिका वो वसन्तमेना के दामत्व से मुक्ति दिलाने के लिए खोरी करके आशूपण लाना है^४। दासों की समाज में योई प्रतिष्ठा नहीं थी। दामत्व वा दारण पूर्वन्मृत पाप गाना जाता था। अतएव दाम जन्मान्तर में दामत्व से मुक्ति पाने के लिए दुष्टमों द्वारा पापों में दूर रहने वा प्रयत्न करते थे^५।

यह नेद ही नहीं एव विदेश गामाजिक और धार्मिक सम्बन्ध भी था। युग और शिव्य भावी गमाज-निर्माण के आधार-स्तम्भ थे।

गमाज के विवाह में उनका भट्टार् योग
गुरु-दिव्य भेद

था। विवेच्य नाटकों में घनुशीलग में
जान होता है। इसकालीन युग में दुर-

१ दृष्टि १०, ११४

२. व भूषददूषीया रात्रन् रक्षामित्रो दि रक्षाददमारात्राम् ।

—दर्शि०, दृष्टि १०, ११४

३. व भट्टार् । दर्शि० विवाहारात्रीन्दिवो दोलारात्रो द्वादश इदृश । —दर्शि०, दृष्टि १०, १४

४. दार्दिदर्शी वा देवादा । दृष्टि १०, १४ । —पृष्ठ १००

५. देवादिम लर्वदामो विवेदितो । दृष्टि १०, १०० ।

६. दृष्टि १०, १०० । —पृष्ठ १००

शिष्य का पिता-पुत्रवत् घनिष्ठ सम्बन्ध था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था और शिष्य भी पिता के सहसा गुरु का आदर करते थे। 'ग्रन्थिज्ञानशाकुन्तल' में महर्षि कण्व अपने शिष्यों को शकुन्तला को पतिगृह तक पहुँचाने के लिए पिता के समान आदेश देते हैं—'जाओ, अपनी भगिनी को पहुँचा आओ।' माता-पिता वाल्पावस्था में ही अपने पुत्र को विद्याध्ययन के लिए गुरु के हाथों में सौप देते थे। गुरु की शिक्षा ही शिष्य के चरित्र एवं भविष्य का निर्माण करती थी। शिष्य-दोष का कारण गुरु की अपोग्यता माना जाता था। उसमें माता-पिता को अपराधी नहीं स्वीकार किया जा सकता था^१। शिष्य की सुपात्रता का परीक्षण ही गुरु की योग्यता का प्रमाण था। शिष्य के चर्यन में ही गुरु की साथेक्ता थी। यदि गुरु कुपात्र शिष्य को शिक्षा देता था तो इससे उसके बुद्धि-लाघव वा प्रकाशन होता था^२। कुपात्र को शिक्षा देना गुरु के शोक का कारण बन जाता था, किन्तु सुपात्र को अपना ज्ञान प्रदान कर वह निश्चिन्त हो जाता था^३। महर्षि कण्व जैसे गुरु निष्पार्थ एवं निलोभ भाव से अपने शिष्यों को धार्मिक एवं शास्त्रीय विषयों की शिक्षा देते थे। आजीविका की हृषि से अध्यापन विद्यादान न होकर ज्ञान का व्यापार माना जाता था^४। तथापि आचार्य हरदास और गणदास जैसे वैतनिक अध्यापक भी थे जो आजीविका के अर्थं अध्यापन का कार्य करते थे^५।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर मक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आलोच्य नाटकों के युग में वर्ण, जाति एवं वर्ग त्रिविध व्यवस्था का साम्राज्य था। हाँ, 'देशकालानुसार इन व्यवस्थाओं के स्वरूप में

१. भगिन्यास्ते मार्गंमादेशय । —अभिं दा०, अक ४, पृ० ६६

२. अनीत्य वग्न्युनवन्द्य मित्राण्याचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ।

वान ह्यपत्य गुरवेप्रदातुर्वापराधोऽरिति पितुर्न मातुः ॥ —पचरात, १.१६

३. विनेनुरद्रम्यपत्तियहोऽपि बुद्धिलाघव प्रतामायतीति ।

—माल०, अक १, पृ० २७५

४. मुशिष्यपरिदत्ता त्रियैवाशोचनीया सबृता । —अभिं दा०, अक ४, पृ० ६३

५. माल०, १.१७

६. मवनि ! पद्याम उद्दरभरिमवादम् । कि मुमा वेतनदमेन्नेपाम् ।

—माल०, अक १, पृ० २७४

भृत्यापिन् अन्नर प्ला गया था। भाग-युग में प्राचीन यग्न-व्यवस्था ही प्रचलित थी। यग्न-नतुरूप के बन्धन अन्यतः हठ एव सुस्थिर थे। यग्न-मत्तरणा पा भभाव था। इसके विपरीत पानिदाम-युग में यग्न-परम्परा भी शृङ्खला विधिव परिवर्तित होती है। इस यात्र में यग्न-व्यवस्था की विधिवता के प्रत्यवस्था जाति-व्यवस्था पा प्रादुर्भाव हो जुता था। घूड़ा के समय में यग्न-परम्परा पा हास पौर जाति-व्यवस्था शु उत्तराण्ड दिग्गज हेतु है। इस यात्र तथा यात्रा में अनेक जातियों और यग्नं प्रादुर्भूत हो जुके थे और यातिगत एव वर्गत सधर्यं भी प्रारम्भ हो गया था।

विवेच्य नाटकों में नारी का स्थान

भारतीय नारी का इतिहास हमारी सस्कृति के इतिहास का अभिन्न अंग है। नारी की स्थिति-परिस्थितियों ने अनेक सामाजिक मोड़ों में सास्कृतिक इतिहास के अनेक अध्यायों का निर्माण किया है। विवेच्य नाटकों में नारी निष्पत्ति एक ऐसे ही अध्याय को प्रस्तुत करता है।

मानव-सृष्टि में नर और नारी का स्थान एक दूसरे के पूरक का है। एक के बिना दूसरा अपूरण है। दोनों की प्रकृति और कृति भिन्न हो सकती है, किन्तु दोनों का लक्ष्य भिन्न समाज का अभिन्न अंग नहीं है। पथ भी एक ही है। उनके जिस परिपार्श्व में पार्थक्य हृष्टिगोचर होता है वह एकता का साधक है, वाधक नहीं। न तो नर अपने निमित्त है और न नारी। जिस प्रकार गाड़ी अपने दोनों पहियों से ही गत्तव्य पर पहुँच सकती है उसी प्रकार मानव सृष्टि की लक्ष्य सिद्धि भी नर और नारी दोनों से ही सम्भव है। सृष्टि की गति दोनों से है, एक से नहीं।

प्राचीन भारतीय समाज में नारी-यिपयक दृष्टिकोण उदार एवं विशाल था। वैदिक आर्यों की दृष्टि में नारी धर्म एवं अर्थ की प्रदानी, वैभव और सौरत्य की जननी, गृहलक्ष्मीरूपा और सर्वपूज्या समझी जाती थी^१। भरत मूर्ति ने भी अपने 'नाट्यशास्त्र'^२ में इसी धारा का समर्थन किया है। उनके अनुसार संसार में मानवमात्र का चरम लक्ष्य मुख है और मुख का मूलाधार नारी है^३। मनु भी इसी सिद्धान्त में

^१ देविये, रत्नमयी देवी दीक्षित वीमेन इन सस्कृत द्रामाज पृ० १५

^२ सब प्रायेण लोकोऽय मुखमिरूद्धति सधदा ।

^३ मुखस्य च लियो मूल नानाशीलघराश्च ता ॥ —नाट्यशास्त्र, २० हृ०

विश्वास करते हैं कि 'जहाँ नारियों का आदर एवं सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनको अपमान एवं अनादर की हृष्टि से देखा जाता है वहाँ राभी क्रियाएँ निष्पल सिद्ध होती हैं'।^१ 'जो पुरुष है वही खी है'^२ मनुस्मृति के इस वाक्याश में नारी को पुरुष के समान ही समाज का अविभाज्य एवं प्रमुख अग माना गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' में कहा गया है कि 'पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है। इसलिए जब तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्पादन न होने से वह अपूरण रहता है'^३। 'महाभारत' में भी नारी के माहात्म्य के विषय में लिखा है कि 'भार्या पुरुष का आधा भाग है। वह उसका सबसे उत्तम भिन्न है। भार्या त्रिवर्ग का मूल है और ससार-सागर से तरने के इच्छुक पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है'^४।

प्राचीन संस्कृत एवं सभ्यता के विवेचक डा० यासुदेवशरण अग्रवाल के भतानुसार 'स्त्री वृत्त का व्यास है और पुरुष उसकी परिधि है। जिस प्रकार वृत्त के व्यास को तिगुना करके परिधि बनती है उसी प्रकार स्त्री के जीवन से गुणित होकर पुरुष का जीवन बनता है। यही पति-पत्नी या गृहस्थ के जीवन का साज-सगीत है'^५। देश के महान् समाज सुधारक लाला लाजपतराय ने एक बार ठीक ही कहा था कि 'स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है। चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है।'

कहने की आवश्यकता नहीं कि बोमल सबेदनशील नारी समाज और रामाजिक क्रिया-कलाप का अटूट अंश है। सभ्यता और संस्कृति के विकारा में उसने सदैव सक्रिय योग दिया है देरही है और देती रहेगी। एक और नारी के लोरी गाने वाले मधुर कण्ठ में राष्ट्रनायकों को कर्तव्य की प्रेरणा देने की यदि असता विचमान है तो दूसरी ओर उसके पलना भुलाने वाले करों में विश्व पर शासन करने की शक्ति निहित है। सुशीलता, तितिक्षा, समर्पण, उत्सर्ग,

^१ मनुस्मृति, ३ ५६

^२ वही, ६ ४५

^३ शतपथ-ब्राह्मण, ५ २ १ १०

^४ महाभारत, धादि पव, ७४ ४१

^५ हिन्दु परिवार-मीमांसा की भूमिका, पृ० २५

व्यवस्था, लज्जा और प्रेम की साक्षात् प्रतिमा नारी, कन्या, गृहिणी, सहचरी और माता के कर्मठ रूपों में परिवार, समाज और राष्ट्र की को मगजविदानी है।

आलोच्य-नाटक-युग में नारी की अवस्था हासोन्मुख हृष्टि-गोचर होती है। उसकी सामाजिक स्थिति प्रशसनीय नहीं थी।

नारी-विषयक उदार एवं विशाल हृष्टी-
नारी का पद कोण समाप्तप्राय था। उसका वैदिक-
युगीन देवी-पद लुप्त हो चुका था।

गाहूँस्थ्य एवं दाम्पत्य जीवन के उच्चादर्श केवल वर्णन की वस्तु रह गये थे। नारी-स्वातन्त्र्य नाम मात्र के लिए था। नारी सामाजिक नियमों एवं धन्वन्तों की शृङ्खला में आबद्ध हो गई थी। गुरुजनों^१ के साय पति^२ का नियन्त्रण तो उस पर पहले से ही था और वह लोक-सम्मत था।

समाज में नारी की प्राथमिक एवं अनिवार्य कर्मभूमि गृह एवं परिवार ही था। नाटकों में प्रयुक्त 'कुटुम्बिनी'^३ एवं 'गृहिणी'^४ शब्दों से भी यही व्यजित होता है कि

गृहपत्नी नारी का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने की अपेक्षा प्रायः गृह एवं परिवार तक ही

सीमित था। यह घर की स्वामिनी और प्रवर्तिका होती थी। वह यह की आन्तरिक व्यवस्था का सुचारू निरीक्षण एवं अवेक्षण करती थी। गाहूँस्थ्य एवं गारिवारिक विषयों एवं समस्याओं में गृहपति गृह-स्वामिनी में ही परामर्श करता था। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजा महासेन अपनी पुत्री यासवदत्ता के विवाह-सम्बन्ध के विषय में अपनी रानी के विचार भी जानना चाहता है^५।

१. आदृः! धर्मवर्गयोऽपि परक्षणोऽपि जन। गुरो पुनरस्या अनुस्पव्य अनुस्पव्य प्रदाने मन्त्रलय। — अभिंशा०, अक १, पृ० २१

२. उपनिषद् हिंदारेषु प्रमुता मर्तांमुखी। — अभिंशा०, ५.२६

३. अथ धर्मग्रन्थमाकुटुम्बिन्या यशोदया। — शा० च०, अक १, पृ० ११

४. अभिंशा० शा०, ५.३६

५. अस्मद्मन्यदो मातृष्ठ काशिराजो वाग मौराष्ट्रो मैथिल शूर्येन। एते नामार्थांमयने गुणमां कस्ते वैतेया पातता याति गृजा॥

गृह स्वामिनी होते हुए भी नारी की 'अथ च इति' नहीं थी। उसे स्वामिनी बनकर गृहिणी-पद के महान् भार को भी बहन करना पड़ता था^१। गृहिणी-पद अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण था। इसकी प्राप्ति सहज और सुगम नहीं थी जैसाकि प्राय समझा जाता है। इसके लिए त्याग, तपस्या एव बलिदान की आवश्यकता थी। केवल त्यागमयी नारी ही गृहिणीत्व की अधिकारिणी थी और वही इस पद के कर्तव्यों और आदर्शों का सम्यक् निर्वाह कर सकती थी। इसी पद पर नारी पारिवारिक कर्तव्य एव धर्म की शिक्षा प्राप्त करती थी।

गृहिणी कुल के लिए वरदान-स्वरूपा होती थी। वह अपने कर्तव्य-पालन एव शुद्धाचरण से पितृकुल एव पतिकुल दोनों वशों को उज्ज्वल करती थी। दुर्घरिता और दुराचारिणी नारी कुल के लिए अधिस्वरूप होती थी और अपने दुराचरण से कुलद्वय—पितृकुल एव पतिकुल—को कलंकित करती थी^२। कुलनारी निरर्थक विषयों में अपना समय नष्ट न कर पति एव परिवार के विभवानुकूल छृत्यों में ही प्रति क्षण व्यस्त रहती थी^३। गुरुजन की सेवा-शुक्रपा, सप्तनीजन के माथ सखीसम व्यवहार, पति द्वारा निरादर होने पर भी क्रोध से विपरीत आचरण न करना, रौभाग्य पर गर्व न करना, परिजन के प्रति अनुग्रह—ये गृहिणी के प्रमुख कर्तव्य थे^४। यही कुलवधुओं की शिक्षा थी। नारी की गृहिणीत्व की शिक्षा उसके पितृकुल में ही थी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला के पतिगृह-गमन के अवसर पर महर्षि कण्व आथर्वासी होते हुए भी उसे लौकिक आचार एव पत्नी-धर्म का उपदेश देते हैं।

कुलवधु के लिए पति ही आभरण और मण्डन था^५। यही

१ अभिज्ञनवतो भर्तु इत्याद्ये स्थिता गृहिणीपदे । —अभिः शा०, ४ १६

२ शुश्रूपत्वं गुह्यकुरु प्रियसखीवृत्तिं सप्तनीजने

पत्युविप्रकृताऽपि रोयणतया मा स्म प्रतीर्गम ।

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाष्येवनुत्मेकिनी

याम्येव एहिणीपदं युवतयो वामा कुलस्याथय । —अभिः शा०, ४ १६

३ वही, ४ १६

४ वही, ४ १६

५ आयंकुत्र एव सम आभरणविशेष इति जानातु भवति ।

—मृच्छ०, भक ६, पृ० ३१७

उसका मर्वम्ब और जीवनाधार था। उसे सदा अपने स्वामी के कप्टो एवं दुखों की ही चिन्ना रहती थी। 'अभिपेक नाटक' में पतिग्रता नीना अपने दुखों की चिन्ता न कर राम के विषय में आशक्ति होनी हुई कहती है—'हे हनुमान! तुम राम से मेरी अवस्था का इस प्रकार बरण्नन करना जिसने वे घोकाकुल न हो उठें'। पति की प्रसन्नता एवं सन्तोष के लिए पत्नी बड़े-मेर-बड़ा त्याग करने के लिए—यहाँ तक कि सपलीत्व स्वीकार करने के लिए भी उधत रहती थी^१। आत्मसुखों का वलिदान कर प्रिय जिने प्यार करे, उसे प्यार करने को प्रस्तुत रहना उसके त्याग एवं तप की पराकाष्ठा थी^२। 'विक्रमोर्वशीय' में रानी ओशीनरी और 'मालविकासिमित्र' में महारानी धारिणी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 'स्वप्नवासवदत्त' में महारानी वासवदत्ता अपने पति के उत्कर्ष के लिए ममस्त राजभोग का त्याग कर प्रच्छन वेश में रहती है और पश्चात्ती के साथ अपने पति का विवाह कराने में सहायक सिद्ध होती है^३। इससे अधिक त्याग की चरम सीमा क्या होगी?

पति का सम्भान एवं स्नेह-प्राप्ति ही पतिग्रता नारी का चरम घ्रेय था। भर्तृस्नेह की अधिकारिणी नारी मर जाने पर भी अजर-अमर मानी जाती थी^४। इग्नीलिए विवाहादि के अवसर पर नारी को सौभाग्यवती होने के साथ-साथ 'भर्तुर्वहृमता भव'^५, भर्तुर्वहृमानसूचक महादेवी शन्द लभस्व', 'भर्तुरभिमता भव'^६, आदि आशीर्वाद भी परिवार-जन की ओर से दिये जाते थे। पति हारा निराहत नारी का जीवन निष्फल-सा होता था। कुलवधु अपने चरित्र एवं आचरण पर

१ भद्र! एता मेऽवस्था श्रुत्वार्यपुत्रो यथा शोकपरवदो न भवनि, तथा मे वृतान्त भण । —अभिं, भक २, पृ० ४२

२ प्रतिपक्षेणापि पनि सेवते भर्तृवस्तुला साध्य । —माल०, ५ १६

३ यद्य प्रभूनि या हित्यमार्यपुत्र प्राप्यंते या चार्यपुष्टस्य नमागम प्रणयिनी तथा भह गदा प्रीक्षिद्धेत्र वर्तिनवद्यम् । —विक०, छक ३, पृ० २०५

४ स्व० वा०, १४

५ धन्या सा स्त्री या तथा वेति भर्ती । —स्व० वा०, १ १३
भर्तृस्नेहाद् सा हि दग्धाच्छदग्धा ॥

६ वत्से! भर्तृवहृमता भव । —भभि० शा०, भक ४, पृ० ६५

७ यही ।

८ जाते! भर्तुरभिमता भव । —भभि० शा०, भक ७, पृ० १४५-

गृहपद के पदचात् नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार में नारी का स्थान उनके मातृत्व पर आधारित था। परिवार में माता का विशिष्ट एवं सम्माननीय स्थान परिवार-पद था। पुत्रवती नारी वशपरम्परा की अविच्छिन्न विधाओं होने के कारण कुल की प्रतिष्ठा होनी थी^१। वह पुनर्स्प में अपने पतिकुल के वशसून को धारण करती थी^२। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में विरह पीड़ित दुष्यन्त के शोक का कारण उसका शकुन्तला के प्रति अखण्ड प्रेम तो है ही, साथ ही उसके सेव का हेतु यह भी है कि उसने गर्भवती शकुन्तला का परित्याग कर अपने वश को ही समाप्त कर दिया। सन्तानवती स्थी वशप्रवर्तिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिष्ठात्री होनी थी। उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था^३। 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरुषर्वा अपने पुनर्आयु को देखकर उसकी माता उर्बंशी को 'पुत्रवती का स्वागत है' ऐसा कह कर सम्मानपूर्वक अर्द्धासिन पर अधिष्ठित करता है^४।

मातृत्व नारी की चरम परिणामी थी। 'माना' की मुधावधिणी अभिधा को प्राप्त कर नारी अपने जीवन को सार्थक समझनी थी। और पुनर्स्प की माता बनने में वह गौरव का अनुभव करनी थी। 'माल-विकाप्रिमित्र' में वसुमित्र की विजय पर परिदाजिका द्वारा वयाई देने पर धारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता के समान परमामर्थाली बना^५। यही कारण था कि नारी को भदा चक्रवर्ती और वीर पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था^६।

^१ न रोपितेऽप्यात्मनि धमपत्नी त्वत्ता मया नाम बुनप्रतिष्ठा ।

—अभिंशा०, ६ २४

^२ वदा ।

^३ यदानेत्रिव शमिष्टा भनुवहृमता भव ।

—अभिंशा०, ४७

सुन त्वमपि न भ्रात सब पूर्वमवाप्नुहि ॥

^४ स्वागत पुत्रवत्ये । इति आस्यनाम् । —विक०, अ८ ५, पृ० २४८

^५ नवशनि ! परितुष्टाम्ब यत्पत्तरमनुपानो ग चन्मक ।

—मात० अ८ ५, पृ० ३५३

^६ वत्स ! वीरप्रगविनी भव ।

—अभिंशा०, अ८ ४, पृ० ६५

कोई आक्षेप सहन नहीं कर सकती थी। वह अपनी चारित्र्य-शुद्धि के प्रत्ययार्थ कठोर-से-कठोर परीक्षाएँ देने को तत्पर रहती थी। 'अभिषेक नाटक' में सीता राम के विवास के लिए अस्त्रि में प्रविष्ट हो जाती है^१। पति के असाम्रित्य या प्रवासकाल में नारी सासारिक सुखों से निलिपि होकर तपस्त्रीबत् शुद्ध एव सात्त्विक जीवन यापन करती थी^२। पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए व्रत-उपवास आदि भी करती थी^३।

भारी पति के सुख-दुख की सहचरी थी। जीवन की सभी अवस्थाओं में वह पति की अनुगामिनी थी^४। वह वस्तुतः अपनी 'अद्वैगिनी'^५ अभिधा को सार्थक करती थी। सकट-काल में तो वह अपने स्वामी की सच्ची सहचरी थी। विपत्ति में वह तन, मन और धन सब कुछ पति पर न्योद्धावर कर देती थी। 'प्रतिमा नाटक' में सीता वनवास-गमन में राम का ही अनुवर्तन करती है^६। 'मृच्छकटिक' में चारदत्त की खीं धूता पति को चोरी के कलक से बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य रत्नावली तक दे देती है।

गुहिणी एव पत्नी के अतिरिक्त नारी का प्रेयसी रूप भी हृष्टि-गोचर होता है। प्रेयसियाँ दो प्रकार की थी—एक तो वे जो विवाह

प्रेयसी

के पश्चात् पति को आराध्य समझ कर
उसी से एकनिष्ठ प्रेम करती थी और दूसरी
वे, जो विवाह से पूर्व ही किसी पुरुष को
अपना तन-मन समर्पित कर देती थी। रानी औशीमरी, महारानी
धारिणी, सीता, धूता आदि प्रथम प्रकार की और उच्चशी, मालविका,
शकुन्तला, कुरुगी, वासवदत्ता आदि दूसरे प्रकार की प्रेयसियाँ हैं।

^१ अभिं०, ६ २५

^२ अभिं० शा०, ७ २१

^३ यथानिदिष्ट सपादित मया प्रियानुप्रसादने नाग व्रतम्। दारिका एव
गच्छाम । —विक०, अव ३, पृ० २०६

^४ यावदिदानीमीहशाश्वोकविनोदनार्थमवस्था कुदुम्बिनी मैथिली पश्यामि ।
—प्रनिमा०, अक ५, पृ० १२६

^५ मा त्वय मन्युमुल्याद्य परिहासे विशेषत ।
शरीरार्थेन मे पूर्वमाददा हि यदा त्वया ॥

^६ प्रनिमा०, १ २५
—प्रतिमा०, १ १०

गृहपद के पदचात् नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार में नारी का स्थान उसके मातृत्व पर आधारित था। परिवार में माता का विद्यिष्ट एवं सम्माननीय स्थान था। पुनर्वती नारी वशपरम्परा की अविच्छिन्न विधानी होने के कारण कुल की प्रतिष्ठा होनी थी^१। वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वशसून को धारण करती थी^२। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में विरह पीड़ित दुष्यन्त के शोक का वारण उसका शकुन्तला के प्रति अखण्ड प्रेम तो है ही, साथ ही उसके खेद का हेतु यह भी है कि उसने गमंबद्धी शकुन्तला का परित्याग कर अपने वश को ही समाप्त कर दिया। सन्तानवती स्त्री वशप्रबर्तिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिष्ठानी होनी थी। उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होना था^३। 'विक्रमोबंधोय' में राजा पुरुर्वा अपने पुत्र आयु को देखकर उसकी माता उर्वशी को 'पुनर्वती का स्वागत है' ऐसा कह कर सम्मानपूर्वक अर्द्धासन पर अधिष्ठित बरता है^४।

मातृत्व नारी की चरम परिणामिति थी। 'माता' की मुधावर्षणी अभिधा वो प्राप्त कर नारी अपने जीवन को साथेंक ममझती थी। और पुत्र की माता बनने में बहु गौरव का अनुभव करनी थी। 'माल-विकाप्तिमित्र' में वसुमित्र की विजय पर परिज्ञाजिका ढारा वधाई देने पर धारिणी यही वहनी है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता के समान पराक्रमशाली बना^५। यही कारण था कि नारी को सदा चक्रवर्ती और और पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था^६।

१ गणेशप्यात्मनि पर्मपत्नी तत्त्वा मया नाम कुलप्रतिष्ठा ।

—अभिं शा०, ६ २४

२ वहा ।

३ यथात्तरिव गमिष्ठा भनुवद्वामना भव ।

—अभिं शा०, ४ ७

सुन त्वमपि गग्राज सब पूर्णवाच्युहि ॥

—वित्र०, अक ५ पृ० २४८

४ स्वागत पुनर्वर्त्ये । इत आस्थ्यनाम् ।

—वित्र०, अक ५, पृ० ३५३

५ भगवति । परितुप्राप्ति यत्वितरमनुजानो म वन्मन ।

—गान० अक ५, पृ० ३५३

६ वस ! वीरप्रमविनी नव ।

—अभिं शा०, अक ४, पृ० ६५

पुत्र-दर्शन से माता का रोम-रोम पुलकित हो जाता था'। यही उसके नारीत्व की सार्थकता थी।

नारी के मातृरूप का समाज में घेट्टो सम्मान था। माता मनुष्यों के लिए देवताओं की भी देवता मानी जाती थी^३। उसकी आज्ञा सर्वविस्थाओं में शिरोधार्य होती थी। पुत्र माता के आदेश से अकार्य तक करने को वाध्य हो जाता था। 'मध्यमध्यायोग' में घटोत्कच अपनी माता के ग्रतपारणार्थ उसके आदेश से बहुहृत्या तक के लिए उद्यत हो जाता है^४।

पारिवारिक क्षेत्र के साथ-साथ नारी का सामाजिक कार्य-क्षेत्र भी था। गृह एवं परिवार से बाहर भी उसकी कर्मभूमि थी। सामाजिक उत्सवों, समारोहों और विविध आमोद-प्रगोदों में नारी पति की सत्रिय सहयोगिनी थी। वह उत्साह एवं उमंग के साथ उत्सवों में भाग लेती थी और उनके आयोजन का सम्पूर्ण कार्य-भार सम्भालती थी। 'मालविकाश्चित्रम्' में धारिणी अशोक-दोहदोत्सव का सम्पूर्ण आयोजन करती है और पति एवं परिवार-जनों के साथ उत्सव को सफल बनाती है^५। राजकुल एवं राजान्तःपुर में स्त्रियाँ विभिन्न कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त हुआ करती थीं। स्त्री-परिचारिकाओं, यवनी^६, उच्चानपालिका^७, बन्दीगृहरक्षिका^८ आदि का उल्लेख इसका ग्रन्थका प्रमाण है।

१. इय से जननी प्राप्ता स्वदालोकनतत्परा ।

स्नेहप्रस्वनिभिन्नमुद्धन्ती स्नेहाशुकम् ॥ — विक०, ५.१२

२. माता किल मनुष्याणा देवताना च देवतम् । — मध्यमध्यायोग, १.३७

३. वही, १.६

४. जयतु जयतु भर्ता । देवी विजापयति—तपनीयाशीकस्य कुमुखसहदर्शनेन ममारम्भ सफल त्रियतामिति । — माल०, अंक ५, पृ० ३४२

५. एप वाणसनहस्ताभियंवनीभिर्वत्पुष्पमालाधारिणीभि. . . । — अभिर० यात०, अंक २, पृ० २७

६. ततः प्रविशात्युच्यानपालिका — माल०, अंक ३, पृ० २६०

७. यद सारभाद गृहव्यापारिता मापदिका देव्या संदिष्टा । — माल०, अंक ४, पृ० ३१६

तत्कातीन मुग में नारी सामाजिक एवं आर्थिक हाप्टि से परतन्त्र थी। समाज में गृहिणी, पत्नी, प्रेयसी और माता के विविध रूपों में आहत होने पर भी वह अपने व्यक्तिगत आचरण में स्वतन्त्र नहीं थी। स्वेच्छास्वारिता उसके लिए अच्छी नहीं समझी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्प्रयत्न द्वारा निराहत शकुन्तला जब रोती हुई वर्ष्ण शिष्यों का अनुगमन करती है तो वे उसके इस स्वेच्छाचरण पर अत्यन्त कुँद होते हैं^१। व्याप्ति की मार्यादित्या में गुरुजन के सरकारण में रहती थी और विवाहोपरान्त पति का नियन्त्रण उस पर रहता था। मनुस्मृति में भी व्याप्ति की सर्वतोमुखी प्रभुता थी^२। पति की इच्छा अनिच्छा ही पत्नी की इच्छा अनिच्छा थी। पति अपनी स्त्री को जैसे चाहे वैसे रख सकता था। उस पर समाज या वन्या के पितृकुल का कोई नियन्त्रण नहीं था। विवाहोपरान्त नारी पतिकुल की ही शोभा एवं लक्ष्मी मानी जाती थी। पति की प्रिया हो या अप्रिया, उसका पतिगृह में निवास ही लोकसम्मत था^३। जातिकुल में रहने वाली नारी, मती एवं शुद्धचरिता हान पर भी, समाज में निन्दा एवं वचनीयता का पात्र बन जाती थी। मनुष्य उसके विषय में अमत्य एवं अन्यथा शकाएँ करने से जाते थे^४। दसीलिए पनिक्रता नारी को लोकापवाद के भय से पनिगृह में दासी रूप में रहने का भी वाद्य होना पड़ता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में वर्ष्ण अहंपि शिष्य शाङ्करव दुष्प्रयत्न द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर भी

१ शाङ्करव—(शरोप निवाय) किं पुरानागे स्वान अद्यमवनम्बद्यते ?

—प्रभिंशा०, घर ५, पृ० ६४

२ पिता रक्षति वौमारे भवता रक्षति योक्तन् ।

रक्षन्ति स्थविरे पुशा न स्त्री स्वातःअयमहति ॥

—मनुस्मृति, ६ ३

३ प्रभिंशा० शा०, ५ २६

४ अत ममीये परिणेतुरिष्यत प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववृषुभिः ।

—प्रभिंशा०, ५ १७

५ उनीमपि जातिकुलैवचयो जनीन्यदा भर्तुमती विनावत ।

—प्रभिंशा०, ५ १७

शकुन्तला का पतिगृह में दासी रूप में रहना ही उचित समझता है^१। इसमें शार्ङ्गरव दोषी नहीं है। यह तत्कालीन समाज और सामाजिक व्यवस्था का दोष है जो उसे ऐसा सोचने को बाध्य करती है। लोक-निन्दिता नारी, शुद्धशीला होने पर भी पनि द्वारा त्याज्य थी। 'अभियेक नाटक' में भगवान् राम, सीता की पवित्रता को जानते हुए भी, केवल लोकनिन्दा के कारण उसका परित्याग करने को तत्पर हो जाते हैं^२।

पुरुषों के लिए बहु-विवाह की रबीकृति भी नारी की परतन्त्रता में सहायक थी। स्त्री पति का तिरस्कार एवं अपमान सहती हुई भी पतिकुल में रहने को विवश थी, किन्तु पुरुष सच्चरिता एवं शीलबती पत्नी के रहते हुए भी बहु-विवाह के लिए स्वतन्त्र था। पुरुष अपनी कामुक वृत्ति की शान्ति के लिए विवाह पर विवाह करता था और स्त्री अपनी परवशता पर आसू बहा कर जान्त हो जाती थी। स्त्री पति पर सीम्फ कर, कुद हो कर अन्त में अपने को भाग्य के हाथ में समर्पित कर देती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में रानी धारिणी अग्निमित्र और मालविका की प्रणायलीला को देख कर पहले तो अत्यन्त कुद होती है और शोध-प्रश्न मालविका को बन्दीगृह में डलवा देती है^३ किन्तु इसका पति पर कोई प्रभाव न देख अन्त में दोनों का विवाह कराने को तैयार हो जाती है^४।

नारी आर्थिक हृषि से भी पराधीन थी। आर्थिक विषयों में वह अपने पति पर अवलम्बित थी^५। उसके भरण-पोपण का उत्तरदायित्व पति पर था। आर्थिक परतन्त्रता का यह तात्पर्य नहीं है कि स्त्री की निजी सम्पत्ति होती ही नहीं थी। स्त्री की व्यक्तिगत सम्पत्ति स्त्री

१ अथ तु वेत्ति शुचिन्नतमात्मन ।

पतिकुले तत्र दास्यमपि धामम् ॥

—अभिंशा०, ५ २७

२ जानतापि च यैदेह्या शुचिता धूमकेतुन । ।

अत्ययार्थं हि लोकानामेवमेव मया कृतम् ॥

—अभिंशा०, ६ २६

३ मालविका बकुलायलिका च पाताळवाम निगतपद्मावृष्ट्युपाद वाग्यायके द्वानुभवत ।

—माल० अक० ४, पृ० ३१६

४ भगवती । त्वयानुपलेच्छाम्यार्थसुमनिना प्रयम मङ्गस्तिरा मालविकासार्थं पुत्राय प्रतिपाइयितुम् ।

—माल०, अक० ५, पृ० ३५५

५ अर्थत् पुरुषो नारी या नारी सार्थत् पुरुष ।

—गृच्छ०, ३ २७

बन' नहूनाही थी', जिस पर उनके पति का लाद अधिकार नहीं होगा था। 'न्त्रीकरण का चपयोग भरने में उसे पूर्ण स्वरूपनामा प्राप्त थी। वह इन्द्रानुभाव उन घन का उपभाव कर नक्ती थी। 'मृत्यु नटिं' में घना नुवर्णभाष्ट के चोरी चले जाने पर उसके स्थान पर निजी चम्पति स्वरूप मारुद्गुह से उपलब्ध रलावली देती है। १ विवाह-बेला में अग्नि के समीप पिता आदि द्वारा दिया हुआ घन, २ पति या चमुराल वाला द्वारा प्रदत्त आभूपंषादि द्रव्य, ३ प्रीति के कारण पति का दिया हुआ घन और ४, ५, ६ माता पिता एवं आना से प्राप्त घन।

आलोच्य नाटक म गृहिणी एवं पत्नी का ही अधिक वर्णन है। विवाह और उभकी स्थिति पर वहुत कम प्रकाश डाला गया है।

इसका कारण यही हो सकता है कि विध्वाप्रों की स्थिति सहचर एवं जीवनसखा के विनाश से विध्वा का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं रह जाता था। 'मालविकामिनमिन' म प्रयुक्त 'पुनर्नवी गुतवंधव्य दुःख्या'^१ शब्द से विध्वा की दयनीयावस्था का सम्पूर्ण चित्र नेत्रपट्टल के समक्ष उपस्थित हो जाता है। विध्वा स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात् तपस्थिनी-सम-जीवन व्यतीत करती थी।^२ मागतिक वार्यों में विध्वा की उपस्थिति मगलमय नहीं मानी जाती थी। विवाहादि अवसरों पर सीधार्यवती स्थिता ही समस्त मगलकृत्य सम्पन्न करती थी।^३ विध्वा स्त्री के लिए दायाधिकार का नियम भी नहीं था। वह पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में सेठ धनमिश्र की मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त

१ आत्माभाग्यक्षतद्रव्य स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित । —मृच्छ०, ३ २७

२ इय च मै एका मारुण्हस-पा रलावली तिहुति ।—मृच्छ०, भक ३ पृ० १८३

३ मनुस्मृति ८ १६४

४ याशवल्य स्मृति २ १४३

५ माल०, भक ५ पृ० ३५०

६ ततो भातु दारीरमदिसात्कृत्या पुनर्नवीकृतवैधध्यदु सया मया तदोयं देशमयतीयं इमे कापाये शृहीत । —माल० भक ५ पृ० ३५०

७ स्वरतान् स्वरताम् योर्या । एव जामाता भविधवागि भव्य सरचसुस्तान् प्रवेश्यते । —स्व० वा०, भक ३, पृ० ८२

सम्पत्ति राज्याधिकार में होने वाली थी, किन्तु गर्भस्थ बालक के कारण
वह राजकीय होने से बच गई^१।

समाज में सती-प्रथा भी प्रचलित थी किन्तु इस प्रथा का
कठोरता से पालन नहीं किया जाता था। विधवा सती होने के लिए
बाध्य नहीं थी, अपितु स्वतन्त्र थी।

सती-प्रथा 'मृच्छकटिक' में पतिव्रता धूता अपनी
इच्छा से पति का मरण रूप अमगल
मुनने से पूर्व अग्नि में प्रविष्ट होना चाहती है^२। 'जरुभग' में दुर्योधन
की महिली पति के साथ ही अग्नि-प्रवेश का निष्ठय कर लेती है^३।

आलोच्य नाटकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्दा-प्रथा का
भी समाज में अस्तित्व था। कुल-नारियाँ घर से बाहर प्रायः धूंघट
निकाल कर जाती थीं। 'प्रतिमा नाटक'
पर्दा-प्रथा में वनगमन के अवसर पर सीता मार्ग
में धूंघट निकाल कर चलती है^४।

'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला दुष्यन्त के समक्ष अवगुण्ठनवती
बनकर आती है^५। राजान्त पुर की नारियाँ और धनाढ्य द्वियाँ
सम्भवत कचुकायुत शिविका में बैठ कर बाहर निकलती थीं^६। यह,
विवाह, व्यसन और वन में द्वियों का दर्शन निर्देश माना जाता था^७।
पर्दा या अवगुण्ठन नारी की विनयशीलता और लज्जा का भी प्रतीक
था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त को जब विवाह का स्मरण नहीं
रहता है तब गीतमी शकुन्तला को लज्जा का परित्याग कर अव-
गुण्ठन हटाने को कहती है^८।

१. अभिज्ञानशाकुन्तल, अक ६, पृ० १२१

२. मृच्छक, अक १०, पृ० ५८८

३. एककृतप्रवेशनिष्ठया न रोदिमि।

—जरुभग, अक १, पृ० ३८

४. मैथिलि। अपनीयतामवगुण्ठनम्।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० ४४

५. का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावप्या। —अभिज्ञानशाकुन्तल, ५ १३

६. तत्रभवती वासनवदत्ता नाम राजदारिका धानीद्वितीया कन्यकादर्शनं निर्देश-
मिति हृत्वाऽपनीतकचुकाया शिविकामाम्। —प्रतिमा०, अक ३, पृ० ६३

७. निर्देशहृष्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने थने च।

—प्रतिमा०, १.२६

अभिज्ञानशाकुन्तल, अक ५, पृ० ८८

तत्कालीन समाज में कुल-नारियों के अतिरिक्त एक प्रकार की सार्वजनिक स्त्रियाँ भी थीं जो गणिका नाम से पुकारी जाती थीं।

ये शिक्षित और विभिन्न कलाओं^१—

गणिका

विशेषत नृत्य और संगीत^२ में कुशल होती थीं। सामान्यतया लोग इन्हें सार्व-

साधारण के उपभोग की वस्तु समझते थे। पण्यस्त्रिया बाजारू वस्तु के सदृश थी, जिन्हें जो चाहे धन देकर खरीद सकता था^३। सागर की लहर के समान चचल और सायकालीन मेघ के सदृश अस्थिर अनुराग करने वाली वेश्याएँ केवल धनापहरण जानती थीं और अनुरक्त मनुष्य को निर्धन एवं धनहीन बनाकर छोड़ देती थीं^४। ये धन प्राप्ति के लिए ही पुरुषों को विश्वास दिलाती थीं और स्वयं उन पर विश्वास नहीं करती थीं^५। ये अत्यन्त अपवित्र और निम्न होती थीं^६। समाज में इनको धूरणा की दृष्टि से देखा जाता था। वेश्याएँ और उनमें सम्बद्ध वस्तु सद्गृहण के घर में प्रवेश नहीं कर सकती थीं^७। ये प्रभूत धन-सम्पत्ति की अधिकारिणी और विशाल अट्टालिकाओं की स्वामिनी होती थीं^८।

कनिपय गणिकाएँ 'वेश्या' अभिधा का अपवाद भी होती थीं। ये अर्थ की अपेक्षा गुणों का सम्मान करती थीं^९। वसन्तमेना इसी का उदाहरण है। वह गणिका होने पर भी दरिद्र किन्तु कूत्रवान् एवं

सदाचारी चाहृदत्त से सच्चा प्रेम करती है और राजश्यालक से पूरणा करती है^१। गणिका अपने इच्छुत पुरुष से विवाह कर कुलवधू के वन्दनीय पद को प्राप्त कर सकती थी^२। कभी-कभी राजा भी गणिका के सदगुणों से प्रभावित होकर उसे 'वधू' अभिधा से सम्मानित करता था। 'वधू' विशेषण रो विशिष्ट गणिका वैधानिक हृष्टि से अपने अभीष्ट व्यक्ति की पत्नी बन सकती थी। 'मृच्छकटिक' में वरान्तसेना राजा द्वारा 'वधू'^३ पद से सम्मानित होकर चाहृदत्त की पत्नी बन जाती है।

शिक्षा के क्षेत्र में नारी प्रगति के पथ पर थी। नारी-शिक्षा पुरुष-शिक्षा के समान ही आवश्यक थी। स्त्री को आदर्श पत्नी एवं विदुपी बनाने के लिए उसे शिक्षा देना शिक्षा और नारी अनिवार्य था। स्त्री-शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक नारी विविध कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। नाटकों में अनेक शिक्षिता नारियों का वर्णन मिलता है। शकुन्तला का ललितपदसंयुत प्रेमपत्र^४ उसके शिधित होने का प्रमाण तो है ही, साथ ही उसकी साहित्यिक अभिरुचि का परिचायक भी है। 'विक्रीविशेष' में उर्बशी राजा पुरुरवा को सुन्दर अर्थ एवं भाव से परिपूर्ण प्रणाय-पत्र लिखती है^५। साहित्य एवं विद्या के साथ नारी को ललित-कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। नृत्य-समीत-विशारदा मालविका^६, चित्रकला वी जाता अनुसूया

१. यत्नेन सेवितव्य पुम्पु कुलशीक्षान् दरिद्रोऽपि। —मृच्छ०, ८.३३

२. मुदुष्ट क्रियतानेष शिरसा वन्धता जन। मते दुर्भग प्राप्त वधूशब्दावगुण्ठनम् ॥ —मृच्छ०, ४.२४

३. शार्ये वसन्तसेने। गरितुष्टो राजा भवती वधूशब्देनागुश्लहाति। —मृच्छ०, अक १०, पृ० ५६८

४. तेन ह्यात्मन उपमारापूर्वं चिन्तय तावलतलितपदवन्धनम्। —अभिं० शा०, अक ३, पृ० ४८

५. तुल्यानुरागगिग्नुन ललितार्थवन्ध पवे निवेशितमुदाहरणं प्रियाया। उत्पदमणा० सम सरो मदिरेकालाया, तस्या रामागानगिवाननमाननेन ॥ विक्री०, २.१३

६. भी वयस्य न केवलं रूपे शिलोऽप्यद्वितीया गालविका। —माल०, अंक २, पृ० २८८

एवं प्रियबदा^१, विविध-कलाओं में दक्ष वसन्तसेना^२, वीणावादन की आचार्या उत्तरा नामक वैतालिका^३ आदि का बरणं इसके पुष्ट प्रमाण हैं।

समाज में नारी का धार्मिक हृषि से महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक क्षेत्र में स्त्री पति की सहयोगिनी एवं सहधर्मनारिणी^४ थी।

धर्मानुष्ठान एवं धार्मिक क्रियाएँ विनाधर्म और नारी पत्नी के सम्बन्ध नहीं हो सकती थी।

प्रत्येक धार्मिक सस्कार पत्नी के साथ करणीय था। अत राहधर्मचिरण के लिए विवाह एक अनिवार्य सस्कार था। विवाह के समय पुण्य सहधर्मानुष्ठान के लिए नारी का पाणि-ग्रहण करता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में महर्षि कण्व सहधर्मचिरण के लिए दुप्यन्त को अपनी कन्या शकुन्तला प्रदान करते हैं^५। न केवल गृहस्थाश्रम में ही, वरन् वानप्रस्थाश्रम में भी पत्नी पति के धर्मपालन में सहयोग देती थी। वह पुत्रादिक पर कुदुम्ब का भार सोंप कर पति के साथ ही वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला द्वारा यह पूछने पर कि है तात। मैं पुन कव आश्रम के दर्शन करूँगी', कण्व कहते हैं कि 'तुम दीर्घ समय तक पृथ्वी की सपत्नी बनकर अद्वितीय बोर पुन को कुदुम्ब का दायित्व सोंप कर, अपने पति के साथ इस आश्रम में प्रवेश वरोगी'^६। नाटकों में प्रयुक्त

१ अभिंशा०, अक ४, पृ० ६७

२ चारदत्त, १ २४

३ उत्तराया वैतालिक्या सकाशे वीणा शिक्षितु नारदीया गतामीद ।

—प्रतिज्ञा०, अक २, पृ० ५२

४ ननु राहपगचारिणी खत्वहम् ।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० ३८

५ तदिदानीमाप्नन्नस्त्वैय प्रतिष्ठृहताम् सहधर्माचरणायेति ।

—अभिंशा०, अक ५, पृ० ८६

६ भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी

दीप्यतिमप्रतिरथ तनय निवेश्य ।

भर्ता तदपितकुदुम्बमरेण सायम्

“ाते वरिष्यसि पद पुनराश्रमेऽस्मिन् ॥

—अभिंशा० ४ २०

'सहघर्मचारिणी'^१, 'धर्मपत्नी'^२ आदि शब्द नारी के धार्मिक महत्व को ही द्योतित करते हैं।

सामाजिक, आधिक और धार्मिक क्षेत्र के सदृश राजनीतिक क्षेत्र में भी नारी का योग था। राजनीति में नारों का सक्रिय एवं प्रत्यक्ष सहयोग तो नहीं रहा, किन्तु उसने राजनीति और नारी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संघर्ष एवं उथल पुथल को जन्म अवश्य दिया। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में वासवदत्ता का अपहरण उदयन और राजा महासेन के मध्य संघर्ष को स्थिति उत्पन्न कर देता है^३। 'अभियेक नाटक' में राम रावण के भीषण एवं विनाशकारी युद्ध में सीता का हरण ही कारण बनता है^४।

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि नारी के प्रति आलोच्य नाटककारों और साहित्यिकों का हृष्टिकोण अतीव उदार एवं विशाद रहा है। नारी उनके लिए नारी के प्रति साहित्यिकों परिव्रक्ति प्रतीत होती है। उसके प्रति उनके का हृष्टिकोण हृदय में सम्मान और आदर की भवना है। समाज में नारीकी हासोन्मुख अवस्था देखकर उनका अन्तर चौल्कार कर उठा, रोम-रोम हाहाकार करने लगा। उसके उत्कर्ष एवं उत्थान को उन्होंने अपने नाटकों का सक्षय बनाया। नारी के प्राचीन 'देवी' पद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी कृतियों में उसे उच्च एवं विशिष्ट स्थान प्रदान किया। समाज में नारी के विषय में प्रचलित अद्वंसत्यों और मिथ्या-धारणाओं के निवारण के लिए उन्होंने उसके गीरकमय रूप का चित्रण किया। उन्होंने समाज को अधोगति की ओर ले जाने वाली, कुल के लिए आधिस्वरूपा, दुश्शीला नारी को अपने ग्रन्थों का आदर्श नहीं बनाया, अपितु पति की सहघर्मचारिणी, पति के सन्तोष एवं प्रसन्नता के लिए

^१ प्रतिमा०, अक १, पृ० ३६

^२ अभिं० शा०, ६ २४

^३ प्रतिज्ञा०, अक ४ (सम्पूर्ण)

^४ मम दारापहारेण स्वयम्भूग्राहितविष्रह ।

भागतोऽहं न पश्यामि द्रष्टुकामो रणातिष्ठ ॥

—अभिं० ४ २२

आत्म सुख को तिलाजलि देने वाली, गुरुजन की सर्वात्मना शुश्रूपा करने वाली और सपत्नी के साथ राखीसम व्यवहार करने वाली त्यागभयी देवी-रूपा नारी का चित्र खीचा है।

नाटकनगरा की हाइ म समाज रखना के लिए नर और नारी स्तम्भ स्वरूप हैं। अत दोना को पारस्परिक सामजस्य एव सहयोग से कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति उदार एव सहानुभूति-पूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। नारी पर पुरुष की प्रसुना अनधिकार चैप्टा है। पुरुष द्वारा नारी का अनादर एव अपमान उसके लिए सुखद न होकर दुखद ही होता है। इससे दाम्पत्य एव शुहस्य जीवन अशान्ति एव कलह का आलप बन जाता है जो अन्त मे समाज के लिए भी घातक तत्त्व सिद्ध होता है। नारी वा पतन समाज का पतन है और नारी का उत्कर्प समाज का उत्कृष्ट। अत नारी को समाज वी प्रगति का मूल भानकर उसका सर्वथा आदर करना चाहिए। यही नाटककारो का समाज व उसके कणधारो के लिए सन्देश है।

जीवन-पद्धति

जीवन-पद्धति भी समाज-चित्रण के विविध रूपों में से एक है। देश-विदेश की सम्यता और संस्कृति के द्वारा इससे यथोष्ट सहायता मिलती है। प्रस्तुत अध्याय में विवेच्य नाटक-युगीन समाज की जीवन-पद्धति का विवेचन किया गया है। खान-पान, आवास, वेशभूषा, उत्सव एवं आमोद-प्रमोद, जन-मान्यताएँ या जन-विश्वास, सामाजिक रीति-रिवाज तथा चिकित्सा-विधि, इसी पद्धति के अग हैं।

खान-पान या आहार-पद्धति सामाजिक जीवन और रहन-सहन का प्रमुख अग है। यह पद्धति देशकालनुसार परिवर्तित एवं परिवर्धित होती रहती है। आदिम मानव की खान-पान ग्राम्य एवं शहरी भोजन-प्रणाली ने सम्यता के उत्तरोत्तर विकास के साथ सस्कृत एवं परिनिष्ठित रूप धारण किया।

विवेच्य नाटक-युग में खान-पान अत्यन्त सुस्कृत और सुरुचि-पूर्ण था। अन्न का प्राचुर्य था और सुस्वादु भोजन-सामग्रियों का अभाव न था। प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मनुष्यों की रुचि के अनुसार विविध खाद्य पदार्थ बनाये जाते थे। गृहिणियाँ और पाकशास्त्री भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन बनाने में निपुण होते थे। 'चार्दस्त नाटक' में नटी अपने ब्रत के अवसर पर वाहणा-भोजन के लिए रवादिष्ट व्यजनों का निर्माण करती है। 'मृच्छकटिक' में विदूपक वसन्तसेना के प्रासाद के पंचम प्रकोष्ठ में प्रवेश

कर पाकशास्त्रियों द्वारा बनाये गये नानाविध-आहार की सुगन्ध से उन्मत्त सा हो जाता है^१।

तत्कालीन समाज में निरामिप और सामिप दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे। सामिप आहार का प्रचलन सामान्यतया प्रत्येक युग में रहा है, किन्तु विवेच्य युग में सामिप आहार का कुछ विशेष उल्लेख मिलता है। निरामिप भोजन में अन, दाल, शाक, दुग्ध आदि का समावेश किया गया है तथा सामिप भोजन में मास के साथ मटिरापान का निरूपण भी हुआ है।

शाकाहार सात्त्विक एव सरल भोजन होता है। इसमें अन या अनाज प्रमुख खाद्य हैं। वर्ण नाटकों में यव^२, तण्डुल^३, तिल^४, नीवार^५ और इयामाक^६, इन पांच निरामिप भोजन खाद्यान्नों का उल्लेख हुआ है। यव प्रमुख अन नहीं था। नाटकों में केवल एक-दो स्थलों पर ही इसका प्रयोग किया गया है। देवताओं के पूजोपायन के रूप में इसका उपयोग होता था^७।

तण्डुल या चावल जनता का लोकप्रिय आहार था। शालि^८ और कलम^९ उसके ही प्रकार विशेष थे। वासुदेवशरण अग्रबाल के मतानुसार शालि सर्दियों में पैदा होने वाला चावल है जिसे जडहन भी कहते हैं^{१०}। कलम को मलिननाथ शालि का ही एक रूप स्वीकार

१ अधिकगुत्सुकायते मा साध्यमानवहृषिभव्यमोजनगच्छ ।

—मृच्छ०, अक ४, पृ० २३७

२ रास्वेव पूर्ववलिरुद्यवाङ्कुरागु ।

—चारदत्त, १२

३ चारदत्त, अक १ पृ० ४

४ अन्यथाऽवश्य सिन्चत मे तिलोदकम् । —अभिंशा० अक ३ पृ० ४६

५ अभिंशा० ११४

६ वही ४१४

७ देविए, चारदत्त, १२

८ मुक्त भयासमनो गेहे गालीयकूरेण गुहोदनन । —मृच्छ०, १० २६

९ सदध्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयति वायसा वलि सुधासवणतया । —मृच्छ० अक ४ पृ० २३२

१० इष्टिया एज गोत द्व पाणिनि, पृ० १०२ ३

करते हैं। चावल के अनेक प्रकार के व्यजन बनाये जाते थे^१। चावल को उबाल कर उसका भक्त^२ या भात के रूप में प्रयोग किया जाता था। गुड़ के साथ मिला हुआ चावल 'गुडौदन'^३ कहलाता था। चावल दही में मिला कर भी खाया जाता था^४। पायस^५ दूध में चीनी और चावल डाल कर बनाया जाता था।

तिल अव्यवहृत खाद्यान्न था। मृत्युपरान्त या शाद्वादि के अवसर पर मृतक एवं पितृ तृप्ति के लिए तिलोदक अपित करने की प्रथा थी^६।

नीवार और इयामाक वन्य धान्य थे। ये बनो में प्रचुर मात्रा में पैदा होते थे। इसीलिए 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में तपोवन वर्णन में ही इनका उल्लेख आया है^७।

निरामिष खाद्योपकरणों में अन्न के पश्चात् दाल एवं शाक का विशिष्ट स्थान होता है। नाटकों में माप^८ दाल एवं शाक और कुलुत्थ^९ (कुलधी) जैसी दालों का उल्लेख हुआ है। डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास^{१०} कुलित्थ को दाल का ही भेद मानते हैं।

शाक के अन्तर्गत रक्तमूलक^{११} (मूली), पनस^{१२} (कटहल) और

- १ कलमा शास्त्रियरेप—(मलिनाय की टीका)। —रघू०, ४ ३७
- २ चाहदत्त ११
- ३ मृच्छ० १० २६
- ४ देविए पादटिष्ठणी न० ३
- ५ अयस्मिन् गेहे गत्वा पायस भुद्वते। —वा० च० अक १ पृ० २२
- ६ अभिं० शा० अक ३, पृ० ४६
- ७ (क) अभिं० शा० अक २ पृ० ३५
(ख) वही ४ १४
- ८ बलीयसि खल्वधकारे गावराशिप्रविष्टेव। —मृच्छ०, अक १, पृ० ५४
- ९ तस्या त्वं पुष्करिण्या पुराणकुन्त्यमूष्यशब्दानि उप्रग्राधीनिवचीवराणि प्रक्षालयसि। —मृच्छ०, अक ८ पृ० ३७६
- १० रामायणकालीन सस्कृति पृ० ७३
- ११ अपानकमध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य नीर्यं ते भङ्गयामि। —मृच्छ०, अक ८ पृ० ३७६
- १२ मृच्छ०, ८ ८

कलाय^१ के नाम आये हैं। साग सूखे^२ और रसेदार दोनों प्रकार के बनाये जाते थे।

भोजन को सुस्वादु और जायकेदार बनाने के लिए मसालों और सुवासित चूंणों का प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिए नाटकों में 'वर्णक'^३ शब्द व्यवहृत हुआ है। मसालों में नमक^४, मिर्च^५, हींग^६, जीरा^७, भद्रमुस्तार^८ या नागरमोया, बच^९ और सौंठ^{१०} प्रमुख थे। भोजन में अम्लांश लाने के लिए अम्ल रस या खटाई भी डाली जाती थी^{११}। भोजनोपरान्त कपूरादि से सुवासित ताम्बूल^{१२} का भी प्रयोग होता था।

मसालों के समान तेल^{१३} भी भोजन को स्वादिष्ट बनाता था। यह आहार्य पदार्थों में चिकित्सा तत्त्व का संचार करता था। यह दीपकादि जलाने में भी प्रयुक्त होता था^{१४}।

१. कलायंशाकेपु।

—प्रतिमा०, अंक ५, पृ० १३५-६

२. मृच्छ०, १-५१

३. एका वर्णक पिनटि।

—मृच्छ०, भक १, पृ० १२

४,५. घृतमरिचलवण्हयितो।

—प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०४

६. मृच्छ०, द.१४

७. वही, द.१३

८,९,१०. वही, द.१३

११. मासेन तिक्ताम्लेन भक्तं शारेन सूपेन समत्स्यकेन।

—मृच्छ०, १०.२६

१२. दीयते गणिताकामुक्यो. सर्वपूर्णं ताम्बूलम्।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४०

१३. विक्षोभ्यमाण्णननिततरंगतैलपूर्णमाजनम्। —चारूदत्त, अंक १, पृ० ३८

१४. वही।

आहार मे स्वाद-परिवर्तन के लिए भसालेदार वस्तुओं के समान ही मिष्ठ पदार्थों का भी उल्लेख मिलता है।

मिष्ठ द्रव्य इसमे मधु^१, गुड^२, खण्ड^३ (खाड) और मत्स्यण्डिका^४ उल्लेखनीय है। मत्स्यण्डिका

विना साफ को हुई शक्कर होती थी^५। मद सवर्धनार्थ इसका विशेष उपयोग किया जाता था^६।

मिष्ठान्त मे मोदक वा विशेष स्थान था। यह केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं था अपितु देवोपायन के रूप मे भी इसका प्रयोग किया जाता था। 'विक्रमोर्यशोय मे रानी श्रीशीतरी निपुणिका से देवप्रसाद रूप मोदको को माणवक को देने के लिए कहती है^७। आकार मे मोदक चन्द्रमा के सहश गोल होता था^८। यह दो प्रकार का होता था। एक केवल खाड से निमित होता था जो 'खण्डमोदक'^९ कहलाता था और दूसरा पिष्ठ चावल मे शक्कर मिला कर धी मे भून कर बनाया जाता था और हिंग की तरह श्वेत एव निष्ठानित सुरा के रामान मधुर होता था^{१०}। मोदक के समान अपूर्पक^{११} भी एक प्रकार का मिष्ठान ही था। इसे आजकल बोलचाल की भाषा मे मालपूष्टा कहते हैं।

१ बा० च० अक ३ पृ० ४१

—अवि०, अक २, पृ० ४६

२ प्रसारितगुडमधुरसङ्गत इव ।

—विक०, अक ३, पृ० १६७

३ एप खलु खण्डमोदकसधीक ।

—विक०, अक ३, पृ० १६७

४ चयस्य एतदलानु साधुपानोद्देजितस्य मत्स्यण्डिकोपततर ।

—माल०, अक ३, पृ० २६६

५ वी० एस० आप्टे रट्टैटरा सस्कृत इतिहा डिप्शनरी, पृ० ४११

६ माल०, अक ३ पृ० २६६

—विक०, अक ३ पृ० २०५

७ हजे निपुणिके एतानीपहारिकमोदकानार्थमाणवक लभय ।

—विक०, अक ३, पृ० १६७

८० प्रतिज्ञा०, अक ३ पृ० ८३ ४

९९ पच्यन्तेऽपूर्पक ।

—मृच्छ०, अक ४, पृ० २३७

निरामिप आहार में दूध की गणना एक पौष्टिक एवं शक्तिप्रद पेय पदार्थ के रूप में की गई है। विवेच्य काल में गो-धन के प्राचुर्य के कारण दूध प्रमूल मात्रा में उपलब्ध होता था। 'पचरात्र नाटक' में विराटराज के जन्म-दिवस के अवसर पर गोदान के लिए सेकड़ों गायें नगर-वाटिका के मार्ग पर सजा दी जाती हैं^१। 'वाल-चरित' में गोपालों की एक पृथक् ही घस्ती का वर्णन है। दूध से दधि^२, नवनीत^३, तक^४ और घृत^५ की प्राप्ति होती थी।

वर्ण्य युग में लोगों के आहार में फलों का भी विशेष महत्त्व था। गृहोद्यानों, सावंजनिक उपवनों तथा वन में फलों के पेड़ ही अधिक लगाये जाते थे। अतिथि-सत्कार अथवा किसी से भेंट करते समय फलों का व्यवहार ही उत्तम रामभा जाता था।

'अभिज्ञानशास्त्रानुन्तर' में दुष्यन्त का आतिथ्य फलमिथित अर्द्ध से ही किया जाता है^६। 'मालविकाग्निमित्र' में परिद्वाजिका महारानी धारिणी को भेंट करने के लिए विजीरिया नीवू ही ले जाती है^७। तपोवन में तो वन्य-फल और वन्दमूलादि आश्रमवासियों के प्रमुख आहार थे^८। फलों के रस का सूप^९ के रूप में भी सम्भवतः प्रयोग किया जाता था।

१. पचरात्र, अक २, पृ० ५१

२,३,४. अन्यस्तिमन् गेहे गत्वा दधि भक्षयति। अपरस्तिमन् गेहे गत्वा नवनीतं गिलति। अन्यस्तिमन् गेहे गत्वा पायरा भुइकते। इतरस्तिमन् गेहे गत्वा तपधट प्रलोकते। —वा० च०, अक १, पृ० २२

५. वा० च०, अक ३, पृ० ४१

६. हला शबुन्तले। गच्छोटजम्। फलमिथमर्घमुपहर।

—अभिं० शा०, अक १, पृ० १७

७. सप्ति। भगवत्याजापयति। अरिक्तपाणिनास्मादृशज्ञेन तवभवती देवी दृष्टया। तद्वोजपूरकेण शुशूपितुमिच्छामि। —माल०, अक ३, पृ० २६०

८. स्व० वा०, १.३

९. मूल्य०, १०.२६

फलों में आमों^१ का सेवन अधिक प्रचलित रहा होगा क्योंकि नाटकों में इनका वर्णन बहुत हुआ है। आम के अतिरिक्त जम्बू^२, पिण्डखजूर^३, बीजपूरक^४ (विजौरिया नीबू), पिचुमन्दा^५ (नीबू), नारिकेल^६, कदली^७, तिन्तिरी^८, इक्षु^९, ताल^{१०} और कपित्य^{११} (कैथ) जैसे फलों का भी नामोल्लेख हुआ है।

कहा जा चुका है कि रामिय आहार में मांस के साथ मदिरा का भी उल्लेख हुआ है। सामान्यतया सामिय भोजन इन दोनों का गहन सम्बन्ध समझा जाता है।

आलोच्य युग में मांस सामान्य भोज्य वस्तु थी। समाज में मांसाहार अनेतिक नहीं समझा जाता था। राजा और रंक कोई भी मांस-भोजी हो सकता था। चाहूणग तक मांस का सेवन करते थे। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में विद्वपक ब्राह्मण होकर भी हरिणी का मांग लाने की इच्छा प्रकट करता है^{१२}। अत्रिय राजाओं का मृगया-प्रेम^{१३} उनकी मांसाभिरुचि को ही द्योतित करता है।

१. नवकुत्सयोवना वनज्योत्स्ना वद्वकलतयोपभोगक्षमः सहकारः। —अभिंशा०, अंक १, पृ० १४
२. विक०, अंक ४, पृ० २२०
३. यथा कस्यापि पिण्डखजूरे स्नेनितस्य। —अभिंशा०, अंक २, पृ० ३३
४. देखिए, पादटिप्पणी नं० २
५. चम्पकारामे पिचुमन्दाजायन्ते। —चारुदत्त, अंक ४, पृ० १०५
६. अभिंशा०, अंक ४, पृ० ६४
७. पञ्चरात्र, १.१६
८. तिन्तिर्णामभिलापो भवेत्। —अभिंशा०, अंक २, पृ० ३३
९. अभिंशा०, अंक ६, पृ० १२४
१०. वा० च०, अंक ३, पृ० ४४
११. पववकपित्यं शीर्वै ते। —चारुदत्त, अंक १, पृ० ४२
१२. अहमपि प्रार्थ्यमानो यदा मिष्ठहरिणीमासभोजनं न लभे तदेतत्संकीर्तयन्ता-इवासयाभ्यात्मानम्। —विक०, अंक ३, पृ० २०१
१३. एतस्य मृगयाशीलस्य राजो वयस्यभावेन निविष्णोऽस्मि। —अभिंशा०, अंक २, पृ० २६

राजा दुष्यन्त इसका साक्षात् प्रमाण है।

सामान्यतया मास तीन शेखियों में विभक्त किया जा सकता है—१ पशुमास, २ पक्षिमास और ३ मत्स्यमास। पशुमास में मृग, घूकर और सिंह का मारा प्रमुख था^१। कतिपय अवसरों पर जगली भैंस का मास भी खाया जाता था^२।

मास का द्विसारा प्रकार पक्षिमास था। 'मृच्छकटिक' में केवल एक स्थल पर परमृत-मास का उल्लेख हुआ है^३। चिडिया आदि का शिकार करने वाले 'शकुनिलुधक'^४ कहलाते थे।

पशुओं और पक्षियों के अतिरिक्त मछलियों का भी आहार में विशिष्ट स्थान था। मत्स्यमास अत्यधिक लोकप्रिय था। राजकुल और घनिकगूहों में तो मछलियों के माँस का इतना प्राचुर्य था कि कुत्ते तक उन्हे छोड़ कर मृतक का सेवन नहीं करते थे^५। मत्स्य-वन्धन धीवर^६ जाति के व्यक्तियों की आजीविका थी। वे काँटा आदि फेंक कर मछलियाँ फाँसते थे^७ और बाजार में बेचते थे^८। मछलियों में रोहित नामक मछली प्रसिद्ध थी। यह लगभग तीन फुट लम्बी और बड़ी पेटू मछली होती है। इसका मास स्वाद में पकिल होता हुआ भी खाने योग्य होता है। इसका पृष्ठ कभी जैतून के रंग

१ अथ मृगोऽय वराहोऽय शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्मविरलपादपञ्चायासु बनराजीव्वाहिण्डधते। —अभिंशा०, अक २, पृ० २६

२ अभिंशा०, २ ६

३ मृच्छ०, ८ १४

४ ततो महत्वेव प्रत्यौपे दास्या पुर्वे शकुनिलुधकै।

—अभिंशा०, अक २, पृ० २४

५ रमय च राजवल्लभ तत खादिष्यसि मत्स्यमासकम्।

एताम्या मत्स्यमासाम्य इवानरो मृतक न सेवन्ते। —मृच्छ०, १ २९

६ अह शक्रायताराम्बन्तासासी धीवर। —अभिंशा०, अक ६, पृ० ६७

७ अह जालोदणालादिभिमत्स्यवन्धनोपाये कुदुम्बमरणं करोमि।

—अभिंशा०, अक ६, पृ० ६७

८ एकस्मिन् दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कत्पितो यावत् पश्चादहु तस्य विकपणार्थं ददाय गृहीतो भावमित्रै।

—अभिंशा०, अक ६, पृ० ६८

के सहशा, पेटी सुनहरी और डैने तथा आँखें लाल होती हैं^१। 'अभिपेक नाटक' में महावाफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी। शाद के अवसर पर अन्य वस्तुओं के साथ इसके मास का भी विधान था^२।

भक्ष्य जीवों में गोधा या गोह का उल्लेख भी मिलता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजश्याल धीवर को 'गोधादी' अर्थात् गोह खाने वाला बताता है^३। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीवर आदि निम्न जातियाँ ही इसके भाँस का सेवन करती थीं।

नर-मास खाने की प्रवृत्ति केवल राक्षसों में प्रचलित थी। 'मध्यमव्यायोग' में जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रों में से एक को अपनी माता के व्रतपारणार्थ ले जाने की इच्छा करता है तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने गुणवान् पुत्र को नरभक्षी को देकर किस प्रकार शान्ति-लाभ करूँगा^४ ?

आखेट में मारे गये जीवों से ही मास-प्राप्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य में वधशालाएँ भी थीं जहाँ पशुओं का वध किया जाता था और उनका मास बेचा जाता था^५।

मास-भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थीं। मास अग्नि में भून कर^६ अथवा तेल और मसालों में तल कर उपयोग में लाया जाता था^७। इसका 'शूल्यमास'^८ के रूप में भी प्रयोग होता था। तले हुए मास का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था^९। 'शूल्यमास'

पकाने की विधि में लोहे की सलाह्यों में मास के छोटे-छोटे टुकड़े पिरो कर आग के ऊंचर रख दिये जाते थे^१। आखेट आदि में जहाँ मास पकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, 'शूल्यमास' का प्रयोग किया जाता था।

सामिप भोजन में मास के पश्चात् मदिरा का द्वितीय स्थान है। विवेच्य युग में सुरापान का व्यापक प्रचार था। समाज में सभी वर्गों के मनुष्य मध्य-पान करते थे।

मदिरा	राजाओं से लेकर सामान्य अनुचरों तक को मदिरा पीने की स्वतन्त्रता थी।
--------------	---

'अभिज्ञानशाकुन्तल' में नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकों के मध्य-पान का उल्लेख मिलता है^२। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजभूत्य गानसेवक मदिरोन्मत्त और जपापुष्प के सहित रक्तलोचन दिखाई देता है^३।

केवल पुरुष ही नहीं स्त्रिया भी मध्य-पान का आनन्द लेती थी। मध्य-ब्रब्लाजन का विशेष भण्डन माना जाना था^४। 'मालविकाग्निमित्र' में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ झूलने जाती है^५।

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गणिका-समाज में था। वेश्यालय एक प्रकार से पानागार बने हुए थे। वसन्तसेना के पाठ प्रकोष्ठ में वेश्या और कामुकजन सी-सी करते हुए मध्य-पान करते हैं^६। दास-

१. डा० गायत्री वर्मा : कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्कृति, पृ० १५६

२. वादम्बरीसाक्षिकमस्माक प्रथमरौहूदमिष्यते। सच्चीष्टिकापणमेव गच्छाम । — अभिं शा०, अक ६, पृ० १०१

३. एप गात्रसेवक, सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपापुष्पमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति । — प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०३

४. चेटि निरुणिके शृणोमि बहुशो मद किन स्त्रीजनस्य विशेषमण्डनम् इति । परि सत्य एप लोकबादः । — माल०, अक ३, पृ० ३०१

५. चेटि मदेन बलाम्यमानमात्मानमार्यपुत्रस्य दर्शने हृदय त्परयति । — माल०, अक ३, पृ० ३०१

६. पीयते चानवरत ससीत्वार मदिरा । — मृद्ग०, अक ४, पृ० २४०

के सहशा पेटी सुनहरी और डैने तथा आँखें लाल होती हैं^१। अभियेक नाटक में महाशफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी। शादू के अवसर पर अन्य वस्तुओं के साथ इसके मास का भी विधान था^२।

भक्षण जीवों में गोधा या गोह का उल्लेख भी मिलता है। अभिज्ञानशाकु तल में राजश्याल धीवर को गोधादी अर्थात् गोह खान वाला बताता है^३। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीवर आदि निम्न जातियाँ ही इसके मास का सेवन करती थीं।

नर मास खाने की प्रवृत्ति केवल राक्षसों में प्रचलित थी। 'मध्यमव्यायोग' में जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रों में से एक को अपनी माता के व्रतपारणाथ ले जाने की इच्छा कारता है तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने गुणवान् पुत्र को नरभक्षी को देकर किस प्रकार शान्ति लाभ करौंगा^४ ?

आखेट में मारे गये जीवों से ही मास प्राप्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य में वधशालाएँ भी थीं जहां पशुओं का वध किया जाता था और उनका मास बेचा जाता था^५।

मास भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थीं। मास अग्नि में भून कर^६ अथवा तेल और मसालों में तल कर उपयोग में लाया जाता था^७। इसका शूल्यमास^८ के रूप में भी प्रयोग होता था। तले हुए मास का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था^९। शूल्यमास^{१०}

१ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग १ पृ० ३१६ १७

२ प्रतिमा०, अक ५ पृ० १३६

३ जानुक विस्तगाथी गोधादी मत्स्यवध एवं निसशयम् ।

—अभिमा० अक ६ पृ० ६७

४ पुरुपादरय वस्त्राह कथ निवृतिमानुयाम् । —मध्यमव्या० ११३

५ भवानपि गूनापरिसरधर इव गृष्म आमियलोलुपो भीरुकरच ।

—माल० अक २ पृ० २८६

६ अगाररशिपतितिर्गिव मासलण्डम् । —मृद्ध० ११८

७ दृतमरिचलवणरपितो मासलण्ड । —प्रतिज्ञा० अक ४ पृ० १०४

८ अनियतवेल शूल्यमासभूयिष्ठो आहारो भुज्यते ।

—अभिमा० अक २ पृ० २६

९ प्रतिज्ञा० अक ४ पृ० १०४

पकाने की विधि में लोहे की सलाइयों से मास के छोटे-छोटे टुकड़े पिरो कर आग के ऊर रख दिये जाते थे^१। आखेट आदि में जहाँ मास पकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, 'शूल्यमास' का प्रयोग किया जाता था।

सामिप भोजन में मास के पश्चात् मदिरा का द्वितीय स्थान है। विवेच्य युग में सुरापान का व्यापक प्रचार था। समाज में सभी वर्गों के मनुष्य मद्य-पान करते थे।

मदिरा	राजाओं से लेकर सामान्य अनुचरों तक को मदिरा पीने की स्वतन्त्रता थी।
-------	---

'अभिजानशाकुन्तल' में नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकों के मद्य-पान का उल्लेख मिलता है^२। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजभूत्य गात्रसेवक मदिरोन्मत्त और जपापुण्ण के सहित रक्तलोचन दिखाई देता है^३।

केवल पुरुष ही नहीं स्त्रिया भी मद्य-पान का आनन्द लेती थीं। मद्य-अवलोजन का विशेष मण्डन माना जाना था^४। 'मालविकाम्निमित्र' में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ भूलने जाती है^५।

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गणिका-समाज में था। वेश्यालय एक प्रकार से पानागार बने हुए थे। बसन्तसेना के पट्ठ प्रकोष्ठ में वेश्या और कामुकजन सी-सी करते हुए मद्य-पान करते हैं^६। दास-

१ शा० शायदी बर्मा कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्तुति पृ० १५६

२ कादम्बरीसाक्षिकमस्माक प्रथमसौहृदमिव्यते। तद्वौष्णिकापणेव गच्छाम । —धभि० शा०, भक ६, पृ० १०१

३ एष गात्रसेवक सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा गदित्वा मदित्वा जपापुण्णमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति । —प्रतिज्ञा०, भक ४, पृ० १०३

४ चेटि निषुणिके शूलोमि बहुदो मद किन हत्रीजनस्य विशेषमण्डनम् इति । यदि सत्य एष लोकवाद । —माल०, भक ३, पृ० ३०८

५ चेटि मदेन क्लाम्यमानमात्मानमार्यपुत्रस्य दशने हृदय त्वरयति । —माल०, भक ३ पृ० ३०१

६ पीयते चानवरत सखोत्सार मदिरा । —मृच्छ०, भक ४, पृ० २४०

दासी गणिकाजन के पीने से वचो हुई मदिरा को पीते हैं। वसन्त-सेना की माता सीधु, सुरा और आसव के पान से स्थूलत्व को प्राप्त करती है^१।

बण्य नाटकों में सुरा के लिए मदिरा^२, 'कादम्बरी'^३, 'सीधु'^४, सुरा^५ और आसव^६ का प्रयोग किया गया है। मदिरा सुरा के पर्यायिकाची शब्दों में से ही एक है। कादम्बरी कदम्ब वृक्ष के पुष्पों के रस से निर्मित विशेष प्रकार की मदिरा थी^७। पके गन्ने के रस से निर्मित शराब 'सीधु' कहलाती थी^८। सुरा का वर्णन भी मदिरा के एक भेद के रूप में हुआ है। 'मनुस्मृति' में सुरा, गोडी (गुड़ से बनी हुई), पेट्टी (चायल आदि के पिण्ठ से बनी हुई) और माघी (महुआ के फूल से निर्मित) तीन प्रकार की वर्णित हैं^९। आसव नामक मध्य विना पके इक्षु के रस से तैयार किया जाता था^{१०}।

मदिरापान के लिए विवेप स्थल या मदिरालय होते थे जो 'पानागार'^{११} कहलाते थे। इनमें मदिरा का विक्रय होता था और एक-साथ बहुत से व्यक्ति बैठ कर सुरा-पान का आनन्द लेते थे।

१. इमे नेटा, इमाइचेटिका, इमे अपरे इवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्याः कर्ता-सहितपीतमदिरैर्गणिकाजनैर्यं मुक्ता भासवा तान् गिवन्ति । —गृच्छ०, अंक ४, पृ० २४०
२. सीधुसुरासवमत्ता एसावदवस्था गता हि गता । यदि भ्रियते इत्र माता भवति शृगालसहस्रपर्यासा ॥ —गृच्छ०, ४.३०
३. उत्पदमण्डा मम सखे मदिरेक्षणायास्तस्याः समागतमिवाभनगाननेन । —विक०, २.१५
४. भभि० शा०, अंक ६, पृ० १०१
५. माल०, अंक ३, पृ० २६६
६. धन्याः सुराभिर्गत्ता । —प्रतिशा०, ४.१
७. गृच्छ०, ४.२६
८. वी० एस० भाष्टे . रद्देन्द्रा रास्कृत-इंगलिश डिनशनरी, पृ० १४२
९. सीधुः पनवेद्युरसप्रकृतिकः सुराविशेषः । —(टीका गत्तिनाथ) रथ०, १६.५२
१०. गोडी पेट्टी च माघी च विजेया त्रिविषा सुरा । —मनुस्मृति, ११.१५
११. आसव—प्रपकेद्युरसनिर्मित । —(टीका भद्राप्रभुलाल गोस्वामी) मृच्छ०, ४.२६
१२. प्रतिशा०, अंक ४, पृ० १०४

'आपानक'^१ भी मदिरागृह की ही सज्जा थी। डा० जगदीशचन्द्र जोशी ने 'आपानक' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में जिस तरह की 'कॉकटेल पार्टीज' हुआ करती है, 'आपानक' कुछ कुछ इसी तरह का अर्थ देता है^२'। अमरकोश में 'आपानक' के लिए 'पानगोप्ठी'^३ पर्याय इसी अर्थ का चेतक है। मध्य विक्रेता 'शौण्डिक' और मदिरा की दुकान शौण्डिकापण कहलाती थी^४।

आहार के सामिप और निरामिप सर्वविध खाद्य पदार्थों की पाच श्रेणियाँ^५ थीं जिनका नामोल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है—१ भक्ष्य, २ भोज्य, ३ लेह्स, ४ चौप्य भोजन-भेद और ५ पानीय^६। भक्ष्य-वर्ग के अन्तर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनको चवा कर खाया जाता है, जैसे रोटी, मोदक आदि। भोज्य में विना अधिक चवा कर खाई जाने वाली वस्तुएँ यथा उबला हुआ चावल, भात आदि समाविष्ट हैं। लेह्स में मधु और चटनी के सहश चाटे जाने वाले द्रव्य अन्तर्भूत होते हैं। चौप्य में गन्ने के समान चूस कर खाये जाने वाले पदार्थ आते हैं। पानीय के अन्तर्गत पेय पदार्थ आते हैं।

खाने-पीने और भोजन पकाने के लिए वर्त्तन अत्यन्त आवश्यक हैं। नाटकों में वर्त्तन के लिए 'भाण्ड'^७ शब्द आया है। वर्त्तनों में

१ आपानकमध्यप्रविष्टस्येव ।

—मृद्दू०, अक ८, पृ० ३७६

२ प्रसाद ऐ ऐनिहासिक नाटक, पृ० २०६

३ अमरकोश, २ १०४२

४ अभिं० शा०, अक ६, पृ० १०१

५ तथ पचविधस्याम्यवहारस्योपनतसभारस्य योजना प्रेषमाणाम्या शब्द-मुत्तण्डा विनोदयितुम् । —विक्र०, अक २, पृ० १७१

६ देखिए कात्यायन की वक्ति—'अम्यवहारस्य पचविधत्व भक्ष्यमोज्यले-हुचौप्य पानीयभेदेन'—गायत्री वर्मा कृत कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्वालीन भारतीय स्थृति, पृ० १५०

७. वा० च०, अक १, पृ० १८

भोजन-पात्र कलश^१, घट^२, शराव^३, लोही^४ और कटाह^५ का उल्लेख हुआ है। कलश और घट पानी रखने के पात्र थे। जलपूर्ण घट

शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर अम्बुपूर्ण घटों से राजकुमार का अभिपिंचन होता था^६। शराव सम्भवत लोक-प्रचलित सकोरा ही था। लोही शब्द लोह-निर्मित कड़वों या चमचे के लिए प्रयुक्त होता था^७। कढाई को कटाह अभिधा से सम्बोधित किया जाता था।

पात्र प्राय स्वर्ण^८, लोहे^९ और कासे^{१०} के बनते थे। समृद्ध-जन स्वर्ण निर्मित पात्रों का प्रयोग करते होंगे और सामान्य वर्ग लोहे और कासे के। दरिद्र व्यक्ति सम्भवत मृष्मय पात्रों का भी उपयोग करते होंगे।

भोजन-वेला भोजन की वेला (समय) निश्चित थी। नियमित भोजन स्वास्थ्य की हप्टि से लाभप्रद समझा जाता था। असमय भोजन करने से अनेक शारीरिक दोष उत्पन्न होने की समावना समझी जाती थी। 'मालविका-रितमित्र' नाटक में विद्युषक राजा को भोजन-वेला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, अब हमें भोजन करना, चाहिए क्योंकि आहारोचित वेला का अतिक्रमण अनेक

व्याधियों वा कारण होता है^१।'

भोजन दिन मेरीन बार किया जाता था। प्रात कालीन अल्पाहार 'प्रानराश'^२ या 'कल्यवर्त'^३ कहलाता था। 'चारुदत्त नाटक' मेरुनबार क्षुधा से व्याकुल होकर नटी से प्रानराश के विषय मे पूछना है^४। दूसरी बार का भोजन दोपहर मेरी किया जाता था। 'मालविकामिनमिन' मेरी विहूपक, वैतालिक द्वारा मध्याह्नकाल की मूचना दिए जाने पर राजा को अपराह्नभोजन वा स्मरण कराता है^५। भोजन का अन्तिम समय राति मेरी होता था। इसे ही अग्रेजी भाषा मेरी 'डिनर' द्वादश से नवोधिन किया जाता है।

ज्ञान-ग्रन्थ के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य ग्रन्थ है। इसकी गणना मानव-जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं मेरी की जाती है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की दृष्टि से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है। साथ ही इससे मानव-सम्यता और सस्कृति के विकास का भी ज्ञान होता है।

विवेच्य नाटकों के परिवीर्तन से ज्ञान होता है कि तत्कालीन युग मेरी स्थापत्य-कला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी और भवनों का निर्माण एक विस्तृत पैमाने पर आरम्भ हो गया था। आवास-गृहों का मृजन निश्चित एव सुनियोजित रचनाधीनी के आधार पर होना था। वसन्तसेना का अप्टप्रकोष्ठमय प्रासाद तत्कालीन परिनिर्मित रचना-प्राविधि का ज्वलन्त प्रमाण है^६। भवनों का आकार-प्रकार, विस्तार, उन्नति और भव्यता नागरिक के सामाजिक पद और स्तर को द्योतित करती थी। राजायों और वैभवशालियों के भव्य एव क्षमतमय प्रासाद उनके अनुल ऐश्वर्य का परिचय देते थे। राजगृहों के विस्तार और गगनचुम्बी कँचाई वो देव कर दृष्टि जड़ीभूत

१. अस्माद् पुक्षर्भाजनवेत्रीपस्थिता। अथ भवन उचितवेलातिशम चिरितस्ता दीपमुदाहरण। —माल०, अक २, पृ० २८८

२. नाम्न दिन प्रानराशोऽस्माकं यहै। —मूल०, अक १, पृ० १२

३. भो। मुम न आमयपरिमूतमवल्यत्वं च। —स्व० वा०, अक ४, पृ० ८६

४. चारुदत्त, अक १, पृ० ३

५. माल०, अक २, पृ० २८८

६. मूल०, अक ४, पृ० २२६-२४७

भोजन-पात्र कलश^१, घट^२, शराव^३, लोही^४ और कटाह^५ का उल्लेख हुआ है। कलश और घट पानी रखने के पात्र थे। जलपूर्ण घट शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर अम्बुपूर्ण घटों से राजकुमार का अभिधित होना था^६। शराव सम्भवत लोक प्रचलित सकोरा ही था। लोही शब्द लोह-निर्मित कड़छी या चमचे के लिए प्रयुक्त होता था^७। कड़ाई को कटाह अभिधा से सम्बोधित किया जाता था।

पात्र प्राय स्वर्ण^८, लोहे^९ और कासे^{१०} के बनते थे। समृद्ध-जन स्वर्ण निर्मित पात्रों का प्रयोग करते होगे और सामान्य वर्ग लोहे और कासे के। दरिद्र व्यक्ति सम्भवत मृण्य पात्रों का भी उपयोग करते होगे।

भोजन-वेला भोजन की वेला (समय) निश्चित थी। नियमित भोजन स्थान की हृष्टि से लाभप्रद समझा जाता था। असमय भोजन करने से अनेक शारीरिक दोष उत्पन्न होने की सभावना समझी जाती थी। 'मालविका-मिनित्र' नाटक मे विद्युपक राजा को भोजन-वेला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, अब हमें भोजन करना, चाहिए क्योंकि आहारोचित वेला का अतिक्रमण अनेक

१ एष नून तदारमगतो मनोरथ (इति कलशमावर्जयति)।

—अभिंशा०, अक १, पृ० १५

२ प्रतिमा० १३

—प्रतिज्ञा०, ४२

३ नव शराव सनिले सुपूण्यम् ।

—प्रतिज्ञा०, ४२

४ लोहीपरिवतनकालसाराभूमि ।

५ मृच्छा० अक १ पृ० १२

६ प्रतिमा०, १३

७ कौपिलदेवगिरिकृत चारदत्त की टीका, पृ० २

८ प्रतिमा० १३

९ मृच्छा०, अक १, पृ० १२

१० भिन्नकास्यवरखतणायादचाण्डारवाचाया ।

—मृच्छा० अक १०, पृ० ५४६

व्याधिया का कारण होता है^१।'

भोजन दिन में तीन बार किया जाता था। प्रात कालीन अल्पाहार 'प्रातराश'^२ या 'कल्यवत्त'^३ कहलाता था। 'चारुदत्त नाटक' में सून धार क्षुब्धा से व्याकुल होकर नटी से प्रातराश के विषय म पूछता है^४। दूसरी बार का भोजन दोपहर म किया जाता था। 'मालविकाग्निमिन' में विनूपक, वैतालिक द्वारा मध्याह्नकाल की सूचना दिए जाने पर राजा को अपराह्न भोजन का स्मरण कराता है^५। भोजन का अन्तिम समय रात्रि में होता था। इसे ही अग्रेजी भाषा म 'डिनर' शब्द से भगोधिन किया जाता है।

सान-पान के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य अंग है। इसकी गणना मानव जीवन की प्रायमिक आवश्यकताओं में की जाती है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की हाउस से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है। साथ ही इससे मानव-मम्यता और सस्थृति के विकास के इतिहास वा भी ज्ञान होता है।

विवेच्य नाटकों के परिशोलन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन गुग में स्थापत्य-बला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी और भवनों वा निर्माण एक विस्तृत पैमाने पर आरम्भ हो गया था। आवास-गृहों का मृजन निश्चित एव सुनियोजित रचनाशैली के आधार पर होता था। वसन्तसेना का अप्टप्रबोधमय प्रासाद तत्कालीन परिनिर्मित रचना-प्राचिधि वा ज्वलन्त प्रमाण है^६। भवनों वा आकार-प्रकार, विस्तार, उन्नति और भव्यता नागरिक वे सामाजिक पद और स्तर वा धातिन वरती थी। राजाओं और वैभवशालियों के भव्य एव कानूनक प्रासाद उनके अनुल ऐश्वर्य वा परिचय देते थे। राजगृहों वे विस्तार और गगनचुम्बी ऊँचाई को देन कर हाउस जड़ीभूत

^१ अस्मात् गुतमर्वित्वे त्रीयस्थिता। अत्र भवत उचितो लातिकमे चिविसका दोपमुदाहरिति। —गान०, अव २, पृ० २८८

^२ नामिन चित्र प्रातराशोऽस्मात् गृहे। —मृच्छ० अव १, पृ० १२

^३. यो । गुग न आमयन रिभूतमकल्यवर्त च। —स्व० वा० अव ४, पृ० ८६

^४ षार्दृत्त, अव १, पृ० ३

^५ मान०, अव २ पृ० २८८

^६. गुच्छ० अव ४, पृ० २२६ २४७

सी हो जाती थी। 'अविमारक नाटक' में अविमारक राजा कुन्तिभोज के राजकुल को देख कर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है। 'मृच्छ-कटिक' में वसन्तसेना का भवन त्रिलोक की श्री से स्पर्धा करने की सामर्थ्य रखता है^३।

राज-प्रासादों और धनिक-गृहों को छोड़ कर जन-साधारण के मकान आवास एवं सुरक्षा की दृष्टि से बनाये जाते थे। उनका आकार-प्रकार और विस्तार सामान्य नागरिक के जीवन-स्तर के अनुकूल होता था। तपस्त्वयों के आवास-गृह 'उटज'^४ कहलाते थे। उनमें सांराजिक सुख-विलास के साधनों की साज सज्जा के स्थान पर घास-पत्तों का आच्छादन मात्र होता था।

गृह-निर्माण के उपकरणों में ईट, मिट्टी और काण्ठ का उल्लेख हुआ है^५। ईटें पकी हुई और बिना पकी हुई दोनों प्रकार की उपयोग में लाई जाती थी^६। काण्ठ सम्भवतः भित्ति-रचना, गबाड़-निर्माण आदि में प्रयुक्त होता था। मकान तैयार होने के बाद उसमें परिष्कार एवं परिमार्जन के लिए सुधा या चूने का अवलेपन किया जाता था। सुधावलेपन करने वाले 'सुधाकार'^७ कहलाते थे। भवनों में कलात्मकता लाने के लिए नानाविध रत्न और मणि भी प्रयुक्त होते थे^८।

१. अहो राजकुलस्य श्रीः ।

विषुलमपि मितोपम विभागान्तिविडमिवाभ्युदितं क्रमोच्छ्रेण ।

नृपभवनमिद सहस्र्यमाल जिगमिपतीव नभो वसुन्धरायाः ।

—अविं०, ३.१३

२. एवं वसन्तसेनाया बहुवृत्तागतनष्टप्रकोण भवनं प्रेक्ष्य, यत् सर्वं जानामि, एकस्यभिष निविष्टं दृष्टम् । —मृच्छ०, अक ४, पृ० २४७

३. हत्ता शमुन्तराले गच्छोटजम् फलमिथमर्घमुपहर ।

—अभिं० शा०, अक १, पृ० १७

४. इह सलु भगवता कथकशक्तिना चतुर्विध सम्भुपद्यो दक्षिण ।

तथापा पक्षेष्टकानामाकपंसाम्, आमेष्टकामा लेदनम्, विष्णमयाना सेचनम्, याष्टमयाना पाटनमिति । —मृच्छ०, अंक ३, पृ० १६०

५. बही ।

६. प्रतिमा०, अक ३, पृ० ६६

७. अविं०, ३.१६

युगविशेष के समाज की रहन-सहन प्रणाली का एक पौष्टक तत्व वेशभूपा भी है। विवेच्य युग में नर-नारी दोनों की वेशभूपा अत्यन्त सुस्थित और परिष्कृत थी।

वेशभूपा वस्त्र चयन और परिधान के प्रति मनुष्यों की रुचि यथेष्ट परिपक्व थी। वे

सूती, ऊनी, और रेशमी वस्त्रों, बहुमूल्य आभूपणों और सुगन्धित अवलेपनों वा प्रयोग करते थे^१। देश, काल, बातावरण, वैयक्तिक रुचि और सामाजिक स्तर के अनुसार व्यक्ति पृथक्-पृथक् परिधान धारण किया करते थे। प्रतिपाद्य नाटकों में वर्णित वेशभूपा के विविध प्रकार निम्नलिखित हैं—

जैराकि 'क्षीमयुगम'^२ 'कीशेयपनोर्णयुगम'^३ आदि शब्द प्रयोगों से व्यजित होता है, स्त्री-पुरुष दोनों ग्रपने शरीर की सुरक्षा के लिए

दो वस्त्रा का प्रयोग करते थे—एक कटि

सामान्य वेशभूपा से नीचे के भाग को आवृत करने के लिए और दूसरा कटि के ऊपर के भाग

को ढकने के लिए व्यवहृत होता था। ऊपर का वस्त्र 'उत्तरीय'^४ या 'प्रावारक'^५ कहलाता था। 'शाटिका'^६ और 'शाटी'^७ का उल्लेख उस घाल में साड़ी जैसे वस्त्र के प्रचलन को सिद्ध करता है। स्त्रियों आजकल के ट्वाउज की तरह फौर्झ वस्त्र नहीं पहनती थी। वे अग्सीष्ठव के लिये स्तनावरक के रूप में 'स्तनाशुल'^८ धारण करती थी। पुरुष सिर पर वेष्टन^९ या पट्ट^{१०} बाधते थे। 'मृच्छकटिक' में शवार वसन्तसेना वो प्रसन्न करने के लिए अपना पगड़ी-युक्त सिर

१ देखिंग, परिवार नामक अध्याय के अन्तर्गत राज परिवार वा विवेचन।

२ अभिंशा०, अक ४ पृ० ६८

३ माल०, अक ५, पृ० ३५६

४ दू० घा०, १३

५ अथ प्रावारक ममोपरि उक्तिस्त।

—मृच्छ० अक २ पृ० १४२

६ एवस्थ शाटिक्या काम्पपरस्थ मूल्येन।

—प्रतिशा०, अक ३, पृ० ८६

७ जगरस्नानशाटीनिवृद्धम्।

—मृच्छ०, अक ३, पृ० १६८

८ विक०, ५ १२

९ पतामि शीर्षेण सवेष्टनम्।

—मृच्छ०, ८ ३१

१० प्रतिशा०, ४ ३

उसके चरणों पर रखने को उद्यत हो जाता है^१। नरणों की रक्षा के लिए 'जूते'^२ और 'पाढ़ुका'^३ उपयोग में लाये जाते थे।

राजा और उसका परिवार अपने विभवानुकूल बहुमूल्य और और जडाऊ परिधान धारण करता था^४।

यति या तपस्ची नगर के कोलाहल से दूर शान्त आधमों में निवास करते थे। अत उनकी वेशभूषा भी सासारिकता से परे वैराग्य और साधना की प्रतीक होती थी^५। प्रकृति-प्रदत्त बलकल ही मुनियों और वनवासियों के वस्त्र होते थे। दुर्घटन आखेट के लिए जाते हुए मार्ग में तपस्त्वियों के बलकलों से टपकी हुई जल-रेखाओं से तपोबन की सीमा का अनुमान कर लिते हैं^६। 'अभिधेक नाटक' में राम वनवास-रूप धर्म कार्य के लिए राजोचित वस्त्रों का परित्याग कर बलकल पहनते हैं^७। बलकल तपस्त्वियों के लिए तप रूप सग्राम में कबच स्थिर रूप गज के वशीकरण में अद्वैत, इन्द्रिय रूप अश्व के निघह में लगाम का कार्य करते थे^८। न केवल ऋषिगन अपितु तापसियाँ और मुनि-कन्याएँ भी बलकल-वसन से अपने गात्र को सुशोभित करती थीं। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला अपनी सखी अनसूया से अत्यन्त कस कर बाँधे गये बलकल को शिथिल करने

१ मृच्छ०, ८ ३१

२ एपा पुन का फुलप्रावारकप्रायृता उपानश्चमलनिधिपत्तरैलचिकवणाम्या पादाभ्यामुच्यासनीपविष्टा लिप्तति । —मृच्छ०, अक ४, पृ० २४४

३ चन्दन खलु मया पाढ़ुकोपयोगेन दूषितम् । —मात०, अक ५, पृ० ३४७

४ देखिए परिवार नामक अध्याय के अन्तर्गत राज परिवार का विवेचन ।

५ मगतालकृता भाति कोशिक्या यतिवेष्या । यदी विग्रहव्यवेष सममध्यात्मविद्या ॥ —मात०, १ १४

६ प्रभि० शा० १ १४

७ मगतालेन्द्रिया दत्तान् बलकलाहतावदानय । करोम्य यैनूपधर्म नैवाप्त नोपपादितम् ॥ —प्रतिभा०, १ २४

८ तप सग्रामकबृ तियमद्विरदाकुश । खनीतमिन्द्रियाश्वाना शृहुता धमसारथि ॥ —प्रतिभा०, १ २८

के लिए कहती है^१।

परिवाजक और बोढ़ भिक्षुक कापाय वस्त्र पहनते थे। 'माल-विकाशिमित्र नाटक' में देवी कीशिकी वैधव्य के दुख के कारण कापाय वस्त्र धारण कर सन्यास ग्रहण कर लेती है^२। 'मूच्छकटिक' में बोढ़ भिक्षुक को कापाय-वस्त्रधारी कहा गया है^३। सन्यासी पुराने कुलथी के चूर्ण से अपने वस्त्र रगते थे^४।

काठनिर्मित चरणपादुका मुनिवेश का ही एक अग थी। वनवास-काल में राम पैरों में पादुका ही पहनते हैं^५। तपस्वी सम्बो-सम्बो दाढ़ी रखते थे^६ और हाथ में दण्डकमण्डलु लिये रहते थे^७। वे सिर में डालने के लिए इंगुदी के तेल का प्रयोग करते थे^८।

वन-कन्याओं के प्रसाधन-सविधानक वन्य एव तापसोचित होते थे। वे पुण्पाभरणों से अपने शरीरावयवों को अलकृत करती थीं। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला कण्वितस रूप में शिरीप पुण्प धारण करती है^९। राजा द्रुप्यन्त चिन में शकुन्तला को वनवासानु-रूप प्रसाधनों से सजाना चाहता है^{१०}।

१. सम्ब अनमूर्ये। अतिपिन्द्रेन बलक्लेन प्रियबद्या नियतितास्मि। शिखिक्षय तावदेतत्। —अभिं शा०, अक १, पृ० १३

२. माल०, अक ५, पृ० ३५०

३. न युक्त निर्वेदघृतकापाय भिद्यु ताडमितुम्। —मूच्छ०, अक ८, पृ० ३७६

४. तस्या त्वं पुष्टरिण्या पुराणकुलित्थयूपयशवलानि द्रूप्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयसि। —मूच्छ०, अक ८, पृ० ३७६

५. पादोपभुक्ते तत्र पादुके म एते प्रयच्छ प्रणताय मूर्धनी।

—अतिगा०, ४ २५

६. यथाह पद्यामि पूरितव्यमनेन चित्रकलक सम्बूचनिरा तापसाना नदम्बै।

—अभिं शा०, अक ६, पृ० ११६

७. तत्त्व परिष्वष्टदण्डकुण्डिकाभाजन शीकर्त्त सिक्ता।

—मूच्छ०, अक २, पृ० १५०

८. अभिं शा०, अक २, पृ० २४

९. यही, १ २८

१०. यही, अक ६, पृ० ११६

विवाह की विशिष्ट वेशभूपा होती थी^१। वर वधु को इस अवसर पर मागलिक परिधान से विभूषित किया जाता था। वर स्व-स्त्रियों के लाल वस्त्र धारण करता था^२।

विवाह-परिधान वधु दुक्कलनिर्मित ओढ़नी ओढ़ती थी और नख-सिख तक आभूषण पहनती थी^३।

वह मानविध औपधियों से गुरुथी हुई कौतुकमाला भी धारण करती थी। 'स्वप्नवासवदत्ता' में चेटी वासवदत्ता से पश्चावती के लिए कौतुकमाला गृथने को कहती है^४। 'कौशेयपतोरण्युगल'^५ भी विवाह नेपथ्य में समाविष्ट था।

योद्धाओं की वेशभूपा 'समरपरिच्छद'^६ कहलाती थी। धनुष-वाणादि अस्त्र, कवच, गोधा (ज्याधातवारण) और अगुलित्राण समरवेश में परिगणित थे^७। योद्धा ममर-वेश दधिपिण्डवत् श्वेत छत्र भी धारण करते थे^८।

सामान्य स्त्रियों की तुलना में अभिसारिकाओं का वेश-विन्यास पृथक होता था। अवसर और परिस्थिति के अनुसार इनका वेश परिवर्तित होता रहता था। कभी इनकी अभिसारिका-वेश वेशभूपा तड़क-भड़क वाली होती थी और कभी सामान्य। 'विकमोर्वेशीय' में उर्वशी सामान्य अभिसारिका वेश धारण करती है। वह नीलाशुक पहन कर अल्पाभरणों से अपने ऊपर अलवृत्त करती है^९।

१ विवहनेपथ्येन खनु शोभते मात्रिका। —माल०, अक ५, पृ० ३४३

२ मूल्ल० १० ४४

३ अनतिलभिवदुक्कलनिवासिनी वद्यभिराभरणी प्रतिभाति मे।

उद्यगणेशदयोन्मुखचन्द्रिका हतहिमैरित्व चैवविभावरी ॥ —माल०, ५ ७

४ इमा तावत् कौतुकमाना गुम्फतु आर्या। —स्व० वा०, अव ३, पृ० ७६

५ माल० अक ५ पृ० ३५६

६ अथे अयमगराज समरपरिच्छदपरिचृत। —वर्णभार, अक १ पृ० ४

७ पचरात्र, २ २

८ पचरात्र, अक २, पृ० ५५

९ हला चित्रलेखे अपि रोचते तेऽय मेझ्हाभरणभूषितो नीलाशुकपरिव्रहोऽभिसारिकावेश। —विक्र०, अक ३, पृ० १६८

'मालविकामिनित्र' में दस्युओं की वेशभूपा का बरण हुआ है। डाकू हाथ में घनुप-चाण लिये रहते थे और कधे पर तूणीर धारण करते थे। उनकी पीठ पर मोर के लम्बे-लम्बे पख वधे रहते थे^१।

विवेच्य नाटकों में स्थान-स्थान पर द्वारपाल और प्रतिहारी का उल्लेख हुआ है, किन्तु उसकी वेशभूपा का स्पष्ट आमास कही नहीं मिलता। 'प्रतिमा नाटक' में द्वार-प्रतिहारी को वेशभूपा पालिका को इवेत अशुक धारण किये हुए बताया गया है^२। अन्त पुर का द्वार-रक्तक कचुकी कहलाना था। वह सम्भवत जैमा कि उसके सम्बोधन से स्पष्ट है, लम्बा कचुक धारण करता था। बृद्ध होने के कारण उसके हाथ में चेत की छड़ी रहती थी^३।

केवल 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में मृगया वेश का सकेत मिलता है^४। दुप्यन्त कण्ठ क्रपि के आथम में पहुँच कर अपने परिजनों से आखेट मृगया-वेश की वेशभूपा उतारने को कहता है। इससे दृतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि शिकारियों की एक विशिष्ट वेशभूपा होती थी, जिन्तु यह वेशभूपा कैसी और किस प्रकार की होती थी, इसका कोई परिचय नहीं मिलता है।

यदनियाँ या राजा की यूनानी अगरदिकाएँ^५ आखेट-काल में अपने विशिष्ट परिधान के कारण तुरन्त पहचान ली जाती थी। वे गले में चन्य-पुष्पों की माला धारण किये हुए और हाथ में घनुप लिये हुए राजा की रक्ता करती थी^६। मथुरा-सग्रहालय

१. माल०, ५१०

२. चर्ति पुलिनेपु हसी काशाशुक्वासिनी सुसहृष्टा।
गुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहारदीव ॥

—प्रतिमा०, १०२

३. अभिम० शा०, ५३

४. अपनयन्तु भवतो भूगयावेशम् । —अभिम० शा०, अक २, पृ० ३२

५. भगवत्सरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग १, पृ० ३२७

६. अभिम० शा०, अक २, पृ० २७

के प्रसिद्ध कापालिक मण्डल (Bacchanalian group) में यूनानी महिलाओं की पोशाक देखी जा सकती है^१।

विरहिणी नारियाँ प्रिय के विरह में समस्त शृङ्खार घोड़ देती थीं। वे मलिन वस्त्र^२ धारण कर अतीत की स्मृति में अपना समय ब्यतीत किया करती थीं। वे एक वेणी विरहिणी और विरही वांधती थीं^३। आभूपणों रो उन्हें असुनि हो जाती थी^४। फ्रत, उपवासादि नियमों^५ और अनाहार^६ के कारण उनका शरीर कृषा हो जाता था। शकुन्तला, सीता, कुरुगी आदि नारियाँ श्रमशः दुष्यन्त, राम और अविमारक के विरह में विरहिणी का वेश ही धारण करती हैं।

पुरुष भी प्रिया के विरह में विशिष्ट-से हो जाते थे। उनकी वेशभूपा प्रमत्त व्यक्ति की-सी प्रतीत होती थी। दुष्यन्त शकुन्तला के विरह में विशिष्ट एवं राजोचित मण्डन विधि का परित्याग कर देता है और सतत चिन्ता के कारण अतीब रुक्षता को प्राप्त करता है^७।

फ्रत, उपवास आदि के अवसर पर नर-नारी जो परिधान धारण करते थे, उसे नियमवेश^८ कहते नियम-वेश थे। व्रतधारिणी नारियाँ इवेत रेतमी वस्त्र धारण करती थीं। उनके दरीर पर मागलिक आभूपण और केशों में दूर्वादिल शोभायमान रहता था^९। यद्य व्यक्ति वध के अवसर पर रक्त वस्त्र धारण करता था^{१०}।

१. भगवतादारण उपाध्याय शान्तिदास वा भारत, भाग १, पृ० ३२७
२. वगने परिपूर्णे वसाना। —घभिं० शा०, ७.२१
३. पारयन्त्येववेशी। —घभिं०, २.८
४. गुमनोदण्डे नेच्छनि। —घभिं०, शा० ३, पृ० ६२
५. नियमादाममुग्नी। —घभिं० शा०, ७.२१
६. घग्नानहृषदेश। —घभिं०, २.८
७. घनि० शा०, ६.६
८. विहितिवस्त्रवेषा राजविमंटिवी हस्यते। —विष०, घंड ३, पृ० २०२
९. विष०, ३.१२
१०. मृष्य०, १०.५४

उसे करवीर पुष्पो की माला पहनायी जाती थी^१ और समूर्ण शरीर को पितृवन के पुष्पो से परिवेष्टित किया जाता था^२। उसके शरीर पर रक्त-चन्दन के छापे लगाये जाते थे^३ और तिल, तण्डुल आदि के पिसे हुए चूर्ण का अबलेपन दिया जाता था^४।

स्नानीय-वेश

स्नान के समय एक विशेष वस्त्र धारण किया जाता था जो स्नानीय-वस्त्र कहाता था^५।

डिण्डक-वेश^६

डिण्डक मभवत् वहृष्पिया होना था। जो अपनी विकृत एव उपहासास्पद वेशभूपा से मनुष्यों का मनोरजन करता था^७।

गोपालक-वेश

ग्वालों की भी एक पृथक् वेशभूपा होती थी। 'वालचरित' में गोपालक-वेश का केवल मकेत-मान मिलता है^८।

तत्कालीन सामाजिक जीवन में उत्सव एव आमोद-प्रमोद का बटा महत्व था। मनुष्य अतीव उत्साह

सामाजिक उत्सव एवं आमोद-प्रमोद एव उमग से उत्तरावों को मनाते थे और विविध नीड़ाओं एवं मनोविनोद के साथनों से अपना मनोरजन करते थे। उल्लेख-नीय सामाजिक उत्सव एवं मनोविनोद इस प्रकार हैं—

'मव्यमव्यायोग' में इस उत्सव का मकेत मिलता है^९। यह इन्द्र

१ दत्तकरवीरदामा।

—मृद्घ०, १० २

२ मृद्घ०, १० ३

३,४ मृद्घ०, १० ५

५ माल०, ५ १२

६ प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ७२

७ कपिलदेवगिरि शास्त्री इन प्रतिज्ञायोगन्धरामण की टीका, पृ० ७२

८ विष्णोर्वालचरितमनुभविन् गोपालक-वशप्रच्छन्ना धोपमवावतरिष्याम ।

९ मायामालेन बद्धव विद्योऽनुगमिष्यसि । —वा० च०, अक १, पृ० ८८

राजसौ रञ्जुभिर्वद्ध धाकध्वज इषोत्तमे ॥

—मध्यम०, १ ४७

के सम्मान में आयोजित एक धार्मिक एवं सावेजनिक उत्सव था।

शक्रध्वजोत्सव

थो भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार
यह समारोह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की
अष्टमी से द्वादशी पर्यन्त पाँच दिन तक
मनाया जाता था^१। इसमें आश्विन-पूर्णिमा के सात दिन पूर्व ही इन्द्र
की ध्वजा रस्तियों से बौध कर स्थापित की जाती थी। प्रतिदिन
उसे बड़े उत्साह से पहराया जाता था और पूर्णिमा के दिन रस्तियाँ
खोल कर जमीन पर पटक दिया जाता था। यह ध्वजा इन्द्र का प्रतीक
मानी जाती थी। इस इन्द्रध्वज-उत्सव का लक्ष्य इन्द्रदेव से सुवृद्धि
और प्रभूत धार्य प्रदान करने की कामना थी। यह समारोह चर्तमान
भारत के होली पर्व और योरुप के 'मेपोल फेस्टिवल' से बहुत साम्य
रखता है^२।

इन्द्रध्वज-उत्सव

यह सम्भवत् इन्द्रध्वज उत्सव का ही
एक प्रकार होगा। यह आभीर जाति वा
प्रिय पर्व था^३।

विवेच्य समाज में चूत-श्रीढा का अत्यधिक प्रचलन था।
'कृता'^४ 'व्रेता'^५ 'पावर'^६ आदि चूतशास्त्र के पारिभाषिक शब्द

चूत-श्रीढा

इसवीं लोकप्रियता को ही सूचित करते
हैं। जूआ मेलने पर योई राजवीय
नियन्त्रण नहीं था। मनुष्य निर्वाध रूप
से जुग्गा रोलते थे। घनिखों वा तो चूत प्रिय व्यसन ही था^७। जमा
मनुष्यों के लिए बिना सिहामन या राज्य था^८।

चूतकरा की एक मण्डली या गमुदाय होना था^९। इस चूत-

१ भगवतशरण उपाध्याय कानिदास वा भारन, भाग २, पृ० १६५

२ दा० दातिकुमार नानूराम व्याग रामानणकालीन मस्तृति, पृ० ६३ ८

३ द्वोऽस्माक धारस्त्रोनित द्वादशो नामोत्सवो भविष्यति।

—दा० च०, भर १, पृ० ११

४ मृच्छ०, २५

५,६ यदी २६

७ नृत्यिति चिकामायद्दी विभवना नमुदास्यत जाता। —मृच्छ०, २७

८ दूत हि नाम पुरात्मागितात्मन याग्यम्। —मृच्छ०, भर २, पृ० ११३

९ एष त्वं गमु चूतशरणमङ्गल्या वदोऽग्नि। —मृच्छ०, भर २, पृ० १०६

मडली का अध्यक्ष 'सभिक'^१ कहलाता था। सभिक का सभी दूतवरों पर आधिपत्य रहता था। वह जूए म हार कर रुपया न देने वाले दूतकर की बहुत दुर्गति बरता था। 'मृच्छकटिक' म दूतकर माथुर दस सुवरण् के लिए सबाहक को भारता है^२। हारे हुए जुआरी पर न्याय लय मे दावा करके भी रुपया बसूल किया जाता था। सबाहक के जूए मे हार बर भाग जाने पर दूतकर माथुर से राजकुल मे निवेदन परने के लिए बहता है^३। दूत जीविका का आधार भी था। 'मृच्छकटिक' मे सबाहर चारदत्त के निर्वन होने पर दूतोपजीवी हो जाता है^४। जूए से एक ओर घन सम्पत्ति की उपलब्धि होती थी तो दूसरी ओर मनुष्य का सर्वनाश भी हो जाता था^५।

मनोविनोद के साधनो म सगीत एव नृत्य का भी विशिष्ट स्थान था। मनुष्य नाच गाकर अपनी शार्तिकलान्ति का शमन करते थे। मृच्छकटिक म चारदत्त अपने मनो-

सगीत एव नृत्य विनोद के लिए आर्य रेखिल के घर सगीत मुनने जाता है^६। वीणा आदि वाद्य यन्न भी मनुष्य के एकाझी जीवन के मनानुकूल मिन थे। चारदत्त वीणा वो उत्कण्ठित व्यक्ति का अन्तर्ग मिन, गिर्दिष्ट स्थान पर गुप्त प्रेमी के आने मे विलम्ब होने पर मनोविनोद का साधन, विद्योग से उद्विग्न जन का धैर्य प्रदान करने वाली प्रयगी के तुल्य और अनुरागिया मे प्रेम वी वृद्धि बरन याली बताता है^७। नृत्य भी मानव हृदय के उल्लास एव उमग की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम था। वालचरित ग चरित हल्लीसक नृत्य एक लोकनृत्य का ही रूप था। यह एक

१ त्रैखकव्यापृतहृदय सभिक इत्या फटिनि प्रधष्ट । —मृच्छ०, २ २

२ मृच्छ०, २ १३

३ मृच्छ० अक २ पृ० १२६

४ चारियावशाप च तस्मिन् दूतोपजीवी अस्मि सदृत ।

—मृच्छ०, अक २, पृ० ११२

५ मृच्छ०, २ ८

६ कायि वैला आर्य चारदत्तस्य गायर्थं शोतु गतस्य ।

—मृच्छ० अक ३ पृ० १४७

७ मृच्छ०, ३ ३

रुचिर और ललित नृत्य होता था^१। इसमें बालाएँ सज-धज कर एक नेता पुस्त्य के साथ नगाड़े की धुन पर नाचती थी^२।

तत्कालीन समाज में मगोविनोदों के अन्तर्गत वेश्या एवं गणिका भी परिणामित थे। धनिक और कामुक ध्यति वेश्याओं को प्रभूत धन देकर उनका उपभोग करते थे^३। 'मृच्छकटिक' में राजश्याल सहस्रा-नक गणिका वसन्तसेना के साथ रमण करने के लिए दस हजार मूल्य का सुवरणभूषण भेजता है^४। वेश्या-गृह कामुकों के रमण-स्थल बने हुए थे।

समाज में शीबीन मनुष्य अपने चित्तानुरजनार्थ अनेक प्रवार के पक्षी भी पालते थे। वसन्तसेना के प्रासाद में पालतू पक्षियों के आवास के लिए एक पृथक् प्रकोप्त ही पक्षी-पालन निर्मित था^५। पालतू पक्षियों में पारायत, पजरशुक, मदनसारिका, कोयल, लावन, नपिजल, वफोन शृहमयूर, राजहस और सारम प्रमुख थे^६। पहाड़-पुर की खुदाई में हस, मयूर वोकिरा आदि पक्षियों के अनेक चित्र मिले हैं जिनसे मुप्तकालीन पक्षियों का ज्ञान होता है और तत्कालीन साहित्य में वर्णित पक्षियों के वर्णन भी भी पुष्टि होती है^७। पक्षियों ने भ्रति-रिक्त पशु भी मनोरजनार्थ पाले जाते थे। वसन्तसेना वे प्रासाद-वर्णन के प्रशाग में भेड़, बानर आदि पशुओं के पालने वा उत्तेज मिलता है^८।

१ भोगे विषोल्यणाभग्नस्य महाराष्ट्रः ।

हन वीराम सत्तिति रचिर वहामि ॥ —वा० च०, ४६

२ भद्र भर्तृदामोदरोऽस्मिन् थृदावन गोपवायकामि राह हलीराम ताम प्रक्षीडितुभागचक्रति ॥ —वा० च०, घर ३, पृ० ५५

३ चारदत्ता, १ १७

४ धार्ये । यन प्रवर्णनेन गह मुवणदशाहाहसिकोऽनवार घनुपरिन । —मृच्छ०, घर ४, पृ० १६३

५ ही ही नो । प्रमारण हत । गणिकया नानापणिमूर्है ।

—मृच्छ०, घर ४, पृ० २४२

६ मृच्छ०, घर ४, पृ० २४१-२४२

७ धार्योत्तिष्ठा गव धौर इविद्या दितोऽ ।

८ मृच्छ०, घर ४, पृ० २४३

उद्यान एवं वाटिका भी नागरिकों के विनोद के साधन थे । मनुष्य अपने घर के सामने छोटा-सा उद्यान लगाया करते थे । 'मृच्छ-वटिक' में चारुदत्त^१ और वसन्तसेना^२ के उद्यान गृहोदयान उस समय के मनुष्यों के प्रकृति-प्रेम को ही मूल्चित करते हैं । ये उद्यान भाँति-भाँति के पुण्यित वृक्षों से अत्यन्त मनोहर और रमणीक प्रतीत होते थे^३ । इनमें युवतियों के झूलने के लिए दोला आदि भी वृक्षों पर डाल दिये जाते थे^४ ।

जन-सामान्य के विनोद के लिए सर्व पा खेल भी प्रचलित था । सपेरे कुटिल विषवरो को मन्त्रादि द्वारा वशीभूत कर पिटारी में बन्द कर लेते थे और उनकी नाना प्रकार की साप का खेल जेप्टाएँ दिखा कर जनता वा मनोरजन करते थे । 'प्रतिशायीगन्धरायण' में गान्द-सेवक अपने मिनों की तुलना बवन से ढूटे हुए कृष्णसर्पों से करता है^५ । जब खेल दिखाने के लिए सर्पों को मजूपा में याहर निराला जाता वा तो वे एकदम मुढ़ हो कर अपना फण ऊँचा करते थे^६ ।

'प्रतिशायीगन्धरायण' में एक स्थल पर 'डिण्डक' नाम वा प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ विप्लदेवगिरि^७ ने विहृत वेश भाषणादि के द्वारा जनता का मनोरजन करने वाला किया है । इससे ऐसा आभास होता है कि तत्कालीन समाज में वहुरूपिये या स्वाग

१. मृच्छ०, अक ३, पृ० १५७

२. मृच्छ०, अक ४, पृ० २४७

३. अन्धरीतिकुमुमप्रस्तारा रोपिता घनेकपादपा ।

—मृच्छ०, अक ४, पृ० २४८

४. मृच्छ०, अक ४, पृ० २४८

५. एत ते मुहूदो निरोधमुता इव कृष्णसर्पा इतस्ततो विभविन्नि ।

—प्रतिशाय०, अक ४, पृ० ११०

६. प्रनिज्ञा०, ४ १३

७. डिण्डको नाम यो विहृतवेषभाषणादिना जनत्य हास्य जनयन् भिक्षामर्त्यति च उच्च्यते । —कपिलदेवगिरि कृत प्रतिशायीगन्धरायण भी दीका, पृ० ७२

भरने वाले भी होते थे जो विचित्र वेशभूपा और स्वर-परिवर्तन के द्वारा जनता का मनोरजन किया करते थे।

मानव जीवन के निर्माण मे लोक-मान्यताओं और लोक-विश्वासों का भी सदा से योग रहा है। ये विश्वास बौद्धिक रिक्षात् या पाररणाएं नहीं हैं, अपितु जन प्रचलित रूढ़

लोकमान्यताएं और जन-विश्वास एवं तर्कशून्य रूढियाँ या परम्पराएँ हैं।

शकुन, भूत-प्रेत, ज्योतिष देव, तत्र-मन, ब्रह्मशापादि मे मनुष्यों की अटल आस्था थी।

स्वप्नो के शुभाशुभ फलों मे लोगों का प्रगाढ़ विश्वास था। उनसे उन्हे भावी घटनाओं की पूर्व रूचना मिलती थी। 'वालचरित' मे राजा कस ज्योतिषियों से स्वप्न मे हृष्ट आधी, भूकम्प, उल्वापात और देवप्रति-माओं का फल पूछता है'। 'प्रतिज्ञायोग-वरायण' मे नटी स्वप्न मे अपने पितृकुल के व्यक्तियों को अस्त्रस्थ देख कर उनकी कुशलता के विषय मे चित्तित हो उठती है^१।

निमित्त अथवा शकुन का प्रभाव भी जन जीवन पर कुछ यम नहीं रहा है। शकुनों को प्रचलित मान्यताओं एवं मापदण्डों के आधार पर आंका जाता था और वार्षिकी सिद्धि-असिद्धि का पूर्वाभास पाने की चेष्टा की जाती थी^२। नाटकों मे चर्चित शुभाशुभ निमित्तों की विवरणिका इस प्रबार है—

(क) शुभ निमित्त—

१ यादों च०, पर २, पृ० ३०
२ प्रतिका०, पर १ पृ० ४

३ हा धिक् । पुरावस्य मे महानुभावश्च गूषविद्यन्ति जामगमयमनुद्भूतानि
महगतिमित्तानि । —या० च०, पर १, पृ० ४

के अवतार की सूचना प्रहण की जाती थी^१ ।

२. पुरुष का दक्षिण अक्षि-स्पन्दन शुभसूचक माना जाता था^२ ।

३. चित्त में आकस्मिक आनन्द का अनुभव भी शुभ निमित्त का प्रतीक था । 'विकमोर्वशीय' में राजा पुरुरवा अपने हृदय में आकस्मिक प्रतान्त्रता का अनुभव कर अभीष्ट सिद्धि की कल्पना करता है^३ ।

४. मरते हुए शत्रु को देखने से जन्मान्तर में भी अक्षिरोग नहीं होता था^४ ।

(ख) दुनिमित्त—

१. आकाश से जलती हुई उल्काओं का गिरना^५ अशुभ माना जाता था ।

२. कौए का शुष्क वृक्ष की शुष्क शास्त्र पर बैठ कर उस पर अपनी चौच घिसना और सूर्याभिमुख होकर भयावह स्वर में क्रन्दन करना दुनिमित्त का चोतक समझा जाता था^६ । सूर्याभिमुख कौए का शुष्क वृक्ष पर बैठ कर भयकर वामनेन से देखना भी भावी विपत्ति की सूचना देता था^७ ।

३. लपलपाती हुई जिह्वा वाले, शुबल दातों से युक्त, कुटिल तथा बायु से परिपूरित कुक्षि वाले सर्प का मार्ग में दशन दुर्लक्षण था । 'मृच्छकटिक' में चारदत्त न्यायमण्डप को जाते समय माग में सर्प को देरा कर अपनी दुखद मृत्यु का अनुमान कर लेता है^८ ।

४. पुरुष का वामनेन स्पन्दन^९ और स्त्री का दक्षिण नेन-

१ वा० च० १६

२ मृच्छ०, ६ २४

३ विक० २ ६

४ गृच्छ०, अन १, पृ० ५४७

५ दूतघ० १ २५

६ पचरात्र, अक २ पृ० ५२

७ मृच्छ० ६ ११

८ वही ६ १२

९ पहा, ७ ६

स्फुरण^१ अशुभसूचक था ।

५. मुष्ठित-मस्तक औद्ध सन्यासी का दर्शन अमागलिक समझा जाता था^२ ।

६. सूर्योदय के समय सूर्यग्रहण किसी महापुरुष के विनाश की सूचना देता था^३ ।

७. हृदय का अकारण भयभीत एव व्यथित होना^४ पृथ्वी के शुष्क होने पर भी पैरो का लडखडाना^५ तथा वाहु का पुनःपुन प्रकम्पन^६ शुभ शकुन नहीं माना जाता था ।

शुभ और अशुभ निमित्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रधान गुण, वर्म एव पल वाले महानिमित्त होते थे जिनका शुभाशुभ फल निश्चित नहीं था । 'धालचरित' मे कस ऐसे ही महानिमित्तों को देख कर उनके फल का निश्चय नहीं कर पाता है^७ ।

तत्त्वालीन समाज मे भूत-प्रेत^८, पिशाच^९ आदि मे भी लोग घहुत विश्वास करते थे । इन प्रेनात्मा जीवों का रूप हृष्टिगोचर नहीं

भूत-प्रेत होता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे प्रति-हारी राजा से कहता है कि किसी अदृष्ट-रूप वाले प्राणी ने माणववर्ष^{१०} को मैथ-प्रतिकृष्टन्द नामक प्रामाद के अथभाग मे रख दिया है ।

१. मृच्छ०, अ८ ६ पृ० ३२६

२. क्षपमभिमुखमाश्चुदयित अमलुपदर्शनम् । —मृच्छ०, अ८ ७, पृ० ३७१

३. गूर्योदय उपगमो महापुरुषविनिपातभेद कथयनि ।

—मृच्छ०, अ८ ६, पृ० ४६०

४,५. मृच्छ०, अ८ ६

६. मृच्छ० ६ १३

७. सर्वे प्रधानशुल्कमपनेनिमित्तं ।

८. वाष्णवो वद्मामश्चुदयो तु तम । —वा० अ०, २ १

९. अदृष्टराग वेदाति ग-वेतानिकृष्य मेषप्रनिकृद्धादस्याध्यभूमिमारोपिण ।

—घभि० वा०, अ८ ६, पृ० १२४

१०. भवनि ननु परय यावानितो निशाचेऽपि भोजनेन ।

—वा०, अ८ ३, पृ० १४६

फलित ज्योतिप और नक्षत्र विद्या में भी भनुप्यो की आस्था थी। नवीन कार्यारम्भ के लिये ग्रह नक्षत्र, मुहूर्तं आदि के मागल्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। राज्याच्छोतिप भिपेक, मुद्र के लिये प्रस्थान, गृह-प्रवेश, बजारारम्भ, विवाह-स्तकार आदि कार्य सदा मागलिक एवं ज्योतिप-सम्मत मुहूर्तं में ही सम्पन्न किये जाते थे। 'अविमारक' में अमात्य भूतिक शुभ नक्षत्र में कुरगी के वरान्वेषण के लिए प्रस्थान करते हैं। 'प्रतिमा नाटक' में भरत के नार-प्रवेश के समय भट भरत से कृतिका की समाप्ति पर नगर में प्रवेश करने के लिये कहना है^१।

मिद्दु पुरुषो एव दैव-चिन्तकों के वाक्य प्रमाण माने जाते थे। 'मृच्छकटिक' में राजा पालक सिद्धादेश में विश्वास कर आर्यक को वन्दीगृह में उल्लब्ध देता है^२। सिद्धों की भविष्यवाणी या गणना कभी असत्य सिद्ध नहीं होती थी। विधि या दैव सिद्धादेश का ही अनुकरण करता था^३—ऐसा जन-विश्वास था। राजसभा में भी वेतनभोगी^४ दैव-चिन्तक^५ होते थे।

भाग्य या विधि के सर्वांतिशायी प्रभाव म तत्कालीन नागरिकों की अटल आस्था थी। सम्पूर्ण जगत् विधि की लीला माना जाना था। विवाता ही समस्त चराचर विश्व दैव की स्थिति का नियामक था^६। उसके विधान का कोई भी प्राणी उल्लंघन नहीं कर सकता था^७। मानव-जीवन की विविध नियामों के साफल्य और

१ यद्य नक्षत्र शोभनमिति तेन च दूतेनामात्य आर्यभूतिक प्रस्तिप्त ।

—प्रविं, भक ३, पृ० ६०

२ प्रनिमा०, अव ३, पृ० ७४

३ मृच्छ०, अक ४, पृ० २२६

४ तत्प्रत्ययात् कृतमिद नहि सिद्धवाक्या
•युक्तम्य यच्छति विधि सुपरोक्षितानि ॥

—स्व० वा०, १ ११

५ आर्यशास्त्र, खण्ड ५, अध्याय ३

६ मात०, अक ४, पृ० ३२३

७ मृच्छ० १० ५६

८ विधिरत्नतिक्रमणीय ।

—प्रतिमा०, अक २, पृ० ५६

असत्कल्य में देव का प्रमुख हाथ रहता था'। दुर्देव के शमनार्थ मनुष्य तीर्यादि भी जाते थे। 'अभिज्ञानशाकुन्तल में महर्षि कण्व शकुन्तला के भाग्य की प्रतिकूलता को शाति के लिए सोमतीर्थ जाते हैं^३। देव के प्रति अग्राध निष्ठा होते हुए भी जन जन में पुरुषार्थ विद्यमान था। 'आलचरित में कस अपने पुरुषार्थ से देव तक को बचित करने की शक्ति रखता है^४।

तन्त्र मन्त्र जादू टोना शाप और देवी विद्याओं जैसे अलौकिक तत्त्वों में भी जनता का विश्वास था। मन्त्रों में देवी शक्ति मानी जाती थी। मन्त्र बल से व्यक्तियों व अलौकिक तत्त्व स्वेच्छानुसार अदृश्य और दृश्य हो जाने और सब कुछ जान लेने के उल्लेख भी मिलते हैं^५। सासारिक आधि-व्याधि के निराकरण के लिए रक्षा-मूत्र और रक्षा-करण्डक पहनने की प्रथा भी थी। प्रतिज्ञायौगन्धरायण^६ म राजमाता नाग बन को गये हुए अपने पुत्र की जीवन-रक्षा के लिए समस्त बधुओं के हाथ से स्पष्ट विद्या गया रक्षा-मूत्र भेजती है^७। 'अभिज्ञानशाकुन्तल में भरत के हाथ म अपराजिता नामक औपध से युक्त तावीज वाँधा गया था^८। देवी विद्याएँ भी लोगों को सिद्ध हो जाती थीं। तिरस्करिणी और अपराजिता ऐसी ही अलौकिक विद्याएँ थीं। तिरस्करिणी विद्या की सिद्धि से अदृश्य रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी^९ और अपराजिता विद्या के बल से अजेयता की उपलब्धि हो सकती थी^{१०}। माया के आश्रय से अलौकिक वस्तुओं का सृजन भी

१ प्रतिपा० १३

२ देवमस्या प्रतिकूल नमयितु सोमतीर्थ गत । —प्रभि० शा० अ८ १, १०० ६

३ वा० अ८ २ १४

४ प्रभि०, ४ १३

५ सबवधूजनहस्तयुक्ता वा एका वा प्रनिःसदा दीयनामिति ।

—प्रतिपा० अ८ १ १०० १०

६ प्रभि० शा० अ८ ७ १०० ३३६

७ चित्रलग्ना—(तिरस्करिणीमानीय राजानमुपेत्य) ।

—वित्र०, अ८ २ १०० १८२

८ ननु भगवतादेवगुरुम् एव अपराजिता नाम गिरावचनविद्यामुपदिता वित्रा

प्रति पश्चात्यात्मनीय हृते स्व । —वित्र०, अ८ २ १०० १७६

सम्भव था। 'प्रतिमा नाटक' में रावण अपनी भाया से काचन-मृग की रचना कर राम को प्रवचित करता है^१। ऋषिया का शाप अमोघ माना जाता था। 'अविमारक नाटक' में चण्डभाग्यंव नहिं के शाप से सोबीर-राज सपरिवार इवपाकत्व को प्राप्त होता है^२।

समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष म सामाजिक प्रथाओं का भी योग रहता है। ये प्रथाएँ मानव वो समाज से सुसम्बद्ध करने वाली कठियाँ होती हैं। वर्ण समाज में लौकिक रीतियाँ और प्रथाओं के वधन वडे कठोर थे।

सामाजिक प्रथाएँ लोक प्रथाओं का पालन करना प्रत्येक सामाजिक के लिए आवश्यक था। इनका उल्लंघन करने वाला दड़ का भागी होता था। 'अभिषेक नाटक' में राम वाली वो अगम्यागमन अर्थात् छोटे भाई वी स्त्री को दूषित करने के अपराध के कारण दड़ देते हैं^३।

लोक निंदा और लोकापवाद का भग ही लौकिक प्रथाओं वा पालन करने में प्रधान रूप से कारण होता था। लोकापवाद की आशंका से लोग मर्यादा वा उल्लंघन करने वा साहस नहीं कर पाते थे। 'अभिषेक नाटक' में राम प्रजा के विश्वास के हेतु ही परम पुनीता सीताकी अग्नि परीक्षा लेते हैं^४।

विवेच्य नाटकों के आधार पर तत्वानीन सामाजिक प्रथाओं की स्परेण्य इस प्रकार नीची जा सकती है—

समाज में विवाहिता नारी के लिए सामाजिक वधन अत्यन्त कठोर था। विवाहित स्त्री वा, चाहे पति की प्रिय हो या अप्रिय, पति-गृह में रहना ही लोकसम्मत माना जाता था^५। पितृगृह में उसका

१ प्रतिमा अक २ पृ० १४० १६२

२ यस्माद् चतुषिमुख्योऽह इति भावित ।

—भिं०, ६६

३ दण्डतस्त्वं हि दण्डयाद् अदण्डयो नैव दण्डयत ।

—भिं०, अक १, पृ० १६

४ लानतापि च र्षेदेह्या शुचिता श्रूमङ्गतन ।

प्रत्ययार्थं हि लोकानामवमत मया कृतम् ॥

—भिं०, ६ २६

५ अभिं० शा०, ५ २७

निवास लोकनिंदा का कारण बन जाता था। मनुष्य उसके लिए अनेक प्रकार की शकाएँ करने लग जाते थे^१।

लोक-रीति के अनुसार छोटे भाई के ससर्ग से बड़े भाई की स्त्री दूषित नहीं मानी जाती थी, कितु बड़े भाई के ससर्ग से छोटे भाई की स्त्री दूषित हो जाती थी^२। 'अभियेक नाटक' में सुग्रीव की स्त्री को अभिमर्पित करने के अपराध के कारण राम बाली को दड़ देते हैं^३।

मातृ-दोष के कारण पुरुषों को दोषी या अपराधी नहीं समझा जाता था। इसी आधार पर भरत माता के दोषी होने पर भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध करता है^४।

आजकल की तरह वर्ण युग में भी उपर्युक्त अवसरों पर अभिनन्दन करने की प्रथा प्रचलित थी। 'प्रतिमा नाटक' में राम के राज्याभियेक के अवसर पर लक्ष्मणादि भाता और समस्त बधु-बान्धव उनका अभिनन्दन करते हैं^५।

कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए शपथ या सौगंध खाने की रीति भी सर्वत्र प्रचलित थी। मनुष्य प्राय अपनी प्रियतम वस्तु की शपथ खाते थे। 'स्वप्नवासवदत्त नाटक' में विदूपक अपने मित्र राजा को सत्य कहने के लिए मित्रता की शपथ दिलाता है^६। पेरो की शपथ खाने की भी विचित्र प्रथा प्रचलित थी। भरत सुमन्त्र की सत्य वृत्तान्त घताने के लिए दशरथ के चरणों की शपथ दिलाता है^७।

१ अभिना० ३०, ५ १७

२ न त्वेव हि कदाचिज्ज्येष्ठरय यवीयसो दाराभिमशंतम् ।

—अभिन०, अद १, पृ० १७

३ अभिन०, १ २१

४ मुपुरुष^१ पुरुषाणा मानूदोषो न दोषो,
वरद भरतमातं पद्य तावद्यथावत् ॥

—प्रतिमा०, ४ २१

५ प्रतिमा०, अद ७, पृ० १८२-१८३

६ वदस्यभावेन दावित भ्रसि, यदि सत्य न भ्रलसि ।

—स्व० वा०, अद ४, पृ० १११

७ स्वर्गं गनेन महाराजादमूर्तेन दावित र्या, मदि सत्य न वृया ।

—प्रतिमा०, अद ६, पृ० १५८

प्रतिज्ञा करने से पूर्व जल का आचमन किया जाता था। योगन्वयरायण जल का आचमण कर स्वामी को शतु-वन्धन से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करता है' ।

छीक या जमुहार्इ आते समय आशीर्वादात्मक वचनों का प्रयोग बरने की रीति थी^२ ।

इष्टजन वी विदा के समय समे-सम्बन्धी किसी जलाशय तक छोड़ने जाते थे। शकुन्तला को विदा करते समय महर्षि कण्व और अनमूर्या आदि सखियाँ उसे सरस्तोर तक पहुँचाने जाते हैं^३ ।

सम्माननीय व्यक्ति से मिलते समय उसे कुछ-न-कुछ उपहार में अवद्य दिया जाता था। कृष्णिगण राजा दुष्यन्त से मिलते समय उसे फल भेट करते हैं^४ । भगवती कौशिकी महारानी धारिणी से मिलने जाते समय विजीरिया नीबू उपहार के लिए मँगाती है^५ ।

'दूतवास्य' में 'तृणान्तराभिभाषण', नामक सामाजिक प्रथा का सबेत भी उपलाघ होता है, जिसके अनुसार दुष्ट के साथ तिनका बीच में रग दर वानलिपि लिया जाता था। श्रीकृष्ण दुर्योधन जैसे दुरात्मा व्यक्ति में निनका मध्य में रग वार अभिभाषण करना उचित समझते हैं^६ । तिनका बीच म रखने का तात्पर्य यह था कि वक्ता श्रोता को प्रत्यक्ष सम्प्रोधित न करके तिनके बो माध्यम बना कर योलता था और शोता परोक्ष दूर से इस सवाद को सुनता था।

विधाहादि मागलिक अवसरों पर सौभाग्यवती स्थिरी ही समस्त मगल छृत्य मम्पन्न करती थी। 'स्वप्नवासवदत्त' में सौभाग्यवती नारियों ही जामाता उदयन बो चतुश्शाला में ले जाती हैं^७ ।

१ प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० ३८

२ धुनादिप्रयोदेव्याजियोऽभिषेया । —प्रतिज्ञा०, अक २, पृ० ६८

३ भगवम् घोडकात् लिन्दो जनोऽनुगतव्य इति व्यूक्ते । तदिद सरस्तीरण ।
अन सन्दिश्य प्रतिगतुमहसि । —भ्रमि० शा०, अक ४, पृ० ७३

४ अभि० शा०, अक २ पृ० ३७

५ शा०, अक ३, पृ० २६८

६ मा मुरुपुष्पकम्भूत । अपशोऽनुव्य । यद किल तृणान्तराभिभाषका ।
—दू० शा०, अक १, पृ० ३०

७ स्व० शा०, अक ३, पृ० ८२

दीर्घ प्रवास के पश्चात् नगर में प्रवेश करते समय नगर के समीप थोड़ा विश्राम कर नगर में प्रवेश करना लोकाचारों में परिगणित था' ।

रामाजिक सुख-समृद्धि के लिए सामाजिक नीरोगता एवं अनामयता अनिवार्य है । कहा भी गया है 'शरीरमार्द्द खलु धर्म-साधनम्' अर्थात् मानव के लिए सासारिक धर्म का पालन करने का प्रमुख साधन सुस्वास्थ्य एवं नीरोगता है और यह केवल चिकित्सा-शास्त्र के परिज्ञान द्वारा ही सम्भव है ।

आलोच्य युग में श्रीपथ-विज्ञान एवं चिकित्सा-शास्त्र समृद्धत एवं विकासशील था । समाज में वैद्यो^३, भियजो^४ और चिकित्सकों^५ का बाहुल्य था । चिकित्सक रोग-निदान और रोगोपचार में सिढहस्त होते थे । रोगविशेषज्ञ भी थे जिन्हें विशेष-विशेष रोगों का विशिष्ट ज्ञान होता था । 'मालविकान्निमित्त' में ध्रुवसिद्धि नामक विषवैद्य सर्पदृष्ट व्याधियों का विशेषज्ञ है^६ ।

रोगोपचार के सम्बन्ध में सर्वप्रथम रोग का कारण जानने का प्रयास किया जाता था । व्याधि के निदान-परीक्षण के बिना उसकी चिकित्सा असम्भव थी^७ । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला नी सखियाँ उगके गनस्ताप का कारण जान कर उसका निवारण वरना नाहती है^८ । चिकित्सकों के अनुसार अनियमित आहार भी शारीरिक विकारों का मूल था^९ । असमय भोजन करने से शारीरिक क्रिया-प्रणाली अव्यवस्थित होकर अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती थी ।

१. अय च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगराणीति सत्समुदाचार ।

—प्रतिमा०, अब ३, पृ० ७५

२.३. किमाहुस्त वैद्या, न यतु भियजस्त्र निपुणा । —प्रतिमा०, ३.१

४. अत्रभवत उचितवेलातिकमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति ।

—माल०, अब २, पृ० २८८

५. माल०, अब ४, पृ० ३१६

६. विकाद यत्तु परमार्थत अजात्वा नारकम प्रसीकरस्य ।

—मधिमा० शास्त्र, अब ३, पृ० ४४

७ वही ।

८. माल०, अब २, पृ० २८८

रोग के दो प्रकार थे—एक मानसिक और दूसरा शारीरिक । मानसिक सन्ताप का कारण व्यक्ति की विशेष अवस्था या परिस्थिति होनी थी, किन्तु शारीरिक पीड़ा का कारण शारीरिक विकार था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्प्रयन्त्र के मनस्नाप का हेतु शकुन्तला का विरह है । शारीरिक रोगा में कुछ तो सामान्य एवं साध्य रोग होते थे और कुछ असाध्य । सामान्य रोगों में 'आतपलघन' (लू लगना) शीर्पवेदना^१, मोच आ जाना^२ कुक्षिपरिवर्तन^३ (मेट का गुडगुडाना) फोड़ा फुसी^४, अक्षिरोग^५, सन्धिकोभ^६, व्रण^७, राप दश , ठड़ लगना^८ आदि का निहपण विया गया है । जटिल रोगा में यमा^९, चातुर्थिक ज्वर^{१०}, कुञ्ज^{११} वातशोणित^{१२} वा सबेत विवेच्य नाटकों में मिलता है ।

वैद्या एवं चिकित्सकों द्वारा अनुमत उपचार विधि के साथ साथ प्राथमिक एवं घरेलू उपचार भी प्रचलित थे । आतप ताप म शरीर को शीतलता पहुँचाने के लिए उच्चीरानुलेप किया जाता था^{१३} । मोच आये हुए अग पर रक्तचादन का लेप लाभकारी समझा जाता था^{१४} ।

- | | |
|--|------------------------|
| १ अभिं शा०, अक ३ पृ० ४१ | |
| २ स्व० वा० अक ५ पृ० १३३ | |
| ३ माल० अक ४ पृ० ३२१ | |
| ४ स्व० वा० अक ४ पृ० ८६ | |
| ५ तनो गण्डस्थोपरि पिण्डक सदृत । | —अभिं शा०, अक २ पृ० २८ |
| ६ मृच्छ० अव १० पृ० ५४७ | |
| ७ अभिं शा०, अक २ पृ० २८ | |
| ८ कियनामस्य शणप्रतिकर्मति । | —प्रतिशा० अक २ पृ० ६७ |
| ९ माल० ४ ४ | |
| १० मृच्छ० अक १ पृ० ८२ | |
| ११ यदमाता इव पादपा । | —अवि०, ४ ४ |
| १२ एपा भलु चातुर्थिकेन पीडगत । | —मृच्छ० अक ४ पृ० २४५ |
| १३ अभिं शा० अक २ पृ० २८ | |
| १४ यथा वाताणोणित अभितश्व वतत इति पश्यामि । | —स्व० वा० अक ४ पृ० ८६ |
| (यह सम्भवते गठिए ना ही एक प्रकार होगा ।) | |
| १५ अभिं शा० अक ३ पृ० ४१ | |
| १६ माल०, अक ४ पृ० ३१७ | |

ब्रह्म-विरोपण के लिए इंगुदी तैल श्रेष्ठ माना जाता था^१। सर्प के काटने पर सर्प-विष के निवारण के लिए या तो उस दष्ट अंग को काट दिया जाता था, या जला दिया जाता था या धाव में रो हूँपित रक्त निकाल दिया जाता था^२।

उस युग में भी दयालु एवं सहृदय चिकित्सक थे जो दरिद्र एवं दीन रोगियों को निःशुल्क औपच देते थे^३।

चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से व्यायाम^४ भी मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। इससे शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता था, स्कन्ध-प्रदेश हड्ड, उन्नत और विशाल हो जाता था^५। इसके अन्तर्गत खेल-कूद, विविध क्रीड़ाएँ और कसरत समाविष्ट थे। 'स्वप्नवासवदत्त' में राजकुमारी पचावती के मुख पर कन्दुक-क्रीड़ा रूप व्यायाम से उत्पन्न स्वेदविन्दु दिखाई देते हैं^६।

भास, कालिदास और शूद्रक के सतरह नाटक सम्मिलित रूप से तत्कालीन सामाजिक जीवन और जीवन-पद्धति का नित्र प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भास तथा कालिदास के निटकर्ण रूपक राजकीय जीवन का संस्पर्श करते दिखाई देते हैं, वहाँ शूद्रक का 'मृच्छकटिक' जन-सामान्य की दशा का चित्रांकन करता है। किसी एक विवेच्य नाटककार या उसके नाटकों को तद्युगीन जीवन-पद्धति के अंकान का श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

१. पस्य त्वया ब्रह्मविरोपणमिगुदीना तैलं न्यपिच्यत मुखे कुशभूलिविढे ।

—अभिं शा०, ४.१४

२. भाल०, ४.६

३. दरिद्र इभासुरो वैचेनोपधं दीपमानमिच्छदिग्मि । —भाल०, अंक २, पृ० २८७

४. व्यायामशाली चाप्यनुपातक ।

—प्रतिशा०, २.१३

५. व्यायामस्थिरविगुलोच्छुतायतासौ ।

—अधिं०, १.८

६. स्व० वा०, अंक २, पृ० ६७

शिक्षा-प्रणाली

समाज-चित्रण का एक महत्वपूर्ण रूप शिक्षा प्रणाली भी है। विवेच्य नाटकों से तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज में शिक्षा का क्या स्वरूप था, क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते थे, गुरु शिष्य का सम्बन्ध किस प्रकार का होता था, क्या पाठ्यक्रम था—आदि सभी शिक्षा सम्बन्धी विषयों का विवरण वर्णन नाटकों में मिलता है।

आलोच्य युग में शिक्षा को समुचित व्यवस्था थी। विद्यार्थियों के अव्ययनार्थं सुसचालित शिक्षण-संस्थाएँ शिक्षा-केन्द्र थीं जहाँ उनको विभिन्न विद्याओं एवं कलाओं की शिक्षा दी जाती थी।

शिक्षा केन्द्रों में आश्रमों का विशिष्ट स्थान था जो कोलाहल और अशान्त बातावरण से परे शान्त अरण्यों में स्थित थे। आश्रम

विद्या के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र थे। उनमें ज्ञान-
आश्रम विज्ञान की अजस्त धारा प्रवाहित होती थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर आश्रमों की महत्ता प्रतिपादित बरते हुए कहते हैं कि 'भारतवर्ष में सबसे आश्चर्य-जनक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ शहर नहीं, जगल सर्वोत्कृष्ट सस्तृति के जन्मदाता हुए। इस जगलों में यद्यपि मनुष्य ही रहते थे, परन्तु सधर्पं और कलह का सेशमान भी चिह्न न था। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इस एकाकी जीवन और एकान्तता ने मनुष्य का अकर्मण न बनाकर ज्ञान का विस्तार ही किया'।^१ कण्व,

^१ गायत्री देवी वर्मा कालिदास के प्रयो पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्तृति, पृ० ३७६

च्यवन और मारीच ऋषियों के आश्रम इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

आश्रम विद्यालयों में विविध विद्याश्रो की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनमें अनेक शास्त्रों और विद्याओं में पारगत अपने विषय के विशेषज्ञ आनायं होते थे जो विद्यार्थियों को विषय विशेष का अधिकारी बना देते थे। 'विद्मोवशीय' में राजकुमार आयु च्यवन ऋषि के निर्देशन में समस्त विद्याश्रो का अनुशीलन कर धनुर्वेद में विशेष योग्यता प्राप्त करता है। 'स्वप्नवासवदत्त' में ब्रह्मचारी लावाण्य का नाम के ग्राम में स्थित शिक्षा केन्द्र में वैदों का विशेष अध्ययन करने के लिए जाता है^१। कण्ठ के आश्रम के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि चारों वैदों में निपुण यज्ञ सम्बन्धी साहित्य के विद्वान् पद और कम्पाठ के अनुसार सहिता वा पाठ करने में विशेषज्ञ छन्द, शिक्षा व्याकरण और निरुक्त में प्रबोग, आत्मविज्ञान, ब्रह्मोपासना मोक्ष, धर्म, न्याय व ज्ञान आदि के परम ज्ञाता वहाँ रहा करते थे^२।

आश्रम-धर्म एव आश्रम कर्त्तव्य अत्यन्त कठोर और दुर्बंह होते थे। इनका पालन करना समस्त विद्यार्थियों एव आश्रमवासियों के लिए आवश्यक था। अभिज्ञानशाकुटल में तावगी शबुन्तना की दृश्य मीचते हुए देख कर राजा दुष्यात कहता है कि महर्षि कण्ठ वस्तुत असाधुदर्शी है जिन्होंने इसको कठोर आश्रमधर्म में नियुक्त किया है^३। देविक हृवन^४, तपादि अनुष्ठान^५, बन से कन्द-मूल, समिधा कुश कुमुमादि वा लाना^६ आश्रम वृक्षों को^७ भीचना आदि आश्रम धर्म में परियणित थे।

-
- १ गृहीनविद्यो धनुर्वेदेऽभिविनीत । —विश० अ० ५ य० २४६
- २ अुनिविशेषग्राम वस्तसभूमी सावाणुक नाम ग्रामस्तमोपितवानस्मि । —स्व० वा० अ० १, य० ४७
- ३ गायभी दबी बर्मा कानिदारा वे प्रथा पर आधारित तत्त्वानीन भारतीय रास्ताति, य० ३७६-३८०
- ४ भभि० शा० अ० १ य० १२
- ५ यावदुपस्थित होमवता गुरवे निवदयमि । —भभि० शा० अ० ४, य० १२
- ६ वह । उपरम्पन कपोऽनुष्टानम् । —भभि० शा०, अ० ४ य० ७३
- ७ भव पुण्यमित्तुनिमित्त ऋषिकुमारवै राहगतनानेनाथमविद्मापरि तम् । —विश० अ० ५ य० २४६
- ८ भभि० शा०, अ० १ य० १२

आश्रमों का प्रधानाधिकारी 'कुलपति' कहलाता था। समस्त आश्रमवासी नहीं उमकी आज्ञा उसी प्रकार शिरोबार्य करते थे जैसे परिवारजन अपने ज्येष्ठ व्यक्ति की। एक कुलपति के अधिष्ठातृत्व में दस हजार विद्यार्थी तक रहते थे। उनके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व कुलपति पर ही होता था^३। कहने की आवश्यकता नहीं कि कुलपति शब्द आधम-व्यवस्था में पारिवारिक वातावरण की सृष्टि का सूचक है^४।

आश्रमों के सरक्षण और शान्ति व्यवस्था का भार राजा पर होता था। वही आश्रमों का तन-मन धन से रक्षण करता था। 'अभिज्ञानगान्तुल' में अनमूया ध्रमर द्वारा सत्रस्त शकुन्तला को तपोवन के रक्षक राजा दुष्यन्त वा स्मरण करने को बहती है^५। राजा को आश्रमवासियों के उपरोधा और विघ्नों की सतत् चिन्ता रहती थी^६। वह आश्रम में अविनय का आचरण करने वाला को दण्डित करता था^७। वह ऋषियों एवं ग्रह्यचारियों के कपटा के परिज्ञान के लिए एक धर्माधिकारी भी नियुक्त करता था। धर्माधिकारी समय समय पर आश्रम वा निरीक्षण वरता था और वही ऋषियों के सम्पद-विपद् की सूचना भी राजा को यथासमय देता था^८।

परम्परागत वैदिक आश्रमों में अतिरिक्त राजकीय शिक्षण-

^१ अपि सन्तिहितोऽन् कुलपति । —अभिं० शा०, अक १, पृ० ६

^२ मुनीना दशसाहस्र योऽनन्दानादिगोपणात् ।

अप्यापयति विप्रपिरसी कुलपति रमृत ॥ —आचार्यं कपिनदेव हिवदी
कृत 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की टीका पृ० ३५ ३६

^३ भगवतशशण उपाध्याय कानिदात वा भारत, भाग २ पृ० ६१

^४ अभिं० शा०, अक १, पृ० १६

^५ राजा—नपीवतनिवारिगामुपरोना गा गूत् ।

—अभिं० शा० अक १, पृ० १०

^६ क पौरव वसुमना नामनि भासितरि दुष्यनीतानाम् ।

अयमाचरत्यविनय मुग्वामु तपस्त्विकायकामु ॥ —अभिं० शा० १२३

^७ भवनि य पौरवण राणा धर्माधिकारे नियुक्त सोऽहमाध्यमिलामविघ्न
क्रियोपनम्भाय धर्मारण्यमिदमायान । —अभिं० शा०, अक १ पृ० १८

संस्थाएँ भी होती थी जहाँ शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ व्याख्यातिक एव सास्कृतिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। 'मालविकारिनमित्र' नाटक में राजभवन के समीप स्थित इसी प्रकार के राजकीय विद्यालय का उल्लेख हुआ है। इस विद्यालय के दो विभाग थे, जिनमें एक में सगीतशाला^१ और दूसरे में चित्रशाला^२ थी।

राजकीय शिक्षणालयों के आचार्यों को राज्यकोष से नियमित वेतन मिलता था। 'मालविकारिनमित्र' में नाटचाचार्य हरदास और गणदास सगीत एव नृत्य के विद्यार्थी के लिए वेतन ग्रहण करते हैं^३।

राज-परिवार के लिए राजगृह में भी शिक्षा की सम्यक् व्यवस्था होती थी। राजकुमारों को ज्ञानधर्म और अस्त्र-शस्त्र 'की शिक्षा देने

के लिए राजगृह में राजाचार्य या राजगुरु रहते थे^४ जो राजा की छत्र-छाया में ही जीवन-यापन करते थे^५। 'पंचरात्र' में

आचार्य द्वोण इसी प्रकार के राजगुरु है। राजकन्याओं को भी विविध कलाओं में निपुण बनाने के लिए आचार्य नियुक्त किये जाते थे। 'प्रतिशायीगच्छरायण' में महासेन को महिषी अपनी पुत्री वासवदत्ता को वीणा-बादन सिखाने के लिए एक आचार्य रखना चाहती है^६।

शिक्षा के क्षेत्र में तो गुरु या शिक्षक का महत्व था ही, किन्तु समाज ने भी उसे उच्च एव विशिष्ट पद प्रदान कर रखा था। उसे

गुरु का महत्व समाज में सर्वोत्कृष्ट और पूज्यतम माना जाता था। राज-राजेश्वर तक गुरु का देवता के समान आदर कारते थे। 'पंचरात्र'

१. तत्त्वावस्थगीतशाला गच्छामि । —माल०, अक १, पृ० २६२
२. चित्रशाला गता देवी यदा प्रत्यप्रयर्णवागा चित्रसेसामाचारेस्यालोकयन्ती तिष्ठति । —माल०, अक १, पृ० २६४
३. भवति पश्यतम उदरम्भरितवादम् । किं मुघा वेतनदानैनैतेपाम् । —माल०, अक १, पृ० २७४
४. भो चाचार्य ! धर्मे धनुषि चाचार्य । —पंचरात्र, अक १, पृ० २४
५. पंचरात्र, १.३०
६. प्रविभास०, अक २, पृ० ५३

मेरे यज्ञ की समाप्ति पर गुरुजनों का अभिनन्दन करते समय दुर्योग्यन्
सर्वप्रथम आचार्य द्वोण को प्रणाम करता है' ।

शिष्य के चारित्रिक विकास के लिए गुरु का व्यक्तित्व आदर्श
वनता था । आदर्श-आचार्य ही शिष्य के भावी जीवन को हृष्टान्तहृप
वना सकता था । आदर्श-गुरु स्वयं विद्वान्
आदर्श-शिक्षक हीता था और शिष्यों को विद्या प्रदान
करने में प्रबोल होता था^१ । विद्या-दान
से ज्ञान की वृद्धि मानी जाती थी, नाश नहीं । जीविकोपाजंन के लिए
विद्या-दान निन्दनीय माना जाता था । 'मालविकागुणिमिन' में विद्वपक
जीविका के हेतु अध्यापन-कर्म अग्रीकार करने वाले मनुष्यों को ज्ञान
का व्यापार करने वाले वरणिक बताता है^२ ।

गुरु की योग्यता शिष्य के चयन म प्रकट होती थी । शिक्षक
का कीड़िल इसी मे था कि वह विद्यार्थियों के हृष्ट मनोबल और
उत्साह तथा शक्ति को देख कर उसके अनुकूल शिक्षा प्रदान करे ।
अयोग्य शिष्य का चयन गुरु के वृद्धिलाघव को व्यक्त करता था^३ ।
सुशिष्य को दी गई विद्या ही सफल होती थी । सुपात्र को विद्या का
दान केवल मनोव्यव्याप्ति का कारण बनता था^४ । गुरु की विद्या सुपात्र
विद्यार्थी मे पहुँच कर उसी प्रकार दमक उठती थी जैसे मेघ का जल
समुद्र-शुक्ति मे पहुँच कर मोती बन जाता है^५ । गुरु की सफलता शिष्य

१ पचरात, अक १, पृ० १६

२ श्रिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मस्या सकान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।

यस्योभय साधु ग शिष्यकाणा धुरि प्रतिष्ठापयिनव्य एव ॥

—माल० ११६

३ यस्यागम वेवलजीविकार्ये त ज्ञानपञ्च वरणिज थदन्ति ॥

—माल०, १ १७

४ विनेतुरदृप्रपरिप्रहोऽपि वृद्धिलाघव प्रभाशयतीति ।

—माल०, अक १ पृ० २७५

५ सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवादोचनोप्या सवृत्ता ।

—घ्रन्ति० शा०, अक ४, पृ० ६३

६ पात्रविदेषे अस्तु गुणात्तर वजति शिष्यमाधातु ।

जलमित समुद्रमुवतो मुक्ताकलता पवोदस्य ॥

—माल०, १ ६

के नैपुण्य पर अवलम्बित समझी जाती थी^१। 'भालविकाप्रिमित्र' में आचार्य गणदास, भगवती कौशिकी के मुख से मालविका के नृत्य की प्रशंसा सुनकर अपने नाट्याचार्य के पद को सार्थक समझता है^२।

विद्यार्थीगण निश्चय विद्या की समाजिपर गुरु को वाचित दक्षिणा देते थे^३। यह दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, इसका स्पष्ट गुरु-वक्षिणा सकेत नाटकों में नहीं मिलता है। इसका स्वरूप एवं परिमाण गुरु या शिष्य की इच्छा पर निर्भर था। यज्ञादि धार्मिक समारोहों के समापन पर भी यज्ञकर्ता गुरु को दक्षिणा देते थे। 'पचरात्र' में दुर्योधन यज्ञावसीन पर आचार्य द्वोणा को दक्षिणा स्वीकार करने को वाध्य करता है^४।

जीवन का प्रथम चरण—ब्रह्मचर्याश्रम—विद्याध्ययन के लिए तियत था। इस अवधि में विद्यार्थी को सम्मित जीवन-यापन करना विद्यार्थी-जीवन पड़ता था। छात्र के परिवार का सामाजिक स्तर बुद्ध भी क्यों न हो, उसे गुरु के बठोर अनुशासन पा पालन करना पड़ता था। 'विनमोर्बद्धीय' में आयु व्यवन ऋषि के आश्रम में विद्यार्जनं करते समय, राजपुत होने पर भी, ऋषि कुमारों के साथ समिधा, पुष्पादि लाने जाता है^५। छान जीवन में आत्मानुशासन, इन्द्रिय नियन्त्रण, दैनिक अनुसानादि पर विज्ञेय बल दिया जाता था। विद्या को तप वी तरह अर्जित करना पड़ता था। विद्या समाजिपर्यन्त उसके लिए नैषिंग ब्रह्मचर्य वत का पालन अनिवार्य था। राजकुमार आयु क्षत्रियों-चित विद्यार्थी में निष्पात होकर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है^६।

^१ माल० २६

^२ ग्रन्थ नर्तयिनास्मि । —माल०, अ८ २, पृ० २८५

^३ दोक्षा पास्तिवान् किमिच्छनि पुनर्देव गुरायदमवत् । —स्व० वा०, १८

^४ भी आचार्य ! घर्मे धनुषि चापाय । प्रतिष्ठाना दक्षिणा । —पचरात्र, अ८ १, पृ० ४४

^५ ग्रन्थ पुष्पमपि कुणिमिस कपिकुमारं गहगतेनानाथमविरद्धमाचरितम् ।

“ —विश० अ८ ५ पृ० २४६

^६ ग्रन्थिवत्तम उपिन त्वया पूर्वमिनाधने । द्विनैषेषमानिगुप्त नमय । —विश०, अ८ ५, पृ० २४६

वालक के विद्यारम्भ की अवस्था शैशवावस्था ही होती थी । माता-पिता अपने बालकों को विद्या-प्राप्ति के निमित्त बाल्यावस्था में ही गुरु के हाथों समर्पित कर देते थे^१ ।

विद्याध्ययन की अवधि विद्यार्थी के विद्याध्ययन का परिसमाप्ति-काल निश्चित नहीं था । उसका दीक्षाकाल उसकी योग्यता पर निर्भर करता था । क्षत्रिय बालक जब कवचधारण करने योग्य हो जाता था तभी वह विद्याध्ययन समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश वरता था । 'विश्वमोर्वद्योष' में राजकुमार आयुकवचहर इम आयु अवस्था तक समस्त विद्याएँ सीख लेता है^२ ।

'कौटलीय अर्थशास्त्र' के अनुसार अध्येय विद्याएँ चार हैं—आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति । जिस विद्या से धर्म और अधर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है उसे त्रयी कहते हैं, जिससे अर्थ या अनर्थ का बोध होता है, उसे वार्ता और जिसमें न्याय तथा अन्याय का विवेचन होता है, उसे दण्डनीति कहते हैं । जो विद्या तर्क द्वारा इन समस्त विद्याओं के महत्व का स्पष्टीकरण कर बुद्धि को स्थिर करती है और बुद्धि, वाणी और क्रिया में निपुणता लाती है, उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं^३ ।

मनु ने चतुर्बेद, पद्मवेदाग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र इन चतुर्दश विद्याओं का निष्पण किया है । शुक्राचार्य ने त्रयी के अन्तर्गत इन्हीं चतुर्दश विद्याओं को परिगणित किया है^४ ।

विवेच्य नाटकों में अध्येय विषयों के अन्तर्गत ऋग्वेद^५, सामवेद^६, गणित^७, हस्तशिल्प^८, वैशिकी कला^९, नृत्य कला^{१०}, गान्धर्व-

१ बाल शूपत्र्य गुरव प्रदातुर्वापराधीऽस्ति पितुर्वं मातु ॥

—पचरात्र, १ १६

२ एष शूहीतविद्य आयु सम्पन्नि क्वचहर सवृत ।

—विक्र०, अक्त ५, पृ० २४८

३ अर्थशास्त्र, १ २,८,१२

४. शुक्रनीति, १ ५४

५,६,७,८,९ मृच्य०, १ ४

१० मृच्य०, १ १७

विद्या^१ चौर्यविद्या^२ सवाहन कला^३ धनुर्वेद^४, सागोपाग वेद^५, मानवीय धर्मशास्त्र^६, भारेश्वर योग शास्त्र^७, बाह्यस्पत्य अर्थशास्त्र^८, मेधातिथि का यायशास्त्र^९, प्राचेतस श्राद्धकल्प^{१०}, इतिहास^{११}, वेदान्त दर्शन^{१२} नान्य विद्या^{१३} और ज्योतिष शास्त्र^{१४} की चर्चा भी गई है। इनके अतिरिक्त आलोच्य-काल में अपराजिता^{१५} नामक शिखावन्धन विद्या और तिरस्करिणी^{१६} जैसी रहस्यमयी विद्याएँ भी प्रचलित थीं जिनकी सिद्धि से भट्टश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी।

विवेच्य युग में मौखिक पठन-पाठन के साथ लिखित सामग्री वा उपयोग भी होता था। अध्येय विषयों का ज्ञान पुस्तकों^{१७} द्वारा भी कराया जाता था। उबशो का प्रेम पत्र^{१८}

लेखन-प्रणाली

शकुन्तला का ललितपदो वाला प्रणाल
पत्र^{१९} सेनापति पुष्पमिन का राजकीय

लेख^{२०} कल्पवृद्ध के पत्तों से निर्मित वस्त्रों पर लिखी गयी दुष्यत की कीर्ति गाथा^{२१} तत्कालीन सुगिदिचत लेखन शैली के ज्वल त दृष्टान्त है।

१ प्रतिज्ञा०, अक २ पृ० ६३

२ मृच्छ० अक ३, पृ० १५६ १७१

३ मृच्छ० अक २ पृ० १२७

४ पचरात्र अक ३ पृ० ११५

५ ६७८६ १०

—प्रतिज्ञा०, अक ५ पृ० १३४

११ घमिं शा० अक ३ पृ० ४४

१२ विक्र० ११

१३ माल०, १४

-

१४ माल० अक ५ पृ० ३५३

१५ घमिं शा० अक ७ पृ० १३६

१६ विक्र० अक २, पृ० १७७

१७ एवंभर मध्य पुस्तक नास्ति। —घवि० घव २ पृ० ३३

१८ विक्र० २ १३

१९ घमिं शा० अक ३ पृ० ४६

२० यथ दक्ष्य उतापते पुष्पमित्रस्य सकागात्मोत्तरीयप्राभृतको सद्य प्राप्त।

—माल० अक ५ पृ० ३५२

२१ घमिं शा०, ७ ५

‘अनिनानग्रहन्तर’^१ ने प्रधुक्त ‘तेखन-साधनम्’^२ शब्द लेखन-सामग्रियों के अस्तित्व को घोषित करता है। लिखने के लिए पत्र-रूप में नलिनी-पत्र^३ और भूजं-पत्र^४ का प्रयोग किया जाता था। शकुन्तला ने कमल-पत्र पर प्रेम-पत्र लिखा था और उर्वशी ने भूजं-पत्र पर अपने मनोभाव व्यक्त किये थे। ‘नवैनिजिस्वरणं कुरु’^५, से ऐसा अंजित होता है कि उत्तु युग में नसों को पैना और नुकीला बना कर उनसे भी लेखनी का काम लिया जाता था। लिखने के लिए मस्ति या स्याही का उपयोग होता था। स्याही की छोटी-छोटी टिकियाँ^६ मिन्नती थीं जिन्हें मस्ति-पात्र में पानी में घोल कर लिखने योग्य मत्ति का रूप दे दिया जाता था।

निष्कर्ष यह है कि आतोच्य-काल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था। द्विजन्वालकों को आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की

निष्कर्ष अवधि क्षमता एव योग्यता पर निर्भर होती थी। आश्रमों में विविध विद्याएँ सिखायी जाती थीं। समाज और धर्म में

गुरु का स्थान बहुत ऊँचा था। उसका आदेश सर्वोपरि नियामक होता था और उसके समझ राजा तक फुकते थे। आश्रम-संस्कृति से यह अनुमान लगाना गलत न होगा कि भारतीय संस्कृति का विकास नगरों में नहीं अपितु वनों में हुआ था। अध्ययन-अध्यापन में पुस्तकों का प्रयोग भी होता था। सन्देश आदि के प्रेषण में पत्र-प्रयोग होता था। लेखनी के अभाव में बढ़े हुए नुकीले नस का उपयोग भी होता था। शिक्षा की व्यवस्था राज-धर्म का अग थी। राजपरिवारों में राजगुरु भी होते थे। विद्या-दान ब्राह्मण का कर्तव्य था, जीविकोपार्जन का साधन नहीं।

१. न खलु सनिहितानि पुनर्लेखनसापनानि।—भग्वि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

२. एतस्मिंशुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखेनिदित्यस्वरणं कुरु।

—भग्वि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

३. भूजंपत्रगतोऽप्यमदारविन्यासः।

—विक्रि०, अंक २, पृ० १८०

४. भग्वि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

५. वलीयमि खल्वन्धकारे मापराशिप्रविष्टेव मरीगुटिका दृश्यमानेव प्रनष्टा वसन्तसेना।

—भूज्य०, अंक १, पृ० ५६

८

धर्म एवं नीति

समाज रचना में धर्म एवं नीति का महत्वपूर्ण योग रहता है। ये दोनों समाज के हृदय आधारस्तम्भ हैं। जिस प्रकार पहियों के सहयोग के बिना रथ अपने गन्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म एवं नीति के बिना सशक्त एवं सुचारू समाज का निर्माण असम्भव है।

धर्म मानव जीवन के चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—म प्रथम एवं मूर्धन्य^१ है। इसके द्वारा ही अर्थ, काम एवं मोक्ष की सिद्धि होती है। इसी कारण आचार्यों ने इसे अभ्युदय एवं नि श्रेयस सिद्धि का मूल माना है।

व्याख्यारण के अनुसार 'धर्म' शब्द 'धृ' धातु में भव् प्रत्यय लगाने से निष्पत्ति होता है। इससे व्युत्पत्तिलभ्य तीन अर्थ (या व्याख्याएँ) हैं। प्रथम, ध्रियते सोक अनेन इति धर्मं' अर्थात् जिससे लोक धारण किया जाये वही धर्म है द्वितीय, 'धरति धारयति वा लोक इति धर्मं' अर्थात् जो लोक वो धारण कर वह धर्म है और तृतीय, 'ध्रियते म स धर्मं' अर्थात् जो दूसरा द्वारा धारण किया जाय, उसी की परं सक्ता है। महाभारत में धर्म का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—'धारणात् धर्ममित्याद्यधर्मों पारयति प्रजा'। इसके अनुसार धारण परन्तु ही धर्म है^२।

१ धनेन धर्म सविनेयम् वा म विवर्गमार प्रनिभाति भाविति ।

तथा मनोनिविषयागवामया यदक एव प्रतिगृह्य सम्बन्धे ॥

—कुमारसम्भव ५ ३८

२ दा० गायत्री वर्मा कानिदाम क देवा पर यायारित तत्वात्मीय मारनीय संतुष्टि, पृ० ४१८

धर्मशास्त्रियों ने धर्म के स्वरूप के विषय में अपने बुद्धिन्द्रिय के आधार पर पृथक् पृथक् व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। इससे धर्म की अनेक शाखाएँ (सम्प्रदाय) हप्तिगोचर होती हैं।

आलोच्य नाटकों में धर्म की चार भाखाओं का सकेत मिलता है जिन्हें ग्राहण, वैष्णव, धैव एवं बौद्ध गत के नाम से अभिहित किया गया है। यो तो जैन-सम्प्रदाय भी बहुत पुराना है, किन्तु उसका उल्लेख नगण्य है। स्पष्टत उक्त नाटकों में जैन धर्म विशेष चर्चा का विषय नहीं है।

सबधित युग में ग्राहण-धर्म (जिस वैदिक धर्म भी वहा जा सकता है) का अमण्ड साम्राज्य था। वेदा और शास्त्र में जनता का अटल विश्वास था। जीवन के किया-
ग्राहण-धर्म वल्लपो में शास्त्र वचन प्रमाण माने जाते थे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक

और सासृतिक सभी दोनों में शास्त्र-सम्मत निःशय ही मान्य होता था। 'प्रतिज्ञायीगन्धरायण' में भरतरोहक युद्ध में जीते हुए शत्रु के विषय में शास्त्र-सम्मत विदान पूछता है^१। वैदिक कर्मकाण्ड की प्रथानता एवं यजादि को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। मर्वमाधारण में धार्मिक-क्रियाओं और यज्ञ विदानों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी। यज्ञानुष्ठान इसी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्ति का सोपान माना जाता था। 'पचरात्र' में दुर्योधन यज्ञ स्वप्न धर्मगृह्य करने में इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग-मुख का प्रनुभव करना है^२। याग क्रियाओं में दयादाक्षिण्यादि गुणों की समाहिति मानी जानी थी और उनसे मानव के समस्त कल्पण धुल जाते थे। दुर्योधन वपटी एवं अयशोभागी होने पर भी यज्ञ दीक्षित होने के कारण मुर्त्ती के रूप में शोभायमान होता है^३। उस युग में गृहस्थ वी दिन-

^१ न जानाति भयान् शास्त्रमामेष् । —प्रवि० धर्म २, पृ० ५१

^२ धरणोग राज्यम्बवहारो भवानिति ब्रथीति । रायरावजितेषु नवुपु विमाह शास्त्रम् ? —प्रनिचा०, धर्म ४ पृ० १२६

^३ मृतं प्राप्य स्वर्गो पदिहृ क्ययत्पेतदनृतम् ।
पराणा न स्वर्गो वैहुगुणमिहैर्येव करति ॥ —पचरात्र, १२३

^४ पचरात्र, १२२

चर्या म पञ्च महायज्ञ^१ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मृत्युज्ञ) की भावना विद्यमान थी। चारुदत्त का नित्य गृहस्थोचित देव पूजन^२, देव वलि अर्पण^३ और सन्ध्या, जपादि धर्माचारण^४, पञ्चयज्ञ की महत्ता का परिचायक है। इन्द्र^५ अस्ति^६, विष्णु^७, वरुण^८, सूर्य^९, रुद्र^{१०}, मरुत^{११}, यम आदि^{१२} वैदिक देवताओं को विशेष महत्व प्राप्त था।

परम्परागत वर्णाश्रम धर्म की समुचित व्यवस्था थी^{१३}। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोत्तम पद था। पृथ्वी पर पूज्यतम^{१४} होने के बारण समस्त धार्मिक आयोजनों में उनको अग्रिम स्थान दिया जाता था।

विवेच्य युग में वैष्णव धर्म का उदय हो चुका था। वैदिक-कालीन विष्णु जो प्रकृति को दिव्य शक्ति मात्र थे, इस युग में सर्व वैष्णव धर्म शक्तिमान् देवता बन गये थे। वे श्रेष्ठोक्य के भारदि बारण^{१५} और निलोक मध्यभिनीत निया बलापो के सूत्रधार^{१६} माने जाते थे। उनवे दशावतारों का अत्यधिक माहात्म्य था। विवेच्य नाटकों

१ मनुस्मृति ३ ६६ ७०

२ तपादा मनसा वाग्मि पूजिता वित्तिकपभि ।

तुष्मिति गमिना निय देवता रिविचारिते ॥ —मृच्छ० १ १६

३ तद्वयस्य । हनो मया शहदेवताम्यो वति । गच्छ त्वमपि चतुष्पथ मानुष्यो वलिमुपहर । —मृच्छ०, घर १, पृ० २०

४ यहमवि हतोच सच्यामुपासो । —मृच्छ०, घर ३ पृ० १८६

५ मृच्छ० ९ ३ ६ पचरात्र १४

७ मृच्छ० ६ २७ ८ भभि०, घर ५, पृ० ६६

६ मृच्छ० ६ २७ १० पचरात्र १ १६

११ घभि०, ६ ३० १२ भभि० ६ ३३

१३ भा भोस्तपस्त्विन यसावशभवा वर्णाश्रमाणो रगिना प्रागव मुखनागनो व प्रतिपासयति । —भभि० ३० घर ५ पृ० ८४

१४ डिवातमा पूर्यनमा पृष्ठिभान् । —मध्यम०, १ ६

१५ नमो नगदन वैष्णोपयक्षारणाय नारायणाय । —भभि० घर ४, पृ० ७३

१६ दू० ४०, ११

में विष्णु के सात अवतारों—राम^१, कृष्ण^२, बलराम^३, वराह^४, वामन^५, नृसिंह^६ और मत्स्य^७ का निरूपण मिलता है। विष्णु पृथ्वी पर धर्म के संस्करण और अधर्मियों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं^८—ऐसा तत्कालीन धार्मिक विश्वास था, जिसमें निःसन्देह गीता की परम्परा है।

यर्ण्य-काल में विभिन्न दार्शनिक एवं धार्मिक मतों के साथ-साथ शैवाद्वैतवादी विचारधारा भी प्रबहुमान थी। इसके अनुसार केवल

शिव ही इस चराचर जगत् के कारण थे।
जल, अग्नि, पुरोवा, रवि, शशि, आकाश,
पृथ्वी और वायु शिव के आठ व्यक्त रूप
माने जाते थे^९। वे अखण्ड समाधि^{१०} में स्थित होकर मुमुक्षु और अनन्य
भक्तों की अभिलापा पूर्ण करते थे^{११}। शिव का अद्वेनारीद्वर^{१२} रूप
भी उपासना का विषय था। वेदान्त में वे संसार में व्याप्त परमपुरुष
के नाम से प्रशस्त हैं^{१३}।

आलोच्य-युग बौद्ध-धर्म का ह्लास-युग था। बौद्ध-धर्म उन्नति की

१. अभिं०, १.१

२. वयमपि मनुष्यलोकमवतीर्णस्य भगवतो विष्णोर्वानिचरितमनुचरितुं गोपाल-
कवेप्रवृद्धना धोषमेवावतरिष्यामः। —वा० च०, अक १, पृ० २०

३. स्व० घा०, १.१

४. अभिं०, ६.३१

५. वा० च०, १.१

६. अभिं० घा०, ७.३

७. अविं०, १.१

८. इह तु जगति मूर्त्तं रक्षणार्थं प्रजानाम्।

—वा० च०, १.६

९. अमूरममितिहन्ता विष्णुरद्यावतीर्णः॥

१०. धाम्भोवंः पातु शून्येक्षणगुच्छितसय ब्रह्मसम्भः समाधिः। —मृच्छ०, १.१

११. विक०, १.१

१२. कान्तार्ममिथ्यदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताशतीनाम्। —मात०, १.१

१३. वेदाभ्येषु यमाद्वैक पुराणं व्याप्त विष्ट रोदसी। —विक० १.१

ओर अग्रसर न होकर पतन की ओर गतिमान् था। इसमे अनेक विकृतियो ने जन्म ले लिया था। धर्म का व्यावहारिक पक्ष समाप्त होकर केवल संद्वान्तिक पक्ष रह गया था। बीदो के

धार्मिक सिद्धान्त केवल उपदेश के विषय रह गये थे। जीवन मे उनका पालन नही किया जाता था। जनता की धर्मास्था विगलित हो गई थी। लोग सासारिक कष्टो से बचने के लिए (धर्माभिरुचि से नही) परिवारकत्व ग्रहण कर लेते थे। 'मूच्छकटिक' मे सवाहुक सासारिक जीवन से दुखी होकर शाक्यथर्मणक बन जाता है। बीद भिक्षुओ का समाज मे आदर नही था। भनुप्य इनको घृणा एव तिरस्कार की हट्टि से देखते थे। शाक्यथर्मण का दर्शन अमागलिक समझा जाता था। आर्यक को मुक्त करके जीर्णोद्यान जाते समय चारुदत्त मार्ग म भिक्षु को देखकर अमगल की कल्पना करता है^१।

धर्म और धार्मिक विचार-प्रणालियो का मूल आधार देवता है। देवता को अमोघ एव अलोकिक शक्ति मे विश्वास ही धर्म की नीव को ढढ करता है। तत्कालीन समाज देवता मे बहुदेवाद वद्धमूल हो चुका था। अनेक देवी देवताओ मे लोगो की आस्था बढ़ गई थी। आलोच्य नाटको मे जिन देव-देवियो वा उल्लेख हुआ है, वे ये हैं—इन्द्र^२, वरुण^३, अग्नि^४, रुद्र^५, सूर्य^६, मरुत^७, यम^८, विष्णु^९, व्रह्मा^{१०}, शिव^{११}, कुबेर^{१२}, स्कन्द^{१३}, कामदेव^{१४}, चन्द्र^{१५},

१ आर्य अहमेतेन यूतकरापमानेन शाक्यथर्मणको भविध्यामि।

—मूच्छ०, अक २, पृ० १३६

२ क्यमभिमुखमनाभ्युदयिक थर्मणकदर्शनम्।

—मूच्छ०, अक ७, पृ० ३७१

३ मूच्छ०, २ ३	४ अभिं०, अक ४, पृ० ११६	५ अभिं०, अक ४, पृ० ६६
६ मूच्छ०, ६ २७	६ अभिं०, ६ ३०	७ अभिं०, ६ ३०
८ मूच्छ०, ६ २७	८ मूच्छ०, ६ २७	९ मूच्छ०, ६ २७
१० मूच्छ०, ६ २७	११ मूच्छ०, १ ४३	१२ मूच्छ०, १ ४३
१३ मूच्छ०, अक ४ पृ० २४७	१४ मूच्छ०, अक ३, पृ० १५६	१५ मूच्छ०, अक ३, पृ० ७६
१५ अविं०, अक ३, पृ० ७६	१६ अभिं०, ६ ३०	

नारद^१, नगरदेवता^२, गृहदेवता^३, घनदेवता^४, सक्षमी^५, कात्यायनी^६, सरस्वती^७, शची^८, गौरी^९ और मातृदेवियाँ^{१०}।

इन्द्र देवताओं का अधीश्वर था^{११}। मैथों पर भी इसका आधिपत्य था। मैथ इन्द्र की आज्ञा से ही प्रचण्ड जलवृष्टि करते थे^{१२}। इन्द्र के सम्मान में शक्तिजोत्सव^{१३} और इन्द्रयज्ञ^{१४} जैसे समारोह भी आयोजित होते थे।

बहुल जल का देवता^{१५} माना जाता था। कुपाण और गुप्तमूर्तियों में यह मगर पर बैठा हुआ है और दण्ड के लिए हाय में पाश लिये हुए है^{१६}।

अग्नि देवताओं का मुख^{१७} माना जाता था। यज्ञादि^{१८} धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विदेश महत्व था। राजगृहों में प्रासाद से पृथक् अग्न्यागार^{१९} होते थे जहाँ निरन्तर अग्नि प्रदीप्त रहती थी।

रुद्र एक वैदिक-कालीन साधारण कोटि का देवता था जो गुप्तकाल तक आने-आते महत्वपूर्ण देवता बन गया। कालान्तर में इसका सम्बन्ध शिव से जोड़ा जाने लगा और अन्त में यह शिव का ध्वसकारी रूप-मान रह गया^{२०}। इसका प्रमुख अस्त्र परशु माना जाता था^{२१}।

- | | |
|--|-------------------------|
| १. मृच्छ०, ५ ११ | २. मृच्छ०, १.२७ |
| ३. मृच्छ०, भक १, पृ० ३२ | ४. अभि० शा०, ४५ |
| ५. अवि०, २ ३ | ६. अवि०, अक ३, पृ० ७४ |
| ७. अभि०, ६ ३० | ८. विक०, अक ३, पृ० २०३ |
| ९. मृच्छ०, १.२ | १०. मृच्छ, अक १, पृ० ३२ |
| ११. न खलु देवराजो ममासनमारोहति । | —प्रतिशा०, भक ३, पृ० ८० |
| १२. मृच्छ०, ५ २१ | १३. मध्यम०, १.४७ |
| १४. बा० च०, अव १, पृ० १४ | |
| १५. पश्य पश्य भगवत्प्रसादान्निष्कम्पवीचिमन्त रातिसाधिपतिम् । | —अभि०, अक ४, पृ० ७६ |
| १६. भगवत्प्रसाद उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग २, पृ० १२६ | |
| १७,१८. तृष्णोऽपिर्द्विषयामरोत्तममुखम् । | —पचरात्र, १४ |
| १९. वैवशति अग्निशरणमार्गमादेशय । | —अभि० शा०, अक ५, पृ० ८२ |
| २०. द्वा० जगदीशचन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० २८१-८२ | |
| २१. चिर मूले दाध परशुरिव रुद्रस्य पतति । | —पचरात्र, १.१६ |

सूर्ये ऋग्वेद के विश्वदेवो^१ में परिगणित देवता था। इसके सारथि का नाम अरुण^२ था, जो इसके रथ का सचालन करता था।

मरुत् विवेच्य युग के लोकप्रिय देवता नहीं थे। हाँ, वैदिक देवता के रूप में मरुत् को प्रतिष्ठा बनी हुई थी। मरुत् देवो का एक पृथक् समुदाय या यसा^३ था। ऋग्वेद में ये वृष्टि-देवता के रूप में वर्णित हैं^४।

यम भी एक वैदिक देवता था जो ऋग्वेद में मृतकों का राजा^५ बताया गया है। यही कालान्तर में मृत्यु का देवता माना जाने लगा।

विष्णु—ऋग्वेद का सूर्यदेव विष्णु आलोच्य युग में रावंशक्ति-मान, जगत् का नियन्ता और त्रिलोक का आदि कारण^६ माना जाने लगा था। सुदर्शन चक्र, शार्ङ्ग धनुष, कौमोदकी गदा, पाचजन्य शख, नन्दक तलवार इसके आयुध थे^७। इसका घाहन गरुड़ पक्षी माना जाता था^८। इसके विषय में ऐसी पौराणिक मान्यता थी कि यह धर्म संस्थापन के लिए पृथ्वी पर विविध अवतार ग्रहण करता है^९।

ब्रह्म विश्व का स्वामी स्वीकृत था^{१०}। इसको 'प्रजापति'^{११} सज्ञा से भी अभिहित किया जाता था। भारतीय संग्रहालयों में ब्रह्मा की मूर्त्ति चार सिर, चार हाथ वाली है। हाथों में वेद, कमण्डल, रुद्राक्ष और सुवा है। बड़ी दाढ़ी वाली प्रतिमाएँ विशेष रूप से देखने में आती हैं^{१२}।

१ भवदानल वैदिक माइथोलोजी, पृ० ३१

२ अभिं० शा०, ४२

३ सप्तहे इमरदगण त्रिमुखन सूर्य त्वर्यन प्रभो ।

—अभिं०, ६ ३०

४ ऋग्वेद, ८ ७ १६

५ ऋग्वेद, १० १४ १

६ नमो भगवते पैतोवयनारणाय नारायणाय ।

—अभिं०, शब० ४, पृ० ७७

७ दू० शा० भ० १, पृ० ३७ ४३

८ यथे अय भगवत्तो वाहना गरुड प्राप्त । —दू० शा०, भ० १, ७० ४४

९ शा० श०, १६

१० गण्यम०, १ ४३

११ अभिं० शा०, ५ १५

१२ गामती द्वी वर्मी वालिदग वे ग्रामा पर घापारित लतार्नि भारतीय संस्कृति पृ० ४४४

शिव को हस्ति-चर्मधारी^१, सर्पों^२ से परिवेष्टित अर्द्धनारी-श्वर^३, योगसमाधि में लीन^४, जल, अग्नि, पुरोधा, चन्द्र, सूर्य, आकाश, वायु और पृथ्वी—इन अष्टमूर्तियों से युक्त^५, पृथ्वी और आकाश में व्याप्त, वेदान्तियों का प्रादिपुरुष^६, प्रात्मभू^७, नीलकण्ठ^८, और गीरी से आशिलष्ट^९ माना गया है। पिनाक (धनुप) इनका वरायुध है^{१०}।

कुबेर घन का देवता माना गया है^{११}। इसके नाम से कुरुपता प्रकट होती है। हाथ में एक थैली लिये हुए, कुरुप गर्दन और तोद वाले एक लाक्षणिक बनिये या खजान्चों के रूप में उसकी मूर्ति मिलती है^{१२}।

स्कन्द शरवण से उत्पन्न^{१३} और शक्ति नामक अस्त्र को धारण करने वाला^{१४} कहलाता था।

कामदेव शृङ्खार-रस का देवता था^{१५}। वसन्तोत्सव के अवसर पर इसकी आघ्र-मजरियों द्वारा पूजा की जाती थी^{१६}।

चन्द्र श्रीपद्धियों का स्वामी माना जाता था^{१७}।

१ य स्वयं कृतिवासा।

—मातृ०, ११

२ पर्यन्तियवाघदिगुणितभुजगाहनेपसदीतजानो।

—मृच्छ०, ११

३ वान्तासमिधदेहो।

—मातृ०, ११

४ शम्भोदं पातु शूयेष्वगुघटितस्यथत्यनन्न समाधि।

—मृच्छ०, ११

५ अभिंशा०, ११

६ विक्र०, ११

७ अभिंशा०, ७ ३५

८ मृच्छ०, १२

९ मृच्छ०, १२

१० अभिंशा०, १६

११ प्रतिमा०, २ १७

१२ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० १४८

१३ प्रतिज्ञा०, २ २

१४ यविनवरो यम।

—मध्यम०, १ ४३

१५. शृङ्खारेकरस स्वयं मु मदनो।

—विक्र०, १ १०

१६ सखि अवलम्बस्व मा यावदग्रापादस्यिता भूत्वा चृतकनिका गृहीत्वा काम देवाचंनं करोमि।

—अभिंशा० अक ६, पृ० १०२

१७ अभिंशा० ४ २

नारद देवर्पि^१ कहलाता था। यह वेदों में पारगत, संगीत प्रेमी और वीरणा के स्वर से लोक में कलह उत्पन्न करने वाला मान्य था^२।

गृह-देवता, नगर-देवता और बन-देवता—ये सम्भवत गृह, नगर और वन को रक्षा करने वाले देवता थे।

लक्ष्मी ऐश्वर्य एवं देवता की अधिष्ठात्री देवी ही थी। यह विष्णु की अधारिनी मानी जाती थी^३।

कात्यायनी शुभ तिशुभ और महिपासुर का वध करने वाली मानी जाती थी^४। कुण्डोदर सर्पं शकुकरणं शूल, नील और मनोजव दुराचारियों के विनाश के समय देवी की सहायता करते थे^५।

सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी थी। वह ‘भारती’^६ अभिधा से भी विभूषित थी।

शची इन्द्र की पत्नी^७ कही जाती है। शची अत्यन्त ओजस्विनी एवं तेजोमयी देवी थी। विश्वमोर्चशीय में उर्वशी व्रतवेशधारिणी देवी ओशीनरी को तेज में शची के समकक्ष बताती है^८।

मातृ देवियाँ सर्वथा में सात थीं। अमरकोप में इनका नामों ललेख इस प्रकार है—नाहीं, माहेश्वरी कीमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा^९। कुपाण काल के एक मधुरा प्रस्तर पर सप्तमातृकाओं की नीली किनारी की पक्ति उत्कीरण है^{१०}। एक गुप्त शिलालेख में स्कन्द के साथ इनका उल्लेख प्राप्त होता है^{११}।

गौरी शिव की अधारिनी स्वीकार की गई थी^{१२}।

१ अये भगवान् देवपिनारद ।

—अविं० अ८ ६ पृ० १५८

२ अविं० ६ ११

३ अविं०, २ ३

४ वा० च० २ २०

५ वा० च०, अ८ २, पृ० ३८

६ अभिं० ६ ३०

७ अभिं० शा०, ७ २८

८ न किमपि परिहीयते दद्या ओजस्वितया ।

—विं०, अ८ ३ पृ० २०३

९ नाहीं माहेश्वरी चंद्र कीमारी वैष्णवी दद्या ।

—अमरकोप

याराही च तथा द्राणी चामुण्डा भप्तमातर ॥

१० भगवन्नारण उपाध्याय—कालिदास का भारत भाग २, पृ० १४८

११ स्व-उग्रुप्त पा यिद्वार गिला-स्तम्भ लेय ।

१२ मृच्छ० १२

देवताओं के अतिरिक्त आलोच्य नाटकों में सिद्ध^१, विद्याधर^२,
गन्धर्व^३, अप्सरा^४ और विषुषप^५ का
अर्थ-देवता नामोल्लेख भी हुआ है। इनको अर्थ-
देवताओं की कोटि में प्रगणित किया
गया है।

धर्मभ्यास के भ्रन्तर्गत यज्ञ, व्रत-उपवास, देवार्चन, सन्ध्या-
वन्दन, तपश्चर्या, तीर्थयात्रा, पोडश
धर्मचिरण सस्कार एवं अतिथि सत्कार का समावेश
किया जा सकता है।

धार्मिक क्षेत्र में यज्ञों का विशेष महत्व था। वह धर्मचिरण
का प्रमुख अग था। इहलोक में यश एवं
यज्ञ अभ्युदय की वृद्धि के लिए यज्ञ का
आयोजन किया जाता था। यज्ञ रूप धर्म-
कृत्य से पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी^६।

यज्ञ के प्रारम्भ में यजमान का एक धार्मिक सत्कार होता था जो दीक्षा^७ कहलाता था। यज्ञान्त में शब्दभूय^८ नाम की धार्मिक क्रिया होती थी जो यज्ञ की समाप्ति की सूचना देती थी। अबभूय स्नान तक अग्नि वेदी के बाहर नहीं निकाली जा सकती थी^९। यज्ञ के अन्त म पुरोहितों और वेदज्ञ ग्राहणाणा को प्रभूत दक्षिणा प्रदान की जाती थी। 'पचरात्र' म दुर्योधन के यज्ञ में प्राप्त प्रभूत दक्षिणामा से ग्राहण परितृप्त हो जाते हैं^{१०}।

यज्ञों में पशु वलि वा भी विधान था। मृच्छकटिक^{११} म विद्युपव-

१,२,३,४ अभिं०, अक ६, पृ० १२२

५ आयुष्मन् एव खनु हेमकूर्मो नाम विषुषप षवतस्तप ममिदिष्मैत्रम् ।

—अभिं० था० अक ७, पृ० १३१

६ पचरात्र, १२३

७ नूपे दीदा प्राप्ते जगदपि सम दीक्षितमिव । —पचरात्र०, १३

८ एहि एहि पुत्र ! एवमेवाकमृथस्नानपु शदमवाप्नुहि ।

—पचरात्र अक १ पृ० २१

९ अनवसितेऽव भृथस्नाने न लनु तावदग्निस्तम्भृव्यो भवद्ग्रिः ।

—पचरात्र, अक १, पृ० ३

१० शृष्टा द्विजेन्द्रा धने । —पचरात्र, १४

फुरफुर करते हुए दीपक की तुलना यूपकाष्ठ से बाधने के लिए लाये गये बकरे से करता है' ।

यज्ञो मेर अश्वमेघ^१ राजसूय^२ विश्वजित^३ नैमित्येय^४ शत कुम्भ^५ और अग्निष्टोम^६ का निरूपण हुआ है। अश्वमेघ एक राज यज्ञ था और राजनीतिक हृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए मेध्याशय छोड़ा जाता था। उसकी रक्षा के लिए बड़ी भारी सेना के साथ प्राय राजपुत्र को सेनापति बना कर भेजा जाता था। यज्ञ तुरंग निहांद्व विचरण करता था और उसके पीछे रक्षक सेना रहती थी। जब कोई विपक्षी योद्धा अश्व को पकड़ कर चुनौती दता था तो उसके साथ अश्व रक्षकों का घमासान युद्ध होता था। यदि यज्ञाभिलापी राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो सपरिवार शात चित्त से यज्ञ का आयोजन करता था^७। यन समाप्ति पर वह चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था।

राजसूय यज्ञ भी अश्वमेघ यज्ञ के समान विशाल राजयज्ञ था। रामरत विपक्षी राजाओं का विजेता ही इस यज्ञानुष्ठान का अधिकारी माना जाता था^८। विश्वजित दिभिवजय के पश्चात् किया जाता था। इसमें यजमान अपना सारा कोप दान कर देता था^९। नैमित्येय शत कुम्भ और अग्निष्टोम यज्ञ अश्वमेघादि के सहित विशाल राजमन नहीं थे और न ही इनका राजनीतिक हृष्टि से विशेष महत्व था।

- | | |
|---|-----------------------|
| १ भी । प्रदापमादमार्त्तेन पशुवधोपनीतस्येव द्वागलस्य हृदय पुरपुराप्ने
प्रभीप । | —मृच्छा० अब १ पृ० ६५ |
| २ मातृ० अब ५ पृ० ३५३ | |
| ३ पचरात्र १ २८ | |
| ४ भय ग्वनु तायत् भग्नित्तिसवरत्नस्य विश्वजितो यगस्य प्रवनयिता प्राव
तितपमप्रभीषो दितीप । | —प्रतिमा० अब ३ पृ० ७६ |
| ५ नैमित्यपत्रादविषुकोऽसुवर्या । | —वित्र० अब ५ पृ० २४३ |
| ६ मध्यम० अब १ पृ० ११ | |
| ७ तेन रुग्निष्टोमप्न ददामि । | मणभार अब १ पृ० २१ |
| ८ मातृ० अब ५ पृ० ३५२ ३५३ | |
| ९ एवमव वृक्षन् गर्वन् गमानीयाप्तशिखान् ।
गरम्भय वृत्ताश्चित्तवा जरामप इवानय ॥ | —पचरात्र० १ ८ |
| १० रघुवा ५ १ | |

ये भी धार्मिक हृषि से महत्त्वपूर्ण हैं। यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों पर तिथि-विशेष पर और अभीष्ट मिद्दि के लिए व्रत, उपवास रखे जाते थे। 'पचरात्र' में दुर्योधन का शरीर व्रत-उपवास यज्ञ के अवसर पर किये गये थ्रतों से अत्यन्त कृश हो जाता है। 'मृच्छकटिक' में धूता तिथि-विशेष पर किया जाने वाला रत्न पथीव्रत करती है^३। 'विक्रमोबद्धीय' में रानी ओशीनरी रुष प्रिय को प्रसन्न करने के लिए 'प्रियानुप्रसादन'^४ व्रत करती है। इसी प्रकार 'चारदत्त' में नटी 'जन्मान्तर में' भी, वर्तमान् पति को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए 'अभिरूपपति'^५ नाम के व्रत की साधना करती है।

व्रत के अवसर पर मनोवाचित फल-लाभार्थं पूजन-मामग्री गे देवपूजा की जाती थी। 'विक्रमोबद्धीय' में रानी प्रिय को प्रसन्न करने के लिए चन्द्रदेव की अर्चना करती है^६। व्रत के दिन व्रतधारी के सामाजिक स्तर के योग्य द्वाहाण भोजन के लिए निमन्त्रित किया जाता था^७ और भोजन के पश्चात् उसे दक्षिणा प्रदान की जाती थी^८।

धार्मिक कृत्यों में देवार्चन का भी विशेष महत्त्व या। उपासक अभीष्ट-मिद्दि के लिए देवताओं की विधिवत् पूजा करते थे। 'विक्रमोबद्धीय' में रानी प्रिय-प्रसादन रूप वार्य की मिद्दि के लिए यथाविधि चन्द्रभा की अर्चना करती है^९। देय-पूजन और देव-वलि गृहस्थ के नित्य नियमों में भी विहित थे। प्रतिदिन मन, वचन,

१. ननुद्रनेस्ते तनु गात्रमेतत् ।

—परगाण, १.२१

२. मृच्छ०, अक ३, पृ० १८४

—विष०, अर १, पृ० ५६६

३. भर्तुः प्रियानुप्रसादन नाम ।

—विष०, अर ३, पृ० ५६८

४. चारदत्त, अर १, पृ० ५

—विष०, अर ३, पृ० ५६८

५. दारिका. यानयनौपहारिक यावन्मणिहर्म्यपूष्टगमाचाराद्यमर्त्तिः ।

—विष०, अर ३, पृ० ५६८

६. अम्माद्यात्रनयोग्येन द्वाहाणोन उपनिमन्त्रितेन । —दृष्ट०, अर ३, पृ० ११

—दृष्ट०, अर ३, पृ० ११

७. अस्मित्व व दक्षिणा द्वानि ते भविष्यति । —दृष्ट०, अर ३, पृ० ११

—दृष्ट०, अर ३, पृ० ११

८. दिष्ट०, अक ३, पृ० १०४

कर्म से पूजित देवता भक्त की इष्ट-सिद्धि अवश्य कारते थे'। 'मृच्छकटिक' में चारहत नित्य नियमानुसार देवकार्य^२ सम्पन्न करता है।

प्रात् साय सन्ध्यावन्दन और जपादि वैदिक आयों की नित्य कियाएँ थीं जो अपने धूमिल रूप में विवेच्य-काल में भी अवशिष्ट थीं।

'मृच्छकटिक' में चारहत सन्ध्या-वन्दन^३

सन्ध्या-वन्दन

और गायत्री आदि मन्त्रों के जप^४ को देनिक जीवनचर्या का अग मानता है।

तपोञ्जुष्टान विशेषत तपस्त्वयों की जीवनचर्या का अग थी। उसमें नैपुण्य का भी योग होता था। दु साध्यता उसकी कस्ती थी।

कुछ तपस्यों तपोयोगी होकर समाधि में स्वय को और निकटवर्ती ससार को पूर्णत विस्मृत कर देते थे। मारीच ऋषि के

आध्रम में कठोर तपस्या में निरत भुग्नि के चारों ओर चीटियों ने बिल बना लिये थे, वक्षस्थल पर सर्पन्धना पड़ी हुई थी, गले में सूखी हुई लताएँ उलझी हुई थीं और जटाओं में चिडियों ने घोसले बना लिये थे^५।

तप साधना ऋषियों के लिए 'जीवनीपथ' थी। ऋषियों के लिए उसम व्यवधान असह्य था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला की विदा के ममय भी महर्षि कण्ठ यों तपोपरोध चिन्ता ही व्यवित भरती है^६। तपस्त्वयों के तपोमार्ग में उपस्थित होने वाली वाधाओं के निवारण का उत्तरदायित्व राजा बा होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुर्यन्त कण्ठ-शिप्पों से मिलने पर सर्वप्रथम उनकी तपस्या की निर्वाधिता के विषय में प्रश्न करता है^७।

१ शृदस्यस्य नित्योऽय विधि ।

तपसा मनसा वाभि पूजिता वलिकमभि ।

तुष्यति शमिना नित्य देवता कि दिचारिते ॥ —मृच्छ०, १ १६

२ सिद्धीहृतदेवनार्यस्य ।

—मृच्छ०, भर १, पृ० २५

३ धर्मपि कृतशीर सम्मानुषारो ।

—मृच्छ०, भर ३, पृ० १७६

४ समाप्तजपोऽस्मि ।

—मृच्छ०, भर १, पृ० ५८

५ धर्म० दा०, ७ ११—

६ वरने ! उपरध्यते वरीऽगुण्डानम् । —धर्म० दा०, भर ४, पृ० ७३

७ धर्मि निविष्मतपसो मुनय ।

—धर्म० दा०, भर ५, पृ० ८६

धार्मिक हृष्टि से तीर्थ-यात्रा या तीर्थाटन का बड़ा महत्व था। तीर्थस्थान अत्यन्त पावन और पाप नाशक समझे जाते थे। लोग विशेष तिथियों पर तीर्थों में स्नान करने जाते थे। 'विक्रमोदर्शीय' में राजा पुष्ट्रवा तिथि-विशेष पर सप्तरित्वार गगा-यमुना के सगम में स्नान करने के लिए जाता है^१। लोग तीर्थों में जाकर ग्रह-शान्ति भी करते थे। महर्षि कथ्य शकुन्तला की ग्रह शान्ति के लिए सोमतीर्थ को जाते हैं^२।

धर्म-क्षेत्र में स्त्रीरों का भी विशिष्ट स्थान था। व्यक्ति अपने नाम के अनुरूप शरीर और आत्मा का शोधन एवं परिष्कार करते थे। पुनर्जन्म की व्यवस्था में भी स्त्रीरों का योग समझा जाता था^३। इसलिए स्त्रीरायुत भनुप्य द्विज^४ कहलाता था। आलोच्य नाटकों में पुसवन^५, जातकर्म^६, उपनयन^७, रामावर्तन^८, विवाह^९ और अन्त्येष्टि^{१०} स्त्रीरों का विशेषता से निरूपण हुआ है।

- १ अद्य तिथिविशेष इति भगवत्योगगायमुनयो सगमे देवीभि सदृक्नाभियेक साम्प्रतमुपकार्या प्रविष्ट । —विक्रि०, अक ५, पृ० २३६
- २ देवमह्या प्रतिकूल शमगिन् सोमतीर्थं गत । —ग्रभि० शा०, अक १, पृ० ८
- ३ गोतम धर्मसूत्र, १० १
- ४ "जन्मना ब्राह्मणो जय, स्त्रीराद्दिन उच्चते —देखिए, गायत्री वर्गी बालिदास के ग्रन्थों पर आधारित सत्कालीन भारतीय गरकृति पृ० ५४
- ५ निवृत्तपुसवना जायाऽस्य शूयते । —ग्रभि० शा० अक ६, पृ० १२१
- ६ विघ्विवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुथ एष शाकुन्तलेय । —ग्रभि० शा०, अक ७, पृ० १४७
- ७ तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलश्रोद्दिम प्रस्तियत । —मध्यम०, अक १, पृ० २८
- ८ कस्मात् त्वं कृतस्मावतो बदुक इव त्वरसे । —ग्रघि०, अक ४, पृ० ११८
- ९ तिथित्रफलकस्थयोदत्पराजवास्त्रवदत्तयोविवाहोऽनुष्ठीयताम् । —प्रतिज्ञा०, अक ४, पृ० १२६
- १० हत स्वर्गं गतो बान्नो । मुष्टीव । कियतायस्य स्त्रीरों । —ग्रभि०, अक १, पृ० २२

शुद्धि सस्कारों में पुसवन प्रथम था । यह गर्भाधान के तृतीय मास में सम्पन्न होता था । इसमें सारे दिन उपवास की हुई पत्नी को पति दही में एक यव की बाल और दो माघ के दाने मिला कर तीन बार पीने को देता था और प्रत्येक बार उससे पूछता था—‘तुम क्या पी रही हो ? तथा पत्नी प्रत्येक बार पुसवने पुसवने’ कहती थी^१ ।

नात कम बालक के जन्म के पश्चात् सम्पन्न होने वाला प्रथम सस्कार था । यह नालोच्छेद से पूर्व किया जाता था । पुनोत्पत्ति की सूचना प्राप्त करते ही पिता बालक का मुख देखता था और स्नान माजन के पश्चात् यथाविधि पितरो वा शाद्व कर बच्चे को धी मधु चटाता था^२ ।

उपनयन सरकार यजोपवीत सस्कार भी कहलाता था । इस सस्कार के पश्चात् बालक यजोपवीत धारण कर ब्रह्मचारी बन जाता था और विद्याध्यया आरम्भ करता था । मानव धर्मशास्त्र के आदै शानुसार आद्यण क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन सस्कार का समय क्षमता आठ से सोलह व्यारह से बाईम और बारह से चौबीस वर्ष तक माना जाता था^३ ।

समावतन सस्कार विद्याध्ययन की समाप्ति पर मनाया जाता था । वेदानुशीलन के पश्चात् गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी का घर लौट आना ही समावतन कहलाता था ।

समावतन के पश्चात् विवाह-सस्कार^४ का विशेष महत्व था । यह ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थाध्रम का मार्ग प्रस्तुत करता था ।

आत्येष्टि सस्कार मृत्यु के उपरान्त विद्या जाता था । इसके आतं गंत समस्त मृतक क्रियाओं का समावेष होता है । मृतक के शव का स्पर्श अशोच माना जाता था । अशोच की शुद्धि के लिए यमुनादि पवित्र नदियों के जन म स्नान करने की प्रथा थी^५ । पितरों पी तृप्ति के

१ आद्यलायन एहमूत्र अध्याय १ १३२ ७

२ भगवतगारण उपाध्याय बालिदास वा भारत भाग २ पृ० १५५

३ यही भाग २ पृ० १५७

४ विम्तार के लिए देखिए परिवार नामक अध्याय ।

५ भत यमुनिकोऽस्मि मृता दारिका एहीता । महूतङ्ग प्रतिपात्यनु भर्ता यावद् यमुनाकृत ग या शोष करोमि । —या० च०, प० १, पृ० १६

लिए उदक-दान^१ और निर्वाप^२ को किया एँ भी प्रचलित थी। पितरो की स्मृति में सावत्तारिक श्राद्ध किये जाते थे^३। श्राद्ध-दिवस पर श्रद्धानुसार दान दिया जाता था^४। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्यों के लिए घासों में कुश, औपधों में तिल, शाकों में कलाय, मत्स्यों में महाशफर, पक्षियों में वाघीणस (काली गर्दन, लाल शिरं वाला पक्षी) और पशुओं में गाय या खड्ग का विधान था^५। काचनपादवं मृगों के मास से पितरो का श्राद्ध करना उत्तम माना जाता था। इससे तृप्त पितर पुत्र-लाभ का फल प्राप्त करते थे और स्वर्ग में देवा के माय विमानों में निवास करने थे तथा आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर स्थिर हो जाते थे^६।

यह भी धर्मचिरण का ही अग था। आगन्तुक का स्वागत-सत्कार गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। अतिथि के आगमन पर उसका अभिवादन^७ किया जाता था और फिर उसको बैठने के लिए आसन दिया जाता था^८। तत्पश्चात्

पाद और अधर्य से उसका आतिथ्य दिया जाता था^९। इस प्रारम्भिक औपचारिकता के बाद परस्पर कुशल-क्षेम-विषयक प्रश्न किये जाते थे और अतिथि अपने आगमन का उद्देश्य प्रकट करता था^{१०}। अतिथि-सत्कार में मधुर और नम्ब शब्दों का प्रयोग शिष्ठाचार माना जाता था^{११}।

१. जान। त्वमव पर्यवस्थापय भारमान अस्माक तिलोदक्वानाय।

—मृच्छ०, अक १०, पृ० ५६४

२. अभिं० शा०, ६ २५

३. इवस्त्रभवत्स्तातस्यानुरावत्सरथाद्विधि। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १२६

४. सर्वं वदया दत्त यादम्। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३५

५. प्रेतिमा०, अक ५, पृ० १३५-३६

६. प्रतिमा०, ५ १०

७. अये मगवान्। भगवन् भभिवादये। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३२

८. मगवन्। एतदासानगास्यताम्। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३२

९. इदानीमतिथिविदेषलाभेन। हता दाकुन्तले गच्छोदजम् पत्तमिधमर्पयुग्हर इद पादोदक भविष्यति। —अभिं० शा० अक १, पृ० १७

१०. अभिं० शा०, अक १, पृ० १८

११. भवतीना सूनूतयैव गिरा कृतमानित्यम्। —अभिं० शा०, अक १, पृ० १७

धर्मचिरण और धर्मनिष्ठा के गर्भ में अच्छे जन्म की कामना ही समाहित है। यह कामना मनुष्य को पापों से बचा कर सदाचारण करने की प्रेरणा देती है। वर्ण-युग में कर्मचार और पुनर्जन्म में बहुत रो लोगों का अटूट विश्वास था। जीव को मरणों-परान्त कर्मनुसार गति प्राप्त होती है—लोगों का यह विश्वास उन्हें सत्कर्म में प्रवृत्त कराता था। 'मृच्छकटिक' में चेट अपने दासत्व का कारण पूर्वजन्म कुत पाप हो मानता है। इसी कारण वह इस जन्म में शकार के पुन शुभ एवं कहने पर भी वसन्तसेना वध-दृष्टि नहीं करता है^१। सम्भवत् परलोक कोई अलौकिक वस्तु न होकर, केवल पाप-पुण्य का परिणाम था^२।

नीति नीति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—एक सामान्य नीति और दूसरी राजनीति। सामान्य नीति में नैतिक और मानवीचित आचरण आता है और राजनीति में राजा और उसकी शासन-व्यवस्था से सम्बद्ध नीति का समावेश होता है।

सामान्य नीति विवेच्य-काल में लोगों का नैतिक स्तर बहुत ऊँचा था। सदाचार या शिष्ट आचरण जीवन का आधार-स्तम्भ था। दीन-दयालुता, विनम्रता, सज्जनों का सत्कार, सच्चरित्रता, परोपकार, सरलता, उदारता, शीर्य, धैर्य, मिष्टभाषण आदि मानवीय गुण सदाचार के भग थे। मानवीय गुणों से सम्बन्ध व्यक्ति का जीवन ही वस्तुत शलाध्य समझा जाता था^३। 'मृच्छकटिक' में चारहत आदर्श सद्गुणों का साकार रूप ही है^४।

१. येनास्मि गर्भदासो विनिमितो भागधेयदोषे ।

श्रिधिक च न केष्यामि तेनाकार्यं परिहरामि ॥

—मृच्छ०, द २५

२. शकार—कौन से परलोक ?

विट—मुक्तदुष्कृतस्य परिणाम ।

—मृच्छ०, अक द, पृ० ४१५

३. मृच्छ० १४८

४. यही ।

चारिन्य-रक्षा तत्कालीन नागरिको का परम धर्म था । मनुष्यों को चरित्र की रक्षा की अत्याधिक चिन्ता रहती थी । 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त वसन्तनेना के सुवर्णभाषण के चोरी चले जाने पर इस आशका से अत्यन्त दुखित होता है कि सब लोग उसके चरित्र पर शका करेंगे, वस्तु स्थिति को कोई नहीं देखेगा । निर्मल चरित्र में उच्च कुल ही कारण होता था । अकुलीनों में समस्त मानवीय गुण विद्यमान होने पर भी उनका चरित्र निष्कलक नहीं भाना जाता था^२ ।

सत्य नीतिकृता का मापदण्ड था । कठिन-से-कठिन विपत्ति में भी सत्य का परित्याग नहीं किया जाता था । असत्य-भाषण पाप माना जाता था । 'मृच्छकटिक' में वसन्त-सेना के आभूपण चोरी हो जाने पर विदूपक कहता है कि मैं इसके विषय में असत्य प्रचार करूँगा । इस पर चारुदत्त उत्तर देता है कि मैं दरिद्र होने पर भी चरित्र को भ्रष्ट करने वाले असत्य का आश्रय नहीं लूँगा^३ ।

दान देने की प्रवृत्ति भी लौकिक और पारलौकिक कल्याण का साधन मानी जाती थी । याचक वो अभिलिप्त वस्तु प्रदान करना ही दान का सर्वोच्च आदर्श था । 'कर्णभार' में कर्ण द्वाहृण रूप-धारी इन्द्र को अपने शरीर की रक्षा करने वाला नवचतुर्व दान में दे देता है^४ । 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त जैसा धनाढ्य व्यक्ति याचकों वो अभीष्ट धन प्रदान करते करते ग्रीष्मकाल के जल-पूर्ण तालाब के समान मनुष्यों की प्यास बुझा कर स्वयं सूख जाता है^५ ।

१ यदि तावद हृतान्तेन प्रलयोऽष्टु मे कृत ।
किमिदानो नृशसेन चात्तिमपि दूषितम् ॥

—मृच्छ०, ३ ३५

२ अविं, २५

३ भैद्रेणाप्यन्यिद्यामि पुतन्यासप्रतिश्रियाम् ।
अनुत नाभिधास्यामि चारित्रम्भकारणम् ॥

—मृच्छ०, ३ २६

४ कर्णभार, १ २१ —

५ मृच्छ०, १ ४६

प्रतिज्ञा-पालन लत्कालीन नीतिक आचरण का मूल मन्त्र था। लोग प्राणोत्सर्ग द्वारा भी वचन का निर्वाह करते थे। 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' में योगन्धरायण असहा
प्रतिज्ञा-पालन कष्टों को सहते हुए भी राजमाता के समक्ष की गई स्वामी को मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा का पालन करता है^१।

लोग न्यास (धरोहर) की सर्वात्मना रक्षा करते थे। 'मृच्छ-कटिक' में चारुदत्त बसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड की रक्षा के लिए दिन में वर्धमानक और रात्रि में मंत्रिय को नियुक्त करता है^२। साक्षियों की उपस्थिति में धरोहर लौटानी पड़ती थी। 'स्वप्नवासवदत्त' में रेख्य और धानी की साक्षि राजा में वासवदत्ता हृष धरोहर लौटाने का परामर्श देता है^३।

शरणागत की रक्षा करना मानव का प्राथमिक कर्त्तव्य था। शरणागत को, शक्तु होने पर भी अभय प्रदान किया जाता था। 'अभिपेक नाटक' में राम शरण में आये हुए विभीषण को, शक्तु का आता होने पर भी सत्कारपूर्वक प्रवेश कराने के लिए कहते हैं^४।
माता-पिता, गुरुजन, आचार्य आदि से मिलते समय प्रश्नामय या अभिवादन करना लौकिक शिष्टाचार मात्रा जरता था। 'पचरात्र' में उत्तर भगवान् कृष्ण^५ और पिता विराट^६ से मिलते समय उन्हे अभिवादन करता है। अज्ञानवश अभिवादन न करने पर क्षमा याचना भी की जाती थी। अभिमन्यु अपने पूज्य अर्जुन आदि

१ यदि शशुद्वलग्रस्तो राहुणा च द्रमा इव ।

मौचयामि न राजान नारिम योगधरायण ॥ —प्रतिज्ञा० १ १६

२ मृच्छ०, अक १, पृ० ६३

३ साक्षिमन्यासो नियतियितव्य । इहात्रभवान् रेख्य अथभवती चाश्विकरण भविष्यति । —ख० वा०, अक ६, पृ० २२६

४ कथ विभीषण शरणागत इति । चत्सतकमण । गृच्छ, सत्कृत्य ये प्रवेश्यता विभीषण । —अभि० अक ४, पृ० ७३

५,६. भगवन् । अभिवादये । तात । अभिवादये । —पचरात्र, अक २, पृ० १०१

पितृजनों को अज्ञानवद्य प्रणाम न करने के कारण अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है^१ ।

परिवार एवं समाज में बन्धुत्व की भावना विद्यमान थी । भाई भाई के लिए, पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, स्वामी सेवक के लिए, सेवक स्वामी के लिए वडे-से-वड़ा त्याग करने को तत्पर रहता था । 'मध्यम-व्यायोग' में ब्राह्मण और उसके परिवारजनों का पारिवारिक स्नेह और त्याग-भावना घन्य है^२ । रूपण्वान् नामक मन्त्री अपने स्वामी उदयन के दुःख से अत्यन्त व्यथित होता है । वह राजा के न खाने पर स्वयं भी नहीं खाता और उसके साथ अहनिश विलाप करता रहता है^३ ।

लोग दूसरों द्वारा किये गये उपकार को विस्मृत नहीं करते थे अपितु प्रत्युपकार करने का प्रयत्न करते थे । 'बालचरित' में नन्दगोप वसुदेव कृत उपकारों के प्रत्युपकार के लिए उसके पुन कृपण की रक्षा करने को उद्यत हो जाता है^४ ।

दूसरों वा धन लोप्ठवत् समझा जाता था । भनुप्य परिहास में भी परद्रव्य का अपहरण करने से डरते थे । **परद्रव्य-हृष्टि** 'प्रतिमा नाटक' में अवदातिका परिहास में नेपथ्य-रक्षिका रेवा के वल्कल उठा लाने के कारण अपने को धिक्कारती है और अपने कर्म को अनुचित कहती है^५ ।

१. अज्ञानस्तु मया पूर्वं यद् भवान् नाभिवादित ।
तस्य पुनापराधस्य प्रसाद कर्तुमहंसि ॥

—पंचरात्र, २.६८

२. मध्यम०, अक १, पृ० १२-१८

३. स्व० वा०, १-१४

४. यद्यस्ति भवति विचिन्मया पूर्वकृत भवेत् ।
तस्य प्रत्युपकारस्य कालस्ते समुपागत ॥

—वा० च०, १-२०

५. महो यत्याहितम् । परिहासेनापीम वल्कनमुपनयन्त्या मर्मतावद् भवमासीत्,
कि पुनर्लोभिन परधनं हरतः ।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० ६

समाज में नीतिकथा का स्तर उन्नत होते हुए भी अनीति एवं अधर्म का अभाव नहीं था। जनता में रिश्वत लेना, चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना जुआ खेलना, वेश्यागमन आदि अनैतिक कृत्य निर्धारित रूप से प्रचलित थे।

इसके अन्तर्गत राजकीय शासन-व्यवस्था, न्याय एवं दण्ड-विधान^१, युद्ध एवं सेन्य-व्यवस्था, राजा वी गृह एवं परराष्ट्र नीति आदि विषयों वी विवेचना की जाती है।

राजकीय-शासन का मूल शान्ति और सुख्ता में निहित था। राजा का राज-दण्ड शान्ति की व्यवस्था करता था। राजा दण्ड-विधानानुसार दुष्टों और अपराधियों को दण्ड देकर^२ तथा प्रजा के पारस्परिक विवादों को शान्त कर^३ राज्य में शान्ति स्थापित करता था। राजा का सुचारा प्रबन्ध ही प्रजा को अनीति पर चलने एवं अधर्मचिरण से बचाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्प्रति की समुचित शासन-नीति के कारण ही प्रजा में निकृष्ट-से-निकृष्ट वर्ण भी कुमार्ग का अनुसरण नहीं करता है^४।

राजकीय शासन प्रबन्ध को सम्यक् प्रगति के लिए राजा के पास अनेक प्रत्युत्पन्नमति मधीं होते थे। ये राजा के तन्त्रावाप अर्थात् स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र नीति की मन्त्रि-परिषद् चिन्ता करते थे। इनकी एक परिपद होती थी जो अमात्य परिषद्^५ या 'मन्त्रि-परिषद्'^६ कहलाती थी। राजा शासन से सम्बद्ध विषयों पर परिषद् से परामर्श करता था^७। मन्त्रि परिषद् विविध राजकीय विषयों

१ नियमयसि विमागप्रस्थितानात्तदण्ड ।

—अभिं शा०, ५ द

२ वही ।

३ प्रशमयति विवादम् ।

—अभिं शा०, ५ द

४ न कश्चिद्वरणीनामपयमपकृष्टोऽपि भजते ।

—अभिं शा०, ५ १०

५ मद्यचनादभात्यपरिषद् ब्रूहि ।

—विक्र० घक ५, पृ० २५२

६ तैन हि मन्त्रिपरिषद् ब्रूहि ।

—माल०, अक ५, पृ० ३५२

७ तदमाध्यवर्गेण सह सम्बद्ध गन्तव्यम् ।

—अभिं, अक १, पृ० ८

पर नीति निर्धारित कर अन्तिम निर्णय के लिए राजा के पास भेजती थी^१ । राजा का निर्णय ही सर्वसम्मति से स्वीकार्य एवं मान्य होता था^२ ।

नागरिकों की समस्याओं और विवादों के प्रशमन तथा दुर्विनीता को दण्ड देने के लिए राजकोय न्यायालय होते थे । अधिकरण-मण्डप के प्रधानाधिकारियों म् न्यायाधीश, न्याय-विधान श्रेष्ठी और कायस्थ परिगणित थे^३ । ये तीनों अधिकारी मिल कर न्याय करते थे । न्यायाधीश राजा का वैतनिक सेवक होना था । उसे राजा इच्छानुमार हटा सकता था । 'मूच्छकटिक' मे शकार अधिकरणिक को कहता है कि यदि भेरा अभियोग नहीं सुना गया तो राजा से कह कर तुम्हे निकलवा दूँगा^४ । न्यायाधीश आज़कल के जज के समान होता था । न्यायालय मे निष्पक्ष न्याय के निमित्त यह आवश्यक था कि न्यायाधीश शासनों का ज्ञाता, बादी प्रतिवादी के कपट-व्यवहार को समझने मे दक्ष, वक्ता, कोष-रहित, मित्र, शनु और पुनादि स्वजन के लिए समदृष्टा, दुर्बलों का पालक, शठों का शासक, धर्मलोभी, तत्त्वज्ञ तथा राजा के क्रोध का निवारक हो^५ ।

श्रेष्ठी वर्तमान न्यायालयों के 'ज्यूरर' (Juror) या 'असेसर' (Assessor) वे समान कहा जा सकता है । कायस्थ सम्भवत न्यायालय का पेशावार होता था । वह कार्यार्थी का व्यवहार लिखता था^६ ।

१ ग्रमात्यो विजापयति —विवर्भगतमनुप्तेयमनुप्तितमभूत् । देवस्य तावदभिप्राय योतुमिच्छानीति । —माल० अक ५ पृ० ३५१

२ ग्रमात्यो विजापयनि—कल्याणो देवस्य युद्धि मनिपरिपदोऽप्येतदेव दक्षनम् । —माल० अक ५ पृ० ३५२

३ (तत प्रविषति अधिकायस्थादिपरिवृतोऽधिकरणिक ।) —मूच्छ० अक ६ पृ० ४५५

४ तिन हृश्यते मम व्यवहार ? यदि न हृश्यते तदावुत्त राजान पालक भगिनीपति विजाप्य भगिनी मातर च विजाप्य एतमधिकरणिक दूरीकर्त्य अप आयमधिकरणिक स्वापयित्यामि । —मूच्छ०, अक ६ पृ० ४६१

५ मूच्छ०, ६ ५

६ यदाय आज्ञापयनि । आय । लिखितम् । —मूच्छ अक ६ पृ० ४६६

न्यायालय में अधिकरणिक के समक्षवादी तथा प्रतिवादी दोनों के बिचार लिये जाते थे। साक्षियों की गवाहियाँ भी ली जाती थीं। न्यायाधीश जिसे चाहे उसे व्यवहार के लिए बुलवा सकता था^१। फासी आदि के जटिल अभियोगों में न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम स्वीकृति के लिए राजा के पास भेज दिया जाता था^२।

राजा को अधिकरणिक का निर्णय रद्द करने का पूर्ण अधिकार था। 'मृच्छकटिक' में राजा पालक न्यायाधीश द्वारा चाहूदत के लिए निर्धारित किये गये राष्ट्र-निष्पकासन दण्ड को भग कर उसके लिए प्राणदण्ड की आज्ञा देता है^३। राजा स्वयं भी धर्मसिन पर बैठ कर पौर कार्यों का अवेक्षण करता था और उचित निर्णय देता था^४।

दण्ड-विधान मानव धर्म-शास्त्र पर आधारित था। न्यायाधीश अनुनिर्दिष्ट दण्ड नियमों के अनुसार ही दण्ड का विधान करते थे^५।

अपराधी के लिए दण्ड के नियमों की
दण्ड-प्रणाली धाराएँ अत्यन्त कठोर थीं। अपराधी को
वठोर-से-कठोर सजा दी जाती थीं।

दण्ड-विधान के अनुसार रत्नों की चोरी के अपराध का दण्ड मृत्यु था^६। हृत्या के अपराधी के लिए भी प्राणदण्ड नियत था। 'मृच्छ कटिक' में शकार न्यायाधीश से चाहूदत को प्राण-दण्ड से दण्डित करने के लिए कहता है^७। व्राह्मण के लिए हृत्या का अपराध करने पर भी प्राण-दण्ड वजित था। उसे अक्षत विभव सहित राष्ट्र से

१ भद्र शोधनक ! बस-तसेनामाशारमनुदेजयन्ताहृष्य ।

—मृच्छ०, अक ६, पृ० ४६८

२ आर्यं चालदता । निषेधे यय प्रमाणम् शेषे तु राजा ।

—मृच्छ०, अक ६, पृ० ५१५

३ मृच्छ०, अक ६, पृ० ५१६

४ वैत्रवति मद्वयनादमात्यपिशुन ब्रूहि । चिरप्रबोधान्न सभावितमस्याभिरथ धर्मात्मनमप्यासितुम् । —प्रभिं शा० अर ६, पृ० १०७

५ अय हि पातकी विप्रो न वध्यो भनुख्यचीत् ।

—मृच्छ०, ६ ३६

६ एष यमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्त । —प्रभिं शा०, अक ६ पृ० १००

७ शृणुत शृणुत भद्रारका । एतेन मारिता एतेनैव सत्यविद्यम् । एतस्य दरिद्र चाहूदतस्य शारीरो दण्डो धायताम् । —मृच्छ०, अक ६ पृ० ५१६

निकासित कर दिया जाता था' ।

मृत्यु-दण्ड से इन्द्रिय व्यक्ति को शूली पर चनाना^१, कुत्तो से नुचवाना^२, रसीने बौध कर नीचना^३ और आरे से चिरबाना^४, गुप्त-बनि बना कर मरवाना^५ आदि प्राणापहारक दण्ड-विधियाँ प्रचलित थीं ।

बध्य पुरुष को बध से पूर्व करवीर पुण्यो की माला पहनायी जाती थी^६ । उसके मम्मूर्ण नरीर पर लाल चन्दन के थापे मारे जाने थे और निल, तप्तुल आदि के पिण्ठ तृण का अवलेपन दिया जाना था^७ ।

प्राण-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करते थे । वे अपराधी को बध्य-पटह बजाते हुए इमशान तक ले जाते थे । वे मार्ग में धोपणा-स्थलों पर अपराधी के परिचय के साथ उसके अपराध एवं दण्ड की धोपणा करते जाते थे और हमरे व्यक्तियों को वैत्ता अपराध न करने के लिए सावधान करते जाते थे^८ ।

बध्य पुरुष कभी-कभी भाग्यवश मुक्त भी कर दिये जाते थे । कभी कोई साबुजन धन देकर बध्य पुरुष को छुड़ा लेता था, कभी राजपुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में अपराधिया को मुक्त कर दिया जाता था, कभी हाथी बन्धन-स्तम्भ तोड़ कर भाग जाता था जिससे घबरा-हट में बध्य जन मुक्त हो जाता था और कभी राज्य-परिवर्तन के कारण बध्य व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान कर दी जाती थी^९ ।

केज पत्ते कर पेरो से मारने के अपराध म अपराधी को न्यायालय की ओर से चतुरण दण्ड मस्तक मुण्डन, कशाधात, धन-

^१ मृच्छ०, ६ ३६

^{२,३,४,५} मृच्छ०, १० ५४

^६ एग्रबलिमविधियसि ।

^७ मृच्छ०, १० २

^८ मृच्छ०, १० ५

^९ यथा च एष उद्गीतो डिण्डिमद्यन्द पठहाना च शूयते तथा तर्केयामि दरिद्रलादत्त बध्यस्याने नीयन इति । —मृच्छ०, अक १०, पृ० ५४८

—मभि० शा०, अक ६, पृ० ८६

^{१०} मृच्छ०, अक १०, पृ० ५५६

हरण और वहिप्करण से दण्डित किया जाता था^१ ।

अपराधी के अभियोग निराशय के लिए विष पान, सलिल प्रवेश तुलारोहण अग्नि प्रवेश आदि परीक्षाएँ भी प्रचलित थी^२ ।

आलोच्य युग मे साम्राज्य की सुहृदता एव स्थिरता के लिए राजा की ओर से राज्य की आन्तरिक

साम्राज्य रक्षा एव बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी । सुरक्षा के साधनो मे सेना नगर

रक्षक गुप्तचर प्राकार एव दुर्ग प्रमुख थे ।

देशी-विदेशी शत्रुओ से राज्य की रक्षा के लिए राजा के पास अक्षीहिंगी रोना होती थी । राजा अपनी विशाल रोना के बल पर

शत्रुओ को पराभूत करने का गर्व करता था^३ । 'स्वप्नवासवदत्त' मे राजा प्रथोत्तम सेना के विस्तार के कारण ही महासेन

कहलाता है^४ । राजा की विजय प्राप्ति का आधार विशाल वाहिनी ही नहीं थी अपितु सेनिकों को राजा के प्रति अनन्य निष्ठा एव भक्ति भी थी । राज भवित से विरहित सेना स्त्री के समान थी^५ ।

सेना चतुरगिणी होती थी । उसके गज सेना अश्व सेना, रथी और पदाति—ये चार अग थे^६ । गज भारतीय सेना के मुख्य स्तम्भ थे

सेन्य-व्यवस्था और सम्भवत राज्याधिकारियो द्वारा सुरक्षित बनो से पकड़ कर लाये जाते थे । कतिपय बन तो हस्तियो के प्राचुय

१ अह त्वया विश्वस्ता रानाप्ति कुवन्—गृहसारोगेषु गृहीत्वा पादेन ताढित ।
तदृ शृणु रे । अधिकरणमष्टे यदिते चतुरग्य न कल्पयामि तां न भवामि वीरक । —गृच्छ० घक ६ पृ० ३५३

२ मृच्छ० ६४३

३ धर्मिन मर्यादामीहिणीबलसमुदय । —दू० वा० घक १ पृ० ६

४ धर्मिन उज्जयित्या राजा प्रथोत्तम नाम । तस्य बलपरिमाणित्वंत नामपेय महासेन इति । —स्व० वा०, घक २ पृ० ७०

५ व्यवन बल वट्च तस्य न चेवकाय मह्यातवीरपुण्य च न चातुरत्तम् ।
व्याज तन गमभिनन्दनि युद्धाल सब हि योग्यमनुरागमृत बलतम् ॥
—विता० १४

६ तपा हस्तयस्वरथपदानीनि मामकानि विजयागानि सानदानि ।
—स्व० वा०, घक ५ पृ० १७०

के कारण 'नागवन'^१ ही कहलाने लगे थे। अश्व भी गज के समान ही उपयोगी थे। कम्बोज^२ देश के द्रुतगमी अश्व युद्ध की दृष्टि से उत्कृष्ट समझे जाते थे। अश्व सेना 'अश्वारोहणीय'^३ कहलाती थी। रथ भी समर-साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे^४। सेना में पदाति सैनिकों की सख्ता सब से अधिक होती थी। इसका समर्थन 'शुननीति' से भी होता है^५। वर्ण्य नाटकों में 'नीका'^६ के उल्लेख से जल-सैन्य वा सहज ही अनुमान दिया जा सकता है। पाण्डी भी सेना का एक प्रकार था^७।

सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण सेना को छोटे-छोटे समूहों में विभक्त कर दिया जाता था और सैनिकों की गणना के लिए एक पुस्तक या सूची बना ली जाती थी^८। सेना का अधिपति सेनापति^९ या वलाध्यक्ष^{१०} कहलाता था। वह सेना में सैनिकों की नियुक्ति करता था और समराभियान के लिए सेना को तैयार करता था^{११}।

यद्ध म वीरता प्रदर्शित करने वाले योद्धाओं को सैनिक-सम्मान प्रदान किया जाता था। उनके रण-कीर्तियादि वीर-कृत्य पुस्तक में

१ अथ वेणुवनाभितेषु गृह्णेषु नागवन इव प्रयाता स्वामी प्रागेव सम्भावयि तत्य । —प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० ७

२ मान्यवाम्बोजजातम् । —कर्णभार, १ १६

३ प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० १३

४ रथमानय शीघ्रम् मे इलाध्य प्राप्तो रणातिथि । —पञ्चरात्र, २ १३

५ जगदीशचन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० ३८७

६ तोन्यसने दिवद । —अभिंशा०, अक ६, पृ० १२१

७ स्व० वा०, ५ १२

८ अमान्निवेदयमानासु सेनासु वृद्धपरियहेषु परीक्ष्यमाणेषु पुस्तकप्रामाणात् कुनहिचदप्यविज्ञायमानो द्वो वनोक्ती गृहीती । —अभिंशा०, अक ४, पृ० ८२

९ मृच्छ०, अक ६, पृ० ३४३

१० अभिंशा०, अक ४, पृ० ६७

११. भो भो वलाध्यक्ष । सन्नाहमाजापय वानरवाहिनीम् । —अभिंशा०, अक ४, पृ० ६७

अकित किये जाते थे' । युद्ध में आहत वीरों की वेदना के निवारणार्थ उनको समुचित सम्मान एव पुरस्कार प्रदान किया जाता था^१ ।

सेनिक वेशभूपा या 'समरपरिच्छद'^२ सेन्य-सज्जा का प्रमुख अग था । वर्म^३ (कवच), गोधा^४ (ज्याधातवारण), अगुलित्राण^५, छन्द^६, श्रीर शस्त्रास्त्र^७ समरवेश में समाविष्ट थे । शस्त्रास्त्रो में घनुप-बाण^८, तलवार^९, चर्म^{१०} (ढाल), तोमर^{११}, कुन्त^{१२}, शक्ति^{१३}, प्रास^{१४}, परदु^{१५}, भिण्डपाल^{१६}, शूल^{१७}, भूसल^{१८}, मुद्गर^{१९}, वराहकरुण^{२०}, करणप^{२१}, कर्पण^{२२}, शकु^{२३}, वासिंगदा^{२४}, कुलिश^{२५} आदि का निरूपण हुआ है ।

सेन्य-सज्जा में घजाएं और रण-वाद्य भी समाविष्ट थे । घजाएँ^{२६} या पताकाएँ^{२७} राज-चिह्न और सेनिक-चिह्न के रूप में प्रयुक्त होती थी । राजाओं और सेनानायकों का अपना-अपना विशिष्ट घज-चिह्न होता था । 'विकमोर्बशीय' में राजा पुरुषवा का रथ-घज हरिण से अकित है^{२८} । 'कर्णभार' में दुर्योधन की रथ-पताका का चिह्न हाथी

१ हष्टपरिस्पदाना योधपुरपाणा कर्माणि पुस्तकमारोपयति युमार ।

—पचरात्र, अक २, पृ० ७६

२ ताहितस्य हि योधस्य इताधनीयेन नर्मणा ।

—पचरात्र, २ २८

यकानान्तरिता पूजा नाशयत्येव वेदनाम् ॥

३ कर्णभार अक १, पृ० ४

४ ५६ पचरात्र, २ २

७ पचरात्र, अक २ पृ० ५५

८ पचरात्र, २ २

९ एतदस्तावापसहित दारासनम् ।

—विक०, अक ५, पृ० २४९

१० निशिनविमलसहित ।

—प्रतिज्ञा०, ४ ३

११ कनकरचित्तचर्मेष्यप्रदामाग्रहस्त ।

—प्रतिज्ञा०, ४ ३

१२-२५ ऊरमग, अक १, पृ० २५

२६ अभिंशाऽ शाऽ, ७ २६

२७ पचरात्र, ३ १८

२८ वही, २ ११

२९ एष उल्लम्भित हरिणैतस्तस्य राजर्णं सौमदत्तो रथो दृश्यत ।

—विक०, अक ३, पृ० १५७

है'। युद्ध में पताका सध से आगे फहराती हुई चलती थी^३। शत्रु पक्ष द्वारा ध्वजा का विद्ध होना पराजय का लक्षण माना जाता था और उसके लिए शान्ति-कर्म किया जाता था^४।

सेना का प्रयाण तथा युद्ध की प्रगति रणवाचो की सहवासिता में होती थी। युद्ध के आरम्भ और अवसान की सूचना के लिए सामरिक वाद्य-यन्त्र बजाये जाते थे। रणवाचो में शख्स^५, दुन्दुभि^६, पटह^७, भेरी^८ और तूर्य^९ का सकेत मिलता है।

राज्य की आन्तरिक सुव्यवस्था एवं शान्ति के लिए नगर की सुरक्षा अनिवार्य थी। पुरवासियों के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के

लिए राजा की ओर से अनेक नगर-
नगर-रक्षक रक्षक^{१०} एवं प्रहरी^{११} नियुक्त थे। नगर-
रक्षकों को आधुनिक पुलिस-वर्मचारियों

का ही एक रूप माना जा सकता है। ये रक्षक-गण चोर, डाकू या अन्य अपराधी को राजा के समक्ष उपस्थित करते थे और उसे अपराध की लघुता गुरुता के अनुकूल दण्ड दिलवाते थे। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में रक्षक-गण धीर की राजा की ओरूढ़ी चुराने के अपराध के कारण राजा के समक्ष ले जाते हैं^{१२}। नगर-रक्षकों का अधिपति 'नागरिक'^{१३} कहलाता था। 'नागरिक' का अधिकार प्राय राजश्वालक को प्राप्त

१ कर्णभार, १३

२. अभिं शा०, १.३२

३ पचरात्र, ३ १८

४,५ शख्दुन्दुभयश्च नि शब्दा । —कर्णभार, अक १, पृ० १२

६ सेनानिनादपठहस्तनश्चनादै । —दू० शा०, १५

७ एना नदन्ति गम्भीर भैरवस्त्रिदिवरादमनाम् । —अभिं, ६ १८

८ विक०, ४ १२

९ पद शब्द इव । मा नाम रक्षण । —मृच्छ०, अक २, पृ० १७१

१० रे दोवारिका । अप्रमत्ता स्वकेपु स्वकेपु गुलमस्यानेपु भवत । —मृच्छ०, अक ६, पृ० ३२७

११ अगुस्तीयकदर्शनमत्य विभूष्यितम्यम् । राजकुलमेव गच्छाम । —अभिं शा०, अक ६, पृ० ६८

१२ तत प्रविद्धिं नागरिक दयाल पद्माद्वद्युत्यमादाय रक्षिणी च । —अभिं शा०, अक ६, पृ० ६७

होता था^१। नागरिक के अतिरिक्त प्रधान रक्षाधिकारियों में 'तन्त्रिल सेनापति'^२ और 'बलपति'^३ का उल्लेख भी मिलता है। नगर में अव्यवस्था या पद्यनन का सन्देह होने पर समस्त रक्षाधिकारियों और प्रहरियों को सावधान कर दिया जाता था^४। मार्ग में आने-जाने वाले पथिकों और गाड़ियों^५ की तलाशी ली जाती थी^६।

ये भी राज्य की सुरक्षा में उपादेय थे। इनको दूत और गुप्तचर, इन दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। दूत राजकीय सन्देश-वाहक का कार्य करते थे। ये एक राजा चर का सन्देश दूसरे राजा के पास ले जाते थे और दो राजाओं में परस्पर सन्धि करवाने का प्रयत्न करते थे। 'दूतघटोत्कच' में घटोत्कच, 'दूतवाक्य' में भगवान् कृष्ण, इसी वर्ग के चर हैं। दूत अवध्य होते थे। दूतों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाता था। 'दूतघटोत्कच' में दुर्योधन घटोत्कच के कठोर वचन कहने पर भी दूत होने के कारण उसका वध नहीं करता है^७।

गुप्तचर छद्म वेश में रह कर शत्रु-पक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करते थे तथा गुप्त सूचनाएँ देने का कार्य करते थे। 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में योगन्धरायण वसन्तक तथा रुमण्वान् कमश उन्मत्क, डिण्डक और श्रमणक का वेष धारणा कर शत्रु के नगर में रहते हैं और शत्रु के गुप्त वृत्तान्तों को ज्ञात कर राजा उदयन को वन्धन से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते हैं^८। 'अर्थशास्त्र' में गुप्तचर के लिए

१ अभिंशा०, अक ६, पृ० ६७

२ मृच्छ०, अक ६, पृ० ३४३

३ वही, अक ६, पृ० ३४३

४. रे दोवारिका । अप्रमत्ता स्वकेषु स्वकेषु-गुलास्थानेषु भवत ।

—मृच्छ०, अक ६, पृ० ३२७

५ अरे पुरस्तात् प्रतोलीढारे तिष्ठ त्वं त्वमपि पश्चिमे, त्वमपि दक्षिणे, स्वमपि उत्तरे । —मृच्छ०, अक ६, पृ० ३३४

६ मृच्छ०, ६ १२

७. दूत खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थमागत ।

शृहीत्वा वच्छ सन्देश न वय दूत धातका ॥

—दू० ४०, १४८

८. प्रतिज्ञा०, अक ३ (सम्पूर्ण)

निष्कल नहीं माना जाता था^१। समर प्रतिकार का स्थान, वीरता की कस्तौटी, अभिमान का अचल स्थल, शूरों के शौर्य की नींव, वीरों के योग्य शयन-भूमि, प्राणों का यज्ञ और क्षत्रियों का स्वर्ग-सोपान माना जाता था^२।

युद्धों और राजनीतिक संघर्षों के निवारण के लिये विरोधी शक्तियों एवं दशह्र राजाओं में पारस्परिक सन्धि आवश्यक थी। सन्धि

सन्धि

में कुछ शर्तें रखी जाती थीं जो दोनों राजाओं को स्वीकार करनी पड़ती थीं।

सन्धिगत शर्तें अमान्य होने पर युद्ध

आवश्यकभावी था। 'मालविकाशिमित्र' में राजा वैदर्भ असिमित्र से सन्धि स्थापित करने के लिए अग्निमित्र के पास पत्र में सन्धि की शर्तें लिख कर भेजता है^३।

१. हतोऽपि सभते स्वर्गं जित्वा तुलयते यथा: ।

—कर्णभार, १.१२

उभे बहुते सोके नास्ति निष्कलता रणे ॥

२. वैरस्यायतन बलस्य निकप गानप्रतिष्ठायहै

युद्धेष्वपसरसों स्वर्यंवरसभा शौर्यंप्रतिष्ठां नृणाम् ।

राजा पश्चिमकालवीरशयनं प्राणांप्रिहोमकत्

संप्राप्ता रणसज्जमाधमपदं राजां नम सधमम् ॥ —ऊष्मभग, १.५

३. माल०, अक १, पृ० २६७

आर्थिक जीवन एवं कला-कौशल

‘सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ते’ के अनुसार समाज की प्रगति एवं विकास का मूल-मत्र आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि में निहित है। जहाँ धन है वही उन्नति है। आलोच्य नाटकों में समाज सामान्यतया समृद्ध रूप में प्रतिरूपित किया गया है। इससे यह अनुमान करना कि समाज में निर्धनता और दारिद्र्य का नाम भी नहीं था, उचित न होगा, किन्तु अधिकाश जनता कला-कृशल एवं व्यवसायनिरत थी। राज्य से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता था। अत वह उस शोपण से भुक्त थी जो प्राय दुख-दारिद्र्य का कारण बनता है। सम्भवत हमारा यह अनुमान भ्रान्तिपूर्ण न होगा कि आर्थिक वैभव वर्ग-विहीन नहीं था। याचकों का अस्तित्व किसी-न-किसी सीमा तक उनकी अभावग्रस्त स्थिति का ही दोषक है। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि याचकत्व कुछ लोगों का व्यवसाय भी था, फिर भी किसी-न-किसी सीमा तक उसके पीछे निहित अभाव को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

राजकीय कोष सम्पन्न था। देश में श्रेष्ठी लोगों का अस्तित्व धन-संग्रह की पद्धति की सूचना देता है। वे लोग उचित अवसर पर धन-प्रितरण भी करते थे, किन्तु दान में अयवा राजा की सहायता रूप में। उनके ऊचे-ऊचे भवनों में वैभव का आवास और विलास की क्रीड़ा होती थी। यही दशा वेश्याओं के आवासों की होती थी। ये प्रासादों से किसी भी प्रकार कम नहीं होते थे। भौतिक विलास को प्राय मझी सामग्री उनमें होती थी। सगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाएँ विलास-केलियों को समुचित साहचर्य प्रदान करती थीं। वसन्तसेना का स्वर्गोपम प्रासाद एवं अनन्त वैभव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है अतएव यहाँ के लोग अधिकाशत कृषि पर ही निर्भय रहते रहे हैं। पर्याप्त भूमि और चारा होने से पशु-पालन भी यहाँ के लोगों का एक व्यव जीविकोपार्जन के साधन साय रहा है। यहाँ के लोग कुशल एवं अनुभवी व्यापारी भी रहे हैं। प्राचीन ग्रन्थों में प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के व्यापारी समुद्र पार के देशों से भी व्यापार करते थे। यहाँ की अनेक वस्तुओं को अनेक देशों में अच्छा बाजार मिला हुआ था। बहुत सी आवश्यक वस्तुएँ देश के लिए तैयार की जाती थीं। इससे यहाँ के कला कौशल और उद्योग-घन्थों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता था।

यह कहा जा चुका है कि देशवासिया के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन सदा से कृषि रहा है। कृषि के लिए वर्ष का आधिक्य या अभाव अहितकर होता है। वर्ष का कृषि आधिक्य भी कृषि को नष्ट करता है और उसके अभाव^१ से भी कृषि नष्ट होती है।

दोनों स्थितियों की 'अति' से अकाल पड़ता है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को बड़ा झट्का पहुँचता है। राज दोप अकाल के कारणों में प्रमुख माना जाता था। उत्पादन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बीज^२, भूमि और सिचाई की आवश्यकता जैसी आज है वैसी ही आलोच्य काल में भी थी। ऊसर भूमि को प्राय छोड़ दिया जाता था क्योंकि उसमें बोया बीज नष्ट हो जाता है^३। कृषि के उत्पादनों में यव^४, शालि^५, कलम^६, नीवार^७, तिल^८ और ईरक^९ का विशेष महत्व था।

१. मृच्छा०, १० २६

२. वही भक ८ पृ० ३६८

३. एतदिदामा मादनागिया ऊपरलेन पतित इव वीजमुटिनिष्टम् ।

—मृच्छा०, भक ८, पृ० ३६८

४. चाहदत, १२

५. मृच्छा०, १० २८

६. वही, भक ४, पृ० २३२

७. अभिंशा०, भक २, पृ० ३५

८. वही, भक ३, पृ० ४६

९. वही, भक ६, पृ० १२४

कृपि के पश्चात् जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। यह भी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख साधन था। व्यापारी चाणिज^१, श्रेष्ठी^२, नैगम^३ आदि अभियानों से सम्बोधित व्यापार एवं चाणिज्य किये जाते थे। मुद्य रूप से युवक लोग व्यापार का व्यावसायिक रूप ग्रहण करते थे। युवा व्यापारी देशान्तरों में व्यापार करने जाते थे और अपने वैभव का विस्तार करते थे^४। व्यापारियों के पृथक्-पृथक् समुदाय होते थे जिनका प्रधान सार्वबाह्य^५ कहलाता था। किसी-किसी नगर में व्यापारियों का बहुल्य होता था। मही कारण है कि उज्जयिनी नगर का एक भाग श्रेष्ठिचत्वर^६ कहलाने लगा था। सामान्यतः चाणिक् लोग घनाधिक्य के कारण लोभी एवं धूतं होते थे^७, किन्तु कुछ उसके अपवाद भी होते थे जो जनता के कल्याण में अपनी सम्पत्ति व्यय करते थे। चारुदत्त द्वारा बनवाये गये भवन, विहार, उपवन, मन्दिर, तालाब, कूप एवं यज्ञस्तम्भ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं^८।

देशीय व्यापार के साय-साय वैदेशिक व्यापार भी प्रचलित था। धीन, कम्बोज आदि देशों से तत्कालीन भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। चीन से 'चीनांशुक'^९ और कम्बोज से उत्तम धोड़ों^{१०} का आयात होता था।

- | | |
|---|---------------------------|
| १. चाणिज्युवा वा काम्यते । | —मृच्छ०, अंक २, पृ० ६७ |
| २. श्रेष्ठिचत्वरे । | —चारुदत्त, अंक ४, पृ० १११ |
| ३. विक्र०, ४.१३ | |
| ४. किमनेकनगरामिगमनजनितविभवविस्तारो चाणिज्युवा । | —मृच्छ०, अंक २, पृ० ६७ |
| ५. समुद्रव्यवहारी सार्वबाहो धनमित्रो नाम ।—अभिर० दा०, अंक ६, पृ० १२१ | |
| ६. द गलु श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिबन्धित । | —मृच्छ०, अंक २, पृ० १२६ |
| ७. चारुदत्त, ३.७ | |
| ८. येन तावन् पुरस्यापनविहारारामदेवकुन्तडागूपद्यौरलकृता नगरी उज्ज-
यिनी । | —मृच्छ०, अंक ६, पृ० ५०४ |
| ९. चीनांशुकमित्र केतोः । | —अभिर० दा०, १.३२ |
| १०. सकलनृपतिमान्यं मान्यकाम्बोजजातम् ।
गपदि वृहस्पति वाजिनां ते ददामि ॥ | —कर्णभार, १.१६ |

व्यापार स्थल और जल, दोनों मार्गों से होता था। देशीय व्यापार प्रायः स्थल-मार्ग से होता था और वैदेशिक सामुद्रिक मार्गों से। जल-मार्गीय व्यापार नौका और जलपोतों द्वारा होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में धनमित्र नामक समुद्र-व्यापारी का उल्लेख हुआ है जो नौका द्वारा ही वैदेशिक व्यापार करता था।

मुद्राएँ विनिमय के काम में अतीती थीं। उस समय सिक्कों का प्रचलन था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में मन्त्री का धन-गणना में निरत रहना मुद्रा-प्रचलन का ही प्रमाण है।

क्रय-विक्रय के साधन वस्तुओं का विनिमय भी मुद्राओं द्वारा होता था। सुवर्ण^१, निष्ठ^२, कार्य-पण^३, बोडि^४ और मापक^५ प्रचलित मुद्राएँ थीं। राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार 'सुवर्ण' एक सोने का सिक्का था जिसका तोल ८० रत्ती था^६। कहते हैं कि निष्ठ की सुवर्ण के बराबर होता था^७। 'बोडि' से बीस कीड़ी का मूल्य दोतिहांस होता था^८। कार्यपण तात्र-निर्मित पण या पेसा था^९। मापक भी उस समय प्रचलित मुद्रा-विदेश की संज्ञा थी।

१. समुद्रव्यवहारी सार्ववाहो गनमित्रो माम । नौव्यसने विष्णवं ।
—भग्नि० शा०, घक ६, पृ० १२१
२. अर्थंजातस्य गणनावहूलतयैकमेष पौरकायंमवेक्षितम् ।
—भग्नि० शा०, घक ६, पृ० १२०
३. सुवर्णशतप्रदानेन ।
—प्रतिज्ञा०, घक १, पृ० १७
४. निष्ठशतसुवर्णपरिमाणम् ।
—मास०, घक ५, पृ० ३३६
५. मूच्छ०, घ.४०
६. चहौ ।
७. दक्षिणा मापका भविष्यन्ति ।
—धारदत्त, घक १, पृ० ७
८. एज भौंक इम्पीरियल यूनिटी भौंक इण्डिया, पृ० ६०७
९. गायत्रीदेवी वर्मा : वातिदास के ग्रन्थों पर मापार्थित तत्त्वातीन भारतीय सहृति, पृ० २६७
१०. 'बोडिविशतिःभद्रो गोडे प्रहिद' —गृष्मीघर
११. 'कार्यपणे तात्रिते पण'—इत्यमरः ।

त्सक' आदि उल्लेखनीय हैं।

राजकीय आय का प्रमुख साधन कर था। प्रजा से आय का पष्ठाश कर-रूप में लिया जाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में कचुकी

राजकीय आय

राजा दुष्यन्त को, आय का छठा भाग लेने के कारण 'पष्ठाशवृत्ति'^३ कहता है।

कर के अतिरिक्त नि सन्तान धनिकों की

सम्पत्ति उनकी मृत्यु के पश्चात् राजकीय सम्पत्ति हो जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में धनभित्र नामक नि सन्तान व्यापारी की सम्पत्ति उराकी मृत्यु के पश्चात् राजगामी होने वाली थी^४। नैगम और सार्थवाहो द्वारा भी राजकोष की सतत समृद्धि होती रहती थी^५। विजित राजाओं से प्राप्त हाथी, घोड़े सैनिक और बहुमूल्य जवाहरात भी विजेता रूपति की आय के साधन थे। 'मालविकाग्निमित्र' में वीरसेन विदर्भराज को युद्ध में जीत कर अनेक अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े, कलाकार और परिजन राजा अग्निमित्र के पास उपहार-रूप में भेजता है^६।

आयागमन और यातायात के प्रमुख साधन याहन (पशु) और यान थे। पशुओं में अश्व, बलीवर्द्ध और हस्ती परिवहन के मुख्य साधन

थे। अश्व सवारी और युद्ध दोनों के

आयागमन एवं यातायात काम आता था। 'मृच्छकटिक' में न्यायाधीश वीरक को घोड़े पर जीर्णोद्यान जाने को बहता है^७। 'कर्णभार' में करणं धाराहरण-रूप धारी इन्द्र को युद्ध में वीरता दिखाने वाले हजारों घोड़े देने को कहता है^८। अश्वों का उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता चला आया है। कीटिल्य

^१ अप्रभवत उच्चिवेलातितमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति।

—माल०, भक २ प० २६८

^२ अभिं दाऽ, ५४

^३ अभिं दाऽ, भक ६ प० १२१

^४ धाराहारोपनयनपरा नैगमा सानुमान ।

—विश्व०, ४ १३

^५ माल०, भक ५ प० ३३६

^६ मृच्छ० भक ६ प० ४६३

^७ करभार १ १६

ने गति की दृष्टि से घोड़ों के तीन भेद बिये हैं—तीक्ष्णाश्व, प्रदाश्व और मदाश्व और प्रयोग की दृष्टि से दो भेद—युद्ध-सम्बन्धी अश्व और सवारी के अश्व। बलीबद्ध प्राय गाड़ी में जोते जाते थे^१। हाथी घनिको एवं राजाओं की सवारी के उपयोग में आता था। वमन्तसेना के पास सवारी के नाम के लिए खुण्टमोड़क हस्ती था^२। हाथी चतुरगिणी सेना का एक अग भी होना था^३।

यानों के अन्तर्गत रथ^४, शिविका^५, शस्ती^६, घोटकशक्टिका^७, स्वन्धशयन^८, प्रवहण^९ और नौका^{१०} का उल्लेख हुआ है। रथ राजाओं की प्रमुख सवारी थी। सवारी के अतिरिक्त युद्ध में भी इनका प्रयोग किया जाता था। बस्तुत यह चतुरगिणी वाहिनी वा प्रमुख वग था^{११}। शिविका महिलाओं की सवारी थी। इसे कहार कन्धे पर उठा कर ले जाते थे^{१२}। इसके चारों ओर चतुक व पर्दा सगा रहता था^{१३}। राजकन्याएँ प्राय शिविका में बैठ कर उद्यान और मन्दिर आदि बो जाती थी^{१४}। शक्टी आयुनिक 'रेडी' जैसी गाड़ी होती होगी। घोटक-

१. एत नस्यरजनुवदुशा बलीबद्धा । —मूल्य ०, अक ६, पृ० ३२३
 २ मूल्य ०, अक २, पृ० १३८
 ३. हस्त्यश्वरथपदानीनि विजयामानि सम्नदानि । —स्व० वा०, अक ५, पृ० १७०
 ४ चोचना मम रथ । —कर्णभार, अक १, पृ० ६
 ५ तन पुरुषस्वन्धपरिवर्तनस्थिताया शिविकायाम् । —प्रतिका०, अक १, पृ० ६४
 ६. एता चक्रघरस्य शशटीम् । —पचरात, १.६
 ७ घोटकशक्टिकामाश्वा । —पचरात, अक २, पृ० ५५
 ८ स्वन्धशयनमारोप्य । —प्रतिका०, अक १, पृ० २८
 ९ मूल्य ०, अक ४, पृ० १६२
 १० अभिशात, अक ६, पृ० १२१
 ११. स्व० वा०, अक ५, पृ० १७०
 १२. तत पुरुषस्वन्धपरिवर्तनस्थिताया शिविकाया प्रकाम हष्टा दा राजदारिका । —प्रतिका०, अक ३, पृ० ६४
 १३ अपनीतक्तुकाया शिविकाया । —प्रतिका०, अक ३, पृ० ६३
 १४. प्रतिका०, अक ३, पृ० ६३-४

शकटिका 'तांगे' का प्राचीन रूप मानी जा सकती है। स्कन्धशयन पुरुषों के कन्धों पर ढोया जाने वाला यान् था। 'प्रवहण' वैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी थी^१। यह जन-साधारण के यातायात का साधन थी। जलयान के रूप में नीका प्रचलित थी। सामुद्रिक व्यापार में इसका उपयोग होता था^२।

युग-विशेष की सांस्कृतिक उन्नति में कला का विशेष योग कला-कोशल रहता है। कलात्मक उन्नति ही सांस्कृतिक प्रगति का आधार-स्तम्भ है।

कला का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कला जीवन की पूरक है और जीवन कला का पूरक है। कला जीवनमय है और जीवन कलामय है। कला जीवन में लालित्य जीवन में कला का स्थान को जन्म देती है और वह स्वयं जीवन से प्रेरणा एवं चेतना ग्रहण करती है। कला और जीवन के मणिकांचन सयोग से ही कलाकार सजीव कलाकृति का सर्जन करता है। जिस कलाकृति में जीवन का समावेश नहीं होना है, वह निष्प्राण सी प्रतीत होती है।

कलाकार कला के भाव्यम से स्पन्दित जीवन की अभिव्यक्ति करता है। हमारे समक्ष जीवन का ललित एवं परिष्कृत रूप कला ही प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न पोषक उपकरण है, उसी प्रकार मानसिक पुष्टि के लिए कला पौष्टिक तत्त्व का कार्य करनी है। वह मानव के हृदयगत भावों का मूर्त्तीकरण है। कला हृदय का (भावों का) व्यायाम कराती है और मनुष्य को गद्दैय बनाती है।

कला में सामाजिक गौरव का दत्तिहास निहित रहता है। किसी भी देश की कला देश के सामाजिक स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। विविध कलाकृतियों और कलात्मक प्रतिमाओं में तत्कालीन समाज के उत्कर्ष और अपवर्यं का चित्र प्रतिविम्बित होता है। किसी भी देश की

१. मृद्दू, भक ६, पृ० ३२३

२. समुद्रव्यवहारी गार्भपाही धनमित्रो नाम नीघ्नने विषम् ।

कला के अवलोकन-मात्र से ही वहाँ के तदेशीय मनुष्यों की मनोवृत्तियों, मनोभावों और सामाजिक जीवन-प्रवृत्ति का परिचय मिल सकता है। गुप्तकालीन कला अपने समय की सामाजिक एवं सास्कृतिक उन्नति का ज्वलन्त प्रतीक बनी हुई है और सम्भवत् दूर भविष्य में भी उस का गुण-गान होता रहेगा।

बैसे तो कला एक अखण्ड अधिव्यक्ति है और उसका विभाजन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि सामाजिक व्यवहार की दृष्टि

कला का वर्गीकरण से उसके दो भेद—उपयोगी कला और ललित कला—किये जाते हैं। उपयोगी कलाओं से मनुष्य की बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अत उनको संख्या अनन्त है। ललित-कला हृदय के आळादान और चेतनानुरजन के लिए अधिक उपादेय है। इसके पाच भेद हैं—१ साहित्य-कला, २ संगीत-कला, ३ चित्र-कला, ४ मूर्ति-कला और ५ वास्तु-कला। इनमें प्रथम दो गतिशील कलाएँ हैं और शेष तीन स्थिर कलाएँ मानी जाती हैं।

राहित्य मूलत एक है लेकिन ऋचि-भेद और रूप-भेद के आधार पर उसके अनेक रूप हो जाते हैं।

साहित्य-कला में रूप देशकाल-क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। इनका आकलन और विभाजन प्राप्त साहित्य के आधार पर होता है।

आलोच्य युग में साहित्य-कला पर्याप्त उन्नत एवं विकसित थी। वर्ण नाटकों में इसके लिए 'काव्य'^१ शब्द का प्रयोग हुआ है। काव्य के गद्य यथा दोनों हो रूपों में विद्वानों की समान गति थी। विढ्ढर्ग अपनी कीर्ति के प्रसार के लिए युन्दर काव्य-रचना करने का प्रयास करता था। विवेच्य नाटककारों के नाटक तत्कालीन काव्य-कला की प्रीढता एवं रसभावमयना के ज्वलन्त प्रतीक हैं। शकुन्तला द्वारा ललितपद वाले छन्द की रचना^२ और उर्वशी का अर्थगरिमा से पूर्ण

१ वासुदेव उपाध्याय गुप्त सामाजिक का इतिहास, भाग २, पृ० २५१

२ न चापि काव्य नवमित्यवद्यम् । —माल०, १२

३ तैन आत्मन उपायासूवं नितय तावल्लितपददन्वनम् ।

—भग्नि० शा०, भ्रक० ३, पृ० ४८

प्रणय-पत्र^१ जनता की साहित्यिक अभिश्चि का ही द्योतन करते हैं।

समाज में विद्वानों और साहित्यकारों का अतीव सम्मान था। राजा लोग स्वयं विद्वान् और काव्य-प्रेमी होते थे और वे कोविद विद्वानों का सम्मान करते थे। उनके साहित्यकारों का सम्मान आधय में रस-भाव की व्यजना में निपुण कवि रहते थे^२। समय-समय पर विद्वद्-गोष्ठियाँ और साहित्यिक राम्मेलन भी होते थे। राम्मेलन में नवोदित साहित्यकारों की कृतियों का विद्वत्परिपद के समक्ष परीक्षण होता था^३। ग्रन्थों की परीक्षा नवीन एवं पुरानी के आधार पर नहीं होती थी, अपितु जो छृति अपने काव्यमय गुणों से विद्वानों को मान-सिक सन्तोष प्रदान करती थी, वही सर्वंसम्मति से सर्वोत्कृष्ट घोषित की जाती थी^४। 'मालविकारिनमित्र' में सूत्रघार के कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि विद्वत्परिपद भास, सौमिल, कविपुत्रादि प्राचीन कवियों के प्रबन्धों को छोड़ कर नवोदित साहित्यकार कालिदास के 'मालविकारिनमित्र' नाटक को ही उत्कृष्ट सिद्ध करती है^५।

ललित-कलाओं में सगीत का द्वितीय स्थान है। यह देव विद्या होने के कारण 'गान्धर्व-विद्या' वा 'गान्धर्व-वेद'^६ की अभिधा से भी सगीत-कला विभूषित है। वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में सगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बतलाया है^७। भतुहरि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मनुष्य साहित्य, सगीत और कला से

^१ विक्र०, २ १३

^२ इय हि रसभावविद्योपदीक्षायुरोविकमादित्यस्याभिरूपभूयिष्ठापरिपद । —प्रभिर० दा०, घक १, पृ० ४

^३ प्रभिर० दा०, घक १, पृ० ४

^४ पुराणमित्येव न साधु सर्वं न जापि काव्य नवमित्यवद्यम् ।

सन्त परीक्षान्यतरद्भजन्ते मूढं परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥ —माल०, १ २

^५ मा लावत् । प्रथितयसामा भाससौमिलकविपुत्रादीना प्रबन्धाननिकाम्य वर्तमानकवे कालिदासस्य क्रियाया कथं बहुमान । —माल०, घक १, पृ० २६१

^६ दर्पयस्येन दायाद्यागती गान्धर्वो वेद । —प्रतिज्ञा०, घक २, पृ० ६३

^७ वामुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इनिहास, भाग २, पृ० ३१७

विहीन है, वह पूँछ रहित साक्षात् पशु है।

बात्स्यायन के अनुसार सगीत के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं — १ गीत, २ वाद्य और ३ नृत्य। ये तीनों सगीत की त्रयी कहलाते हैं और परस्पर अन्योन्याश्रित हैं।

वर्ण्य नाटका में उल्लिखित स्वरसकम्^१, मूर्च्छनाम्^२, लय^३, उपगान^४, वर्णपरिचय^५, आदि मगीत के पारिभाषिक शब्दों से ऐसा

गीत	प्रतीत होता है कि गीत के दो भेद प्रचलित थे — एक शास्त्रीय-गीत और दूसरा लोक गीत। दोना प्रकार के गीतों
-----	--

के लिए 'गीत' शब्द ही प्रयुक्त होता था। इनके लिए पृथक् पृथक् नाम नहा थे। शास्त्रीय-गीत सगीत शास्त्र के नियमों से आवद्ध होते थे। इसके गायन के समय सगीत शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। 'मृच्छकटिक' म आर्य रेभिल का मधुर सगीत स्पष्ट, भावमय एव कामल गीत शास्त्रीय गीत का ही उदाहरण है^६। रेभिल अपने गीत में स्वर-परम्परा, वर्णों के आरोह एवं अवरोह हेला-समयन और ललितरागोच्चारण का पूर्ण ध्यान रखता है^७। शास्त्रीय-गीतों के विपरीत लोक-गीत शास्त्रीय नियमों से परे स्वर ताल से युक्त होते थे। ये उत्सवा और पर्वों पर भाये जाते थे। 'पञ्चरात्र' में राजा विराट के जन्मदिन के उत्सव पर स्त्री-पुरुष खूब गाते एवं नाचते हैं^८।

१ मूर्च्छा०, ३ ५

२ वही।

३ मान०, २ ८

४ मालविवा—[उपगान कृत्वा चतुष्पदवस्तु गायनि]।

—मान०, अङ्क २, पृ० ८८२

५ जाने तत्त्वमवती हस्तपदिका वर्ण-परिचय करोतीति।

—ग्राहिं शा०, अङ्क ५, पृ० ७६

६ मूर्च्छा०, ३ ४

७ मूर्च्छा०, ३ ५

८ मुष्ठु गीतम्।

—पञ्चरात्र, अक २, पृ० ५४

प्राचीन नाट्यशास्त्रियों ने वाद्य-यन्त्रों के आकार के आधार पर चार भेद किये हैं — १ तत्, २ गुप्ति, ३ अवनद्ध और ४ धन।

वाद्य-यन्त्र

तन्त्रीवाद्य को 'ततवाद्य' कहते हैं। छिद्रों में फूँक भारती से ध्यनित होने वाले अर्थात् रन्ध्रमय वाद्यों का नाम 'सुपिर' है। चमड़े

से मढ़े हुए वाद्य 'अवनद्ध' कहलाते हैं। कास्यादि धातुओं से निर्मित वाद्य 'धन' अभिधा से अभिहित होते हैं। 'सगीत-रत्नाकर'^१ में लक्ष्य-नुसार वाद्यों का—शुष्क, गीतानुग, नृत्यानुग, द्व्यानुग, यह चतुर्विध विभाजन किया गया है किन्तु आकारगत वर्गीकरण ही सर्वमान्य है।

इस वर्ण के अन्तर्गत बीणा^२ नामक वाद्य समाविष्ट है। इसमें नादोत्पत्ति के लिए स्नायु की सूक्ष्म तन्त्रियाँ होती थी, इसलिए इसे 'तन्त्री'^३ भी कहा जाता था। यह तत्कालीन युग में सर्वप्रिय मधुर सगीत वाद्य (Musical Instrument) मानी जाती थी।

इसे अक में रख कर नखों के परामर्श से बजाया जाता था^४। बीणावादन स्वान्त सुखाय और परहिताय दोनों ही रूपों में उपयोगी था। 'कला कला के लिए' (Art for Art's sake) की भावना से तो बीणा का अभ्यास किया ही जाता था, साथ ही यह कला जीवन के लिए के सिद्धान्त को भी सार्थक करती थी। 'मृच्छकटिक' में इसे अनेक प्रशसात्मक विशेषणों से विभूषित किया गया है। इसे उत्कृष्टों का मनोनुकूल मित्र, विरहातुरजन की प्रेयसी तथा प्रेमियों के रागवर्धन

१ तुनश्चतुर्विध वाद्य वद्ये लक्ष्यानुसारत ।

शुष्क गीतानुग नृत्यानुगमन्यद् द्व्यानुगम् । —सगीत-रत्नाकर

२ (क) उत्तराया यंतालिपया सकाशे बीणा शिकितु नारदीया गतासीय ।

—प्रतिभा०, भक २, पृ० ५२

(ख) व्यक्त स्वयं बीणा वाद्यति । —प्रविष्ट०, भक ३, पृ० ६७

३ उच्च हम्मे सप्तिष्ठाद्य जाला

स्त्रीनाद श्रूयते सानुनादम् । —प्रविष्ट०, ३ ५

४ इपमपरा ईर्ष्या प्रणयकुपिता कामिनोद अक्षारेविता करहृपरामर्त्तै यायते बीणा । —मृच्छ०, भक ४, पृ० २३५

का हेतु बताया गया है^१। चारुदत इसे विना समुद्र से निकाला हुआ रत्न कह कर इसके विषय मे अत्युक्ति ही कर जाता है^२। यह गजवदी-करण कर्म मे भी बहुत सहायक थी। यह भद्रुर भकार से, मन्त्रविद्या के सहजा, भद्रमत्त हायियो के हृदयो को भी वशीभूत कर लेती थी^३। वीणा के इन अलौकिक गुणो के कारण ही याजवल्क्य^४ वीणा-वादन-बान को मोक्ष प्राप्ति मे सहायक बताते हैं।

नारद रचित कहे जाने वाले मुद्रित ग्रन्थ 'सगीत मकरन्द'^५ और 'मगीत-दामोदर'^६ मे वीणा के कमज़ा उन्नीस व उन्नीस प्रकारा का चल्लेख है। आजकल प्रचलित सितार, सारगी वा बायलिन, तानपूरा आदि वाद्य-तन्त्री के ही विविध रूप हैं।

१ उत्तरिण्ठनस्य हृदयानुगुणा बयस्या

सवैतत्रे चिरयति प्रवरो दिनोद ।

स्थथापना प्रियतमा विरहातुराणा

रक्तस्य रागापरिवृद्धिकर प्रमोद ॥

—मृच्छ०, ३ ३

२ चाद०—ग्रहो । साधु, साधु रभिलेन गीतम् । वीणा हि नाम यसमुद्गो त्वित रत्नम् । —मृच्छ०, अक ३, पृ० १४७

३ शुनिसुन्नमधुरा स्वभावरत्ना करजमुग्नोल्लिसिताप्रयृष्टत त्री ।

ऋषिवचनगतव मन्त्रविद्या गजहृदयानि बनाद्वारी करोनि ॥

—प्रतिभा० २ १२

४ के० वासुदेव शास्त्री सगीत-दास्त्र, वाचाध्याय, पृ० २५५

५ कच्छपी, कुञ्जिका, चिना, बहन्ती, परिवादिनी, जया, घोपवती, ज्यष्ठा, नकुली, महती, वैष्णवी, ब्राह्मी, रीढ़ी कूर्मी, रावणी, सारस्ती, विद्वती, मैत्रधी, घोपवा ।

—के० वासुदेव शास्त्री सगीत-दास्त्र, वाचाध्याय, पृ० २५४

६ असावणी, ब्रह्मवीणा, बिनरी, लघुकिञ्चरी, विपची, वल्तकी, ज्येष्ठा, चिना, घोपवती जया, हस्तिका कुञ्जिका, कूर्मी, सारभी, परिवादिनी त्रिशवी, शत्रवाडी, नकुलोष्टी ढसवी, घोडुम्बरी, पिनाकी नि शक, तुष्णल, गदावारणहृस्ता, छद, मधुस्थन्दी, कालियास, स्वरमणमल घोष ।

—गायत्री वर्षा कालिदास के ग्रार्थों पर घायारित तत्कालीन भारतीय सस्त्रिति, पृ० ३३५

इस वर्ग में शख्स, शृङ्खला तथा वशी के समस्त प्रकार आते हैं। विवेच्य नाटकों में वश', शख्स^३ और तूर्य^४ नाम के सुपिर वाद्यों का उल्लेख हुआ है। इनमें प्रथम अर्थात् वश, सुपिर-वाद्य बाँसुरी या वशी को कहते हैं। 'बाँसुरी', 'वेणु' आवनूस की लकड़ी, हाथी ढाँत, चन्दन, रक्तचन्दन, लोहे कासे, चाँदी या सोने से बनायी जा सकती है। यह ग्रन्थि, भेद और बण से रहित रहती है। इसका रध्य प्रमाण छोटी अगुली का व्यास है। यह रध्य पूरी बाँसुरी में एक सा रहता है। शिरोभाग बन्द रहता है। 'अय-भाग में एक या दो दो अगुल छोड़ कर उसके पीछे बदरी बीज के समान परिधि वाले आठ रध्य होते हैं। इन आठ में से पहला रध्य वायु के निर्गमन या बाहर निकलने के लिए नियत है। योप सात रध्य सात स्वरों के लिए निर्धारित है'।^५ बाँसुरी की घवनि मधुकर विश्व के समान श्रुति-मधुर होती थी।^६

शख्स भी सुपिर वाद्य है। यह मागलिक वाद्य था। उत्सवों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था। देवालयों^७ में देव पूजन के समय और रणागण में उत्साहवर्धन के लिए इसको फूंका जाता था। इसका निर्धोप इतना गम्भीर होता था कि उससे हाथियों तक का चित्त उद्भ्रमित हो जाता था।^८ तूर्य भी शख्स जैसा फूंका जाने वाला वाद्य था। यह एक प्रकार की 'तुरही'^९ थी जो मागलिक अवसरों पर प्रयुक्त होती थी।

१ (सगतादवलोक्य), अये। कथ मृदग ऐते वशा।

—मृद्यू०, घक ३, पृ० १६७

२ गवपतिचित्तोदभगणाधै देवतुलपु स्थापिता शख्सदुन्दग्य।

—प्रतिज्ञा०, घर ३, पृ० ६१

३ गाधोगादितगमधुकरगीतै, वाद्यमानै गरमृततूर्यै। —विक्र०, ४ १२

४ ये० वागुदेव शास्त्री सगीत-शास्त्र वाचाच्याय, पृ० २६७

५ मधुकरविश्वमधुर वाद्यते वश। —मृद्यू० घक ४, पृ० २३५

६७ प्रतिज्ञा०, घक ३, पृ० ६३

८ भगवतगरण उपाध्याय कालिदास वा भारत, भाग २, पृ० १४

इस वर्ग के अन्तर्गत मुरज^१, पुष्कर^२, मृदग^३, पणव^४ दर्दुर^५, ढङ्का^६, पटह^७, छिण्डम^८, दुन्दुभि^९, करटक^{१०}, इन दस वाद्य-यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। मुरज, पुष्कर एवं मृदग नृत्य के अवसर पर पदों की द्रुतगति के लिए बजाये जाते थे। इनके मेघगर्जन सहज गम्भीर निघोंप^{११} के ताल पर नर्तन में एक समावेश जाता था। पटह का उपयोग राज्याभिषेक^{१२} देवार्चन^{१३} आदि धार्मिक कृत्यों और युद्धादि^{१४} के अवसर पर किया जाता था। दुन्दुभि एक प्रकार का बड़ा ढोल होता था^{१५}। यह मुख्यतः रणबाद्य था^{१६}। इन अवनद्ध वाद्यों में दुन्दुभि के अतिरिक्त दोष सब वाद्य ढोल के विविध प्रकार थे।

इसके अन्तर्गत कास्यताल^{१७} और घटे^{१८} का उल्लेख प्राप्त होता है। आजकल सत्सग, कीर्तन आदि में बजाये जाने वाले मजीरे कास्यताल ही हैं।

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| १ | माल०, १ २२ | |
| २ | वही, १ २१ | |
| ३ | नेपथ्ये मृदगच्छनि । | —माल०, अक १ पृ० २७६ |
| ४ | मृच्छ०, अक ३ पृ० १६७ | |
| ५ | वही। | |
| ६ | मृच्छ० २५ | |
| ७ | प्रतिमा० ७ ३ | |
| ८ | वा० च०, ३ ३ | |
| ९ | वणभार अक १ पृ० १२ | |
| १० | मृच्छ०, ६ २३ | |
| ११ | हनोऽपि चतुर्थे प्रकोष्ठे युवतिकरताडितजलधरा इव गम्भीर नदिति गृदगा। | —मृच्छ०, अक ४, पृ० २३५ |
| १२ | प्रतिमा०, ७ ३ | |
| १३ | प्रतिज्ञा०, ३ ४ | |
| १४ | दू० वा० १ ५ | |
| १५ | भगवत्तदारणु उपाध्याय कालिदास का भारत भाग २, पृ० १४ | |
| १६ | वही। | |
| १७ | श्रीणपुण्या इव गगनात्तारका निपत्ति कास्यताला । | —मृच्छ० अक ४, पृ० २३१ |
| १८ | मठघो गया भद्रवत्या चण्टाहिता । | —प्रतिज्ञा०, अक ४, पृ० १०७ |

यह भी सगीत का एक अविभाज्य ग्रंथ है। यह सगीत का जीवन-रूप है। नृत्य से सगीत में चेतना और स्पन्दन का सचार होता है। नृत्य विरहित सगीत निष्पन्द और जड़ है।

नृत्य प्रमुखत दो प्रकार के होते हैं—एक लोक-नृत्य और दूसरा शास्त्रीय-नृत्य। लोक नृत्य शास्त्रीय नाट्य नियमों और रीतियों से निर्मुक्त जनता बना, जनता के लिए निर्मित और जनता द्वारा निर्मित नृत्य है। इसमें नृत्य के प्रकार मानव-समाज की आदिम मनोवृत्तियाँ और भावनाएँ, उनके हृष्य-उल्लास, शोक-विपाद, प्रेम ईर्ष्या, भय-आशका, धूरणा ग्लानि, आश्चर्य विस्मय, भक्ति-निवृत्ति आदि भाव अपने सरल और विशुद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं। इसमें सभ्य-जीवन का कृतिम आडम्बर और प्रपञ्चमय जीवन की कृपटपूरण प्रवचनाएँ वहुत कम आभास मिलता है। इसके विपरीत शास्त्रीय नृत्य सगीत-शास्त्र या नृत्य शास्त्र के कठोर नियमों में आवद्ध होता है। इसमें आगिक, वाचिक आदि अभिनय एक नियत शैली या पद्धति पर आधा रित होते हैं।

नाटकों में लोक-नृत्य के रूप में हूलीसक^१-नृत्य का और शास्त्रीय-नृत्य के रूप में ध्वनिक^२ नृत्यों का उल्लेख हुआ है। हूलीसक-नृत्य रास-नृत्य का ही एक रूप था। धार्मिक या सामाजिक लोकोत्सवों और भेलों में सुसज्जित नर नारी सम्मिलित होकर आनन्द में भूमते हुए नगाड़ों की ताल पर इरा नृत्य का प्रदर्शन करते थे। 'धालचरित'^३ में रग-विरगे वस्त्रों से विभूषित गोप कन्याएँ श्रीकृष्ण के माथ हूलीसक-नृत्य करती हैं। शक्ति ने भड़ली-नृत को हूलीसक बहा है, जिसमें एक पुरुष नेता वे रूप में स्त्री भड़ली के बीच में ताचता है। इसे ही भोज वे 'मरस्वती वण्ठाभरण' में 'हूलीसक-नृत्य बहा गया है। हूलीसक शब्द

१ घोणसुल्ति, वनमाने, चन्द्ररेणे मूरुणाणि पापवास्त्वानुरूपोऽय हूलीयन् नृत्यवध उपयुक्तताम् । —या० च०, अक ३ पृ० ४७

२ अधिकरप्रवृत्तोदेव ध्वनिक नाम नाट्यमन्तरेण कीटशी मालविदेति नाट्या चार्यमार्यगणादान प्रस्तुम् । —मात०, अक ३ पृ० २६२

३ अचर्भन् शास्त्रोद्दोऽस्मिन् चून्दावने गोपक-यक्षाभि गह हूलीयन नाम प्रकीर्तिमुमागच्छति । —या० च०, अक ३, पृ० ४४

का उद्गम यूनानी 'हलीशियन' (हलीशियन मिस्ट्री डास) से ईसवी सन् के आम-पास हुआ जान पड़ता है। कृष्ण के रासन्तृत्य और हलीसक-नृत्य, इन दोनों की परम्पराएँ किसी समय एक-दूसरे से सम्बन्धित हो गई होगी^१।

शास्त्रीय नृत्य शैली पर आधारित 'छलिक'-नृत्य प्रयोग में आने वाले नृत्यों में सबसे कठिन समझा जाता था। इसका आधार शमिठारचित् चतुष्पद या चार पद बाला गीत माना जाता^२ था। भाष्यकार काट्टेवम की व्याख्या के अनुसार 'छलिक' वह नृत्य है जिसमें नर्तक दूसरे के रूप का अनुकरण करता हुआ अपने भनोभावों का प्रकटीकरण करता है^३।

सगीत मानव हृदय के अन्तर्म की कोमल भाव-तरंग है जो जब-तब गीत और बादन के माध्यम से या भग-सचालन और मुख की भाव भगिमा द्वारा फूट पड़ती है।

सगीतायोजन के अवसर उसकी अभिव्यक्ति के लिए देश काल का कोई बन्धन स्वीकार्य नहीं है। आनन्द, श्राह्नाद, शोक, वेदना आदि भाव चरमस्थिति पर पहुच कर स्वतं सगीत को मुखरित कर देते हैं। यथापि सगीत लहरी निवाधि और देश-काल से अपरिच्छिद्धन है तथापि समाज में कुछ विशेष पर्व, उत्सव या सार्वजनिक समारोह होते हैं जिनमें सगीत का साजो सामान के साथ आयोजन अनिवार्य और आवश्यक होता है।

विवेच्य नाटककारों के युग में भी राजकीय उत्सवों और लोको-हम्यों के अवसर पर सगीत आयोजन का विशेष प्रचलन था। 'माल-विकामिनिश'^४ नाटक भवसन्तोत्सव के अवसर पर 'नाटकाभिनय'

१ वासुदेवशरण अग्रवाल हर्षचरित एक सास्कृतिक ग्रन्थम् पृ० ३३

२ देव 'शमिष्टाया कृति चतुष्पादोत्थ छलिक दुष्प्रयोज्यमुदाहरति।

—माल०, भक १ पृ० २५८

३ 'तद एतज्वलित नाम साक्षात् यत अभिनीयते। अपदेशपरावत स्वाभिप्राय प्रकाशवम्'।

—भगवनशरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग २, पृ० १५

४ अभिहितोऽस्मि विद्वत्परिपदा कालिदासप्रथितवस्तु मालविकामिनिश नाम नाटनम् प्रसिद्धवर्णनोत्सव प्रयोक्तव्यमिति। तदारम्भता सगीतम्।

—माल०, भक १, पृ० २६१

के साथ-साथ परिपद् में सरसता-सचार के लिए सगीत की भी रचना की जाती है। भास के 'बालचरित' में गोपजन 'इन्द्रधनु' नामक लोकोत्सव पर अपने अन्तर के आळावाद को व्यक्त करने के लिए 'हलीसक' नृत्य का आयोजन करते हैं। राज्याभिषेक समारोह पर भी ऐसा ही आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कभी-कभी सगीत-प्रतियोगिताएँ भी होती थीं जिनमें कलाकार अपने अपने कला-नैपूण्य का प्रदर्शन करते थे। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अक्ष में माट्याचार्य गणदास और हरदत्त की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाविश एक इसी प्रकार की सगीत प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसमें दोनों आचार्यों की शिष्याएँ अपना अभिनय-चातुर्य प्रदर्शित करती हैं^१।

प्रेक्षागृह^२, सगीतशाला^३ और नाट्याचार्य^४ प्रादि शब्दों के बहुल प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनसाधारण और राज-परिवार में सगीत-कला के प्रति भतीज अभिरुचि थी। कला उस चुग्ग में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राज्य में राजकीय

सगीत-शालाएँ और प्रेक्षागृह भी ये जहाँ नाट्यशास्त्र में पारगत नाट्याचार्य सगीत की शिक्षा देते थे। इन आचार्यों की राजा की ओर से वेतन^५ मिलता था। इन नाट्याचार्यों में प्राय विद्या या योग्यता विषयक विवाद भी छिड जाता था जिसका निण्ठं राज-सभा में राजा के रामबों होता था^६। आचार्यों के शास्त्रज्ञान का परीक्षण उनके शिष्यों के कला-चातुर्य के आधार पर होता था^७। निरालिक राजा

१. बा० च०, अक ३, पृ० ४४-४५

२. माल०, अक १-२ (सम्पूर्ण)

३. तैन हि द्वावधि धर्गा प्रेदापहे सगीतरचनाहृत्वा तत्रभवतो द्रूत प्रेपदतम् । —माल०, अक १, पृ० २७८

४. तत्तावत्सगीतशासा गच्छामि । —माल०, अक १, पृ० २६२

५. देख्या एव वच्छेन नाट्याचार्यपाद्यनामादारम् ।

—माल०, अक १, पृ० २६३

६. माल०, अक १, पृ० २७४

७. माल०, १.१०

८. मुदिदिनोऽनि सर्व उपदेशर्त्तेन निष्णातो भवति ।

—माल०, अक १, पृ० २७७

या एक व्यक्ति हो नहीं होता था, अपितु दो-तीन विद्वानों को निर्णय का अधिकार प्रदान किया जाता था क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा पण्डित क्यों न हो, यदि एकाकी निर्णय देता है तो उसके निर्णय में भूल का होना बहुत सभव है^१। निषण्यिक के लिए निष्पक्ष होना अनिवार्य था^२। कला प्रदर्शन के पश्चात् जो कलाकार सर्व-सम्मति से सर्वश्रेष्ठ घोषित होता था उसे सम्भवतः पारितोपिक या पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था^३।

काव्य-कला के समान चित्र-कला भी आन्तरिक अभिव्यक्ति का सुन्दर माध्यम है। चित्रकार अपने चित्रों में अपने अभूतं भावों को भूतं रूप प्रदान करता है, अव्यक्त को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अस्पष्ट को स्पष्टवान् बनाता है। सक्षेप में चित्र-रचना कलाकार के मानसिक भावों की सजीव सृष्टि या प्रतिमा है।

विवेच्य नाटकों में आये कला-सम्बन्धी उल्लेखों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उस युग में चित्र-कर्म या चित्र-कला की साधना उत्कर्ष पर थी। समाज में, जनता में, इस कला के प्रति असीम अभिरुचि और सम्मान था। राज-भवनों और सार्वजनिक स्थलों में चित्रशालाएँ^४ होती थीं जहाँ कलाविद् आचार्य^५ कलाजिजासुओं को आलेखन की शिक्षा देते थे। दुर्यन्त, पुरुरवा, वसन्तसेना, शकुन्तला यी संखियाँ—अनसूया, प्रियबद्धा—ये सभी पात्र चित्राकन में प्रबोधण बताये गये हैं। विरह-विधुर राजा दुर्यन्त शकुन्तला के चित्रालेखन में अपना नैपुण्य प्रदर्शित करता है^६। पुरुरवा अपनी प्रयसी उर्वशी का

१. परिव्राजिका—देवि । नैतन्यात्य्यम् । सर्वेषस्याप्येकाकिनो निर्णयाम्बुपगमो दोषाय । —माल०, अक १, पृ० २७६

२. आचार्यो—सम्यागाह देव । मध्यस्था भगवती नी गुणदोपत परिच्छेतु महेति । —माल०, अक १, पृ० २७४

३. अथवा पण्डितसन्तापप्रत्यया नगु मूरजाति । यतोऽप्रभवत्या शोभन भणित तत इदं ते पारितोपिक प्रयच्छामि । —माल०, अक २, पृ० २८६

४,५ चित्रशाला गता देवी यदा प्रत्यग्रवणंरागा निष्पलेषामाचार्यस्यालोक्यन्ती तिष्ठति । —माल० अक १, पृ० २६४

६. अभिंशा०, अक ६, पृ० ११४-११

चित्र बनाना चाहता है, परन्तु बार बार आँखों में आँसू आ जाने से चित्र के अधूरा रहने की शका के कारण उसे नहीं बनाता^१। वसन्त सेना आयं चारुदत्त की चित्राङ्किति खीचतो है^२। शकुन्तला की सखियाँ केवल चित्र कला के अनुभव के आधार पर शकुन्तला को अलकृत करती हैं^३।

चित्र कला के आधारों को दो यर्गों में विभक्त किया जा सकता है—एक विषयीगत और दूसरा विषयगत। प्रथम कर्ता से सम्बद्ध है।

सफल कलाकार के लिए चार बात विचा

चित्र रचना के आधार रणीय बतायी गयी हैं—१ वस्तु विम्ब

२ रामाधि या योग ३ भावानुप्रेश और
४ कल्पना। चित्र-लेखन से पूर्व चित्रकार के समक्ष वरतु व्यक्ति या चित्र विशेष का मानस बिम्ब रहना चाहिये। जब तक उसके मस्तिष्क में अपने प्रतिपाद्य की काल्पनिक रूपरेखा नहीं रहेगी तब तक वह अपने चित्र को व्यक्त व सजीव नहीं बना सकेगा। ‘व्यक्त से तात्पर्य है कि चित्र केवल चित्र तक, अधिक से अधिक चित्रकार तक सीमित रहेगा और अन्य सामाजिकों की बुद्धि व कल्पना से बाहर की चीज समझा जायेगा। ‘अभिज्ञानशकुन्तल के पष्ठ अक मे शकुन्तला विरहित राजा केवल मानस बिम्ब के आधार पर शकुन्तला का ऐसा सजीव चित्र खीचता है कि स्वयं राजा को यह ध्यान नहीं रहता कि यह चित्र है या साक्षात् शकुन्तला। सानुमती^४ तो राजा का नैपुण्य देख कर दग रह जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी सखी ही सामने खड़ी है।

चित्र कर्ता के लिए समाधि या तम्मयता अत्यन्त आवश्यक है। जब तक कलाकार अपने आपको अपने प्रतिपाद्य या ध्येय में लीन

नहीं कर लेगा तब तक चित्र में न तो सजीवता आयेगी और न पूर्ण भावाभिव्यक्ति होगी। 'शुकनीति'^१ में भी शिल्पी के लिये 'प्रतिपाद्य-ध्यानावस्थान' अनिवार्य बताया गया है। अलेख्यगत दोष कलाकार की शिथिल समाधिवश होता है। 'मालविकाम्भिमित्र'^२ में जब राजा मालविका के चित्र को देखने के पश्चात् यथार्थ में उसे देखता है तो उसे चित्र उसके स्व-लावण्य को यथावत् प्रकट न करने के कारण फीका जान पड़ता है और वह उसका कारण चित्रकार की शिथिलता या मनोयोग का अभाव मानता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल'^३ में दुष्यन्त शकुन्तला का चित्र बनाते समय अपने आपको इतना तन्मय कर देता है कि वनने के बाद उसका चित्र योलदा सा प्रतीत होता है और वह उसी चित्रगत शकुन्तला के दर्शन-सुख का आनन्द प्राप्त कर प्रसन्न होता है।

बस्तु-विष्व और समाधि के साथ-साथ चित्रकार का भावानु-प्रेषण^४ का विचार भी करना पड़ता है। भावानुप्रेषण का अर्थ है प्रतिपाद्य के आकार-प्रकार या हाव-भाव का यथावत् अकन और उससे सम्बद्ध उपादानों का यथास्थान चित्रण। कलाकार जब तक अपनी रचना में सफल भावाभिव्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी रचना अद्वितीय व सजीव नहीं हो सकती। भावाभिव्यक्ति के लिए पात्र व देश-काल के औचित्य का ध्यान भी रखना पड़ता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला के चित्र को दर्शनीय व सजीव बनाने में दुष्यन्त की सफल भावानु-

१ योग एवं रामाधि में योगदान की शक्ति प्रतिमा की विशेषता है। अनेक प्रतिमा के मानव-स्वरूपों को ध्यानशील होना चाहिये। ध्यान के घटि-रिक्त प्रतिमा के स्वरूप ज्ञान का अन्य कोई साधन नहीं (साक्षात्कार भी कारण नहीं)। —शुकनीति, अध्याय ४, संप्ल ४, पृ० १४७ ५०

२ चित्रगतायामस्था बान्तिविसवादशकि में हृदयम्। सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेवमालिखिता ॥ —माल० २ २

३ राजा—दर्शनसुखमनुभवत् साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन। स्मृतिकारिणा त्वया म पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥

—सम्प्र० शा०, ६ २१

४ राधु वद्यस्य। मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रेषण स्वसतीव मे हृष्टिनिम्नो नह प्रदेशेषु । —प्रभ० शा०, अक ६, पृ० ११४

प्रेपण-शक्ति ही कार्य करती है। वह अपनी प्रेयसी के अग-प्रत्यग इतने मुन्द्र बनाता है कि उसके मनोभाव ज्यो-न्मे-ज्यो उत्तर आते हैं।

कलाकार में उर्वर-कल्पना-शक्ति का होना भी उसकी निपुणता का आवश्यक ग्रंथ है। यदि वह किसी मुन्द्र व लावण्यभयी आकृति का अविकल चित्र सुन्दर व सजीव बना देता है, तब यह कोई आदर्शयं की बात नहीं, किन्तु उसको निपुणता तो वहाँ दिखायी देती है जहाँ वह अपनी रेखाओं में कल्पना से 'अमुन्द्र' को 'मुन्द्र' बना देता है।

विषयगत आधार के अन्तर्गत चित्र-रचना में सहायक भौतिक उपकरण आते हैं। इन उपकरणों में सबसे महत्वपूरण है चित्र का आधार-पट जिस पर रखकर चित्रकार बस्तु या व्यक्ति-विदोष का चित्र लीचता है। यह आधार 'चित्रपट'^१ या 'चित्रफलक'^२ कहलाना था। यह सम्भवत लकड़ी या लोहे का चीकोर तस्ता होना था। कलक के अतिरिक्त पत्ता और भित्तियों पर भी मुन्द्र चित्रकारी की जाती थी। पत्र-चित्र^३ व भित्ति-चित्र^४ के उदाहरण 'मृच्छकटिक'^५ में मिलते हैं। भित्ति-चित्र-वल्ला की परम्परा नवीन नहीं थी, वरन् रामायण द्वाल से चली आ रही थी। रामायण^६ में राम के प्रामाद वो भित्तियों पर उत्कीर्ण चित्रों का उल्लेख है।

चित्रपट पर चित्र की स्परेसा यक्कन करने के लिए वैनिजिक या धुग भी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए 'वर्निश' शब्द प्रयुक्त

हुआ है। यह मोथरी नोक वाली कलम होती थी। भगवतशरण उपाध्याय 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में आये 'लम्बकूर्च'^३ पद का अर्थ 'रग भरने के उपयोग में आने वाला ब्रुश करते हैं, किन्तु बस्तुत वहाँ तापस का विशेषण होने के कारण इसका अर्थ 'लम्बी ढाढ़ी वाला' है^४।

बर्ण या रागो का भी भ्रालेखन में विशेष महत्व है। 'चिन-लेखा'^५ और 'वर्णराग'^६ शब्दो से व्यक्त होता है कि पहले माधारण रूप-रेखा खीचकर रग भरे जाते थे। रगो के प्रयोग से रचना निकर उठती थी। चिन-रेखा यो में सम्भवत गीले रग (Water Colour) का प्रयोग होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला का चित्र देखते समय दुष्पन्त के नेशो से गिरा हुआ भासू चिन को विगड़ देता है। इससे सिद्ध होता है कि चित्र में गीले रग का प्रयोग हुआ था तभी वह खुराक हो गया अन्यथा नहीं होता। यीमती गुरुओं देवी वर्मी^७ 'मजल-विकाग्निमित्र' में आए 'प्रत्यग्वर्णराग' पद का अर्थ 'ताजा गीला रग' बना कर इस मत की पुष्टि करती है।

चित्र रचनोपयोगी सामग्री यथा वर्तिका आदि रखने के लिए बाँस की बनी एक छोटी मजूपा होती थी जिसे वर्तिका करण्डक^८ नाम से अभिहित किया जाता था।

१,२. भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, माग १, पृ० २५

३. यथाऽह पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलक लम्बकूर्चना तापसामा कदम्बे ।

—अभिं दा०, भद्र० ६, पृ० ११६

४,५. चित्रदाला गता देवी यदा प्रत्यग्वर्णरागा चिनलेखामाचार्यस्यालोकयन्ती तिष्ठति । —मान०, भद्र० १, पृ० १६४

६ इबनागुलिविनिवेशो रेखाप्राप्तेषु हश्यते मतिन् ।

अश्रु च परोलपतित हश्यमिद वर्तिकोच्छवासाद् ॥

—अभिं दा०, ६ १५

७ कवि कालिदास के प्रम्यो पर आधारित शतकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ३४५

८ वर्तिकाकरण्डक यहीत्वेतोमुल प्रस्थिताऽस्मि ।

—अभिं दा०, भद्र० ६, पृ० ११६

'चित्र-रेखा'^२ और 'वर्णराग'^३ शब्दों से यह व्यवस्था होता है कि चित्र दो प्रकार के होते थे—रेखा-चित्र और वर्ण-चित्र।

चित्र-भेद

रेखा-चित्र में कलाकार प्रकृत वस्तु या व्यक्ति का चित्र रेखाओं द्वारा अकित करता है। वह रेखाओं में ही, विना वर्ण

या राग के वस्तु का अविकल भुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। वर्ण-चित्र रेखा-चित्र का परवर्ती रूप है। इसमें प्रतिपाद्य वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को रेखान्वित कर बाद में उसे विविध-वर्णों और रंगों से मण्डित किया जाता है। वर्ण-चित्र रेखा-चित्र की तुलना में अधिक कलात्मक, मोहक और रमीन होता है, किन्तु यदि सहज कला और उसकी मूल आत्मा के दर्शन करने हो सो वह केवल रेखाओं से अन्वित आलेख्य में ही उपलब्ध हो सकती है। लिपि-पुती, सजी-घजी, चटकीसी मटकीली स्थ्री और सहज साथण्यमयी भारी में जो अन्तर है वही रेखा चित्र व वर्ण-चित्र में है।

भास, कालिदास और शूद्रक के नाटकों के अध्ययन व अनुशीलन से यह बात पूर्णत सिद्ध है कि चित्र-कला उन तीनों के बाल में उम्मत व समृद्ध थी किन्तु जहाँ तक चित्र-कला की साधनाओं का प्रश्न है, उनमें आशिक भेद हृष्टिगोचर होता है। भास के समय इस कला का अनुशीलन बता या साधना की हृष्टि से बह और जीविका या व्यवसाय की हृष्टि से अधिक किया जाता था। उसके नाटकों में हस्तोपरचित्र जिन्होंने शाया 'प्रतिज्ञायोगधरायण' में चित्र-फलक पर अकित उदयन-वासवदत्ता-विवाह के हृष्टि और 'दूतवाक्यम्' में द्वौपदी के वेश-कर्यण के चित्र^४ का उल्लेख घर्वन्न है, किन्तु स्वहस्तलिङ्गिन

चित्रों^१ का, जिनका उल्लेख 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में हुआ है, नाम तक नहीं आया और न ही किसी पात्र को कला का माध्यक घोषिया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह कला सर्व-साधारण में व्यापक और लोक-प्रिय नहीं थी और केवल व्यावरणिक शिल्पियों तक ही सीमित थी।

कालिदास-काल अर्थात् गुप्त-काल में यह कला अपने पूर्ण वैभव पर थी। यद्यपि पेशेवर चित्रकारों वा अभाव न था तथापि कला-साधकों और कलाविदों को तुलना में उनकी सत्त्वता नगण्य थी। जनता में चित्र-रचना के अभ्यास और अनुशीलन के प्रति अतीव उत्साह और अभिन्नता थी। इनके नाटकों में दुष्प्रभाव, पुरुषरत्ना आदि नागरिक पात्र तो कुछल कलाकार हैं ही, राय ही शकुन्तला अनसूया आदि अरण्यवामिनी वालाएँ भी चित्र-कर्म में निपुण वर्णित की गयी हैं।

शूद्रक के 'मृच्छकटिक' म आलेखन-सम्बन्धी उल्लेख अत्यन्त या नगण्य ही है। अत चित्र-कला के विषय में स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है।

विवेच्य युग में राहित्य, समीत आदि कलाओं के समान मूर्ति-कला भी उन्नत अवस्था में थी। तत्कालीन शिल्पकार नाना प्रकार

मूर्ति कला करने में अत्यन्त निपुण थे। मूर्ति निर्माण के साधनों म मिट्टी, काठ और प्रस्तार का उपयोग किया जाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में भरत मिट्टी से बने हुए मध्यूर से सेलता है^२। 'मृच्छकटिक' म काढ़ प्रतिमा^३ और धील प्रतिमा^४ का उल्लेख हुआ है।

मूर्तियों की प्रनिष्ठा के तीन आधार थे—१ स्मृति, २ प्रदर्शन एवं दोभा तथा ३ धर्म-निष्ठा।

प्रतापी राजाओं और मनस्वी पुरुषों की मृत्यु के पश्चात्

? तथ मे चित्रकरकमता हस्तनिखिता तत्रभवत्या शकुन्तलाया प्रतिकृति मानयति । —अभिंशा० अद्व० ६, पृ० १०८

२ (प्रविश्य मृण्मध्यूर दृस्ता) सवदमन शकुन्तलावण्य प्रेषस्त्र । —अभिंशा० अद्व० ७, पृ० १३८

३ काठमयी प्रतिमा । —मृच्छ०, अद्व० २, पृ० १०६

४ न भेतु न सतु, धील प्रतिमा । —मृच्छ०, अद्व० २, पृ० १०६

उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाती थी। ये प्रतिमाएँ मृत व्यक्तियों की स्मारक होती थीं और उनके दलाधनीय एवं जीवन्त कृत्यों की गाया को पुनर्जीवित रखती थीं। 'प्रतिमा नाटक' में प्रतिमा-गृह में रधुवशी राजाओं की शौयं-गाया को जाग्रत रखने के लिए उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी थीं ।

मूर्तियों की स्थापना का द्वितीय प्राधार प्रदर्शन एवं मनोरजन की भावना थी। प्रासादों एवं भवनों की शौभा में चार चाँद लगाने के लिए नाना जीवधारियों की सजीव प्रदर्शन एवं मनोरजन मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। गृहों की माज-सज्जा के लिए भित्तियों पर पशु-वशी आदि की भाकृतियाँ भी उत्कीर्ण की जाती थीं। 'विक्रमोर्वशीय' में राज-द्वार पर बैठे हुए मोर पत्थर में घुडे हुए से प्रतीत होते हैं^१। बच्चों के मनोविनोद के लिए भी मिट्टी आदि की मूर्तियों की रचना की जाती थी^२।

धर्म-प्रागा व्यक्तियों की धर्म-भावना और आस्था के स्थूल आधार के लिए देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ मन्दिरों और देवालयों में स्थापित की जाती थी^३।

यह पंचम ललित-कला है। इसे स्यापत्य-कला भी कहा जाता है। आलोच्य युग में इसका पूर्ण विवास नहीं खुका था। राज-प्रासाद^४, देवायतन^५, विहार^६, भाहार^७, तडाग^८, पूपादि^९ के बाहर से स्पष्ट है कि स्यापत्य-कला ने व्यवस्थित एवं स्थिर रूप धारणा कर लिया था।

१ प्रतिमा०, चट्ठ० १ (सम्पूर्ण) ।

२ उत्तीर्ण इव नासयविष्यु निदानिदानसा एहिणो । —विक०, १२

३ धर्म० दा०, चट्ठ० ७ पृ० १५८

४ देवतोद्विष्टान्तार्थिष्यत्प्रदर्शनात्मकं अनिवार्यम् ।

—प्रतिमा०, चट्ठ० ३, पृ०, ७५

५ विलार के लिए देखिये, 'परिवार' नामक पत्राय ।

६-१० पृष्ठद०, चट्ठ० ६ पृ० ५०४

उपसंहार

इम समग्र विवेचन ने हमे इम निष्कर्ष पर पहुचाया है कि सामाजिक गतिविधियों में विकास अपना मार्ग खोज निकालता है। राजनीतिक, धर्मिक या आधिक परिस्थितियाँ जिस प्रकार समाज को बीधने या दबोचने का प्रयत्न करती है उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितयाँ उनसे मुक्त वरतावरण का मिररण करने लगती है। कुछ परिस्थितियाँ समाज का स्नेह पा कर उसके कोड में पलती रहती हैं और कुछ समाज के पीछे लगी चली जाती है, इन्हीं को परपराओं का नाम दिया जाता है। आलोच्यकालीन समाज के विशाल काल-वक्ष पर ऐसी अनेक परपराओं की बेला हम हृषिगोचर हो रही है। फिर भी समाज को हम प्रगति-पथ पर अग्रसर देखते हैं। भास-कालीन समाज की कई प्रथाएँ कालिदास-युग में अपना स्पष्ट बदलती दियायी देती हैं। यदि हम भास और शूद्रक के युगों के दो दूरस्थ छोरों के बीच में हृषिपात करें तो परिवर्तन की अङ्गड़ाइयाँ हमारे सामने स्पष्ट स्पष्ट में आ जाती हैं। हम ने स्थान-स्थान पर देखा है कि भासकालीन अनेक परिस्थितियों ने शूद्रक के युग में नवीन परिस्थितियों के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है।

अनेक इस शोब-प्रबन्ध में आलोच्य-नाटकों में चित्रित समाज के विश्लेषण के साथ एक भाकी परिस्थिति परिवर्तन-परपरा और प्रगति की भी है। हमारा प्रमुख लक्ष्य विकीर्ण सूत्रों का अध्ययन और परीक्षण तो है ही, साथ ही उनका सकलन और संगठन भी है। इससे विभिन्न नाटकों में प्रतिविवित खड़-समाज को गमग्र रूप मिल गया है। जो गामाजिक चित्र हमने निर्मित किया है उनकी विवरी रेखाएँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं, वरन् उनसे बने हुए अनेक अगों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करके पूरण आकार की

प्रतिष्ठा की गयी है। अतएव प्रबन्ध की सूत्र व्यवस्था चित्र-पट के रूप में प्रस्तुत की गई है।

इस शोध प्रबन्ध में कल्पना के रगों ने ऐतिहासिक भूमिका प्राप्त की है। अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष की कल्पना के इतिहास का आधार देकर वस्तु स्थिति और आदर्श की वीथियों को सयोजक द्वारा से एक किया गया है। यहाँ समाज के विविध पहलुओं यथा गृहस्थ परिवार, बर्ण, वर्ग, नारों पुरुष स्थिति और सम्बन्ध, आदर्श नैतिक आचरण, रहन सहन के ढग, आस्थाओं एवं विचार-धाराओं शासन पद्धतियों, न्याय, दण्ड-प्रशालियों आधिक दशा एवं कला कोशल आदि को पूर्ण आकार बनाने वाले पूर्ण चित्रों के रूपों में प्रस्तुत करके वर्तमान समाज-व्यवस्था के सुधार के आयाम प्रस्तुत किये गये हैं।

समाज के इस रूप चित्र को सामने रख कर वर्तमान समाज अपनी भूलों को सुधार सकता है अपने रूप का परिष्कार कर सकता है और अपने नैतिक वृष्टिकोणों की दृढ़ प्रस्थापना कर सकता है। आज समाज के सामने एक लक्ष्य भ्रश की स्थिति उपस्थित है। इसका परिशोध आलोच्यकालीन समाज में अध्ययन की भूमिका पर प्रस्थापित किया जा राबत्ता है।

ग्रन्थ-सूची

क. मूल ग्रन्थ

अनिषेक-नाटक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	प्रतिज्ञा योगन्धरायण, प० कपिलदेव गिरि की टीका
अभिज्ञानशाकुमतल, कालिदास ग्रन्था- वली (द्वितीय संस्करण)	बालचरित, सीताराम सहगल की टीका
अविमारक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	मध्यमध्यायोग, प० रामजी मिश्र की टीका
अदमंग, आर० बी० कुम्भारे की टीका कर्णनार, प० रामजी मिश्र की टीका चादल, प० कपिलदेव गिरि की टीका	मालविकागिनमित्र, कालिदास ग्रन्था- वली (द्वितीय संस्करण)
दूतघटोत्कच, प० रामजी मिश्र की टीका	मृच्छकटिक, महाप्रभुलाल गास्त्रामी और रमाकान्त डिवेदी की टीका
दूतवाक्य, प० रामजी मिश्र की टीका पञ्चरात्र, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	विक्रमोर्जीय, कालिदास ग्रन्थावली (द्वितीय संस्करण)
प्रतिमा-नाटक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र	खण्डवासवदत्त, प्री० पी० पी० शर्मा की टीका

ख. सहायक ग्रन्थ

(१) संस्कृत ग्रन्थ

अमरकोश	तंत्रिरीय शाहपण
अर्थशास्त्र, कोटख	दशाईफ, धनञ्जय

प्राद्यवलायन गृह्णसूत्र	रघुवंश, कालिदास मन्यावली (द्वितीय सत्करण)
शूरवेद	रामायण
कामसूत्र	शतपथ धार्मण
बृहज्ज्ञातक	सगीत बामोदर
मविष्पुराण	सगीत रत्नाकर
मत्स्यपुराण	साहित्य दपण, विश्वनाथ (विमला दीका)
मनुसूति, केशवप्रसाद द्विवेदी की टीका	

(२) हिन्दी ग्रन्थ

कला और सत्कृति, वासुदेवशरण अप्रवाल	प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, डॉ सुनीतिशुमार चटर्जी
कालिदास, ये द्रवली वाणी	प्राचीन वेदामूर्या, डॉ मोतीचंद्र
कालिदास, बी० बी० मिराजी	भारत का इतिहास, दयाप्रकाश
कालिदासी एक सांख्यिक ग्रन्थयन, वासुदेवशरण अप्रवाल	भारत का प्राचीन इतिहास, एन० एन० धोप
कालिदास का भारत, भगवतशरण उपाध्याय	भारतीय सम्यता और सत्कृति का विषास, दुनिया
कालिदास के शब्दों पर भाषारित तत्त्वा खोन भारतीय सत्कृति, गायत्री व मा	भारतीय सत्कृति और उसका इतिहास, सत्यवंशु विद्यालयार
कालिदासी के ह्य, गुलाबराय	भारतीय सत्कृति का इतिहास, भट्टाचार एवं शुक्र
गुप्त साम्राज्य का इतिहास, द्वितीय लकड़, वागुदव उपाध्याय	मध्यसातोन मारतीय सत्कृति, प्रभा गीरीशवर हीराचंद्र
गुप्तगुप्त मौर्य और उण्डा चाल, राधाकृष्णन मुखर्जी	रामायणासीन सत्कृति, शान्तिशुमार नामूराम व्यास
प्रसाद के देतिहासिक नाटक, डॉ जगदीश्वर डॉ लोदी	सत्कृत विद्यान, भोजगढ़वर व्यास
प्राचीन भारत का इतिहास, भगवन-शरण उपाध्याय	सत्कृत नाटकचार शान्तिविदार मरतिया

सत्कृत साहित्य का इतिहास, चलदेव उपाध्याय	पाण्डेय
सत्कृत साहित्य की रूप रेखा, चल- देव उपाध्याय तथा व्याम	सिद्धान्तातोचन, धर्मचन्द्र सन्ता
साहित्य-विद्येचन, लोमचन्द्र शुभन तथा मल्लिक	हर्षचरित - एक सांकृतिक अध्ययन, वासुदेवशरण अग्रबाल
साहित्यिक निवाग, डा० राजकुमार	हिन्दू परिवार-भीमासा, वासुदेवशरण अग्रबाल

(३) भंग्रेजी ग्रन्थ

Bhasa, A S P Alwyer	<i>India As Known to Panini</i>
Bhasa A Study, Pusalkar	V S Agrawala
Corporate Life in Ancient India, R C Majumdar	<i>Life in the Gupta Age, Salefore Sanskrit Drama, A B Keith</i>
Encyclopaedia of Hindu Architecture, P K Acharya	<i>Social Life in Ancient India</i> H C Chakrader
Glories of India, P K Acharya	<i>Vedic Mythology, Macdonell</i>
Gupta Art, V S Agrawala (1943 edn)	<i>Women in Sanskrit Dramas,</i> Ratnamayidev. Dikshit

ग. पञ्च पत्रिकाएँ

कल्याण (सत्कृत भक्त) <i>Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Volume 6</i>	<i>Archaeological Survey of India Report</i>
---	--